लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खंड ३३, १९५९/१८८१ (शक)

[१७ से २९ अगस्त १९५९/२६ श्रावण से ७ भाद्र १८८१ (शक)]

2nd Lok Sabha

(Eighth Session)

सत्यमेव जयते

Preservation
Fumigated
On
Parliament Library

आठवां सत्र, १९५९/१८८१ (शक)

(खण्ड ३३ में अंक ११ से २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

विषय-सूची

[द्वितीय माला खण्ड ३३—अंक ११ से २०—१७ अगस्त से २६ अगस्त १९५९/२६ श्रावण से ७ भाद्र १८८१ (शक)]

पृष्ठ

अंक ११—सोमवार, १७ अगस्त, १९५९/२६ श्रावण, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या ४९१, से ४९३, ४९६, ४९८, ५०० से ५०२ ५०७, ५०३ से ५०६ और ५०८ से ५१२ — १३८३—१४१३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४९४, ४९५, ४९७, ४९९ और ५१३ से ५३६ — १४१३—२४

अतारांकित प्रश्न संख्या ८९० से ९५६ और ९५८ से १०२५ — १४२४—८८

स्थगन प्रस्ताव के बारे में — १४८८

सभा पटल पर रखा गया पत्र — १४८८

राज्य सभा से सन्देश — १४८८–८९

वर्ष १९५९–६० के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें — १४९०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

आंध्र प्रदेश में तम्बाकू का भारी मात्रा में जमा होना — १४९०–९१

केरल संबंधी उद्घोषणा के बारे में संकल्प — १४९१—१५२०

दैनिक संक्षेपिका — १५२१—२८

अंक १२—बुधवार, १९ अगस्त, १९५९/२८ श्रावण, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या ५३७ से ५३९, ५४२ से ५४४, ५४६, ५४७, ५५० से ५५७ और ५५९ से ५६३ — १५२९—५४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५४०, ५४१, ५४५, ४४८, ५४९, ५५८, ५६४ से ५८३ — १५५५—६४

अतारांकित प्रश्न संख्या १०२६ से १११७ — १५६४—१६०१

स्थगन प्रस्तावों के बारे में — १६०१–०२

पृष्ठ

सभा पटल पर रखा गया पत्र १६०२

राज्य सभा से सन्देश १६०३

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति
सैंतालीसवां प्रतिवेदन १६०३

आंध्र प्रदेश तथा मद्रास (सीमाओं में परिवर्तन) विधेयक के बारे में याचिका १६०३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
दिल्ली में बम विस्फोट १६०३—०४

सभा का कार्य १६०४

केरल संबंधी उद्घोषणा के बारे में संकल्प १६०४—४६

दैनिक संक्षेपिका १६४७—५३

अंक १३—गुरुवार, २० अगस्त, १९५९/२९ श्रावण, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न* संख्या ५८४, ५८६ से ५८८, ५९० से ५९४, ५९६, ६०८, ५९५ और ५९७ से ६०० १६५५—७८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ५८५, ५८९, ६०१ से ६०७ और ६०९ से ६३१ . . . १६७८—९२
अतारांकित प्रश्न संख्या १११८ से ११९७ १६९२—१७२९

सभा का कार्य १७२९

सभा पटल पर रखे गये पत्र १७३०

राज्य सभा से सन्देश १७३१

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति—
पन्द्रहवां प्रतिवेदन . . . १७३१

पांडिचेरी की स्थिति के संबंध में दिये गये वक्तव्य की शुद्धि १७३१—३२

केरल संबंधी उद्घोषणा के बारे में प्रस्ताव १७३२—५७

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग विधेयक—
विचार करने के लिये प्रस्ताव १७५८—६८
खंड २ से ३२ और १ . . . १७६८
पारित करने के लिये प्रस्ताव १७६८

पृष्ठ

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और बैंक (संशोधन) विधेयक--
विचार करने के लिये प्रस्ताव . . १७६६
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक (संशोधन) विधेयक पुरस्थापित . १७७०
कार्य मंत्रणा समिति--
इकतालीसवां प्रतिवेदन . . १७७१
दैनिक संक्षेपिका . . १७७२--७८
अंक १४--शुक्रवार, २१ अगस्त, १६५६/३० श्रावण, १८८१ (शक)
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--
तारांकित प्रश्न* संख्या ६३२ से ६४३, ६४५, ६४६, ६४६ से ६५३ १७७६--१८०४
प्रश्नों के लिखित उत्तर--
तारांकित प्रश्न संख्या ६४४, ६४७, ६४८, ६५४, ६७६ और ११० . १८०४--१६
अतारांकित प्रश्न संख्या ११६८ से १२८५ . . . १८१६--५१
स्थगन प्रस्तावों के बारे में--
कलकत्ते के ऊपर भारतीय वायु क्षेत्र का कथित उल्लंघन १८५२--५३
सभा पटल पर रखे गये पत्र . १८५३
राज्य सभा से सन्देश . . . १८५४
सभा का कार्य १८५४
कार्य मंत्रणा समिति--
इकतालीसवां प्रतिवेदन . १८५४
खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि के बारे में चर्चा . . . १८५४--६७
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति--
सैंतालीसवां प्रतिवेदन . . १८६७
बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प . . . १८६७--८६
तिब्बत के मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ को सौंपने के बारे में संकल्प . १८८७--८६
दैनिक संक्षेपिका १८६०--६६
अंक १५--शनिवार, २२ अगस्त, १६५६/३१ श्रावण, १८८१ (शक)
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--
तारांकित प्रश्न* संख्या ६७७, ६८०, ६८१, ६८२, ६८३, ६८५, ६८६, ६८८, ६८६, ६६१, ६६५, ६६६, ६६६, ७००, ७०२ और ७०४ १८६७--१६२२
प्रश्नों के लिखित उत्तर--
तारांकित प्रश्न संख्या ६७८, ६७६, ६८४, ६८७, ६६० ६६२, से ६६४, ६६७, ६६८, ७०१, ७०३ और ७०५ से ७०८ १६२२--२७

	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या १२८६ से १३७६	१९२८—६७
सैयद फ़ज़ल अली का निधन	१९६७—६८
भाखड़ा में हॉयस्ट चैम्बर में दुर्घटना के बारे में वक्तव्य .	१९६८—६९
हाफिज मुहम्मद इब्राहीम .	१९६८—६९
स्थगन प्रस्ताव—	
भाखड़ा में हॉयस्ट चैम्बर में दुर्घटना	१९ ९—७०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१९७०—७१
सभा का कार्य . . .	१९७१
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और बैंक (संशोधन) विधेयक	१९७२—८३
विचार करने के लिये प्रस्ताव	१९७२
खण्ड २ से ५ और १	१९८३
पारित करने का प्रस्ताव	१९८३
खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि के बारे में चर्चा . .	१९८३—२०११
जमाये हुये तेलों के बारे में आधे घंटे की चर्चा . .	२०११—१७
दैनिक संक्षेपिका	२०१८—२४
अंक १६—सोमवार, २४ अगस्त, १९५९/२ भाद्र, १८८१ (शाक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न* संख्या ७१०, ७११, ७१३ से ७१५, ७१८ से ७२३ और ७२५ से ७२९	२०२५—५१
अल्प सूचना प्रश्न संख्या २	२०५१—५२
प्रश्नो के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७०९, ७१२, ७१६, ७१७, ७२४, ७३० से ७६९	२०५३—७१
अतारांकित प्रश्न संख्या १३७७ और १३७९ से १४५६ . . .	२०७१—२१०३
स्थगन प्रस्ताव—	
१. दिल्ली के अध्यापकों द्वारा भूख हड़ताल	२१०३—०५
२. तिब्बत में भारतीय .	२१०५—०८
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	२१०८—०९
राज्य सभा से सन्देश . . .	२१०९
भाखड़ा के हॉयस्ट चेम्बर में दुर्घटना के बारे में वक्तव्य	२१०९—१२

पृष्ठ

वर्ष १९५६-५७ के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (हिमाचल प्रदेश) के बारे में विवरण . . . २११२

वर्ष १९५६-५७ के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (दिल्ली) के बारे में विवरण २११२

वर्ष १९५९-६० के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगों (केरल) के बारे में विवरण . . . २११२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

केरल के पश्चिमी समुद्र तट के निकट चीनी पनडुब्बियों की कथित उपस्थिति . २११२-१३

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—

पन्द्रहवां प्रतिवेदन . . २११३-१४

सभा का कार्य २११४

केरल स्थानीय प्राधिकार विधियां (संशोधन) विधेयक पुरस्थापित २११५

वर्ष १९५६-५७ के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगें . . २११५—२०

वेतन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में वक्तव्य . २१२०-२१

वर्ष १९५९-६० के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांग २१२१—४२

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक (संशोधन) विधेयक २१४३—४८

विचार करने के लिये प्रस्ताव २१४३

दैनिक संक्षेपिका २१४९—५६

अंक १७—मंगलवार, २५ अगस्त, १९५९/३ भाद्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या ७७० से ७७८, ७९२, ७७९, ७८१, ७८२, ७८४, ७८५, ७८७, ७८९, ७९१, ७९३ से ७९६ और ७९८ . २१५७—८३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७८०, ७८३, ७८६, ७८८, ७९०, ७९७ और ७९९ से ८१० २१८४—९१

अतारांकित प्रश्न संख्या १४५७ से १५६५ और १५६७ २१९१—२२४३

अतारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि २२४३

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

अड़तालीसवां प्रतिवेदन २२४४

याचिकाओं का उपस्थापन—

(१) रेलवे क्रासिंगों पर दुर्घटनायें २२४४

(२) भारतीय शस्त्र नियम में संशोधन २२४४

पृष्ठ

तारांकित प्रश्न संख्या ४९६ के उत्तर की शुद्धि — २२४४

विधेयक पुरस्थापित—

(१) विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १९५९ — २२४५

(२) विनियोग (संख्या ५) विधेयक, १९५९ — २२४५

(३) विनियोग (संख्या ६) विधेयक, १९५९ — २२४५–४६

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक (संशोधन) विधेयक. — २२४६—५०

विचार करने के लिये प्रस्ताव . — २२४६

खंड १ और २ . . . — २२४८

पारित करने के लिये प्रस्ताव . . — २२४९

केरल स्थानीय प्राधिकार विधियां (संशोधन) विधेयक — २२५०—५६

विचार करने के लिये प्रस्ताव . — २२५०

खंड २ से ७ और १ — २२५६

पारित करने के लिये प्रस्ताव . — २२५६

पशु निर्दयता निवारण विधेयक — २२५६—७१

सहमति के लिये प्रस्ताव — २२५६

संस्कृत आयोग के लिये प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव — २२७१—२३००

आन्ध्र प्रदेश और मद्रास (सीमाओं में परिवर्तन) विधेयक के बारे में याचिका — २३००

दैनिक संक्षेपिका — २३०१—०७

अंक १८—गुरुवार, २७ अगस्त, १९५९/५ भाद्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या ८११ से ८२०, ८२८, ८२१ से ८२४, ८२७, ८३०, ८३१, ८३३, ८३७, ८४३, ८४० और ८४१ — २३०९—३४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ — २३३४—३६

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या ८२५, ८२६, ८२९, ८३२, ८३४ से ८३६, ८३८, ८३९, ८४२, ८४४ से ८६५ — २३३६—५०

अतारांकित प्रश्न संख्या १५६८ से १६१८ और १६२० से १६७१. — २३५०—८८

सभा पटल पर रखे गये पत्र — २३८८

भारतीय शस्त्र नियमों के बारे में याचिका — २३८९

विधेयक—पुरस्थापित—

(१) सरकारी बचत बैंक (संशोधन) विधेयक — २३८९

(२) सरकारी बचत प्रमाण-पत्र विधेयक . — २३८९

(३) लोक ऋण (संशोधन) विधेयक — २३८९—९०

पृष्ठ

विधेयक—पारित—

(१) विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १९५९ २३९०

(२) विनियोग (संख्या ५) विधेयक, १९५९ २३९०—९१

(३) विनियोग (संख्या ६) विधेयक, १९५९ २३९१

पशु निर्दयता निवारण विधेयक—

सहमति के लिये प्रस्ताव . २३९२—२४०७

अनुपूरक अनुदानों की मागें (केरल) २४०७—१३

विधि आयोग के चौदहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव २४१३—२९

सदस्यों की गिरफ्तारी तथा रिहाई २४२४

दैनिक संक्षेपिका २४३०—३७

अंक १९—शुक्रवार, २८ अगस्त, १९५९/६ भाद्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या ८६६ से ८७०, ८७२ से ८७४, ८७६ से ८७८, ८८०, ८८२, ८८३, ८८६ से ८८९, ८९१ और ८९२ २४३९—६४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ से ७ २४६४—७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या ८७१, ८७५, ८७९, ८८१, ८८४, ८८५, ८९० और ८९३ से ९१३ २४७४—८६

अतारांकित प्रश्न संख्या १६७२ से १७३३ २४८६—२५११

स्थगन प्रस्ताव—

भारत की उत्तरी सीमा पर स्थिति १५११—१८

सभा पटल पर रखे गये पत्र २५१८

अल्प सूचना प्रश्न के उत्तर की शुद्धि. २५१८

राज्य सभा से सन्देश २५१९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

वेतन आयोग की कथित सिफारिशें २५१९–२०

सरकार द्वारा उधार लिये जाने के संबंध में सरकार की नीति के बारे में प्रस्ताव २५२०—२५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

अड़तालीसवां प्रतिवेदन २५२६

विधेयक—पुरस्थापित—

(१) श्री झूलन सिंह का परिवहन समन्वय विधेयक १९५९ २५२६

(२) श्री राम कृष्ण गुप्त का औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, १९५९ (धारा ३ का संशोधन) २५२६

	पृष्ठ
(३) श्री अर्जुन सिंह भदौरिया का सहकारी समितियां (संघ राज्य-क्षेत्रों के लिये) विधेयक, १९५९	२५२७
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १९५७ (धारा १०७, १०९ और ११० का लोप और धारा १६१ का संशोधन)	२५२७--३५
विचार करने के लिये प्रस्ताव--अस्वीकृत ।	
राज्य पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक १९५८ (धारा ५१ का संशोधन)	२५३५--४५
विचार करने के लिये प्रस्ताव--अस्वीकृत ।	
मिर्जापुर पाषाण महल (संशोधन) विधेयक, १९५८ (धारा ३ का संशोधन)—	
विचार करने के लिये प्रस्ताव	२५४६
कार्य मंत्रणा समिति—	
बयालीसवां प्रतिवेदन	२५४६
दैनिक संक्षेपिका	२५४७--५३
अंक २०—शनिवार, २९ अगस्त, १९५९/७ भाद्र, १८८१ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न* संख्या ९१४ से ९२८, ९३०, ९३५ और ९३६	२५५५--७९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९२९, ९३१ से ९३४ और ९३७ से ९६०	२५७९—९०
अतारांकित प्रश्न संख्या १७३४ से १८०८	२५९०--२६१८
स्थगन प्रस्तावों के बारे में	२६१९—२२
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२६२१-२२
सभा का कार्य	२६२२—२५
कार्य मंत्रणा समिति—	
ब्यालीसवां प्रतिवेदन	२६२५-२६
कुछ सदस्यों का सभा से बाहर जाना	२६२६-२७
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (केरल)	२६२६—३७
सरकार द्वारा उधार लिये जाने के सम्बन्ध में सरकार की नीति के बारे में प्रस्ताव	२६३८—४६
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	२६४७--६१
दैनिक संक्षेपिका	२६६२—६७

नोट:—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

मंगलवार, २५ अगस्त, १९५९

३ भाद्र, १८८१ (शक)

लोक–सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

शाहदरा-किंग्सवे कैम्प सम्पर्क मार्ग[1]

†*७७०. **श्री राधा रमण:** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सब्ज़ी मण्डी और किंग्सवे कैम्प क्षेत्रों से शाहदरा के लिये यातायात सम्पर्क स्थापित करने के लिये वज़ीराबाद तथा जमुना के पुल के दूसरे सिरे के बीच एक नया मार्ग बनाने का विचार किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की खास-खास बातें क्या हैं और सम्पूर्ण परियोजना पर कितने व्यय का अनुमान है; और

(ग) कार्य कब से आरम्भ किये जाने की संभावना है और उसको पूरे होने में कितना समय लगेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) जी हां।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

दिल्ली में जल संभरण में सुधार करने के लिये जमुना पर वज़ीराबाद में बांध बनाने की योजना के संबंध में, एक १५०० फीट लम्बा पुल बनाया जा रहा है।

२. दाहिनी ओर की मिलाने वाली सड़क पुल को विद्यमान तीमारपुर वाली सड़क से मिला देगी। बाईं ओर की मिलाने वाली सड़क पुल को विद्यमान शाहदरा लोनी रोड से मिलायेगी और वहां तक जायेगी जहां पर नई दिल्ली-गाज़ियाबाद रोड से मिलती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Link Road.

195 (Ai) LSD.—1.

३. मिलाने वाली सड़कों का सर्वेक्षण आरम्भ किया जा रहा है। वास्तविक कार्य लग भग ६ मास में आरम्भ कर दिया जायेगा । परियोजना पूरी होने में लग भग दो वर्ष लगेंगे। सड़क के पुल और उस से मिलाने वाली सड़कों पर काम का मोटे तौर से ३९ लाख रुपये अनुमान लगाया गया है ।

†**श्री राधा रमण** : यह प्रस्तावित पुल रेल एवं सड़क का पुल होगा अथवा केवल सड़क पर का पुल होगा जिस पर केवल मोटर गाड़ियां जा सकेंगी, रेलें नहीं ?

†**श्री राज बहादुर** : यह सड़क का पुल होगा ।

†**श्री राधा रमण** : विवरण में बतलाया गया है कि सरकार सर्वेक्षण कर रही है। इस पुल से सम्पर्क स्थापित करने के लिये कितनी लम्बी सड़क बनाने का बिचार है और वह किन-किन गांवों से हो कर बनेगी ?

†**श्री राज बहादुर**: मैं मिलाने वाली सड़क की ठीक-ठीक लम्बाई नहीं बता सकता। किन्तु दाहिनी मिलाने वाली सड़क तीमारपुर सड़क को मिलायेगी और बाईं ओर की मिलाने वाली सड़क शाहदरा लोनी रोड से मिलाई जायेगी । मैं समझता हूं कि जो गांव इस सेक्टर पर पड़ते हैं उन से होकर यह सड़क निकलेगी ।

रेलवे पटरियों के किनारे संचार लाइनें

+

†*७७१. **श्री स० चं० सामन्त** :
श्री रा० चं० माझी :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व और दक्षिण-पूर्व रेलवे के रेल मार्ग के किनारे-किनारे जो संचार के ऊपरी तार लगे हैं उनके स्थान पर ज़मीन के भीतर केबल्स लगाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस के लिये योजना और प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो सम्पूर्ण परियोजना की कुल अनुमानित लागत कितनी है ?

†**परिवहन तथा संचार और खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) जी हां ।

(ख) रेलवे ट्रैक्शन पद्धति से जो बिजली पहुंचाई जायेगी उसका वोल्टेज बहुत अधिक होने के कारण खुले तार वाली लाइनें काम नहीं करेंगी ।

(ग) अधिकांश हिस्सों के लिये योजनाएं और व्यय का अनुमान लगा लिया गया है ।

(घ) नियोजित सेक्शनों का लागत का अनुमान लगभग ३६६ लाख रुपये लगाया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० चं० सामन्त:** क्या यह कार्य सब से पहले पूर्व रेलवे पर आरम्भ किया जायेगा क्योंकि उस सेक्शन का विद्युतीकरण किया जा चुका है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है कि यह कार्य सर्वप्रथम इस रेलवे पर किया जायगा । लग भग आठ सेक्शन हैं जिन में एक-एक करके यह काम किया जायेगा और संभव है कि दो या तीन सैक्शनों पर एक साथ काम किया जाये ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या यह सच है कि इस प्रकार की स्कीम के अन्दर लाइनें कलकत्ता से आसनसोल तक एवं अन्य स्थानों में राष्ट्रीय राज-पथ पर बनाई जा रही हैं ? इन में से किस लाइन को प्राथमिकता न दी जायेगी ?

†**श्री स० का० पाटिल** : मैं नहीं जानता । यह प्राविधिक चीज है । किन्तु निश्चय यह किया गया है कि े जमीन के नीचे होनी चाहिये जिसका कारण यह है कि ए. सी. करेंट हो जाने पर उसका वोल्टज बहुत अधिक हो जायेगा । जो कुछ उपयुक्त और संभव होगा उन स्थानों में कम से कम व्यय किया जायगा ।

कलकत्ता पत्तन पर 'सिलो-कम एलिवेटर'

+

†*७७२. { **श्री बर्मन** :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री पांगरकर : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पत्तन क्षेत्र में एक 'सिलो-कम एलीवेटर' लगाया गया है ; और

(ख) इस परियोजना पर कुल कितने व्यय का अनुमान लगाया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) कलकत्ता पत्तन पर 'सेलो-कम एलिवेटर' लगाया जा रहा है ।

(ख) उसे खड़ा करने का प्राक्कलित व्यय, जिस में स्थान को तैयार करना और रेलवे साइडिंग बनाना (किन्तु पूर्वनिर्मित ऊपरी ढांचे तथा अमरीका से सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त उपकरण को छोड़ कर) शामिल है। लगभग १८ लाख रुपये है।

†**श्री बर्मन** : देश में ऐसे कितने 'सिलो-कम एलि टर' लगाये जाने का विचार है जिस से हम खाद्य स्थिति का सामना करने के लिये काफी मात्रा में अनाज प्राप्त कर उसे रख सकें ?

†**श्री अ० म० थामस** : टेक्निकल सहकारिता मिशन के अन्तर्गत दो हमें प्राप्त हो चुके हैं जिन में से एक हापुड़ में लगाया गया है जिसकी क्षमता १०,००० टन है। दूसरे की क्षमता १०,००० टन है जो इस प्रश्न में आ जाती है ।

†**श्री बर्मन** : क्या सरकार ने इस बात का अनुमान लगाया है कि खाद्य स्थिति का सामना करने के लिये हमें कितना चावल और गेहूं सुरक्षित रखना होगा जिस से हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो सके ?

---

†मूल अंग्रेजी में

¹Silo-cum-Elevator.

†श्री अ० म० थामस : इस सारे प्रश्न पर समय-समय पर पुनर्विचार किया जाना है। यदि हम स्वीकृत कार्यक्रम एवं अन्य कार्यक्रमों को शामिल करते हैं, जो शीघ्र ही मंजूर हो जायेंगे, तो हमारी लगभग १० लाख टन अनाज स्टोर करने की क्षमता हो जायेगी। इसके पश्चात् हम और १० लाख टन का कार्य क्रम बना लेंगे।

श्री विभूति मिश्र : अभी मंत्री जी ने बतलाया कि हापुड़ में दस हजार टन का गोदाम बनाया है। मैं जानना चाहता हूं कि इस में से जो गल्ला रखा गया है उसकी क्वालीटी पर कोई असर पड़ता है या नहीं।

†श्री अ० म० थामस : 'सिलो' भाण्डार संभवतः अनाज रखने का सब से उत्तम वैज्ञानिक ढंग है।

†श्री स० चं० सामन्त : इन 'सिलो-कम-एलिवेटरों' में केवल खाद्यान्न ही रखे जायेंगे अथवा भूसा तथा अन्य ऐसी चीजें भी रखी जा सकेंगी ?

†श्री अ० म० थामस : फिल हाल यह केवल गहूं और चावल के लिये ही बना है।

†श्री बर्मन : यह केवल गेहूं रखने के लिये उपयुक्त है अथवा चावल के लिये भी ?

†श्री अ० म० थामस : यह अधिक मात्रा में गहूं रखने के लिये उपयुक्त है।

†श्री विभूति मिश्र : जब हिंदुस्तान में चावल ज्यादा होता है और चावल रखने वाले भी ज्यादा हैं, चावल का एरिया भी ज्यादा है, तो चावल सुरक्षा से रहे इसके लिये सरकार ने कोई इन्तजाम किया है ?

†श्री अ० म० थामस : जी नहीं, हम इस प्रकार का कठोर विभाजन नहीं कर सकते। यह चावल और गेहूं दोनों को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त हैं। किन्तु उनका उपभोग अधिक मात्रा में गेहूं रखने के लिये किया जाता है। चावल रखने के लिये बनाई गई और चीजें काम में लाई जाती हैं।

भूंटार (कुलू घाटी) में हवाई पट्टी[1]

+

†*७७३. { श्री पद्म देव :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हेम राज :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री दलजीत सिंह : }

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री १६ फरवरी, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ३०५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि असैनिक उड्डयन महा-निदेशक द्वारा जैसी को सिफारिश की गई है, कुलू घाटी के भुंटार में हवाई पट्टी बनाने के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन): पूर्वी पंजाब सरकार से निवेदन किया गया है कि वह भुंटार हवाई अड्डे को असैनिक उड्डयन विभाग को हस्तान्तरित कर दे। भुंटार से होकर वायु सेवा आरम्भ करने से पहले हवाई पट्टी में कुछ सुधार करना आवश्यक है। कार्य का

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Airstrip at Bhuntar.

प्रारम्भिक प्राक्कलन पहले ही तैयार कर लिया गया है उसमें कुछ और मदें शामिल करने के लिय इन पर पुनर्विचार किया जा रहा है। भुंटार में मौसम प्रयोगशाला की व्यवस्था करने के लिये भी कार्यवाही में पहल कर दी गई है।

पंचायत और सहकारी समितियां

†*७७४. **श्री राम कृष्ण गुप्तः** क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान प्रधान मंत्री द्वारा लोक प्रशासन की भारतीय संस्था की पांचवीं वार्षिक बैठक की अध्यक्षता करते समय २५ अप्रैल, १९५९ को दिये गये इस वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है कि पंचायतों और ग्राम सहकारी समितियों को और अधिक शक्तियां दी जानी चाहियें; और

(ख) यदि हां, तो पंचायतों और ग्राम सहकारी समितियों को और अधिक शक्तियां देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्ति)** : (क) जी हां।

(ख) नया पंचायत संबंधी विधान जो राज्य आरम्भ कर रहे हैं उन में इसके लिये व्यवस्था की गई है। भारत सरकार का पत्र संख्या एफ़ १—१२। ५९ को-आप १, तारीख ११ मई, सं १९५९ में (जिस की प्रतियां हाल ही में सभा-पटल पर अतारांकित प्रश्न संख्या ६१९ के उत्तर में रखी गई थीं) सहकारी समितियों को लोक-प्रिय बनाने और बढ़ी हुई जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिये उन्हें विशद बनाने के बारे में जो विभिन्न कार्यवाही करने का विचार है, बताई गई है।

†**श्री राम कृष्ण गुप्तः** पत्र से पता लगा है कि राज्य सरकारों से अनुपूरक योजनायें भेजने के लिये कहा गया था। क्या राज्य सरकारों ने ये योजनायें भेज दी हैं

†**श्री ब० स० मूर्ति** : अधिकतर राज्यों ने भेज दी हैं।

†**श्री त्यागी** : प्रश्न पंचायतों को अधिक शक्तियां देने के बार में था। माननीय मंत्री ने सदन को यह नहीं बताया कि वे अतिरिक्त शक्तियां कौन-कौन सी हैं जो उन्हें देने का विचार किया गया है ?

†**श्री ब० स० मूर्ति** : अभी तक तो पंचायतें नागरिक एवं नगरीय कार्य करती रही हैं। अब विकास संबंधी कार्य भी पंचायतों को सौंपे जा रहे हैं। संबंधित विभाग विधान सभाओं में अलग विधान बना कर उनकी वित्तीय शक्तियां भी बढ़ाई जा रही हैं।

†**श्री त्यागी** : सेवा सहकारी समितियां किस प्रकार स्थापित की जा रही हैं ?

†**श्री ब० स० मूर्ति** : जैसा कि माननीय सदस्य को विदित है अभी तक सहकारी समितियां केवल ऋण देने वाली सहकारी समितियां थीं। अब उनका पुनःसंगठन केवल ऋण देने के लिये ही नहीं अपितु कृषि उत्पादन के लिये वित्तीय व्यवस्था भी करने के लिये किया जा रहा है।

†**श्री रघुवीर सहाय** : क्या पंचायतों में न्याय पंचायतें भी शामिल की जा रही हैं और यदि हां, तो क्या विधि आयोग की जुर्माना करने और कुछ क्षेत्राधिकार के भीतर अभियोगों को

---

†मूल अंग्रेज़ी में

निबटाने के लिये दी जाने वाली शक्तियों के बारे में जो सिफारिशें की गई हैं, उन्हें ध्यान में रखा गया है ?

†श्री ब० स० मूर्ति : यह भिन्न प्रश्न है।

†श्री तिम्मया : इन सहकारी समितियों और पंचायतों के विनियमन के लिये किन-किन राज्यों ने विधान बनाने का काम आरम्भ किया है ?

†श्री ब० स० मूर्ति : बहुत से राज्यों ने पहले से ही यह काम शुरू कर दिया है । यहां तक कि मैसूर राज्य के सामने इसी प्रकार का एक विधेयक विचाराधीन है।

†श्री पंडित कृ० चं० शर्मा: क्या सेवा सहकारी समितियों के लिये कोई राशि निर्धारित कर दी गई है और उस के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

†श्री ब० स० मूर्ति : इस मामले पर राज्य सरकारों और केन्द्र से बात-चीत चल रही है। इस संबंध में अन्य संस्थाऐं जैसे रिजर्व बैंक और सेंट्रल बैंक को भी शामिल करना होगा ।

†पंडित कृ० चं० शर्मा : क्या इस कार्यक्षेत्र में किसी राज्य सरकार ने कुछ काम किया है ?

†सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री सु० कु० डे) : रिजर्व बैंक ने अब हम से वादा किया है कि सम्पूर्ण देश में सेवा सहकारी समितियों के विकास के लिये अतिरिक्त वित्त प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी बशर्ते कि इन समितियों को कृषि के उत्पादन कार्यक्रम से जोड़ दिया जाये। इन प्रश्नों पर विचार किया जा रहा है और उन्हें लागू किया जा रहा है।

†पंडित कृ० चं० शर्मा : क्या इस बारे में शुरूआत की गई है ?

†श्री सु० कु० डे : जी हां, बहुत से राज्य अपनी विद्यमान सहकारी समितियों को सेवा सहकारी समितियों में बदल रहे हैं ।

†श्री रघुनाथ सिंह : नौ महीने बीत गये हैं। क्या कोई सरकारी समिति बनाई गई थी ? यदि नहीं तो इस से जान पड़ता है कि जनता सहयोग देने के लिये तयार नहीं है।

†श्री ब० स० मूर्ति : जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, नई सेवा सहकारी समितियां कोई नई चीज के रूप में नहीं चलाई जा रही हैं। सहकारी ऋण समितियां जो पहले से गांवों में चल रही हैं उन्हीं को बदला जा रहा है और कृषि उत्पादन कार्यक्रम को उनके समक्ष रखा जा रहा है। अतः यह कहना सच नहीं है कि कोई भी समिति का संगठन नहीं किया गया है और जनता का सहयोग नहीं मिल रहा है।

†श्री हेम बरूआ : सरकार ने इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की है कि पंचायतों के बारे में राज्यों के विधान प्रगति करने वाले हैं और ऐसे नहीं हैं कि उन से पंचायतों पर सरकार ने अत्याधिक नियंत्रण लगा दिये हों जिस से लोगों की प्रेरणा और पहल करने पर अनुचित नियंत्रण लगे ?

†श्री सु० कु० डे : माननीय सदस्य ने विभिन्न राज्यों में लोक तन्त्रात्मक विकेन्द्रीकरण की दिशा में जो विभिन्न कार्यवाही की गई है उसके बारे में सुना होगा । भारत के नौ राज्यों ने पहले से ही इस प्रकार का विधान या तो बना दिया है या ग्रामस्तर पर सामाजिक और आर्थिक

---

†मूल अंग्रेजी में

विकास संबंधी कार्यक्रमों के लिये जनता के हाथों में ठोस शक्ति देने के बारे में विधान बनाने का काम अन्तिम अवस्था में चल रहा है।

†श्री रामनाथन चेट्टियार : क्या सभी राज्यों में पंचायतों के लिये एक ही ढंग का विधान बनाया जायेगा ?

†श्री सु० कु० डे : दिशा एक ही होगी किन्तु स्वाभाविक है कि इतने विशाल देश में जहां इतनी विभिन्नता है, एक रूपता नहीं हो सकती ।

†श्री हेम बरूआ : कुछ राज्यों में विधान ऐसे हैं जिन पर सरकार का बड़ा नियंत्रण है। मैंने कुछ इस प्रकार के विधेयक देखे हैं।

†अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है। हम उसका निबटारा यहां प्रश्न काल में नहीं कर सकते। माननीय सदस्य की अपनी विचारधारा हो सकती है जब कि विधान का उत्तरदायित्व जिन पर है यह वे समझते हैं कि ऐसा होना आवश्यक है।

†श्री हेम बरुआ : यह तो जनता का दृष्टिकोण है।

श्री विभूति मिश्र : प्रधान मंत्री जी ने अपने भाषणों में कहा है कि एक हजार की आबादी पर सर्विस कोआपरेटिव्ज बनाई जायें। मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारे केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने विभिन्न स्टेटों को इस संबंध में क्या कोई हिदायत दी है और यदि दी है, तो क्या दी है ?

†श्री ब० सू० मूर्ति : सहकार राज्य का विषय है, इस कारण केन्द्र केवल सलाह दे सकता और हिदायतें दे सकता है कि हर एक सहकारी समिति में लगभग १००० लोग शामिल होंगे।

बिना आवाज वाली रेलगाड़ियां[1]

+

†*७७५. { श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलों को बिना आवाज़ बनाने के लिये कोई गवेषणा की गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि जर्मनी में फेडरल रेलवे की ट्रांस योरुप एक्सप्रेस रेलगाड़ियां ६० मील प्रतिघंटे के हिसाब से बिना आवाज़ किये चलती हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या जर्मनी को जो भारतीय रेलवे प्रतिनिधिमण्डल गया था उसने इसका अध्ययन किया था और कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) रेलगाड़ियों में आवाज़ को कम करने का प्रश्न विचाराधीन है और कुछ प्रयोग किये जा रहे हैं।

(ख) जर्मन फेडरल रेलवे की ट्रांस योरुप एक्सप्रेस गाड़ियों में कम आवाज़ होती है जिसका प्रमुख कारण यह है कि उनकी खिड़कियां सील बंद रहती हैं ।

(ग) इसका अध्ययन करने के लिये कोई भी रेलवे प्रतिनिधिमण्डल जर्मनी नहीं गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Noiseless Trains.

†श्री स० चं० सामंत : क्या यह सच नहीं कि जो प्रतिनिधिमण्डल रूस गया था उसने जर्मनी का भी दौरा किया था ?

†श्री शाहनवाज खां : किन्तु वह प्रतिनिधिमण्डल इस प्रयोजन विशेष के लिये नहीं गया था ।

†श्री रघुनाथ सिंह : जहां तक गति का संबंध है, हमारी रेलगाड़ियां इतनी धीमी क्यों चलती हैं जब कि योरुप में रेलगाड़ियों की गति ८० से १०० मील प्रति घंटे तक है ?

†श्री शाहनवाज खां : जहां तक मैं समझता हूं सम्पूर्ण रूप से मुख्य लाइनों पर चलने वाली हमारी रेलगाड़ियों की गति भी महाद्वीपीय और रूस की तुलना में काफी अच्छी है । हम भी धातु से जुड़ी हुई पटरियों को अपनाने जा रहे हैं और आशा करते हैं कि इन जुड़ी हुई पटरियों पर रेलगाड़ियों की गति काफी बढ़ जायेगी ।

†श्री रघुनाथ सिंह : हमारी फ्रंटियर मेल जो सब से तेज़ गाड़ी समझी जाती है उसकी गति भी ३५ मील प्रति घंटे है ।

†अध्यक्ष महोदय : तो भी वह पटरी पर से उत्तर जाती है । अतः माननीय सदस्य का सुझाव खतरनाक है ।

†श्री नागी रेड्डी : क्या सरकार की राय यह है कि मुख्य लाइनों पर की गाड़ियां तेज़ चलती हैं और अन्य लाइनों पर धीमी चलती हैं ?

†श्री शाहनवाज खां : जी नहीं, कहने का मतलब यह नहीं है ।

पारस्परिक सहायता चिट फंड[1]

+

†*७७६. { श्री राधा रमण :
श्री श्रीनारायण दास :

क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राम्य ऋण सर्वेक्षण प्रतिवेदन में दी गई सिफारिश के अनुसार कोई प्राथमिक ऋण समितियां 'पारस्परिक सहायता चिट फंड' आरम्भ करने में सफल हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या चिट फंड सफल रहा या नहीं ?

†सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्ति) : (क) और (ख). राज्यों से जानकारी एकत्र की जा रही है और मिलने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

†श्री राधा रमण : क्या सरकार ने राज्य सरकारों की इस बारे में राय पूछी है कि क्या इस चिट फंड योजना के सफल होने की कोई संभावना है और यह कहां तक सफल हो सकती है ?

†श्री ब० स० मूर्ति : मैंने बताया कि जानकारी एकत्र की जा रही है ।

†श्री राधा रमण : लगभग कितने समय में जानकारी एकत्र हो जायेगी और यह कार्य शीघ्र करने के लिये कब कार्यवाही की जायेगी ?

†श्री ब० स० मूर्ति : राज्यों को शीघ्र जानकारी भेजने के लिये कहा जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Mutual Help Chit Fund.

†श्री तिम्मय्या : कुछ गैर सरकारी व्यक्तियों ने चिट फंड शुरू कर रखे हैं । इन में और सरकार द्वारा प्रस्तावित चिट फंड योजनाओं में क्या अन्तर होगा ?

†श्री ब० स० मूर्ति : वर्तमान चिट फंड सहकारिता पर आधारित नहीं हैं परन्तु समितियों द्वारा चलाये जाने वाले चिट फंड अर्द्ध-सरकारी होंगे ।

†श्री हेडा : क्या सरकार को मालूम है कि चिट फंड में सब से पहले जो व्यक्ति धन प्राप्त करता है उसे २५ प्रयतिशत ब्याज देना पड़ता है । यदि हां, तो सहकारी समितियां ब्याज की दर कम करने में कैसे सफल होंगी ?

†श्री ब० स० मूर्ति : योजना आरम्भ करने से पूर्व इन सब बातों पर विचार किया जायेगा ।

†श्री राधा रमण : क्या प्राथमिक ऋण समितियों से, जिन्हें चिट फंड चालू करने हैं, इस योजना को कार्यान्वित करने के बारे में परामर्श किया जा रहा है ?

†श्री ब० स० मूर्ति : ग्रामों में स्थित हज़ारों प्राथमिक ऋण संस्थाओं से परामर्श करना संभव नहीं है ।

हीराकुड परियोजना में छंटनी किये गये कर्मचारी

+

†*७७७. { श्री पाणिग्रही :
श्री संगण्णा :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री १ मई, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या २१६१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हीराकुड के नियमित कर्मचारियों में से किसी को छंटनी किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो हीराकुड में कितने कर्मचारी फालतू हैं ?

†सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां । कुल १५४ ।

(ख) इस समय कोई नहीं ।

†श्री पाणिग्रही : हीराकुड बांध परियोजना के १५४ छंटनी किये गये कर्मचारियों को नौकरियां दिलाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†श्री हाथी: १५४ में से १३३ व्यक्तियों को नौकरियां दिलाई जा चुकी हैं । काम दिलाऊ दफ्तर सहायता कर रहा है जिसमें श्रम मंत्रालय का एक विशेष पदाधिकारी नियुक्त किया गया है जो अन्य परियोजनाओं और सरकारी संस्थाओं में जाकर वहां उम्मीदवारों के नाम और अर्हताओं का ब्योरा भेज कर इस कार्य को पूरा करेगा । लोगों के अन्य स्थानों पर भेजने के लिये इन्टरव्यू भी किये जा रहे हैं ।

†श्री संगण्णा : क्या परियोजना के द्वितीय और तृतीय चरण को ध्यान में रखते हुए छंटनी की जा रही है ?

†श्री हाथी : छंटनी सम्बन्धी रियायत वर्तमान परियोजना के लिये ही दी गई है ।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री पाणिग्रही :** इस परियोजना का नियंत्रण उड़ीसा सरकार को सौंपा जा रहा है उसके पश्चात् कितने कर्मचारी फालतू रह जायेंगे ?

†**श्री हाथी :** अन्तिम आंकड़े क्या होंगे यह बताना कठिन है परन्तु ३१–७–१९५९ को यह स्थिति थी कि १५४ व्यक्ति छंटनी किये गये ।

†**श्री हेम बरूआ :** पहले के एक प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया था कि हीराकुड परियोजना की कुछ मशीनरी चम्बल और नागार्जुनसागर परियोजनाओं के लिये ले ली गई थी । यह भी कहा जाता था कि इन मशीनों को चलाने वाले व्यक्ति में से लिये जायेंगे । कितने कर्मचारी इस प्रकार नियुक्त किये गये हैं ?

†**श्री हाथी :** मालूम नहीं कि मशीनरी के साथ कितने कर्मचारी लिये गये थे परन्तु आगे के लिये हम यह कहने करने जा रहे हैं कि मशीनों को चलाने वाले कर्मचारी मशीनों के साथ भेजे जायें । नागार्जुनसागर भेजी गई मशीनों के साथ उन्हें चलाने वाले कर्मचारी भी भेजे गये हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** इस परियोजना और देश में अन्य परियोजनाओं के सम्पूर्ण हो जाने पर हजारों कर्मचारियों की छंटनी हो जाने की संभावना है । क्या सरकार ने श्रम मंत्रालय की सहायता से उन्हें काम दिलाने की कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी होगी ?

†**श्री हाथी :** जी हां, हमने एक योजना बनाई है । उदाहरणत: हीराकुड में जैसे जैसे काम घटता जाता है हम नौकरियों के कम किये जाने गी सूचना पहले से दे देते हैं ताकि कर्मचारियों को पता चल जाये कि अमुक तिथि के पश्चात् उन्हें काम पर आने की जरूरत नहीं । इसके साथ वहां एक काम दिलाऊ दफ्तर है जहां छंटनी किये जाने वाले व्यक्तियों के नामों की सूची रहती है । वहां श्रम मंत्रालय का एक विशेष पदाधिकारी रखा गया है जो सरकारी संस्थाओं और अन्य परियोजनाओं से सम्पर्क रखता है । कर्मचारियों की संख्या और उनकी अर्हताओं की सूचत्ता भेज दी जाती है और चुनाव करने वाले दल वहां जा कर कर्मचारियों से इन्टरव्यू करके उनका चुनाव कर लेते हैं । इस प्रकार ३१ जुलाई तक १५४ व्यक्तियों को नौकरियां दिलायी जानी थी जिनमें से १३३ को रोजगार मिल चुका है और शेष २१ व्यक्तियों ने कोई सहायता नहीं मांगी और परियोजना को छोड़ कर चले गये हैं ।

सेठ अचल सिंह : क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह मुनासिब नहीं होगा कि जो आदमी या मशीनरी हीराकुड से बचे, वे आदमी और वह मशीनरी दूसरे प्रोजैक्ट्स में लगाई जाये ?

†**श्री हाथी :** मैंने बताया कि मशीनरी अन्य परयोजनाओं जैसे कि नागार्जुनसागर, दामोदर घाटी निगम, चम्बल इत्यादि को भेजी जा रही हैं और साथ ही कर्मचारी भी जाते हैं ।

आंध्र और मद्रास राज्यों में चावल अथवा धान की वसूली

†*७७८. **श्री नागी रेड्डी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र और मद्रास राज्यों में जून, १९५९ की समाप्ति तक धान अथवा चावल की कुल कितनी वसूली हुई ;

(ख) क्या वसूली के निर्धारित लक्ष्य पूरे हो गये हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) वसूल किये गये खाद्यान्नों में से इन राज्य में स्थानीय उपभोग के लिये कितनी-कितनी मात्रा बची है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस):** (क) और (ख). आन्ध्र और मद्रास में चावल अथवा धान की वसूली के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे। उद्देश्य यह था कि जितना फालतू हो खरीद लिया जाये। जून, १९५९ की समाप्ति तक चावल, धान निम्नलिखित मात्रा में वसूल किये गये :

राज्य	(आंकड़े टनों में) चावल	धान	तिथि तक
आन्ध्र प्रदेश	६९,५००		३०–६–५९
मद्रास	७४,९५३	३०,१३२	२७–६–५९

(ग) मद्रास राज्य सरकार द्वारा खरीदा गया धान और चावल राज्य में ही उपयोग के लिये है न कि निर्यात के लिये।

आन्ध्र में खरीदा गया चावल कमी वाले राज्यों को भेजा जा रहा है।

आंध्र में चावल की वसूली

†*७९२. **श्री विश्वनाथ रेड्डी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने अपने खाते में एक लाख टन चावल की वसूली करने की मंजूरी केन्द्रीय सरकार से मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या निर्णय किया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस):** (क) और (ख). आन्ध्र प्रदेश सरकार जरूरत के समय स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अपने खाते में लगभग एक लाख टन चावल खरीदना चाहती थी। उन्हें यह सुझाव दिया गया कि यदि केन्द्रीय और राज्य सरकारें एक ही समय पर खरीदारी करेंगी तो वह ठीक नहीं होगा इसलिये आन्ध्र प्रदेश में भारत सरकार द्वारा खरीदी गई मात्रा में से उन्हें कुछ अंश दे दिया गया था। आन्ध्र प्रदेश सरकार स्वयं खरीदना ही ठीक समझती थी।

†**श्री नागी रेड्डी :** आन्ध्र प्रदेश में जो अनाज खरीदा गया था क्या उसमें से कुछ स्थानीय जरूरत को पूरा करने के लिये वहां रखा गया था और यदि नहीं, तो बढ़ते हुए मूल्यों को देखते हुए क्या खाद्य की वसूली करके उसे राज्य में ही रखने का प्रबन्ध किया जायेगा ?

†**श्री अ० म० थामस :** स्थानीय आवश्यकता के लिये राज्य सरकार को अभी तक कुछ नहीं दिया गया है। हमने राज्य सरकार को कहा था कि खरीदी गई मात्रा का ४० प्रतिशत राज्य को दे दिया जायेगा परन्तु राज्य सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया और वह स्वयं वसूली कर रही है।

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी :** आन्ध्र सरकार को यह डर था कि कमी के समय में शायद उनके पास स्टाक न हो इसलिये उन्होंने वसूली करने की इजाज़त मांगी थी। क्या केन्द्रीय सरकार ने आन्ध्र सरकार को कमी के समय में पर्याप्त खाद्यान्न का संभरण करने का आश्वासन दिया है ?

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री अ० म० थामस : इसका उत्तर मैं दे चुका हूं । आन्ध्र सरकार ने हमारे सुझाव को न मान कर स्वयं वसूली की है ।

हम वसूल किया गया सारा खाद्यान्न राज्य में ही रखने को तैयार थे परन्तु राज्य सरकार ने कुछ ऐसी शर्त लगा दीं जो हम नहीं मान सकते थे ।

†श्री रामनाथन् चेट्टियार : क्या मद्रास और आन्ध्र में वसूली का काम समाप्त हो गया है या कि अभी जारी है ?

†श्री अ० म० थामस : अभी जारी है ।

†श्री विश्वनाथ रेड्डी : क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार को यह डर था कि केन्द्रीय सरकार जरूरत पड़ने पर उन्हें एक लाख टन चावल नहीं देगी ?

†श्री अ० म० थामस : उन्हें डर था कि हम शायद ३०,००० टन ही दे सकेंगे ।

†श्री त्यागी : दक्षिण खाद्य ज़ोन में इस समय कौन-कौन से राज्य हैं और क्या उस ज़ोन में एक से दूसरे राज्य में खाद्य ले जाने पर प्रतिबन्ध है ?

†श्री अ० म० थामस : सभी जानते हैं कि दक्षिण ज़ोन में आन्ध्र प्रदेश, मद्रास और केरल राज्य हैं । मद्रास से केरल में धान ले जाने पर प्रतिबन्ध है ।

†श्री त्यागी : क्या सरकार ज़ोन का पुनर्गठन करने का विचार कर रही है या कि इसे इसी प्रकार रखा जायेगा ?

†श्री अ० म० थामस : सितम्बर की समाप्ति अथवा अक्तूबर के आरम्भ में सारे मामले पर पुनः विचार किया जायेगा ।

†श्री नागी रेड्डी : क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने अनाज की वसूली की है और यदि हां, तो कितनी ?

†श्री अ० म० थामस : इसने नियंत्रित मूल्य पर लगभग ७,४०० टन चावल की वसूली की है । १०,००० टन की खरीद के लिये करार कर लिया हैं जिसमें से लगभग ८,००० टन की वसूली कर ली गई है ।

अकबरपुर-टांडा रेलवे लाइन

+

*७७६. { **श्री सरजू पाण्डे :**
श्री कालिका सिंह :
श्री रा० रा० मिश्र :
श्री प० ला० बारूपाल : }

क्या **रेलवे** मंत्री ६ मार्च, १६५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अकबरपुर-टांडा लाइन को पुनः चालू करने की परियोजना की वित्तीय पहलुओं के बारे में रेलवे बोर्ड ने इस बीच विचार कर लिया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो यह रेलवे लाइन कब तक चालू हो जायेगी ; और

(ग) उसमें कुल कितना व्यय होगा ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) अभी नहीं।

(ख) और (ग). सवाल नहीं उठता।

श्री रा० रा० मिश्र : इस लाइन को छोड़ करके और कौन सी डिसमैंटल्ड लाइनें हैं, जिन पर इस साल काम शुरू नहीं किया गया है ?

रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) : यह तो बहुत बड़ा प्रश्न है।

श्री रघुनाथ सिंह : जहां तक मुझे मालूम है, यह मामला करीब ग्यारह बरस से रेलवे बोर्ड के सामने पेंडिंग है। मैं जानना चाहता हूं कि ग्यारह बरस के बाद और कितने बरस इस बात को तय करने में लगेंगे कि यह टांडा लाइन बने या न बने ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : यह लाइन १९४० में हटा दी गई थी। १९५१ में इसे बहाल करने का प्रश्न उत्पन्न हुआ और १९५४ में प्रारम्भिक सर्वेक्षण के पश्चात् १२ लाख रुपये का प्राक्कलन तैयार किया गया। बाद में मोटे तौर पर २८ लाख रुपये का प्राक्कलन प्रस्तुत किया गया। हमारे ख्याल से यह अधिक था। पुनरीक्षित प्राक्कलन २२ लाख रुपये का था। अभी हम इस विषय पर विचार कर रहे हैं।

श्री रा० च० शर्मा : मैं जानना चाहता हूं कि जिन चीजों की बजट में व्यवस्था की जाती है उनको प्रायोरिटी (प्राथमिकता) किस बेसिस (आधार) पर दी जाती है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : जब तक अन्तिम निर्णय नहीं होता तब तक प्राथमिकता नहीं दी जाती। फिर भी इसके लिये निर्माण कार्यक्रम में एक लाख रुपये की राशि अलग रख दी गई है।

गन्ने की काश्त का यंत्र[1]

†*७८१. **श्री केशव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्ना गवेषणा नवीन संस्था ने गन्ने की काश्त का एक यंत्र तैयार किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या लाभ हैं ; और

(ग) क्या वाणिज्यिक स्तर पर इसका निर्माण किया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो कहां ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)**: (क) जी हां। गन्ने की काश्त करने वाले दो प्रकार के यंत्र बनाये गये हैं एक ट्रैक्टर के साथ और दूसरा बैलों के साथ प्रयुक्त होगा।

(ख) इन यंत्रों से गन्ने की काश्त की लागत में काफी बचत होती है।

(ग) भारत के राष्ट्रीय गवेषणा विकास निगम ने ट्रैक्टर के साथ चलने वाले यंत्रों के निर्माण तथा विक्रय के लिये मैसर्ज़ मार्थल (डायरेक्शन) प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता के साथ एक करार किया है। बैलों से चलाये जाने वाले यंत्रों का वाणिज्यिक स्तर पर निर्माण करने के बारे में निगम द्वारा विचार किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Sugar-cane planter

(घ) ट्रैक्टर से चलने वाला यंत्र मैसर्ज़ मार्शल (डायरेक्शन) प्राइवेट लिमिटेड के पास उपलब्ध है ।

†**श्री केशव** : बैलों से चलने वाले एक यंत्र पर लगभग कितनी लागत आयेगी ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : लगभग ३०० रुपये ।

†**श्री गोरे** : क्या किन्हीं फार्मों में इस यंत्र का प्रयोग किया जा रहा है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : पहले हमारे इंस्टीट्यूट में इसका प्रयोग होने पर राष्ट्रीय विकास निगम इनके लिये आदेश देगा ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी**: बैलों से चलने वाले यंत्रों का निर्माण वाणिज्यिक स्तर पर कब आरम्भ होगा ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : बहुत जल्दी । मुझे बताया गया है कि निगम इसके निर्माण के लिये एक करार करने जा रहा है ।

रेल दुर्घटना से बचाव

+

†७८२. { **श्री वाजपेयी** :
श्री सं० अ० मेंहदी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लखनऊ फैज़ाबाद सैक्शन पर रसौली और सफ़दरजंग स्टेशनों के बीच पटरी के टूटने के बारे में एक गैंगमैन द्वारा ठीक समय पर सूचना दे देने से २ जून, १९५९ को एक भीषण रेल दुर्घटना होते-होते बच गई ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या उस गैंगमैन को कोई इनाम दिया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी हां ।

(ख) २–६–५९ को एक अस्थायी मजदूर ने अपने गांव लौटते समय उत्तर रेलवे के रसौली और सफ़दरजंग स्टेशनों के बीच मील १८६/१२–१३ पर चार पांच व्यक्तियों को लाइन तोड़ते हुए देखा । जब उसने उन्हें मना किया तो उन्होंने उसे पीटा । उसके चिल्लाने पर पास के गांव के लोग उसे बचाने के लिये पहुंचे । इसी दौरान में वे लोग पटरी के कब्ज़े, जो उन्होंने निकाले थे, ले कर भाग गये ।

(ग) विचार किया जा रहा है ।

†**श्री वाजपेयी** : क्या अपराधियों को पकड़ा गया था और क्या उनके क्षति पहुंचाने के तरीके के बारे में जांच की गई थी ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : अपराधी भाग गये थे । पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज कर दी गई थी और वह जांच कर रही है । पटरी के कब्ज़े को निकालना बड़ा आसान है और हथोड़े आदि से निकाले जा सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री वाजपेयी : मजदूर को इनाम क्यों नहीं दिया गया है ?

†श्री शाहनवाज खां : हम उसे इनाम देने का विचार कर रहे हैं।

†श्री गोरे : विचार किस बात पर किया जा रहा है ?

†रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम): कि इनाम नगद दिया जाये या कि उसकी पदोन्नति आदि कर दी जाये।

टिड्डी दल का आक्रमण

+

*७८४. श्री विभूति मिश्र :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री अनिरुद्ध सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई, १९५९ और जुलाई, १९५९ की बीच की अवधि में किन-किन राज्यों को टिड्डी दल के आक्रमण का सामना करना पड़ा ;

(ख) उससे कितनी क्षति हुई ; और

(ग) भविष्य में ऐसे आक्रमणों को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) से (ग). सभा की टेबल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

(क) पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और आसाम।

(ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, २२५ रुपयों की फसल का नुकसान सिर्फ उत्तर प्रदेश में हुआ है।

(ग) अरब, पेनिनसुला और अन्य स्थानों के मूल प्रजनन क्षेत्रों में जहां पर टिड्डियों का प्रजनन होता है और वे दलों का रूप बना लेती हैं, टिड्डियों के प्रजनन और उनके नियंत्रण के कार्य के बेअसर और कमी की वजह से भारतवर्ष में टिड्डियों का आक्रमण होता है। इनके जोर को कम करने के लिये, एफ० ए० ओ० के अन्तर्गत १९५५ से जो अन्तर्राष्ट्रीय आन्दोलन साउदी अरब में हो रहे हैं उनमें भारतीय सरकार प्रत्येक वर्ष भाग ले रही है।

टिड्डियां जो भारत में आती हैं, को मारने के लिये टिड्डी विरोधी उपायों को अधिक सफल बनाने के विचार से भारत सरकार ने एक स्थायी टिड्डी चेतावनी संगठन बनाया हुआ है। इसका कार्य टिड्डियों की, जो कि सारे रेगिस्तानी क्षेत्रों में फैल जाती हैं, गति और उनके बर्ताव पर ध्यान रखना है। इनके नियंत्रण कार्य के लिये ५७ आउट-पोस्टें बनाई गई हैं। वे इन आउट-पोस्टों के पास वर्तमान सामग्री और बीमारियों की दवायें पूरी तरह से मौजूद हैं। वायरलैस सेट्स, जो कि अनेक मुख्य स्थानों पर पहले ही लगाये हुए हैं, टिड्डियों की जानकारी के लिये और नियंत्रण

†मूल अंग्रेजी में

उपायों में घनिष्ट सम्पर्क रखने के लिये प्रयोग किये जाते हैं। टिड्डी नियंत्रण और इनके सर्वे के कार्य के लिये हवाई जहाज भी प्रयोग किये जाते हैं।

श्री विभूति मिश्र : विवरण से मालूम होता है कि भारत सरकार ने एक अस्थायी टिड्डी चेतावनी संगठन बनाया है। मैं जानना चाहता हूं कि इस संगठन पर सरकार का प्रति वर्ष कितना खर्च होता है।

श्री मो० वें० कृष्णप्पा : इसके लिये हर साल करीब २२ लाख रुपया बजट में प्रोवाइड किया जाता है।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि सउदी अरब में, जहां से टिड्डी की उत्पत्ति होती है, टिड्डियों को रोकने में सरकार को किस हद तक सफलता प्राप्त हुई है।

श्री मो० वें० कृष्णप्पा : वहां पर एफ० ए० ओ० के अधीन एक लोकस्ट आर्गेनाइजेशन काम कर रहा है जिसमें बहुत से आदमी काम कर रहे हैं।

भारत भी उसमें भाग ले रहा है। यह कहना कठिन है कि इसका अन्त किया जा सकता है। परन्तु हम उनकी रोकथाम कर सकते हैं।

गोखले समिति

+

†*७८५. { **श्री न० रा० मुनिस्वामी** :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री संगण्णा :
श्री आसर :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्देशीय जल परिवहन सम्बन्धी गोखले समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा जायगा ;

(ग) क्या प्रतिवेदन राज्य सरकारों को भेजा गया था : और

(घ) यदि हां, तो उनकी क्या राय है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख) जी हां।

(ग) जी नहीं। छप जाने पर इसे परिचालित किया जायगा।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या सिफारिशों के ब्योरे के बारे में कुछ पता चल सकता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री राज बहादुर : कुछ एक सिफारिश ये हैं कि ब्रह्मपुत्र के लिये सर्वेक्षण 'लांच' खरीदा जाय। उन्होंने बिहार में गंगा और आसाम में ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों के संरक्षण प्रवर्तीयों की मंत्रणा दी है और पांडु पत्तन, दामोदर घाटी निगम नहर और बकिंघम नहरें के बारे में कई सिफारिशें दे कर अन्तर्देशीय जल परिवहन के लिये एक केन्द्रीय संस्था स्थापित करने का सुझाव दिया है।

†श्री न० रा० मुनिस्वामी : इस योजना पर कितनी लागत आयेगी ?

†श्री राज बहादुर : गोखले समिति ने कई परियोजनाओं की सिफारिश की है जिस पर १६७.६० करोड़ रुपये लागत आयगी और मंत्रणा दी है कि तृतीय पंच वर्षीय योजना में कम से कम ५० करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाय।

†श्री आसर : क्या सरकार गोखले समिति का प्रतिवेदन ज्यों का त्यों कार्यान्वित कर देगी या उनमें परिवर्तन करेगी ?

†श्री राज बहादुर : उन पर विचार करना पड़ेगा। हम बेकार परिवर्तन नहीं करना चाहते परन्तु वित्त, उपकरण अथवा संसाधनों और प्रशिक्षित टेक्नीकल कर्मचारियों की कमी को देखते हुए कुछ समायोजन करना पड़ेगा। उस हद तक कुछ परिवर्तन किये जा सकते हैं।

†श्री हेडा : प्रश्न के भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक था। क्या राज्यों से परामर्श नहीं किया गया था ?

†श्री राज बहादुर : वह प्रकाशित हो रहा है और कुछ समय लगेगा।

†श्री च० का० भट्टाचार्य : क्या भागीरथी और गंगा नदी के रास्ते कलकत्ता को अपर इंडिया से मिलाने की कोई सिफारिश की गई है ?

†श्री राज बहादुर : हमारी एक अग्रिम योजना है जो बक्सर से पटना तक है। आशा है कि मानसून के बाद हम इसे राजमहल तक ले जायेंगे। अभी हम केवल इतना ही कर सकते हैं।

†श्री आचार : क्या सरकार विभिन्न परियोजनाओं में से प्रत्येक पर विचार करके किसी निर्णय पर पहुंची है ?

†श्री राज बहादुर : हमें राज्य सरकारों से भी परामर्श करना है और उसके पश्चात् हम निर्णय करेंगे।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : भारत की विभिन्न नदियों को मिलाने सम्बन्धी बृहत योजना के बारे में इस समिति ने क्या सिफारिशें की हैं ?

†अध्यक्ष महोदय : बृहत् योजना प्रकाशित हो जाने पर माननीय मंत्री इसकी एक प्रति पुस्तकालय में क्यों नहीं रखवा देते ?

†श्री राज बहादुर : जी हां, ऐसा किया जा सकता है। तब तक के लिये हम ने सिफारिशों का सारांश तैयार करा दिया है और उसकी प्रतियां पुस्तकालय में रख दी जायेंगी। केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग ने जो बृहत् योजना तैयार की थी उसके बारे में आयोग ने स्वयं कहा है कि वह एक विचार मात्र है। इसके बारे में गोखले समिति ने यह कहा है कि गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, महानदी और कृष्णा का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हेम बरुआ : क्या ब्रह्मपुत्र में स्टीमर चलाने वाले संयुक्त समवायों का नफा और नुक्सान तथा आस्तियों और दायित्वों की जांच करने का काम भी गोखले समिति को सौंपा गया था और यदि हां, तो क्या इस समिति ने इन संयुक्त स्टीमर कम्पनियों को वह राजसहायता देने के लिये कहा था जो सहकार ने दी है।

†श्री राज बहादुर : संयुक्त स्टीमर कम्पनियों की आर्थिक स्थिति की जांच करने के लिये उन्हें विशेष रूप से नहीं कहा गया था फिर भी उन्होंने गंगा, ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में अन्तर्देशीय जल परिवहन सम्बन्धी संरक्षण तथा अन्य प्रबन्ध के बारे में कुछ सिफारिशें की हैं।

†श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या इस समिति ने राजस्थान नहर को कांडला के साथ मिलाने के प्रश्न पर भी विचार दिया था और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

†श्री राज बहादुर : राजस्थान नहर और कांडला को मिलाने के बारे में वास्तव में तभी विचार दिया जायेगा जब राजस्थान नहर बन जायेगी और उसमें स्टीमर चलने शुरू हो जायेंगे। राजस्थान नहर बोर्ड ने यह जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की है कि क्या राजस्थान नहर में स्टीमर आदि चल सकेंगे। इस प्रयोजनार्थ दो करोड़ रुपये की राशि या तो मंजूर की जा चुकी है या की जायेगी।

†श्री रामनाथन् चेट्टियार : क्या सरकार देश में ५,५०० मील क्षेत्र में अन्तर्देशीय जल परिवहन की व्यवस्था करना चाहती है ?

†श्री राज बहादुर : यह तो प्रत्येक क्षेत्र में परिवहन की मात्रा को देखते हुये किया जायेगा। यह कहना कठिन है कि ५,५०० मील जल परिवहन की व्यवस्था की जायेगी।

मैं माननीय सदस्य श्री माथुर से यह भी कहना चाहता हूं कि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं कि राजस्थान नहर को कांडला से मिलाने का ब्यौरा तैयार किया जा चुका है।

त्रिपुरा में अन्न के सम्बन्ध में आत्मनिर्भरता

†*७८७. श्री बांगशी ठाकुर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा अन्न उत्पादन के सम्बन्ध में कब तक आत्मनिर्भर बन जायेगा ;

(ख) इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये क्या क्या उपाय अपनाये गये हैं ; और

(ग) उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) यह सच है कि हमारा उद्देश्य यही है कि सम्पूर्ण देश अन्न की दृष्टि से आत्म निर्भर बन जाये, परन्तु यह संभव नहीं है कि सभी राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र उस दृष्टि से आत्मनिर्भर बन जायें।

(ख) छोटी भूमि सिंचाई, विकास उर्वरक और खाद तथा बढ़िया बीजों का संभरण और सुधरे हुये कृषि उपायों को अपनाना।

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के पहले तीन वर्षों में लगभग ६ हज़ार टन खाद्यान्नों के अतिरिक्त उत्पादन के लिये सुविधायें दी जा सकी हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री बांगशी ठाकुर : माननीय मंत्री ने बताया है कि उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या क्या उपाय किये गये हैं। क्या ये सभी उपाय एक अनवरत प्रक्रिया के अन्तर्गत नहीं आ जाते जो कि एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है और यदि हां, तो क्या उससे अन्न उत्पादन में वृद्धि के कोई चिह्न नज़र आते हैं ?

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : जी, हां। इन उपायों के परिणामस्वरूप उत्पादन में वृद्धि हुई। त्रिपुरा राज्य में लगभग ६,००० टन के उत्पादन की वृद्धि हुई है।

†श्री बांगशी ठाकुर : त्रिपुरा में उत्पादन बढ़ाने के काम में किस-किस कठिनाई का सामना करना पड़ा है।

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : त्रिपुरा राज्य तो एक भू-आवेष्टित[1] क्षेत्र है। इसलिये कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उस क्षेत्र को उत्पादन की दृष्टि से शीघ्रातिशीघ्र आत्म निर्भर बनाने के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त कर दी गयी है ?

†श्री बांगशी ठाकुर : क्या यह सच नहीं है कि लगभग १५ वर्ष पूर्व उन कठिनाइयों का अनुभव नहीं किया गया था; और यदि हां, तो उस समय वे कठिनाइयां कहां से आ गयी हैं जिनसे उत्पादन में बाधा पड़ रही है और क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है ?

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : त्रिपुरा में ये कठिनाइयें आबादी बढ़ने के कारण उत्पन्न हुई हैं। पाकिस्तान के कारण गत चार पांच वर्षों में त्रिपुरा में आबादी बहुत बढ़ गयी है। यह एक भू-आवेष्टित क्षेत्र है और छोटा सा अलग अलग सा क्षेत्र है ; और गत तीन चार सालों में आबादी १०० प्रतिशत बढ़ गयी है। इसीलिये हमें इतनी अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

†श्री दशरथ देब : त्रिपुरा की बंजर भूमि को कृषि के योग्य बनाने के लिये क्या क्या कार्यवाही की जा रही है और भूमि को कृषि योग्य बनाने तथा सिंचाई-कार्यों पर इस वर्ष कितनी राशि खर्च की जा रही है ?

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : गत वर्ष माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित सभी सम्बन्धी कार्यों पर लगभग ४,३५,००० रुपये खर्च किये गये थे।

हसन-मंगलोर रेल सम्पर्क

†*७८९. श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या रेलवे मंत्री ६ मई, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या २२६२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हसन मंगलौर रेल सम्पर्क के सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में इस लाइन के कार्य के प्रारम्भ किये जाने की कोई आशा है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Land Locked

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) यह बताना कठिन है क्योंकि यह मामला अभी तक योजना आयोग के विचाराधीन है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या यह परियोजना मंगलोर पत्तन की विकास परियोजना से ही सम्बद्ध है अथवा यह एक अलग परियोजना के रूप में है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** रेलवे बोर्ड ने इस लाइन के निर्माण के लिये अस्थायी रूप में मंजूरी दी है । इस सम्बन्ध में सितम्बर, १९५८ में योजना आयोग से निवेदन किया गया था । अक्तूबर, १९५८ में योजना आयोग से इस बारे में चर्चा की गई थी और आयोग ने यह कहा था कि यह परियोजना मंगलोर पत्तन विकास परियोजना से ही सम्बन्ध है जिस पर अत्यधिक खर्च आयेगा ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या इस लाइन पर इतना अधिक यातायात नहीं रहता कि यदि मंगलोर पत्तन के विकास के बिना भी इसे प्रारम्भ कर दिया जाये तो उसमें कोई अनौचित्य न होगा ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** योजना आयोग इन सभी बातों पर विचार कर रहा है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या इस लाइन के साथ ही साथ किन्हीं अन्य लाइनों का काम भी प्रारम्भ किया जायेगा ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** इस लाइन को लाभदायक बनाने के लिये कई अन्य कार्य भी करने जरूरी हैं । उदाहरणार्थ, कोट्टूर तथा हरिहर के बीच एक नई लाइन बनानी पड़ेगी । कई अन्य कार्य भी हैं जिन पर लगभग ५.७५ करोड़ रुपयों का खर्च आयेगा और उसके अतिरिक्त इंजन डिब्बों पर ६ करोड़ रुपयों का खर्च आयेगा । इस प्रकार से कुल लगभग ११.७५ करोड़ रुपयों का खर्च आयेगा ।

†**श्री सम्पत :** हसन-मंगलोर लाइन के निर्माण पर कितना खर्च आयेगा ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** यदि यह मीटर लाइन हुई तो उस पर १०.२४ करोड़ रुपये खर्च आयेंगे यदि बड़ी लाइन हुई तो १५.७३ करोड़ रुपये खर्च आयेंगे ।

†**श्री बासप्पा :** सरकार ने सभा को आश्वासन दिया था कि इस लिये बजट सत्र में ही अतिरिक्त राशि निर्धारित कर दी जायेगी । परन्तु यह अभी तक नहीं किया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि इस बारे में फैसला करने में इतनी देर क्यों हो रही है और यद्यपि माननीय मंत्री इस पक्ष में हों तो भी योजना आयोग क्यों बाधा डाल रहा है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** यह सच है कि माननीय मंत्री ने अपने आयव्ययक भाषण में इसका उल्लेख किया था, परन्तु इस सम्बन्ध में कई कठिनाइयों पर विचार करना आवश्यक था और अब इस पर योजना आयोग विचार कर रहा है ।

† मूल अंग्रेजी में

†श्री आचार : क्या इसे पत्तन परियोजना से अलग रूप में चलाने के प्रश्न पर विचार नहीं किया जा सकता ? वास्तव में यह लाइन तो पत्तन का प्रश्न उत्पन्न होने से बहुत पहले ही मंजूर हो चुकी थी। क्या सच है कि मुख्य पत्तन का काम भी आवश्यक है, परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस लाइन पर स्वयं रेलवे बोर्ड अथवा रेलवे प्राधिकारियों द्वारा अलग रूप में विचार नहीं किया जा सकता ?

†रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) : कठिनाई यह है कि जब भी किसी लाइन का, निर्माण प्रारम्भ करना होता है, उस समय इस बात पर विचार कर लिया जाता है कि क्या उस लाइन पर यात्री तथा सामान का यातायात पर्याप्त मात्रा में है या नहीं। जब तक पत्तन का विकास नहीं हो जाता——तब तक उस क्षेत्र को भेजे जाने वाला लौह-अयस्क भी नहीं निकाला जा सकेगा और यातायात भी पर्याप्त मात्रा में नहीं बढ़ेगा। इसलिये उस रेलवे लाइन का निर्माण मंगलौर पत्तन के विकास पर ही निर्भर करता है।

†श्री वारियर : क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं किया गया है कि क्या वह लाइन मीटर लाइन होगी या बड़ी लाइन ? वैसे तो मंगलौर तक बड़ी लाइन ही जाती है; उसके आगे की लाइन के बारे में क्या फैसला किया गया है ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : यह प्रश्न अभी तक विचाराधीन है।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या इस सम्बन्ध में छोटे तौर पर कोई अनुमान लगाया गया है कि मंगलौर पत्तन के विकास पर, हसन-मंगलौर रेलवे लाइन तथा अन्य सहायक लाइनों पर कितनी राशि खर्च आयेगी ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : यह तो अतिरिक्त राशि खर्च करने का प्रश्न है। जहां तक अन्य मामलों का सम्बन्ध है, अन्य मंत्रालयों द्वारा प्रारम्भ किये जाने वाले कार्यों पर अस्थायी रूप में निम्नलिखित राशियां निर्धारित की गई हैं:——मंगलौर पत्तन के विकास पर ८ करोड़ रुपये और अयस्क के खनन पर २.५ करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। फिर भी हम अन्य मंत्रालयों के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। जहां तक हमारा अपना सम्बन्ध है, मैंने मीटर लाइन तथा बड़ी लाइन पर और सहायक लाइनों पर आने वाले खर्चों की राशि बता दी है। उन पर कुल ३३ करोड़ रुपये खर्च आयेंगे।

फिरक्का तथा तिलडांगा के बीच नयी रेलवे लाइन

+

†*७६१. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री मोहम्मद इलियास : }

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरक्का तथा तिलडांगा के बीच नयी रेल लाइन के निर्माण के लिये स्थान के सम्बन्ध में फैसला कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कार्य कब से प्रारम्भ होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख). लाइन के स्थान के सम्बन्ध में अन्तिम सर्वेक्षण किया जा रहा है। आशा है कि निर्माण कार्य आगामी कार्य-मौसम में प्रारम्भ कर दिया जायेगा ।

†श्री प्र० चं० बरुआ : क्या यह लाइन बड़ी लाइन होगी या मीटर लाइन ?

†श्री सं० वें० रामस्वामी : यह बड़ी लाइन होगी ।

†श्री प्र० चं० बरुआ : इस लाइन के चालू हो जाने पर कलकत्ता और आसाम में कितना अन्तर रह जायगा ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : यह तो अन्तिम सर्वेक्षण पर निर्भर करता है। उसके बाद ही हम बता सकेंगे कि कुल कितना अन्तर होगा ।

†श्री प्र० चं० बरुआ : क्या बड़ी लाइन को सिलीगुड़ी तक बढ़ा देने का कोई विचार है ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : फिलहाल तो केवल माल्दा तक ही बढ़ाने का विचार है ।

शारावती जलविद्युत् परियोजना

†*७९३. श्री सिदय्या : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर सरकार ने शारावती जल-विद्युत् परियोजना को दूसरी प्रावस्था के लिये मंजूर और प्रारम्भिक कार्य एक दम प्रारम्भ कर देने की अनुमति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां ।

(ख) मामला अभी विचाराधीन है ।

†श्री सिदय्या : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि मैसूर राज्य में बिजली की बहुत अधिक कमी है और अविकसित क्षेत्रों में बिजली संभरित करने की अत्याधिक आवश्यकता है, क्या सरकार इस बारे में दिसम्बर, १९५९ से पहले पहले निर्णय कर लेगी ?

†श्री हाथी : संभवतः इस सभा को ज्ञात है कि शारावती परियोजना को योजना के आवश्यक अंश (कोर) में सम्मिलित नहीं किया गया था और हम बड़ी मुश्किल से इस परियोजना को द्वितीय योजना में सम्मिलित कर सके हैं। अब तृतीय योजना में द्वितीय प्रावस्था सम्मिलित करने का प्रश्न उत्पन्न हुआ है। हम रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जहां तक द्वितीय योजना की परियोजना का सम्बन्ध है, हमने उसके लिये विदेशी मुद्रा मंजूर कर दी है ।

†श्री बासप्पा : यद्यपि इसे योजना के आवश्यक अंश (कोर) में सम्मिलित नहीं किया गया है, तो भी सरकार ने हमें आश्वासन दिया था कि इसे इतना ही महत्व दिया जायेगा

†मूल अंग्रेजी में

जितना कि 'कोर' में सम्मिलित परियोजनाओं को दिया जाता है। अतः क्या इस बारे में कुछ किया जायेगा ?

†**श्री हाथी :** मैंने यही तो बताया है। हमने इसके लिये विदेशी मुद्रा मंजूर कर दी है। परन्तु प्रस्तुत प्रश्न तो इसे तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में है।

†**श्री सिदय्या :** परियोजना की दूसरी अवस्था पर लगभग कितना खर्च आयेगा और उसके लिये केन्द्रीय सरकार कितनी वित्तीय सहायता देगी ?

†**श्री हाथी :** हमने राज्य सरकार को लिखा है कि वह सम्पूर्ण योजना हमारे पास भेज दे। उस पर तृतीय पंच वर्षीय योजना काल में विचार किया जायेगा।

†**श्री शंकरय्या :** क्या सरकार इस के लिये विदेशी मुद्रा के अतिरिक्त अन्य प्रकार की सुविधाओं जैसे कि नागरिक कार्यों आदि के बारे में भी मंजूरी देगी ?

†**श्री हाथी :** जहां तक सिंचाई और विद्युत-मंत्रालय का सम्बन्ध है, हमारा तो यही विचार है कि जिन परियोजनाओं के तृतीय योजना में सम्मिलित किये जाने की संभावना है, यदि उन के सम्बन्ध में प्रारम्भिक कार्य प्रारम्भ कर दिये जायें तो उससे काम गति से होगा।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** माननीय मंत्री ने यह बताया है कि यह मामला अभी विचाराधीन है। क्या यह मामला योजना आयोग के विचाराधीन है, तथा केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के अथवा प्रविधिक समिति के विचाराधीन है ?

†**श्री हाथी :** यह इस समय तो सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के विचाराधीन है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या इस पर केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग तथा प्रविधिक समिति ने विचार कर लिया है ?

†**श्री हाथी :** उनके द्वारा विचार किये जाने का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता क्योंकि परियोजना अभी तक यहां आयी ही नहीं है। जैसा कि मैंने कहा है, ऐसी कई परियोजनायें हैं। जिनके तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किये जाने की सम्भावना है। हम ऐसा सोच रहे हैं कि उनका प्रारम्भिक कार्य प्रारम्भ कर दिया जाये और संभव है कि इसके लिये हम राज्य सरकारों को अनुमति दें।

†**श्री शंकरय्या :** इस बात को ध्यान में रखते हुये कि परियोजनाओं में काम करने वाले इंजीनियर तथा अन्य व्यक्ति वर्ष में ४ या ५ महीने तक बेकार बैठे रहते हैं; सरकार ने अन्य परियोजनाओं को मंजूरी देकर उन में प्राविधिक व्यक्तियों को नियुक्त करने के सम्बन्ध में क्या प्रबन्ध किया है ?

†**श्री हाथी :** मेरा ख्याल है कि शारावती परियोजना का काम तो निरन्तर चल रहा है और इंजीनियर अपने काम में लगे हुये हैं।

आन्ध्र प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण

†*७६४. **कुमारी मो० वेद कुमारी :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में बाढ़ नियंत्रण के लिये आन्ध्र प्रदेश को कितनी राशि आवंटित की गई थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) क्या चालू योजना में तामिलेरू तथा पेराकलाव योजनायें सम्मिलित हैं ;

(ग) इन पर कुल कितना खर्च आयेगा ; और

(घ) इन योजनाओं से लगभग कितना लाभ होगा ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में बाढ़ नियंत्रण के लिये आन्ध्र प्रदेश के लिये या अस्थायी रूप से १७७ लाख रुपयों की केन्द्रीय ऋण सहायता देने का निश्चय किया गया है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) तामिलेरू योजना पर लगभग ९८·७५ लाख रुपये और पेराकलावा योजना पर ५०·५१ लाख रुपये खर्च आयेंगे ।

(घ) तामिलेरु योजना से १६,००० एकड़ भूमि की सिंचाई की जा सकेगी और उससे ९,००० एकड़ क्षेत्र की बाढ़ से रक्षा की जा सकेगी ।

†कुमारी मो० वेद कुमारी : क्या यह सच है कि द्वितीय योजना में बाढ़ नियन्त्रण के लिये मंजूर की गई राशि में कमी कर दी गई है ?

†श्री हाथी : जी, हां ।

†कुमारी मो० वेद कुमारी : कमी किस आधार पर की गई है ?

†श्री हाथी : कारण यह है कि इस बारे में केन्द्रीय तथा विद्युत आयोग के पास आने वाली योजनाओं की संख्या बढ़ गई है ।

†कुमारी मो० वेद कुमारी : क्या यह बात सभी राज्यों पर लागू होती है ?

†श्री हाथी : जी, हां ।

†श्री विश्वनाथ रेड्डी : क्या यह सच है कि पहले सोमसिला परियोजना को भी बाढ़-नियंत्रण परियोजनाओं के अधीन द्वितीय योजना में सम्मिलित किया गया था, परन्तु अब उसे छोड़ दिया गया है । यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†श्री हाथी : वास्तव में हमारी नीति यह है बाढ़ संरक्षण के अधीन केवल उन्हीं योजनाओं को प्राथमिकता दी जाये जो कि शुद्ध रूपेण बाढ़ नियन्त्रण योजनायें हैं । यदि कोई योजना बहु प्रयोजनीय योजना है, अर्थात् उसका सम्बन्ध बाढ़ नियन्त्रण और सिंचाई दोनों से है, तो उसे ५९ करोड़ रुपयों की छोटी योजनाओं में सम्मिलित न करके बड़ी योजनाओं में सम्मिलित किया जाये ।

†कुमारी मो० वेद कुमारी : तामिलेरु परियोजना को कब तक अन्तिम रूप दिया जा सकेगा ?

†श्री हाथी : यह काम तो राज्य सरकार का है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड

+

†*७६५. { श्री आसर :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री तंगामणि :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में देहली में राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड की एक बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उस में मुख्य रूप से क्या क्या निर्णय किये गये हैं ;

(ग) क्या तटवर्ती यात्री सेवा के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां। बैठक ८ अगस्त, १९५९ को हुई थी ।

(ख) ज्ञात हुआ है कि बोर्ड ने बहुत सी बातों पर विचार किया था, जैसे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में भारतीय नौवहन के सम्बन्ध में निर्धारित लक्ष्य को पूरा करना, तटवर्ती नौवहन सम्बन्धी समस्यायें, नौवहन के लिये विदेशी मुद्रा प्राप्त करना और तृतीय पंच वर्षीय योजना के लिये नौवहन सम्बन्धी लक्ष्य निर्धारित करना। इनके सम्बन्ध में बोर्ड की सिफारिशें और बोर्ड की बैठक के वृत्त[1] अभी तक सरकार के पास नहीं पहुंचे हैं।

(ग) उस बैठक में तटवर्ती यात्री सेवा के सम्बन्ध में विचार नहीं किया गया था।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि सरकार द्वारा उदारता से वित्तीय सहायता दिये जाने के बावजूद गैर-सरकारी जहाज़-मालिक टन भार में वृद्धि करने के मामले में उदासीन हैं; और यदि हां, तो क्या इस बारे में भी चर्चा की गई थी और क्या यह भी सच है कि इस का हमारी तटवर्ती यात्री सेवा पर बुरा असर पड़ेगा ?

†श्री राज बहादुर : मैं यह तो नहीं कह सकता कि वे इस सम्बन्ध में उदासीन हैं। हां वे अपने टन भार को बढ़ाने में कुछ संकोच ज़रूर कर रहे हैं और उसका कारण यह है कि इस समय यातायात में कुछ कमी सी है।

†श्री आचार : क्या राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड तटवर्ती यात्री सेवा सम्बन्धी समस्याओं के बारे में भी विचार करता है ?

†श्री राज बहादुर : जी, नहीं। यह केवल नौवहन सम्बन्धी समस्याओं पर ही विचार करता है ।

†श्री राम कृष्ण गुप्त : द्वितीय और तृतीय पंच वर्षीय योजनाओं के लिये क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे ?

---

†मूल अंग्रेजी में.

[1]Minutes.

†**श्री राज बहादुर :** जहां तक द्वितीय योजना का सम्बन्ध है, पुराने जहाज़ों को बदलने के लिये निर्धारित किये गये ९०,००० टन के लक्ष्य के अतिरिक्त ६ लाख टनों का लक्ष्य और निर्धारित किया गया है। तृतीय योजना के बारे में अभी तक लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं।

†**श्री हेम बरुआ :** माननीय मंत्री ने अभी अभी यह बताया है कि गैर सरकारी जहाज-मालिक इसलिये संकोच कर रहे हैं कि यात्रियों की कमी है।

†**श्री राज बहादुर :** सामान की भी कमी है।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या इसका केवल मात्र ही एक कारण है या कि इसका कारण यह है कि वे पुराने जहाज़ों से ही अधिक से अधिक पैसा कमाना चाहते हैं ?

†**श्री राज बहादुर :** मैं नहीं समझता कि इसका यह कारण है। इसका मूल कारण यही है कि तटवर्ती सेवा के लिये यातायात की कमी है।

गोलकगंज और सोनारहाट के बीच सड़क

†*७९६. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड को आसाम सरकार से इस आशय की कोई योजना प्राप्त हुई है कि गोलकगंज और सोनारहाट के बीच रेल के पहले बनाये गये और इस समय बेकार पड़े एक मार्ग को सड़क के लिये इस्तेमाल कर लिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी, हां।

(ख) सुझाव अभी विचाराधीन है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या देश विभाजन से पहले सोनारहट को रेल जाती थी ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** जी, हां।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या यह सच है कि सोनारहट पाकिस्तानी सीमा पर है और यहां के निवासियों को १७ मील का चक्कर लगा कर आना पड़ता है, परन्तु गोलक गंज और सोनारहट के बीच के इस मार्ग से केवल ३ मील का रास्ता रह जाता है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** जी, हां।

कलिंग एयरलाइन्स विमान दुर्घटना

†*७९८. +
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री हालदर :
श्री मोहम्मद इलियास :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असैनिक उड्डयन महानिदेशक ने कलिंग एयरलाइन्स के विमान वी० टी० सी० आर० ए० की दुर्घटना के बारे में, जब कि वह १९ जून, १९५९ को नेफा के बारे में, जब क्षेत्र के हमीप जॉयहिंग टी गार्डन एयरफील्ड में उतर रहा था, कोई जांच शुरू की है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के क्या कारण थे; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) तथा (ख). चूंकि यह एक छोटी सी दुर्घटना थी इस लिये भारतीय विमान नियमों के नियम ७१ के अधीन इसकी कोई परिनियत जांच नहीं करायी गयी है किन्तु सामान्य पूछताछ पर यह पता चला है कि उतरते समय विमान दल दल में फंस गया था। चालक ने इंजन पॉवर के प्रयोग से इसको दलदल में से निकालने का प्रयत्न किया किन्तु इसके दाहिने भाग से का पहिया टूट गया।

(ग) असैनिक उड्डयन के महानिर्देशक ने कलिंग एयरलाइन्स तथा इस विमान के चालक को यह सूचना दी है कि भविष्य में दलदल में फंसे हुए विमानों को निकालने के लिये कभी भी इंजन पॉवर का प्रयोग नहीं करना चाहिये प्रत्युत ऐसी दशा में जहाज का इंजन बंद करके उसे बाहरी बल द्वारा बाहर निकालना चाहिए।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या इस कंपनी के विमानों की दुर्घटनाएं प्रायः होती रहती हैं यदि हां, तो इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है और क्या दुर्घटनाओं को रोकने और उनके कारणों की जांच की गयी है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : जी हां। ऐसे मामलों में जहां कहीं मृत्यु हो जाती है और जहां पर विमान बिल्कुल नष्ट हो जाता है जांच की गयी है। हम इस रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : १९५८-५९ में इस कंपनी के कितने विमान दुर्घटनाओं का शिकार बने हैं ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : मेरे पास केवल १ जनवरी, १९५९ के बाद के आंकड़े हैं। इस बीच दो छोटी तथा एक बड़ी दुर्घटना हुई है; इनकी जांच की जा ही है। चौथी दुर्घटना वोरनगा-जुला के सबस्टेंडर्ड वायुपथ से आगे बढ़ जाने के कारण हुई है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : इससे यह पता चलता है कि इन छः महीनों में ६ दुर्घटनाएं हुई हैं। सरकार इन एयरलाइनों की कार्य-व्यवस्था की जांच करने के लिये एक उच्च शक्ति आयोग नियुक्त करने का विचार क्यों नहीं करती जबकि इतनी छोटी सी अवधि में ६ दुर्घटनाएं हो गई हैं ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : मैं ऐसे आयोग की कोई आवश्यकता नहीं समझता क्योंकि अधि-नियम के अनुसार महानिर्देशक को सभी मामलों में जांच करने का अधिकार है। किन्तु चूंकि इनमें केवल एक दुर्घटना में ही कुछ व्यक्ति मरे थे इसलिये केवल उसी की जांच की गयी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

लम्फलपट फार्म, मनीपुर[1]

†*७८०. **श्री ले० अचौ० सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात के पता लगने के बाद कि मनीपुर के लम्फल पट फार्म में मनीपुर लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार काम नहीं किया गया है क्या ठेकेदारों से बाड़ लगाने की कीमत वापस ली गयी है ;

(ख) क्या बाड़ को सहारा देने के लिये बनाये गये रीइन्फोर्सड कंकरीट के खम्भों के गिरने के कारण होने वाली वास्तविक हानि का कोई अनुमान लगाया गया है; और

(ग) क्या यह सच है कि रीइन्फोर्सड कंकरीट के इन खंभों में लोहे की छड़ों के स्थान पर लकड़ी के डंडे लगाये गये थे ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जांच की रिपोर्ट आने तक ठेकेदार की ४,६३५ रुपये की जमानत रोक ली गयी है।

(ख) जी हां।

(ग) १९ खम्भों में लोहे की छड़ों के स्थान पर लकड़ी के डंडे पाये गये हैं।

भारत-रूस नौवहन सेवा

†*७८३. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार भारत और रुसी संघ की बन्दरगाहों के बीच आने जाने वाले जहाजों की संख्या बढ़ाना चाहती है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक अंतिम रूप से निश्चय हो जायेगा; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार किया जा रहा है?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). इस सेवा की आमदोरफ्त बढ़ाने का ख्याल कुछ दिन पहले किया गया था किन्तु यह सोच कर कि अतिरिक्त जहाजों को पूरा काम न मिलने के कारण इससे कोई लाभ नहीं होगा इस विचार को छोड़ दिया गया है।

राजस्थान में चीनी के कारखाने

*७८६. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान में चीनी के कुछ कारखानो को स्थापित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो कितने कारखाने स्थापित किये जायेंगे और कहां–कहां;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Lamphal Pat Farm, Manipur.

(ग) यह प्रयोजना कब पूरी होगी; और

(घ) प्रत्येक कारखाने पर कितनी धन राशि व्यय होगी।

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री ग्र० म० थामस) : (क) राजस्थान में चीनी का कोई नया कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ). यह प्रश्न उठते ही नहीं।

दामोदर घाटी निगम का अय्यर बांध

†*७८८. श्री अरविन्द घोषाल : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री ६ मई, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या २२५० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दामोदार घाटी निगम ने अय्यर बांध बनाने का प्रस्ताव तर्क कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अमेरिका के लिये विमान सेवा

†*७९०. श्री सं० अ० मेहदी : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया इंटरनेशनल सेवा को अमेरिका तक बढ़ाने की अनुमति देने के लिये अमेरिकी सरकार से कोई प्रार्थना की गयी है;

(ख) क्या अमरीका सरकार ने इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) प्रति सप्ताह एयर इंडिया इंटरनेशनल के कितने विमान अमेरिका जाया करेंगे?

†असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) जी हां।

(ख) अमरीका सरकार अभी इस पर विचार कर रही है।

(ग) अभी तक इस बारे में कोई निश्चय नहीं किया गया है किन्तु अपने प्रार्थनापत्र के साथ एयर इंडिया इंटरनेशनल ने अमेरिका की सरकार को जो प्रारम्भिक योजना भेजी उसके अनुसार शायद भारत और अमेरिका के बीच प्रति सप्ताह तीन यात्री विमान और दो मालवाहक विमान जाया करेंगे।

सकरी हसनपुर रेलवे लाइन

*७९७. श्री अनिरुद्ध सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सरकार ने उत्तर बिहार में सकरी–हसनपुर लाइन के निर्माण की सिफारिश की है;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या रेलवे बोर्ड ने इस सुझाव पर विचार किया है ;

(ग) यदि हां, तो यह मामला किस अवस्था में है; और

(घ) इस सम्बन्ध में प्रारम्भिक कार्य कब शुरू होने की आशा है ।

†रेलवे उपमंत्री (श्री सै० वें० रामस्वामी) (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) दूसरी पंचवर्षीय आयोजना में आयोजना कमीशन ने नयी लाइनों के बनाने का जो कार्यक्रम मंजूर किया है उसमें यह लाइन शामिल नहीं की गयी है ।

(घ) ऊपर भाग (ग) के जवाब को देखते हुए सवाल नहीं उठता ।

डाक व तार विभाग के कर्मचारियों की वर्दी

†*७९९. श्री दी० चं० शर्मा : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री ९ मार्च १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १०२३ के उतर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि डाक व तार विभाग निर्देशालय की वर्दी समिति द्वारा की गयी डाक व तार विभाग की कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों को दी जा रही खादी की वर्दियों को बंद करने के बारे में सिफारिश को कार्यान्वित करने की दिशा में कितनो प्रगति हुई है ?

†परिवहन तथा संचार और खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : सरकार अभी इन सुझावों का विचार कर रही है । शीघ्र ही सरकार किसी अंतिम निश्चय पर पहुँचने वाली है ।

किसानों को ऋण

†*८००. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिये अनुपूरक ऋण देने की कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) यह योजना किस दिन से चालू की जायेगी ?

†सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्ति) : (क) से (ग). एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २४]

उड़ीसा में अनाज की वसूली

†*८०१. श्री पाणिग्रही : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय खाद्य मंत्रालय और उड़ीसा सरकार के प्रतिनिधियों के बीच जून, १९५९ में उड़ीसा में अनाज की वसूली के बारे में कोई चर्चा हुई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या उड़ीसा सरकार के प्रतिनिधियों ने भारत सरकार के प्रतिनिधियों को उड़ीसा में धान और चावल के लिये दिये जाने वाले मूल्यों के अन्तर को हटाने के लिये प्रार्थना की है; और

(ग) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गयी है?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) जी हा।

(ख) तथा (ग). उड़ीसा सरकार के प्रतिनिधियों ने यह कहा है कि उड़ीसा में बहुत बढ़िया किस्म के चावलों का दाम आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिमी बंगाल राज्यों की अपेक्षा बहुत कम रखा गया है। उन्होंने यह सुझाव दिया है उड़ीसा में अनाज की वसूली के हित में बढ़िया किस्म के चावल की कीमतें बढ़ानी चाहियें अथवा कुछ बढ़िया किस्मों के चावलों का एक विशेष वर्ग बना कर उसकी अन्य किस्म के चावलों से कुछ ऊँची कीमत रखी जाय। राज्य सरकार पहले सुझाव को अधिक तरजीह देना चाहती थी। इसलिये चावल के दाम १ रुपये प्रतिमन और धान के दाम .५६ नये पैसे प्रतिमन बढ़ा दिये गये हैं।

रेलवे वैगनों का लूटा जाना

†*८०२. **श्री विभूति मिश्र :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान २७ जून, १६५६ के 'स्टेट्समेन' (कलकत्ता संस्करण) के पृष्ठ ३ पर छपने वाले इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें दक्षिण रेलवे में रेलवे वेगनों को लूटने वाले एक संगठित गिरोह का वर्णन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे लोगों के विरुद्ध क्या उपाय किये गये हैं; और

(ग) इस संबंध में कितनी सफलता मिली है?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी हां।

(ख) उनको रोकने के लिये माल गाड़ियों के साथ सशस्त्र सिपाही और ग्रस्त क्षेत्रों में रेलवे लाइन के इर्द गिर्द पहरा देने तथा सामान को तालाबंद कमरों में रखने की व्यवस्था की गयी है। इस प्रकार के अपराधियों को पकड़ने और अपराधों को कम करने के लिये स्थानीय पुलिस और रेलवे अधिकारियों में सम्पर्क तथा सहयोग बढ़ाने की चेष्टा की जा रही है।

(ग) अभी तक स्थिति में कुछ अधिक सुधार नहीं हुआ है।

चावल मिलों को लाइसेंस

†*८०३. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान २ जुलाई, १६५६ के "हिन्दुस्तान स्टेंडर्ड" में प्रकाशित खादी और ग्रामोद्योग आयोग के चेयरमेन के वक्तव्य के उस भाग की जिसमें ओर आकर्षित किया गया है, कि राज्य सरकारों को चावल मिलों को लाइसेंस जारी करने की शक्ति प्रत्या-योजित करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा किये गये विनिश्चय की चर्चा है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सही स्थिति क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) जी हां।

(ख) नयी चावल मिलों की स्थापना पर नियंत्रण रखने की दृष्टि से राज्य सरकारों को नयी मिलें बनाने के परमिट देने के लिये अथवा बंद मिलों में फिर से चावल कूटने की आज्ञा देने के लिये आवश्यक अधिकार दे दिये गये हैं जिससे कि इस अधिनियम के उद्देश्य की–अर्थात् हाथ से चावल कूटने के उद्योग के विकास के लिये पूरी सहायता देना–पूर्त्ति हो सके ।

कश्मीर में बिजली की सप्लाई

†*८०४. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कश्मीर सरकार ने केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग को बिजली के संभरण के लिये कुछ डीजल इंजन देने के लिये कहा है; और

(ख) यदि हां तो क्या उनको यह इंजन दे दिये गये हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी):** (क) जी हां।

(ख) जी हां।

ग्रामीण ऋण

†*८०५. **श्री विश्वनाथ रेड्डी :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री सरजू पाण्डे :
श्री पहाड़िया :
श्री कालिका सिंह :
श्री सै० अ० मेहदी :

क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन और ऋण संस्थाओं को मिलाने के लिये कोई योजना तैयार की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य विशेषताएं ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्ति) :** (क) तथा (ख). इस संबंध में मैं माननीय सदस्य का ध्यान तारांकित प्रश्न संख्या ८०० के उत्तर में लोक सभा के पटल पर रखे गये विवरण की ओर दिलाना चाहता हूं।

रेलवे अधिकारियों पर आक्रमण

†*८०६. **श्री सै० अ० मेहदी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेरामपुर स्टेशन पर १९ मई, १९५९ को कुछ रेलवे यात्रियों ने रेलवे अधिकारियों पर आक्रमण किया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इसके कारण; और

(ग) इस घटना का विस्तृत विवरण ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (ग). जी हां। १८ मई, १९५९ को सेरामपुर स्टेशन पर बिना टिकट यात्रियों को पकड़ने के लिये पुलिस की सहायता से एक घेरा डाला गया। ७२ बिना टिकट यात्री पकड़े गये उनमें से जब २५ यात्रियों को, जिन्होंने किराया वगैरह देने से इन्कार किया, रेलवे कर्मचारी तथा पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के पास ले जा रहे थे उन पर एक भीड़ ने हमला कर दिया और इस प्रकार इनमें से २० यात्री छूट कर भाग गये।

इस भीड़ में दो अन्य स्थानीय गाड़ियों के भी कुछ यात्री, जो उसी समय सीरामपुर के स्टेशन पर पहुँची थी, शामिल हो गये। इन लोगों ने गाड़ी की जंजीर खींच कर तथा होज पाइपों को पृथक करके व रेल की पटरी पर धरना देकर ७–३० बजे से १०–१८ बजे तक सभी गाड़ियों का आना जाना रोक दिया। इस भीड़ ने पुलिस पर पत्थर भी फैंके जिसके फलस्वरूप ४ सिपाही तथा २ यात्री घायल हुए। इसके बाद सब डिवीजनल आरक्षी अधिकारी कुछ सिपाहियों व अश्रुगैस जत्थे के साथ वहां आये और उन्होंने स्थिति को काबू में किया।

सिमरिया घाट स्टेशन

†*८०७. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि लाखों व्यक्ति प्रतिवर्ष गंगा–स्नानार्थ सिमरिया घाट आते हैं;

(ख) क्या यह सच है कि मोकामा में गंगा नदी पर "राजेन्द्र पुल" के निर्माण से पहले सिमरिया घाट स्टेशन को गंगा के किनारों की ओर से बन्द कर दिया गया था;

(ग) क्या यह भी सच है कि सिमरिया घाट स्टेशन गंगा के किनारों से अब कई मील दूर पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सिमरिया घाट स्टेशन को "राजेन्द्र पुल" के निकट स्थापित करने का अथवा यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के लिये कुछ और वैकल्पिक प्रबन्ध करने का है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) नये स्टेशन का नाम सिमरिया है और यह गंगा के उत्तरी किनारे से लगभग २ मील है।

(घ) इस पर विचार किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

कलिंग एयर लाइन्स के विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना

†*८०८. { **श्री हालदर :**
श्री मुहम्मद इलियास :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री स० मो० बनर्जी : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असैनिक उड्डयन के महानिर्देशक ने कलिंग एयरलाइन्स के विमान वी० टी०—डी० जी० आर० की २ जुलाई, १६५६ को नेफा क्षेत्र के निकट कोलापनी टी गार्डन एयरफील्ड में हुई दुर्घटना के कारणों की जांच के लिये कोई जांच की है ;

(ख) यदि हां तो इस दुर्घटना के क्या कारण थे; और

(ग) क्या यह सच है कि २१ जुलाई, १६५६ को डमडम के हवाई अड्डे से कलिंग एयरलाइन्स के प्रबन्धकों को यह सन्देश भेजा गया था कि प्रबन्धकों को कोलापनी में खड़ा हुआ उनका विमान वी० टी०—डी० जी० आर० जलभर जाने के कारण बड़ी बुरी दशा में है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) तथा (ख). चूंकि यह एक छोटी सी दुर्घटना थी इसलिये भारतीय विमान अधिनियम के नियम ७१ के अन्तर्गत इसकी परिनियत जांच कराने की आवश्यकता नहीं समझी गयी। किन्तु सामान्य परिपृच्छा पर यह पता चला है कि जब यह विमान कोलापनी में, जो कि एक गैर सरकारी लाइसेंस शुदा हवाई क्षेत्र है, खड़ा था उस समय यह दलदल में फंस गया। चालक ने इंजन बल के प्रयोग से इसको बाहर निकालने का प्रयत्न किया परन्तु इसका मुंह ऊपर उठ गया।

(ग) जी हां।

खाद्यान्नों का संग्रहण

†*८०६. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री रा० चं० माझी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री श० चं० गोदसोरा : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने अपने द्वारा खरीदे हुए खाद्यान्नों के संग्रहण के लिये भांडागारों की सुविधाओं का विस्तार करने का कार्यक्रम तैयार कर लिया है; और

(ख) यदि हां तो उसका विस्तृत विवरण ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) तथा (ख). एक विवरण लोक सभा के पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २५]**

---

†मूल अंग्रेजी में

जिया-भरेली नदी पर पुल

†*८१०. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १८ सितम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १३७९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आसाम में नार्थ ट्रंक रोड पर जिया–भरेली पुल पर प्रदर्शक बांध और सड़क बनाने के लिये अतिरिक्त अनुमानों की स्वीकृति दे दी गयी है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : प्रदर्शक बांध और दोनों तरफ ऊँचे किनारे तक सड़क बनाने के अनुमान अक्तूबर, १९५८ में ही स्वीकृति कर दिये गये थे। पुल के लिये १९ अगस्त, १९५९ को अनुमान स्वीकृत किया गया।

राष्ट्रीय राजपथ

†१४५७. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) द्वितीय पंच वर्षीय योजना में हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथ बनाने के लिये कितनी रकम स्वीकृत की गयी है;

(ख) उसमें से अब तक कितना रुपया खर्च किया जा चुका है ;

(ग) कुल कितने मील लम्बी सड़कें बनी हैं; और

(घ) शिमला–तिब्बत सड़क की कितनी प्रगति हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) २२२·०९ लाख रुपये

(ख) दूसरी योजना के पहले तीन वर्षों में १०४·१७ लाख रुपये।

(ग) ७० मील की सड़कें चौड़ी की गयी और २२ मील की सड़कों की मुरम्मत की गयी।

(घ) मोटर का मार्ग ९३ मील और जीप का मार्ग ३२ मील।

उत्तर रेलवे द्वारा नियुक्त किये गये कर्मचारी

†१४५८. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर रेलवे द्वारा १९५८–५९ में श्रेणीवार कुल कितने कर्मचारी नियुक्त किये गये ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : १९५८–५९ में उत्तर रेलवे द्वारा नियुक्त किये गये कर्मचारियों का श्रेणीवार ब्योरा नीचे दिया जाता है ;

प्रथम श्रेणी	६
दूसरी श्रेणी	१
अस्थायी सहायक अधिकारी	१४

†मूल अंग्रेजी में

तीसरी श्रेणी	२७२८
चौथी श्रेणी	६९७६
जोड़	९७२८

(इसमें आकस्मिक श्रमिकों के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं।)

पंजाब में गोदाम

†१४५९. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ११ फरवरी, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब में खाद्यान्नों के संग्रहण के लिये भांडागार बनाने के बारे में कई निश्चय किया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : पंजाब में उपयुक्त स्थानों पर २०,००० टन के लगभग अनाज जमा कर सकने के लिये गोदाम बनाने का विचार किया गया है।

दिल्ली नगर निगम को ऋण

†१४६०. **श्री दो० चं० शर्मा :**
श्री बर्मन :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २८ अप्रैल, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३६०४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली नगर निगम को वजीराबाद पंपिंग स्टेशन पर नया बंद बनाने के लिये क्या कोई अतिरिक्त ऋण दिया गया है यदि हां तो कितना; और

(ख) क्या वहां पर निर्धारित योजना के अनुसार समय पर काम हो रहा है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) अभी तक कोई अतिरिक्त ऋण नहीं दिया गया है।

(ख) वहां पर निश्चित योजना के अनुसार काम पूरा हो चुका है।

उत्तर रेलवे में चोरियां और डाके

†१४६१. **श्री दो० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर रेलवे में १९५८ के दौरान (३० जून, १९५९ तक) डिवीजनवार कितनी चोरियों और डाके पड़े; और

(ख) कितने मुकदमों में दोष सिद्धियां हुई ?

---

†**मूल अंग्रेजी में**

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) तथा (ख). आवश्यक जानकारी नीचे दी जाती है:—

डिवीजन	१९५९ के दौरान (३० जून १९५९ तक) चोरियों और और डाकों की संख्या।		उन मुकदमों की संख्या जिनमें दोष सिद्धि हुई	
	चोरी	डाका	चोरी	डाका
इलाहाबाद	३१०	२	३३	—
लखनऊ	१२५	२	९	—
मुरादाबाद	१४४	१	१६	—
दिल्ली	४०४	१	९२	—
जोधपुर	१८	१	४	—
बीकानेर	३०	२	७	—
फीरोजपुर	१४४	४	४७	—

रेलवे सम्पत्ति की चोरी

†**१४६२. श्री पांगरकर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५८–५९ में मध्य रेलवे की सम्पत्ति की कितनी चोरी हुई; और

(ख) अन्य रेलवे की सम्पत्तियों की चोरी की तुलना में मध्य रेलवे की सम्पत्ति की चोरी की क्या स्थिति है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) वर्ष १९५८–५९ के बीच मध्य रेलवे में ५,१७,१२३ रुपये की सम्पत्ति की चोरी हुई।

(ख) मध्य रेलवे की चोरी गयी सम्पत्ति पूर्वी रेलवे की चुराई गई चीजों से कम है और अन्य रेलवे से ज्यादा है।

संघों की मान्यता

†**१४६३. श्री पांगरकर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी, १९५९ से ३० जून १९५९ के बीच कितने संघों को मान्यता दी गयी और उनके नाम क्या क्या हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : कोई भी नहीं।

पंजाब में बी० सी० जी० आन्दोलन

†**१४६४. श्री हेम राज** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५८ और १९५९ के लिये पंजाब को बी० सी० जी० आंदोलन के लिये कितनी रकम मंजर की गयी है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १९५८ में कितने व्यक्तियों के टीके लगाए गये ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) वर्ष १९५८ और १९५९ के लिये केन्द्रीय सरकार ने पंजाब राज्य को कोई राशि मंजूर नहीं की । १९५९-६० के लिए १५००० की रकम राज्य को आवंटित की गयी है ;

(ख) १९५८ में पंजाब में ६,०४,४२७ लोगों को टीके लगाए गये ।

पंजाब में गलगंड का रोग

†**१४६५. श्री हेम राज** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १५ अप्रैल, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३१०३ की और निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष १९५७–५८, १९५८–५९ में गलगंड रोग के निवारणार्थ पंजाब राज्य को केन्द्र ने कितनी राशि दी और १९५९–६० में कितनी राशि देने का विचार है ?

(ख) इन वर्षों में कितने लोगों का उपचार किया गया ;

(ग) केन्द्र और राज्य इस व्यय को किस अनुपात से करते हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क)

	रुपये
१९५७–५८	०·२५ लाख
१९५८–५९	०·२२ लाख
१९५९–६०	०·३३ लाख

(ख) गलगांड के उपचारार्थ, दिसम्बर, १९५६ से ४९ गांवों में कुल ६०,२६७ व्यक्तियों को आयोडीन साल्ट दिया जा रहा है ।

(ग)

वर्ष	भारत सरकार	पंजाब सरकार
	(रुपये लाखों में)	(रुपये लाखों में)
१९५७–५८	०·२५	०·०५
१९५८–५९	०·२२	०·११
१९५९–६०	०·३३	०·१०

बर्दवान में ट्रंक टेलीफोन काल्स का शुल्क

†**१४६६. श्री सुबिमन घोष** : क्या **परिवहन तथा संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बर्दवान में ट्रंक काल्स के बिल लोगों तक ६ मास की देरी से भेजे जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो विलम्ब क्यों होता है ।

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार और खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) :** (क) बुर्दवान में ट्रंक काल्स के बिल भेजने में पहले ५ मास का विलम्ब होता था किन्तु अब १ मास की दरी होती है।

(ख) कर्मचारियों तथा सामान की कमी के कारण ही यह दरी होती थी। किन्तु अब काम को शीघ्र निपटाने की कार्यवाही की गयी है और आशा है आगामी दो तीन मास में स्थिति सामान्य हो जायगी।

त्रिपुरा की खोवाई नदी की बाढ़ से भूमि का कटाव

†१४६७. **श्री दशरथ देव :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) त्रिपुरा के ततियामड़ा बाजार के निकटवर्ती ग्राम जयनगर को खोवाई नदी की बाढ़ से वहां भूमि का कटाव होने का खतरा है;

(ख) क्या बचाव के लिए बार बार अभ्यावेदन दिये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो त्रिपुरा प्रशासन ने गांव को बचाने के लिय क्या कार्यवाही की है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) यह तो ठीक है किन्तू भूमि का कटाव बड़े पैमान पर नहीं हो रहा।

(ख) त्रिपुरा प्रशासन ने बताया रे कि कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे।

(ग) तेतियामाड में बांध बना दिये गये हैं ताकि बाजार को बचाया जा सके क्योंकि जयनगर में भूमि के कटाव के कारण केवल तीन घरों को क्षति पहुंची थी इस कारण त्रिपुरा के प्रशासन ने वहां ज्यादा काम करना उचित न समझा। बाढ़ ग्रस्त लोगों को बांस इत्यादि सामान दे दिया गया था ताकि वे अपने आप बांध बनाले किन्तू उन्होंने यह स्वीकार न किया।

त्रिपुरा में मत्स्यपालन के लिये ऋण

†१४६८. **श्री दशरथ देव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९५८–५९ और १९५९–६० में त्रिपुरा में अब तक कितने लोगों ने मत्स्य-पालन के लिए ऋण के आवदन दिये;

(ख) कितने व्यक्तियों को ऋण मंजूर किया गया;

(ग) प्रत्येक मामले में अधिक से अधिक और कम से कम राशि कितनी थी ; और

(घ) क्या सरकार त्रिपुरा में इस ऋण को और भी देना चाहती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :

(क) १९५८–५९ . . . . . ४२
१९५९–६० . . . . . . कुछ नहीं

(ख) १४

(ग) (१) ऋण की अधिकतम राशि ५००० रुपये
(२) ऋण की न्यूनतम राशि ४५० रुपये

(घ) जी हां।

दिल्ली में बिजली की चोरी

†१४६९. **श्री सैं० आ० मेहदी :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास ये शिकायतें आई हैं; कि दिल्ली में कुछ लोग बिजली की चोरी करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) जी हां।

(ख) बिजली की चोरी हस्तक्षेप अपराध है और जहां पर्याप्त साक्ष्य मिल जाय वहां रिपोर्ट भेजते हो पुलिस अपराधियों पर अभियोग चला देती है।

दक्षिण-पूर्व रेलवे में बाढ़ों के कारण क्षति

†१४७०. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल की बाढ़ों से दक्षिण-पूर्व रेलवे को कितनी क्षति हुई; और

(ख) स्थिति का अध्ययन करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) दक्षिण-पूर्व रेलवे के अनूपपुर–कटनी विभाग में थोड़ी क्षति हुई थी। इस विभाग में १० से १२ जुलाई, १९५९ तक भारी वर्षा होने के कारण स्टेशन के यार्डों में पानी भर गया था। रूपाडंड और जालवाड़ स्टेशनों के बीच तनिक पटरी भी टूट गयी थी।

रेलवे पटरी से १ मील परे एक गांव के तालाब के टूट–फूट जाने से भी रुपाडंड और जालवाड़ स्टेशनों के बीच मील संख्या ६२९–२ से ६३०–४ में पटरी टूट गयी थी। इस तालाब के पानी से चांदिया रोड यार्ड डूब गया था और रूपाडंड के यार्ड के एक हिस्से में भी पानी भर गया था।

(ख) इन टूट फूटों की मरम्मत तुरंत कर दी गयी थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेनीगुंटा और हैदराबाद के बीच एक्सप्रेस गाड़ियां

†१४७१. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रेनीगुंटा और हैदराबाद के बीच एक्सप्रेस गाड़ियां चलाने के लिये लोगों ने अभ्यावेदन भेजे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) जी हां।

(ख) सिकंदराबाद।हैदराबाद और रेनीगुंटा के बीच ट्रैफिक को देखते हुए एक और एक्सप्रैस गाड़ी चलाना उचित प्रतीत नहीं होता। यातायात की कमी के अतिरिक्त यूं भी डिब्बों और इंजनों की कमी और विजयवाड।–बिजागुंटा–गुडूर विभाग (बी० जी०) और द्रोणाचलम्—गुंटाकश–धर्मवरम विभाग (एम० जी) में लाइन क्षमता की कमी के कारण भी हैदराबाद और रेनीगुंटा के बीच बड़ी पटरी के मार्ग से अर्थात् काजीपिट, विजयवाड़ा और गुडूर के रास्ते से या छोटी पटरी से अर्थात् बरास्ता द्रोनाचलम्, गुंटाकर, धर्मवरम और पकाला से एक्सप्रैस गाड़ियां चलाना असंभव है।

मसूलीपटनम की बंदरगाह

†१४७२. **श्री मं० वें० कृष्ण राव**: क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९५७ से लेकर १९५९ में अब तक आंध्र प्रदेश की मसूलीपटनम बंदरगाह के जरिये से आयात या निर्यात का कुल कितने टन माल गुजारा ; और

(ख) उस अवधि में किन-किन महत्वपूर्ण वस्तुओं का आयात व निर्यात हुआ ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क).

वर्ष	आयात (टनों में)	निर्यात
१९५७–५८	७,४९५	२,४४,०५१
१९५८–५९	११,०२१	१,२८,८०३
अप्रैल, १९५९ से जून, १९५९ तक	—	२३,७६२

(ख) उर्वरक और लौह अयस्क

आंध्र प्रदेश में सार्वजनिक टेलीफोन

†१४७३. **श्री मं० वें० कृष्ण राव** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५०–६० में आंध्र प्रदेश में किन-किन स्थानों में सार्वजनिक टेलीफोन लगाने का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार और खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)**: वर्ष १९५९–६० में आंध्र प्रदेश के जिन स्थानों में सार्वजिनक टेलीफोन लगाये जायेंगे उनके नामों का एक विवरण नीचे दिया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

आंध्र प्रदेश में निम्न स्थानों पर टेलीफोन लगाने की योजनायें स्वीकृत हो चुकी हैं और बहुत से १६५६–६० में लग जायेंगे । शेष १६६०–६१ में लगेंगे (अतारांकित प्रश्न संख्या १४७ तारीख २५–८–५६ के द्वारा):—

१. अथमिपट
२. आलमपुर
३. अलागड़ा
४. आत्माकुर (नेल्लीर)
५. आत्माकुर
६. आत्माकुर (कुरनूल जिला)
७. अवामीगाद
८. बदवेल
६. बांस वाड़ा
१०. चिन्नूर
११. चिन्ताला पुड़ी
१२. चिन्तापल्ली
१३. देवरकोंडा
१४. गाजीवेल
१५. गोकावरम्
१६. हजूरनगर
१७. इब्राहीम पटनम
१८. जोगीपिट
१६. कानीगिरी
२०. कल्याणद्रुग
२१. काजा
२२. काल्वा कुर्ती
२३. खानपुर
२४. कोयल कुंतल
२५. कोल्हापुर
२६. कोरतला
२७. मदकसीरा
२८. मांलिग
२६. मेदचल
३०. मेनपल्ली
३१. नंदीगाम
३२. नारामणपिट
३३. मालाकोंडा
३४. पालचाल
३५. परका
३६. परगी
३७ पोडीली
३८. पोलावरम

३९. रम्या चोदावरम्
४०. रपूर
४१. राचोटी
४२. सारसिल्ला
४३. शादनगर
४४. सिद्धवातम्
४५. श्रुगंवरापिकोट
४६. सुल्पताना बाद
४७. सैयदपुर
४८. तिरुवूर
४९. उरदी
५०. वोगस्वरपुरम्
५१. विजयपुरी–दक्षिण
५२. विश्वान पेट
५३. मेल्लारेड्डी ।

आंध्र में मत्स्यपालन का विकास

†१४७४. **श्री मं० वें० कृष्ण राव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५८–५९ में और १९५९–६० में अब तक आंध्र में मत्स्य पालन के लिये कुल कितनी राशि केन्द्रीय सहायता के रूप में दी गयी है; और

(ख) उसका ब्यौरा क्या है?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस):** (क) तथा (ख). मत्स्य पालन के लिए केन्द्र ने निम्न अधिकतम सहायता दी है ;

१९५८–५९	४.७५ लाख रुपये
१९५९–६०	६.०० लाख रुपये

विभिन्न मत्स्य पालन योजनाओं को धन आवंटित करना राज्य सरकार का काम है जिसका ब्यौरा उपलब्ध नहीं है ।

मनीपुर के लोक निर्माण विभाग के अधीन मिट्टी हटाने के यंत्र

†१४७५. **श्री सै० अ० मेहदी :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लोक निर्माण विभाग मनीपुर के अधीन मिट्टी हटाने की कितनी मशीनें हैं;

(ख) सड़क निर्माण के लिए अब तक कितनी मशीनों का प्रयोग हो रहा है;

(ग) कितनी मशीनें बेकार पड़ी हैं; और

(घ) संधारण की कमी के कारण कितनी मशीनें बेकार हैं?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) से (घ). अब तक जानकारी मनीपुर प्रशासन से मंगवाई जा रही है और प्राप्त होने पर लोक-सभा पटल पर रख दी जायगी ।

उड़ीसा के मत्स्यपालन का विकास

†**१४७६. श्री पाणिग्रही** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मत्स्य पालन के विकास के लिए प्रथम पंच वर्षीय योजना में उड़ीसा राज्य को कितना धन दिया गया;

(ख) इस प्रयोजन पर वास्तव में कितना धन व्यय हुआ;

(ग) दूसरी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा को कितना धन दिया गया;

(घ) अब तक कुल कितनी राशि व्यय की गयी है; और

(ङ) विद्यमान मत्स्य ग्रहन प्रणाली में सुधार करने; वर्तमान मछली विहीन जलाशयों में मछलियां पालने, मत्स्य पालन के वैज्ञानिक ढंग अपनाने और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :**

(क) ३०.२ लाख रुपये ।

(ख) २७.४ लाख रुपये ।

(ग) योजना के प्रथम चार वर्षों के लिए ५७·९४ लाख रुपये ।

(घ) योजना के तीन वर्षों के लिए ४३·९९ लाख रूपये ।

(ङ) समुद्र, मुहानों और जलाशयों में प्रयोगात्मक यंत्रों से मछलियां पकड़ने के कारण स्थिति में सुधार हुआ है। घोछे पकड़ने के जालों में सुधार किया गया है। बड़े जलाशयों में से जल के भीतर की घास आदि को हटाने के लिए यांत्रिक कलें बनाई गयी हैं। दलदलें ठीक करने के तरीके निकाले गये हैं और ग्राम पंचायतों ने बड़े पैमाने पर तालाबों का सुधार किया है। मत्स्य पालन की वैज्ञानिक प्रणाली अपनायी गयी है और अधिकांश सामुदायिक विकास खंड क्षेत्रों में यह प्रणाली लागू की गई है। वैज्ञानिक ढंग से मत्स्यपालन का प्रशिक्षण देने के लिये तीन आदर्श मत्स्यपालक केन्द्रों को स्थापना की गयी है।

उड़ीसा में पशुपालन तथा दूध संभरण संबंधी योजनायें

†**१४७७. श्री पाणिग्रही** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रथम पंच-वर्षीय योजना काल में उड़ीसा को पशुपालन तथा अन्य दूध सम्भरण योजनाओं के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गयी थी;

(ख) उसमें से कितनी राशि वास्तव में खर्च की गयी;

(ग) इस उद्देश्य के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में अब तक उड़ीसा को कितनी धनराशि आवंटित की गयी है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(छ) अब तक इस दिशा में कितनी राशि खर्च की गयी है ;

(ङ) उड़ीसा में इस शीर्ष के अन्तर्गत क्या कार्यक्रम अपनाया गया है; और

(च) क्या सहकारी संस्थाओं को उड़ीसा में इस उद्देश्य के लिए कर्जे दिये गये थे कि वे दूध देने वाले पशु खरीद सकें?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) १.८२ लाख रुपये अनुदान के रूप में दिया गया था।

(ख) १.७३ लाख रुपये ।

(ग) द्वितीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के लिए उड़ीसा सरकार के लिए १६.१८ लाख का अनुदान और ३.१६ लाख का कर्जा स्वीकार किया गया था। १९५९–६० में केन्द्रीय सहायता के रूप में ११.५० लाख अनुदान और ३.१६ लाख कर्जे के रूप में राज्य सरकार को दिये गये हैं। इसका उद्देश्य पशुपालन, जिसमें भेड़ें, ऊन और मुर्गीपालन भी सम्मिलित है, का विकास करना है। इससे अतिरिक्त शालिहोत्री शिक्षा, पशुमहामारी का विनाश तथा दूध सम्भरण के कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए भी उपरोक्त राशियों का प्रयोग हो सके गा।

(घ) १९५७–५८ तक ८.५६ लाख रुपये अनुदान और १.०५ लाख रुपये ऋण। १९५८–५९ और १९५९–६० में जो कुछ खर्च हुआ उसके आंकड़े राज्य सरकार ने अभी उपलब्ध नहीं किये हैं।

(ङ) नयी प्रक्रिया के अनुसार केन्द्रीय सहायता कोष से जो भी योजना और कार्यक्रम कार्यान्वित किया जाता है उसे राज्य सरकार पर छोड़ दिया जाता है। फिर भी मुख्य योजनायें निम्न विषयों से संबंधित हैं—पशुओं को पशुमहामारी के टीके लगाना, शालिहोत्री प्रशिक्षण, पशुपालन संबंधी विज्ञानों की गवेषणा और प्रशिक्षण, ग्रामीण योजनायें, मुर्गीपालन का विकास, गोशालाओं का विकास, गोसदनों का संस्थापन, वर्तमान दुग्धशालाओं को शक्तिशाली बनाना और कटक में सहकारी दुग्ध संघ की स्थापना करना है।

(च) नहीं ।

मद्रास के लिये उवर्रक

†**१४७८. श्री क० स० रामस्वामी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० में मद्रास राज्य ने विभिन्न प्रकार के उर्वरकों की कितनी मात्रा में मांग की है ; और

(ख) कितनी मात्रा उनके लिये नियत की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी नीचे दी जाती है :—

टनों में आंकड़े

उर्वरकों के नाम	मांग १९५९–६०	१–४–५९ से ३०–९–५९ तक	
		मांग	दी गयी मात्रा
सल्फेट आफ अमोनिया	१,६०,०००	८३,८००	३८,७००
यूरिया . .	२५,०००	१३,२५०	६,६७२
अमोनिया सल्फेट नाइट्रेट	२५,०००	१२,४५०	४,९००
कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट .	७,५००	३,४००	१,५५०

नोटः—दूसरे आधे वर्ष के लिये आवंटन त्रैमासिक रूप में सितम्बर और दिसम्बर में किया जायेगा ।

उत्तर प्रदेश में वन विकास

†**१४७९. श्री मानवेन्द्र शाह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वन विकास के लिये १९५८–५९ और १९५९–६० में उत्तर प्रदेश को कितनी आर्थिक सहायता दी गयी है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : वन विकास के लिये १९५८–५९ और १९५९–६० में स्वीकृत केन्द्र सहायता और १९५९–६० के लिये आवंटन निम्न प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

१९५८–५९		१९५९–६०	
ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान
१७.५४	११.३१	१९.९८	१२.३५

भारत सरकार की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आंकड़ों में फेर बदल हो सकता है ।

रेल कर्मचारियों के बच्चों के लिये होस्टल

†**१४८०. श्री सिदय्या** : क्या **रेलवे** मंत्री ९ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ७६६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर नगर में रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिये होस्टल चालू कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक उसमें कितने बच्चे दाखिल किये गये हैं ;

(ग) १९५९–६० में इस होस्टल के लिये कितनी धनराशि स्वीकृत हुई ;

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्या होस्टल की इमारत बनाने की प्रस्थापना भी है ; और

(ङ) यदि हां, तो वह विस्तार से क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी, हां ।

(ख) १७ ।

(ग) होस्टल को चलाने के लिये कोई धन राशि नहीं दी गयी । इस दिशा में वास्तविक व्यय का पता तो इस वित्तीय वर्ष के अन्त में लगेगा ।

(घ) और (ङ). इस समय मैसूर का यह वर्तमान होस्टल एक किराये की इमारत में स्थित है । तीसरी योजना की अवधि में इसके लिये नई इमारत बनाने का प्रबन्ध किया जायेगा ।

सहकारी समितियों की सक्रिय पूंजी

†१४८१. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में सहकारी समितियों की सक्रिय पूंजी में जमा पूंजी के प्रतिशत की नवीनतम स्थिति क्या है ;

(ख) क्या ग्राम उधार सर्वेक्षण प्रतिवेदन के प्रकाशित होने के बाद से इस संबंध में कोई वृद्धि हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी वृद्धि हुई है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्ति)**: (क) वर्ष १९५७-५८ के लिये भारत में सहकारिता आंदोलन के बारे में रक्षित बैंक द्वारा प्रकाशित सांख्यकीय विवरणों के अनुसार भारत में सहकारी समितियों की सक्रिय पूंजी में जमा पूंजी का प्रतिशत उस वर्ष के अन्त में २६.२ था ।

(ख) जी नहीं । ग्राम उधार सर्वेक्षण प्रतिवेदन (जो १९५४ में प्रकाशित हुआ था) में उल्लिखत नवीनतम आंकड़े १९५१-५२ के बारे में हैं । सरकारी समितियों की सक्रिय पूंजी में जमा पूंजी का प्रतिशत १९५१-५२ के अन्त में ३८.२ था । यद्यपि १९५७-५८ के अन्त में सक्रिय पूंजी में जमा पूंजी का प्रतिशत १९५१-५२ अन्त में जमा पूंजी के प्रतिशत से कम था किन्तु १९५१-५२ में समितियों के पास जो ११७.०६ करोड़ रुपये की जमा पूंजी थी वह १९५७-५८ के अन्त में १८२.५८ करोड़ रुपये हो गई है ।

(ग) सक्रिय पूंजी की जमा पूंजी के प्रतिशत में कोई वृद्धि नहीं हुई है किन्तु जमा पूंजी में, जैसा कि उपरोक्त भाग (ख) में बताया गया है, वृद्धि हुई है ।

कटक रेलवे स्टेशन को नया रूप देना

†**१४८२. श्री संगण्णा** : क्या **रेलवे** मंत्री कटक रेलवे स्टेशन को नया रूप देने के बारे में ४ मार्च, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १३५३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच कोई प्रगति हुई है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ है।

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). रेलवे डाक सेवा और सरकारी रेलवे पुलिस की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये नक्शे में परिवर्तन करना पड़ा और स्टेशन की इमारत में कुछ और बनाने तथा उसमें परिवर्तन करने के लिये नये रूप से अनुमान लगाना पड़ा है। इस प्रकार निर्माण में आगे प्रगति नहीं हो सकी।

सरकारी कर्मचारियों का एक्सरे

†१४८३. { **श्री रा० च० माझी :**
श्री सुबोध हंसदा : }

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सम्पूर्ण सरकारी कर्मचारियों का एक्सरे कराने के सुझाव पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर कुल कितना व्यय होगा ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) हां, श्रीमान्। दिल्ली, नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार ने कर्मचारियों का एक्स रे कराने के सुझाव पर विचार किया है।

(ख) इस पर अनुमानतः ६०,००० रुपये व्यय होंगे।

राष्ट्रीय विस्तार सेवा और सामुदायिक विकास खंडों में औरतों के लिये काम

†**१४८४. श्री राजेन्द्र सिंह** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विस्तार सेवा और सामुदायिक विकास खंडों में औरतों के लिये काम देने के लिये योजनायें बनाई गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन योजनाओं का व्यौरा क्या है और अब तक कितनी औरतों को स्थायी और अर्ध स्थायी आधार पर काम दिया गया है ; और

(ग) क्या सरकार का औरतों को जल्दी काम देने के लिये और योजनायें बनाने का विचार है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्ति)** : (क) और (ख). जबकि सामुदायिक विकास खंडों में औरतों को काम देने के लिये विस्तृत योजनायें बनाने का काम राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है, इस बात पर जोर दिया गया है कि औरतें सामान्य औद्योगिक कार्यक्रम में भाग लें और ऐसे आर्थिक कार्यक्रम बनाये जायें जो औरतों की रुचि के अनुकूल हों जैसे अम्बर चर्खा, दर्जीगीरी, सिलाई, मोजा बुनना, कसीदे का काम करना, खिलौने बनाना, फलों तथा सब्जियों का परिक्षण और गोटा या फीते बनाना आदि।

प्रथम अवस्था के खंडों को औरतों के कार्यक्रम के लिये ४०,००० रुपये दिये गये हैं और द्वितीय अवस्था के खंडों के लिये २०,००० रुपये, जिनमें से कुछ रुपये औरतों के आर्थिक कार्यक्रम पर व्यय किये जायेंगे। उधार की सुविधायें देने, कच्चा माल जुटाने तथा तैयार चीजों को बेचने के लिये

---

†मूल अंग्रेजी में

औरतों की औद्योगिक सहकारी समितियों की स्थापना करने के लिये भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। विभिन्न राज्यों में ऐसी १२६ सहकारी समितियां स्थापित की जा रही हैं। खंड क्षेत्रों में कई परिश्रमालय स्थापित किये गये हैं जहां औरतों को अम्बर चर्खा का प्रशिक्षण दिया जाता है।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने खंड के कर्मचारियों की सहायता से किश्तों पर सीने की मशीनें बेचने की योजना प्रारम्भ की है। उषा मशीन के निर्माताओं ने गांव की औरतों को साधारण दर्जीगीरी का प्रशिक्षण देने के लिये शिक्षकों का प्रबन्ध किया है। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय तथा विभिन्न अखिल भारतीय बोर्डों, आयोगों की प्रविधिक और वित्तीय सहायता से निम्नलिखित सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम चालू किये हैं। खंड के कर्मचारी खंड क्षेत्रों में उन कार्यक्रमों के चलाने में सहायता करते हैं।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सहयोग से कार्यक्रम : अम्बर चर्खा शिक्षकों के रूप में काम करने के लिये कल्याण विस्तार परियोजनाओं में लगे शिल्प शिक्षकों को प्रशिक्षण देना आरम्भ कर दिया गया है। अब तक ७४ शिल्प शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और २११ व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। परियोजना केन्द्रों में कई प्ररिश्रमालय चालू करने की योजना बनाई गई है और अब तक २२ परिश्रमालय चालू किये जा चुके हैं।

हस्तशिल्प बोर्डों के सहयोग से कार्यक्रम : विभिन्न कल्याण परियोजना केन्द्रों से लिये गये ५० शिल्प शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और लगभग ४० प्रशिक्षण व उत्पादन केन्द्र स्थापित करने का विचार है।

हथकरघा बोर्ड के सहयोग से कार्यक्रम : ५० हथकरघा प्रशिक्षण व उत्पादन केन्द्र स्थापित करने का विचार है।

कितनी औरतों को अब तक स्थायी और अर्ध-स्थायी आधार पर काम दिया गया इसके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, जटा नारियल बोर्ड और रेशम बोर्ड के सहयोग से कुछ प्रशिक्षण व उत्पादन केन्द्र स्थापित करना चाहता है।

इस मंत्रालय के परामर्श से अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड औरतों और आदमियों दोनों के लिये गांवों में बनी चीजों के विकास तथा उनकी बिक्री के लिये चुने हुये खंडों में ग्रामीण शिल्प संग्रहालय स्थापित करने की योजना बना रहा है। इसके अलावा उसने खंड क्षेत्रों में औरतों के लिये शिल्प केन्द्र चालू करने के लिये केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के लिये ५ लाख रुपये नियत किये हैं।

दिल्ली के अस्पतालों में बाहर के मरीज

†**१४८५. श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने १९५९–६० में दिल्ली में निम्नलिखित अस्पतालों को कोई अनुदान दिया है :

(१) होली फैमिली अस्पताल, ओखला, नई दिल्ली ;

(२) विक्टोरिया जनाना अस्पताल, दिल्ली ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) तीस हजारी जनाना अस्पताल, दिल्ली ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : १९५९–६० में सरकार ने इन अस्पतालों को कोई अनुदान स्वीकार नहीं किया है ।

सार्वजनिक टेलीफोन

†**१४८६. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १७ मार्च, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १३०० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के सारे स्थानों में नये दशमिक प्रणाली के सिक्के डालने के लिये सार्वजनिक टेलीफोनों को बदलने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार और खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : सभी ऐसे सार्वजनिक टेलीफोनों में, जिनमें सिक्के डाले जाते हैं, इस प्रकार का परिवर्तन कर दिया गया है, जिससे वे दशमिक प्रणाली के सिक्के डालने पर ही काम कर सकेंगे ।

दिल्ली के लिये बाल (धूम्रपान निषध) अधिनियम[1]

†**१४८७. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बाल (धूम्रपान निषेध) अधिनियम लागू है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि दिल्ली में पांच साल के बच्चे भी धूम्रपान के आदी हैं ; और

(ग) क्या सरकार इस अधिनियम को लागू करने के लिये कोई सक्रिय कदम उठायेगी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) दिल्ली के लिये कोई बाल (धूम्रपान निषेध) विधान नहीं है ।

(ख) सरकार का ध्यान ऐसे किसी मामले की ओर नहीं दिलाया गया है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भारतीय बच्चों का शारीरिक विकास

†**१४८८. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ६ अप्रैल, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या २३३४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय बच्चों के शारीरिक विकास के बारे में एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण करने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि सर्वेक्षण पूरा हो चुका हो तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के यूनिट परिषद् की नवम्बर के आसपास होने वाली वार्षिक बैठक के समय अपना प्रतिवेदन वर्ष में एक बार प्रस्तुत करते हैं । उक्त परिषद् ने सूचित किया है इन तीन महीनों में कितने बच्चों का सर्वेक्षण किया गया यह बताना संभव नहीं है । किन्तु, कार्य जारी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

1 Juvenile (Prevention of Smoking) Act.

(ख) सर्वेक्षण कार्य दूसरी पंचवर्षीय योजना काल के दौरान जारी रहेगा। आवश्यक जानकारी प्राप्त होने पर आंकड़ों का अन्तिम विश्लेषण शुरू किया जायेगा।

वन

†१४८९. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में विभिन्न राज्यों को वनों के विकास के लिये अब तक दी गई निधि को काम में नहीं लाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसे काम में लाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि कुछ राज्यों ने योजना में किये गये उपबन्ध को चालू योजनाकाल के दौरान, समुचित रूप से काम में नहीं लाया है।

(ख) निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :—

(१) संबंधित राज्यों से चालू योजना के अन्तिम वर्ष के लिये अपनी योजनायें बनाते समय बची हुई राशि का अधिकाधिक उपयोग करने के लिये कहा गया है।

(२) मई, १९५९ में पचमढ़ी में हुई केन्द्रीय वनविद्या बोर्ड की बैठक में यह प्रश्न उठाया गया था। बोर्ड द्वारा निम्न सिफारिश की गई थी :—

"बोर्ड कुछ राज्यों में हुई अपेक्षाकृत कम प्रगति और इस संबंध में सरकारों द्वारा दिये गये कारणों पर विचार करता है और यह सुझाव देता है कि राज्य सरकारें जो राशि बच गई है उसका दूसरे पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में अधिकाधिक उपयोग करने के लिये सभी संभव प्रयत्न करें।"

यह सिफारिश राज्य सरकारों को कार्यान्वय के लिये प्रेषित कर दी गई है।

दिल्ली में साइकल के रास्ते

†१४९०. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री केशव :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १९ फरवरी, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ४६५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली टाउन प्लैनिंग आर्गनाइजेशन ने नजफगढ़ रोड और युसुफ सराय से केन्द्रीय सचिवालय तक साइकल के रास्ते बनाने की योजना तैयार कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हां ।

(ख) इस संबंध में टाउन प्लैनिंग आर्गनाइजेशन ने निम्न सिफारिशें की हैं :—

नजफगढ़ रोड से केन्द्रीय सचिवालय तक साइकल का रास्ता :

यह रास्ता नजफगढ़ रोड और पटेल रोड जहां मिलते हैं वहां से शुरू होता है और पटेल रोड, शंकर रोड, तालकटोरा रोड और क्वीन मेरी एवेन्यू के दक्षिण दिशा में केन्द्रीय सचिवालय तक जाता है । यह रास्ता नजफगढ़ रोड से पटेल रोड तक १५ फुट तथा पटेल रोड से केन्द्रीय सचिवालय तक २५ फुट चौड़ा होना चाहिए । दिल्ली केन्टोनमेंट की बड़ी लाइन और दिल्ली-रिवाड़ी छोटी लाइन तथा रिज रोड के क्रासिंग पर इस रास्ते के लिये नीचे से पुल बना दिये जायेंगे ।

यूसुफ सराय से केन्द्रीय सचिवालय तक साइकल का रास्ता :

यह रास्ता महरौली के पश्चिम में यूसुफ सराय से शुरू होता है, और कुशक नाले व सर्विस लेन के पूर्वी किनारे से होता हुआ रेस कोर्स रोड के समानान्तर तथा किन्ग जार्ज एवेन्यू के पश्चिम से होकर केन्द्रीय सचिवालय तक जाता है ।

यह रास्ता यूसुफ सराय से कुशक नाले तक १५ फुट तथा आगे केन्द्रीय सचिवालय तक २५ फुट चौड़ा होना चाहिये। निजामुद्दीन-विनय नगर रेलवे लाइन तथा प्रस्तावित इनर रिंग रोड पर इस रास्ते के लिये नीचे के पुल बनाये जायेंगे ।

हुगली के पश्चिम किनारे पर गहरे डुबाव वाले जहाजों के लिये पत्तन[1]

†१४९१. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २७ फरवरी, १९५९ के तारांकित **प्रश्न संख्या** ७२३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुगली नदी के पश्चिम किनारे पर एक गहरे डुबाव वाले जहाजों के लिये एक पत्तन निर्माण संबंधी प्रस्ताव के प्रविधिक पहलुओं की इस बीच जांच कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). हुगली नदी के पश्चिम किनारे पर गहरे डुबाव वाले जहाजों के लिये एक पत्तन निर्माण संबंधी प्रस्ताव के प्रविधिक पहलुओं की जांच अब भी चल रही है। राष्ट्र संघ के विशेषज्ञ मिस्टर पोस्थ्युमा की राय में, जो नवम्बर, १९५८ में भारत आये थे, कलकत्ता के आसपास एक सहायक पत्तन के लिये सबसे अच्छी जगह हलदिया नदी के मुहाने के उत्तर में प्रतीत उन्होंने सुझाव दिया है कि इस विषय में अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व इस बात की जांच की जानी चाहिये कि नदी के पात्र को गहरा बनाकर आकलैंड बार और ब्यूमान्ट्स गट पर कितनी गहराई उपलब्ध हो सकती

†मूल अंग्रेजी में

[1]Deep draft port on the western bank of the Hooghly.

है। उनकी राय में उस क्षेत्र में लहरों, धाराओं, ज्वार भाटे आदि के आंकड़े इकट्ठा करना भी आवश्यक है। उन्होंने सुझाव दिया है कि इस बीच हलदिया को लंगर डालने का स्थान बनाने के लिये कार्यवाही की जाये। तदनुसार कलकत्ता पत्तन के कमिश्नरों द्वारा हलदिया को अगले अच्छे मौसम में अर्थात् १ नवम्बर, १९५९ से लंगर डालने का एक स्थान बनाने के लिये और मिस्टर पोस्थ्युमा की सलाह के अनुसार आवश्यक आंकड़े इकट्ठा करने के लिये व्यवस्था की जा रही है। यू० एन० टी० ए० बोर्ड के जरिये इस वर्ष एक जलविज्ञान विशेषज्ञ, नदी के पात्र को गहरा करने की प्रणाली के एक विशेषज्ञ की सेवायें प्राप्त करने का विचार है। इनमें पहला विशेषज्ञ सहायक पत्तन की स्थापना के बारे में हुगली मुहाने पर ज्वार भाटे का अध्ययन करेगा। दूसरा विशेषज्ञ हुगली नदी के पात्र को गहरा करने संबंधी समस्याओं के बारे में, जिनमें आकलैंड बार और ब्यूमान्ट्स गट को २–४ फीट खोदकर गहरा करने की संभावना शामिल है, कलकत्ता के पत्तन कमिश्नरों को सलाह देगा और इन्हें गहरा करने की सर्वोत्तम विधि भी बतायेगा।

तुगलकाबाद-साहिबाबाद रेलवे लाइन

†१४९२. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या **रेलवे** मंत्री २८ मार्च, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या २४०९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तुगलकाबाद-साहिबाबाद लाइन के अन्तिम स्थिति सर्वेक्षण प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) अनुमोदित अन्तिम सर्वेक्षण का व्योरा क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी, हां।

(ख) और (ग). यमुना नदी पर दूसरे पुल के निर्माण संबंधी ब्यौरे को अन्तिम रूप प्रदान होने के समय तक के लिये ३.५१ करोड़ रुपयों की प्राक्कलित लागत पर गाजियाबाद-साहिबाबाद रेल सम्पर्क के, जिसमें पुल भी शामिल है, निर्माण के लिये मंजूरी दे दी गयी है। आवश्यक भूमि को प्राप्त करने के लिये चालू बजट में २.२५ लाख रुपयों का उपबन्ध कर दिया गया है।

रेलवे स्टेशन पर पानी के नल

†**१४९३. श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **रेलवे** मंत्री ६ अप्रैल, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या २७१० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर रेलवे के बीकानेर डिवीजन के भिवानी और चरखी दादरी रेलवे स्टेशनों पर पानी के नलों की व्यवस्था कराने के लिये क्या कार्यवाही की गयी या की जाने वाली है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां):** भिवानी और चरखी दादरी रेलवे स्टेशनों पर तब से नल तो लगा दिये गये हैं लेकिन इन नलों से अभी छने हुये पानी का संभरण आरम्भ करना संभव नहीं हुआ है।

---

†मूल अंग्रेजी में

बड़े स्टेशनों पर लॉकर

†**१४९४. श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री २४ फरवरी, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ६०३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े स्टेशनों पर उपयुक्त लाकरों की व्यवस्था की योजना को इस बीच अन्तिम रूप प्रदान कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) योजना की आधारभूत बातों को तो अन्तिम रूप प्रदान कर लिया गया है लेकिन कुछ और ब्यौरे को अन्तिम रूप देने और लाकरों की व्यवस्था होने तक के लिये इस योजना का क्रियान्वियन रुका हुआ है।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है जिसमें मोटे तौर पर इस योजना का ब्यौरा दे दिया गया है।

विवरण

१. आरम्भ में कुछ बड़े स्टेशनों पर तीस सेफ डिपाजिट लाकरों का प्रबन्ध किया जायेगा।

२. एक लाकर कैबिन में १२ इंच ऊंचे, ३६ इंच चौड़े और १७ इंच गहरे ६–६ लाकर होंगे और इनमें से प्रत्येक में एक छोटा सूट केस रखा जा सकेगा।

३. प्रत्येक लाकर में भीतर की ओर एक ताला लगा रहेगा और बाहर से दो ताले (पैड-लौक) लगाने के लिये कुन्दे लगे रहेंगे। लाकर की चाबी यात्री को दे दी जायगी और वह बाहर से अपना एक ताला और भी लगा सकेगा। इसके अलावा एक ताला रेलवे का लगाया जायगा।

४. यह लाकर केवल रेलवे यात्रियों को ही उपलब्ध हो सकेंगे।

५. लाकरों के इस्तेमाल के लिये न्यूनतम १ रुपया शुल्क के अधीन रहते हुये ५० नये पैसे प्रति लाकर का प्रतिदिन का शुल्क वसूल करने का प्रस्ताव है। प्रयोगकर्त्ता से ५ रुपये जमा करा लिये जायेंगे और यह रकम लाकर खाली कर पूरे प्रभारों का भुगतान हो जाने के बाद लौटा दी जायगी।

६. किसी भी लाकर का उपयोग अधिक से अधिक एक सप्ताह तक किया जा सकेगा।

बीकानेर डिवीजन में टेलीफोन सम्बन्धी सुविधायें

†**१४९५. श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री २४ फरवरी, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७३७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के बीकानेर डिवीजन के रेलवे स्टेशनों पर टेलीफोन संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था के लिये चालू वर्ष में क्या कार्यवाही की गयी और की जाने वाली है ;

(ख) क्या इस वर्ष में अब तक किसी स्टेशन पर टेलीफोन संबंधी सुविधाओं की वास्तव में व्यवस्था की भी गयी है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो उन स्टेशनों के नाम क्या हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जिन स्थानों पर डाक तथा तार विभाग के एक्सचेंज मौजूद हैं उन सभी के स्टेशनों पर टेलीफोन संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये कार्यवाही की गयी है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) भद्रा, चरखी दादरी, रामन, संगड़िया और सिवसा स्टेशनों पर डाक तथा तार विभाग के टेलीफोन लग गये हैं और रत्नगढ़ स्टेशन पर भी एक टेलीफोन शीघ्र ही लग जायेगा ।

ईंधन उपभोग समिति

†१४९६. { **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **रेलवे** मंत्री २३ अप्रैल, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या २०२० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईंधन उपभोग समिति के प्रतिवेदन पर पूरी तरह विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, हां ।

(ख) प्रत्येक कार्यवाही पर की गयी अथवा की जाने वाली कार्यवाही का एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २६**]

जनांकिकीय अध्ययनों[1] के लिये मंत्रणा समिति

†१४९७. { **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १ अप्रैल, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १६०५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जनांकिकीय अध्ययनों संबंधी जो मंत्रणा समिति सरकार ने नियुक्त की थी क्या उसकी कोई बैठक हुई है ;

(ख) उसकी सलाह जानने के लिये सरकार ने कौन कौन से विषय उसके सुपुर्द किये थे ; और

(ग) उसने किस प्रकार की सिफारिशें की हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हां ।

(ख) १. मौजूदा जनांकिकीय केन्द्र में चलने वाले अनुसंधान कार्यक्रम की समीक्षा करना ;

---

†मूल अंग्रेजी में
[1]Demographic Studies

२. चुने हुये विश्वविद्यालयों में जनांकिकीयविज्ञान के बारे में विस्तार भाषणों की व्यवस्था करना ;

३. नयी दिल्ली के इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक ओपिनियन द्वारा एक प्रयोगात्मक सर्वेक्षण के प्रस्तावों पर विचार करना ;

४. मद्रास के इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पापुलेशन स्टडीज़ द्वारा मद्रास शहर के जनांकिकीय सर्वेक्षण के प्रस्तावों पर विचार करना ;

५. संयुक्त राष्ट्र संघ के जन संख्या आयोग के १०वें अधिवेशन के प्रतिवेदन पर विचार करना ।

(ग) १. समिति ने जनांकिकीय संबंधी मौजूदा अनुसंधान कार्यक्रम की समीक्षा करके यह सिफारिश की कि अगले ४–५ वर्षों में आरम्भ किये जाने योग्य ब्योरेवार अनुसंधान तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम इस प्रयोजन द्वारा विशेषरूप से नियुक्त की गयी समिति नवम्बर, १९५९ में किसी समय बम्बई में होने वाली अगली बैठक में विचार के लिये, तैयार करे ;

२. समिति ने चुने हुये विश्वविद्यालयों में विस्तार भाषणों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया और यह सिफारिश की है कि अगली बैठक में इसके ब्यौरे के बारे में चर्चा करली जाये ;

३. समिति ने यह सिफारिश की है कि नयी दिल्ली के इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक ओपिनियन द्वारा एक प्रयोगात्मक सर्वेक्षण के इस प्रस्ताव पर इस प्रयोजन के लिये बनायी गयी उप समिति द्वारा और भी विचार किया जाये ;

४. समिति मे सिफारिश की है कि मद्रास के इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पापुलेशन स्टडीज़ द्वारा मद्रास शहर के जनांकिकीय सर्वेक्षण के प्रस्ताव, और जन संख्या आयोग की आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् की फरवरी, १९५९ में जेनेवा में हुई बैठक के प्रतिवेदन पर बम्बई में होने वाली अगली बैठक में ब्यौरे-वार विचार किया जाये ;

५. समिति ने यह भी सिफारिश की है कि निम्नलिखित अध्ययन तत्काल आरम्भ किये जा सकते हैं :—

(क) परिवार नियोजन के प्रति लोगों के रूख के बारे में जानकारी का संग्रह जो शिक्षा-कार्यक्रम में तत्काल काम आ सकता है और आगे चल कर परिवार आयोजन कार्यक्रम द्वारा इस रूख में हुये परिवर्तन का मूल्यांकन करने में काम आ सकता है ।

(ख) उर्वरता को प्रभावित करने वाली सामाजिक आर्थिक बातों का अध्ययन जिनके फलस्वरूप ऐसी उपयुक्त सामाजिक कार्यवाही की जा सकती है जिससे पैदा होने वाले बच्चों की संख्या घटायी जा सके ।

(ग) जिन क्षेत्रों में परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया जा रहा हो उनमें पैदा होने वाले बच्चों की संख्या पर उस कार्यक्रम के प्रभाव का अध्ययन करना ।

(घ) परिवार नियोजन करने वाले लोगों के कार्डों पर दर्ज आंकड़ों का विश्लेषण, परिवार-नियोजन केन्द्रों में आने वाले लोगों की महत्वपूर्ण विशेषताओं और विभिन्न गर्भनिरोधकों की उपादेयता का अध्ययन करना ।

(ङ) परिवार नियोजन केन्द्रों के कार्य का मूल्यांकन करना।

स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीनस्थ अस्पताल

†१४९८. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रशासित अस्पतालों के लिये गैर-सरकारी मंत्रणा समिति बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति का क्षेत्र और मुख्य कृत्य क्या होंगे ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हां।

(ख) यह बात अभी विचाराधीन है।

चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य सुविधायें

†१४९९. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में मौजूदा चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य सुविधायें देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पूर्णतः अपर्याप्त हैं ; और

(ख) यदि हां, तो चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिये क्या कार्यवाही की गयी या की जाने वाली है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) मौजूदा चिकित्सा तथा लोक-स्वास्थ्य सुविधायें देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये बिल्कुल अपर्याप्त नहीं हैं।

(ख) देश का भावी स्वास्थ्य कार्यक्रम तैयार करने के लिये सरकार ने डा० ए० एल० मुदालियार की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है।

बम्बई राज्य में तपेदिक के मरीजों की पृथक शैयायें

†१५००. **श्री पांगरकर**: क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि तपेदिक के मरीजों के लिये पृथक शैयाओं की स्थापना के निमित्त बम्बई सरकार ने वित्तीय सहायता के लिये आवेदन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो १९५९–६० के लिये कितनी राशि मंजूर की गयी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) बम्बई सरकार ने १९५९–६० में तपेदिक के मरीजों के लिये बम्बई राज्य में २०० पृथक शैयाओं की स्थापना का प्रस्ताव रखा था और उस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया है।

(ख) अभी तक कुछ भी राशि मंजूर नहीं की गयी है। अनावर्तक व्यय का पचास प्रतिशत भाग, तो १,२५० रुपये प्रति शैया के अधिकतम व्यय तक समिति है, सहायता अनुदान के रूप में राज्य सरकार को देय है और इसे उन्हें दिये गये अर्थोपाय पेशगियों में से समायोजित कर दिया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिन्द महासागर में बवंडर

†१५०१. { श्री रघुनाथ सिंह :
श्री आसर :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, १९५९ के तीसरे सप्ताह में हिन्द महासागर में एक बवंडर[1] में चार पोत गुम हो गये थे ;

(ख) क्या कोई भारतीय पोत इस बवंडर से प्रभावित हुआ था ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या हश्र हुआ ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) से (ग). यह सूचना आई है कि १९ मई, १९५९ से २२ मई, १९५९ तक भारत के पश्चिमी तट से लगभग २००–२५० मील दूर एक बवंडर अरब सागर पर से होकर गुजरा था । इस बवंडर में ३ पालदार पोत, अर्थात् 'गंगा प्रसाद', 'दरिया बहादुर' और 'भवानी प्रसाद' गुम हो गये थे लेकिन इस दुर्घटना में किसी व्यक्ति की जान नहीं गयी थी ।

यह और भी सूचना आई है कि वर्ष के इस काल में मानसून के साथ-साथ आमतौर पर जो आंधी-तूफानों का मौसम रहता है उसमें मई १९५९ के अन्त में ६ और पालदार पोत, अर्थात्, 'महादेव प्रसाद', 'प्रेम सागर', 'चन्द्र भागा', 'इस्लामी', 'लक्ष्मी प्रसाद' और 'नरसी प्रसाद', खो गये हैं । इन दुर्घटनाओं के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप भी किसी व्यक्ति की जान नहीं गयी ।

इन्दौर में सड़क परिवहन सम्बन्धी सम्मेलन

†१५०२. **श्री विद्या चरण शुक्ल** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री जनवरी, १९५९ में इंदौर में हुये सड़क परिवहन संबंधी सम्मेलन के विषय के १७ मार्च १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०३७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या उन सिफारिशों के संबंध में, जिनका केन्द्रीय सरकार से सबंध है, कार्यवाही आरम्भ कर दी गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां ।

(ख) अपेक्षित जानकारी का एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २७]**

उड़ीसा में पर्यटन

†१५०३. **श्री पाणिग्रही** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में पर्यटन के विकास के कार्यक्रम के भाग २ में शामिल की गयी योजनायें पूरी हो गयी हैं ; और

†मूल अंग्रेजी में
[1]Cyclone.

(ख) यदि हां, तो अब तक पूरी हो चुकी योजनाओं के नाम क्या हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख) उड़ीसा में पर्यटन के विकास के कार्यक्रम के भाग २ में शामिल की गयी एक भी योजना अभी पूरी नहीं हुई है। पुरी में अल्प-आय वर्ग के विश्राम गृह का निर्माण अभी चल रहा है और ३१ मार्च, १९६० तक पूरा हो जायगा। सरकार को भुवनेश्वर में अल्प-आय वर्ग के विश्राम गृह का निर्माण १९६०-६१ के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है। जहां तक चिल्का झील के विकसित करने का प्रश्न है, सरकार वहां एक विश्राम-गृह का निर्माण करने के लिये एक नया स्थान चुन रही है।

उड़ीसा के गांवों में बिजली लगाना

†**१५०४. श्री पाणिग्रही** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा के चुने हुये गांवों में बिजली लगाने की १९५९-६० की योजनाओं के बारे में कोई केन्द्रीय सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो ये योजनायें कौन सी हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, हां।

(ख) इन योजनाओं से १८६ लाख रुपयों की लागत से १२ जिलों में फैले हुये १४६ छोटे नगरों और गांवों में बिजली लगाने की परिकल्पना की गयी है और इनके व्योरे का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २८]**

कटक स्टेशन के निकट ऊपरी पुल

†**१५०५. श्री पाणिग्रही** : क्या **रेलवे** मंत्री १७ फरवरी, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५३४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटक स्टेशन के निकट ऊपरी पुल के निर्माण के प्रस्ताव पर विचार पूरा कर लिया गया है ;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने अपना परिवर्तित प्रस्ताव दे दिया है ; और

(ग) निर्माण कार्य कब तक आरम्भ होने की आशा है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) से (ग). जी नहीं। योजना अब भी उसी स्थिति में है। उड़ीसा सरकार ने अभी तक यह नहीं बताया है कि वह नगर को राष्ट्रीय राजपथ संख्या ५ से मिलाने के लिये सड़क का ऊपरी पुल बनाने की योजना को किस प्रकार विकसित करेगी।

टूंडला के इंटर मीडियेट कालेज में प्रशिक्षित स्नातक

†**१५०६.** { **श्री तंगामणि :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जगदीश अवस्थी : }

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टूंडला के रेलवे इंटरमीडियेट कालेज के माध्यमिक वर्गों को पढ़ाने वाले प्रशिक्षित स्नातकों को १२०-३०० रुपयों का ग्रेड नहीं दिया जा रहा है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) ऐसे १३ अध्यापकों में से केवल ३ १२०—३०० रुपयों के ग्रेड में नहीं हैं।

(ख) जो तीन अध्यापक १२०—३०० रुपयों के ग्रेड में नहीं हैं, उनमें से २ ड्राइंग टीचर हैं और ड्राइंग टीचरों का निर्धारित वेतन-क्रम, यदि वे केवल माध्यमिक वर्गों को ही पढ़ाते हों तो, ८०—२२० रुपये का है। हां, तो तीसरा अध्यापक है वह सामान्य अध्यापक तो है और उसे व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित स्नातक होने की अर्हता भी प्राप्त है। लेकिन जिस समय उसे भर्ती किया गया था उस समय केवल इंटर पास व्यक्ति की आवश्यकता थी और ऐसे ही व्यक्ति के लिये विज्ञापन किया गया था। ऐसी स्थिति में उसे निचला वेतन-क्रम ही दिया गया।

रेलवे हाई स्कूलों में अध्यापकों की वेतन श्रेणियां

†१५०७. **श्री तंगामणि :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जगदीश अवस्थी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोरखपुर में रेलवे हाई स्कूलों के मिडिल सेक्शन में अध्यापकों को १००—२५० रुपये की वेतन श्रेणी स्वीकृत की गई है ;

(ख) क्या टूंडला के उत्तर रेलवे इंटर कालिज के मिडिल सेक्शन में अध्यापक उसी वेतन श्रेणी में नहीं रखे जाते ; और

(ग) यदि हां, तो इस भेद-भाव के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां। एक अध्यापक को छोड़ कर जो कि प्रशिक्षित स्नातक नहीं है।

(ख) और (ग). प्रशिक्षित स्नातकों को उसी अथवा उच्च श्रेणी में रखा गया है। तथापि तीन ऐसे प्रशिक्षित स्नातक हैं जो कि निम्न श्रेणी में हैं। इनके कारण अतारांकित प्रश्न संख्या १५०६ के उत्तर में बता दिये गये हैं।

आस्ट्रेलिया में रेलवे पद्धति के अध्ययन के लिये विशेषज्ञों का दौरा

†१५०८. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री आसर :
श्री सै० अ० मेहदी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन भारतीय विशेषज्ञों ने कोई प्रतिवेदन दिया है जिन्होंने आस्ट्रेलिया की रेलवे पद्धति का गहन अध्ययन करने के लिये हाल ही में आस्ट्रेलिया का दौरा किया था ; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय रेलवे के विकास के लिये उसमें की गयी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) और (ख). इमारती लकड़ी के स्लीपरों के उत्पादन का अध्ययन करने और आस्ट्रेलिया वन विभाग के अधिकारियों से मिलने के लिये एक रेलवे शिष्टमंडल ने आस्ट्रेलिया का दौरा किया था। उसने आस्ट्रेलिया में सामग्री का उत्पादन करने वाले कारखानों को भी देखा। उसने जो प्रतिवेदन दिया है, उस पर ध्यान दिया जा रहा है।

चीनी की उचित मूल्य वाली दूकानें

१५०६. { **श्री वाजपेयी :**
श्री साधू राम : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी के मूल्य नियंत्रण के लिये अब तक कितने राज्यों में चीनी के वितरण के हेतु उचित मूल्य वानी दूकानें खोली गयी हैं ;

(ख) प्रत्येक राज्य में कितनी दूकानें हैं ; और

(ग) प्रत्येक राज्य को कितनी चीनी दी गयी है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) सात।

(ख) जहां तक भारत सरकार को ज्ञात है चीनी की बिक्री के लिये जो उचित मूल्य की दुकानें खोली गई हैं उनकी संख्या निम्न लिखित है :—

उत्तर प्रदेश	१३४६	
पंजाब	१८६२	
असम	१७४	
मद्रास .	१६२०	} दक्षिण भारतीय चीनी मिल्स एसोसियेशन द्वारा खोली गई।
केरल . . .	७६५	
आंध्र प्रदेश (हैदराबाद और सिकन्दराबाद नगर) . .	६६	निजाम चीनी मिल्स द्वारा खोली गई।
मैसूर (बैंगलोर और मैसूर नगर)	७०	मैसूर सूगर कं० के द्वारा खोली गई।

(ग) २७ जुलाई, १९५९ को किये गये वितरण में से उत्तर प्रदेश, पंजाब, और असम को निम्न लिखित मात्रा में चीनी का वण्टन किया गया :—

	टन
उत्तर प्रदेश . .	२५,०००
पंजाब	१२,०००
असम . . .	५,०००

उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार की चीनी मिलों से मद्रास, आंध्र प्रदेश, मैसूर और केरल राज्यों को चीनी का वण्टन नहीं किया गया क्योंकि यह सब राज्य मिलकर एक क्षेत्र बनाते हैं जो चीनी के लिये प्रायः आत्मनिर्भर हैं।

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में पानी का इकट्ठा हो जाना

१५१०. श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब में गत वर्ष की वर्षा के रुके हुये पानी को निकालने के लिये केन्द्रीय सरकार ने कुल कितना अनुदान दिया है ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन राज्य सरकारों को कोई अनुदान नहीं दिये जाते । जमीन की सतह से पानी की निकासी के सुधार संबंधी कार्यों समेत स्वीकृत बाढ़ नियंत्रण योजनाओं पर खर्चे के लिये ऋण दिये जाते हैं । १९५८–५९ में पंजाब सरकार को १३० लाख रुपये का ऋण मंजूर किया गया था और चालू वित्त वर्ष के लिये ९८ लाख रुपये की राशि नियत की गई है ।

पालेजा बोगी

†**१५११. श्री झूलन सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'पालेजा बोगी' नामक एक डिब्बा मशरक होती हुई मावन से पालेजा घाट जाने वाली सायंकालीन रेलगाड़ी में लगाया जाता था ;

(ख) क्या यह सच है कि इन लाइनों पर यात्रियों को दी जाने वाली यह सुविधा हटा ली गई है ; और

(ग) यदि हां; तो यह सुविधा कब से हटायी गयी है और इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी, हां । तृतीय श्रेणी का एक डिब्बा ।

(ख) जी, हां ।

(ग) १–७–५८ से । जनता द्वारा सहयोग न दिये जाने के कारण । इस डिब्बे में ६४ व्यक्तियों के स्थान में से औसतन केवल १८ व्यक्ति सीधे डब्बे में अपनी सीटें बुक कराते थे ।

कोचीन बन्दरगाह में हड़ताल

१५१२. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बतानेकी कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में आंदोलन के समय कोचीन पत्तन में कितने गोदी, पत्तन अथवा बन्दरगाह कर्मचारियों तथा श्रमिकों ने हड़ताल की ; और

(ख) जहाजों पर माल लादने और उतारने के काम के तथा अन्य काम के रुक जाने के फलस्वरूप कितनी हानि हुई ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) १२ व २९ जून और २४ जुलाई, १९५९ को क्रमशः लगभग ६३०,९०० और १००० कर्मचारियों तथा मजदूरों ने हड़ताल की ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) लगभग ५२०७८ रुपये । इसमें से ५२,००० रुपयों का नुकसान जहाजों के पत्तन में बेकार खड़े रहने के कारण हुआ । बाकी ७८ रुपये पत्तन प्रशासन को उन कर्मचारियों को देने पड़े जो इस दौरान हाजिरी पर आते रहे और जिनको इस हड़ताल की वजह से काम नहीं दिया जा सका ।

कोजिकोडे में रेलवे डाक सेवा कार्यालय

†१५१३. { **श्री तंगामणि :**
श्री अ० क० गोपालन : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोजिकोडे में एक रेलवे डाक सेवा कार्यालय स्थापित करने के कार्य में कहां तक प्रगति हुई है?

†**परिवहन तथा संचार और खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)**: इस प्रस्ताव पर मद्रास के पोस्टमास्टर जनरल द्वारा विचार किया गया था । बाद में इसे त्याग दिया गया क्यों कि यह देखा गया कि न तो कोजिकोडे में इतनी अधिक डाक जमा होती थी कि जिसके लिये वहां पर एक रेलवे डाक सेवा कार्यालय खोला जाये और न ही इससे डाक की शीघ्र डिलीवरी और देर की पोस्टिंग के विषय में कोई लाभ हो सकता था ।

वन

†१५१४. { **पंडित मुनिश्वर दत्त उपाध्याय :**
श्री म० ला० द्विवेदी : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार वनों का कुल कितना क्षेत्र है और क्या यह राष्ट्र की आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त है ; और

(ख) क्या सरकार ने रेलवे लाइनों और नहरों के आस पास पड़ी बेकार भूमि में वृक्ष लगाने की संभावना पर विचार किया है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें १९५५–५६ में वनों के अधीन राज्यवार क्षेत्र बतलाया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २९]** बाकी वर्षों के लिये जानकारी उपलब्ध नहीं है । यह क्षेत्र राष्ट्र की आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कुल भूमि क्षेत्र के एक तिहाई में वन होने चाहियें जबकि इस समय यह केवल २२ प्रतिशत है ।

(ख) जी हां । राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वृक्ष लगाने का परामर्श दिया गया है । वृक्ष लगाने के लिये रेलवे मंत्रालय ने रेलवे लाइनों, स्टेशन यार्डों आदि के साथ साथ पड़ी भूमि को देने के लिये प्रस्ताव किया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दक्षिण-पूर्व रेलवे में कन्ट्रोल क्लर्क

†१५१५. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण-पूर्व रेलवे में कन्ट्रोल क्लर्कों को "न्यूडील" के अधीन उच्च श्रेणी में जाने की सुविधाओं से वंचित रखा गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का कन्ट्रोल क्लर्कों को उच्च श्रेणी में जाने और पदोन्नति की सुविधायें देने के लिये उनको अन्य लिपिक कर्मचारियों के साथ मिलाने का प्रस्ताव है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां ।

(ख) दक्षिण-पूर्व रेलवे द्वारा कन्ट्रोल क्लर्कों को क्रमोन्नति आदेशों के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं समझा गया ।

(ग) जी हां । इसके बारे में आदेश जारी किये जा चुके हैं ।

आयुर्वेद में अनुसंधान

१५१६. **श्री नरदेव स्नातक** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५७–५८, १६५८–५६ और १६५६–६० में अब तक आयुर्वेद में अनुसंधान करने के लिये सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं को केन्द्रीय सरकार ने कितनी वित्तीय सहायता दी है ;

(ख) क्या सरकार केन्द्रीय देशी चिकित्सा प्रणाली अनुसंधान संस्था, जामनगर के अतिरिक्त और आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थायें स्थापित करना चाहती है; और

(ग) यदि हां, तो स्थापित की जाने वाली संस्थाओं के नाम क्या हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) १६५७–५८, १६५८–५६ और १६५६–६० में अब तक आयुर्वेद में अनुसंधान करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं को दी गई वित्तीय सहायता की राशि का एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है ।

विवरण

१६५७–५८	रु० ६,५६,३००
१६५८–५६	रु० ५,६७,३४५
१६५६–६० (अब तक)	रु० २,१६,०७५

इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्य सरकारों को उनके अनुसंधान कार्यक्रमों तथा स्वदेशी दवा पद्धति की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं उन्नयन पर हुए खर्च की पूर्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के अंशदान के रूप में २०·५५ लाख की एक राशि बांटी गई । राज्य सरकारों ने उस पूंजी में से अनुसंधान पर ठीक कितना खर्च किया, यह मालूम नहीं ।

(ख) ऐसा कोई विचार नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

डाक घरों में चेक प्रणाली

†१५१७. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में अब तक कुल कितने डाक घरों में चेक प्रणाली लागू की गयी है, और

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बाकी अवधि में कितने डाकघरों में चेक प्रणाली लागू की जावेगी ?

†**परिवहन तथा संचार और खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) :** (क) १५–७–५९ में १६६ डाकघरों में।

(ख) चालू वर्ष के अन्त तक ४५८ और डाक घरों में इस प्रणाली को लागू करने का इरादा है । इस से उस राज्य में सब विभागीय बड़े डाक घरों और उप-डाक घरों में यह सुविधा लागू किये जाने की व्यवस्था पूरी हो जायेगी ।

खाद्यान्नों का क्रय

†१५१८. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खाद्यान्न का भंडार बनाने के लिये इस वर्ष राज्य व्यापार द्वारा अब तक कितना चावल और धान प्राप्त किया गया है ;

(ख) राज्य व्यापार द्वारा वर्ष के बाकी भाग में सरकार कितना खाद्यान्न प्राप्त करेगी; और

(ग) उत्पादक को दिये गये और उपभोक्ता से वसूल किये गये चावल के मूल्यों में क्या अन्तर है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) नवम्बर–दिसम्बर, १९५८ में फसल काटने के समय से केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा अगस्त के मध्य तक कुल लगभग १०.२० लाख टन चावल और ३.४२ लाख टन धान खरीदा गया है ।

(ख) सरकारी क्रय मूल्यों पर जो भी खाद्यान्न उपलब्ध होगा, वह खरीदा जावेगा ।

(ग) उत्पादक सामान्यतः धान बेचते हैं ; चावल नहीं । सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में किसानों और व्यापारियों से चावल की खरीद के लिये सरकारी क्रय मूल्य दिये गये हैं । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३०**] सभा-पटल पर एक और विवरण रखा जाता है जिस में खुदरा व्यापारियों और राज्य सरकारों से वसूल किये जाने वाले चावल के लिये केन्द्रीय सरकारी विक्रय मूल्य दिये गये हैं । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३०**] खुदरा व्यापारियों द्वारा उपभोक्ताओं से वसूल किये जाने वाले मूल्य हर क्षेत्र में भिन्न भिन्न हैं और वे सरकार के विक्रय मूल्य, हस्तन तथा परिवहन लागत और खुदरा व्यापारी के कमीशन पर आधारित होते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गाड़ियों का रोका जाना

१५१९. श्री अनिरुद्ध सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह मालूम है कि दरभंगा और रसड़ा घाट की ओर जाने वाली और समस्तीपुर जाने वाली लगभग सारी सवारी गाड़ियां आउटर सिगनल पर रोकी जाती हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) एक बयान नीचे दिया गया है :—

महीना	दरभंगा से रसड़ा घाट की ओर से समस्तीपुर आने वाली गाड़ियों की कुल तादाद	बाहरी सिगनलों पर रोकी गई गाड़ियों की कुल तादाद	प्रतिशत
अप्रैल, ५९ .	३६०	४८	१३.३
मई, ५९ .	३७२	४२	११.३
जून, ५९	३६०	३३	९.२
जुलाई, ५९ .	३७२	३१	८.३

ऊपर के आंकड़ों से पता चलता है कि बाहरी सिगनलों पर जो गाड़ियां रोकी गयीं, उनका प्रतिशत बहुत थोड़ा है । असल में बाहरी सिगनल पर रुकने वाली गाड़ियों की तादाद बराबर घट रही है ।

(ख) समस्तीपुर यार्ड में परिवर्तन के कारण अन्तर्पाश व्यवस्था के बिगड़ जाने और आदान लाइनों को खाली करने में देर होने के कारण गाड़ियों को बाहरी सिगनल पर रोकना पड़ा । अब समस्तीपुर यार्ड की अन्तर्पाश व्यवस्था पहले से सुधर गयी है जैसा कि ऊपर दिये गये आंकड़ों से प्रकट होता है ।

गेहूं की खरीद

१५२०. श्री अमर सिंह डामर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बाजार में नये गेहूं के आने के बाद से भारत सरकार ने अब तक कितना गेहूं खरीदा है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : भारत सरकार द्वारा गेहूं नहीं खरीदा गया है परन्तु कुल मिला कर लग भग २,००,००० टन गेहूं उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों की सरकार द्वारा खरीदा गया है ।

भविष्य निधि के मामले

†१५२१. **श्री सुबिमन घोष :** क्या रेलवे मंत्री १ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ३९७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्री महोदय के आश्वासन के अनुसार दिसम्बर, १९५८ के बाद से पूर्व रेलवे और उत्तर-पूव रेलवे में, ज़ोन-वार, भविष्य निधि के कितने मामले रेलवे कर्मचारियों के सेवा-निवृत होने के बाद दस दिन के भीतर-भीतर निपटा दिये गये हैं ;

(ख) पूर्व रेलवे और उत्तर-पूर्व रेलवे में इस समय छः महीने अथवा इस से अधिक से कितने मामले लम्बित हैं ;

(ग) इन दो ज़ोनों में से प्रत्येक में ऐसे मामले अधिकतम कितने समय से लम्बित हैं ; और

(घ) उचित अवधि में मामलों के निपटारे में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) १-१२-५८ से ३०-६-५९ तक सेवा-निवृत हुए रेलवे कर्मचारियों में से ऐसे व्यक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है जिनको सेवा-निवृति से दस दिन के भीतर देय का भुगतान कर दिया गया :

पूर्व रेलवे	३६९	
उत्तर-पूर्व रेलवे	१	
(ख) पूर्व रेलवे	१८८	३० जून,
उत्तर-पूर्व रेलवे	३०५	१९५९ को
(ग) पूर्व रेलवे	७ वर्ष	
उत्तर-पूर्व रेलवे	१२ वर्ष	

(घ) सेवा निवृति के १० दिन के भीतर भुगतान करने के अनुभव पर रेलवे पूरी तरह से ध्यान नहीं दे सकी है क्योंकि बकाया अभी भी है और ज्यादातर मामले पुराने हैं। जब पुराने मामले निपट जायेंगे, तो रेलवे चालू मामलों में अधिक शीघ्र भुगतान कर सकेगी।

आन्ध्र प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं के लिये इस्पात

†१५२२. **श्री रामी रेड्डी :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री २० मार्च, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या २२५५ क उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में उस सिंचाई परियोजना के पूरा हो जाने पर, जिस पर इस्पात के अभाव के कारण कार्य रुक गया है, कितने और एकड़ भूमि में सिंचाई हो सकेगी; और

(ख) परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर कितना और खाद्यान्न उत्पन्न किया जायगा ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने बताया है कि यदि उसकी कुछ सिंचाई परियोजनाओं पर इस्पात के अभाव के कारण कार्य न रुका तो १,२६,१८० एकड़ और भूमि में सिंचाई की जा सकेगी। उसने यह भी बताया है कि यदि ये परियोजनायें पूरी हो जायें, तो लगभग ६७,११६ टन खाद्यान्न का उत्पादन किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

माल डिब्बों का अभाव

†१५२३. **श्री रामी रेड्डी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के जिलों से केरल को चावल भेजने के लिये माल-डिब्बों की कमी थी ;

(ख) क्या माल-डिब्बों के समय पर न दिये जाने के फलस्वरूप कोई चावल खराब हो गया था ; और

(ग) यदि हां, तो कितना चावल खराब हुआ ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) माल-डिब्बों की कोई कमी नहीं थी । तथापि जलारपट जंक्शन के पश्चिम के क्षेत्रों के लिये यातायात के बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण मई और जून, १९५९ में मांग को तत्काल पूरा करने में कुछ विलम्ब अवश्य हो गया था ।

(ख) माल डिब्बों के समय पर न दिये जाने के फलस्वरूप चावल के खराब होने के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत् बोर्ड

†१५२४. **श्री रामी रेड्डी :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत् बोर्ड का वार्षिक सत्र (अनुसंधान) जुलाई, १९५९ में हैदराबाद में हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में किन विषयों पर विचार हुआ ;

(ग) उन पर क्या फैसला किया गया ; और

(घ) क्या किसी फैसले को कार्यान्वित किया गया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) से (घ) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३१]**

मनीपुर में मत्स्य पालन सहकारी समितियां

†१५२५. **श्री ले० अचौ सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष में मनीपुर में मत्स्य-पालन सहकारी समितियों को कोई ऋण दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक समिति को इस वर्ष तक कितना ऋण दिया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) और (ख). मनीपुर राज्य सहकारी बैंक ने किंगीथीबखोंग सेनापति लोंगजु फिशिंग को-आपरेटिव सोसायटी लिमिटिड को ३०,००० रुपये का ऋण मंजूर किया है । क्योंकि कुछ आवश्यक औपचारिकतायें पूरी होनी हैं, अतः यह धन राशि समिति को अभी तक नहीं दी गयी है ।

†मूल अंग्रेजी में

मनीपुर में पर्यटन का विकास

†१५२६. श्री ले० अचौ सिंह : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) मनीपुर में पर्यटन का विकास करने के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो २.२२ लाख रुपये की व्यवस्था की गयी थी, क्या उस धन राशि का उपयोग कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कौन सी योजनायें पूरी की गयी हैं ; और

(ग) पर्यटकों के लिये लोकटाक झील का विकास करने की योजना का क्या व्यौरा है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) मनीपुर प्रशासन का थांगा (लोक्टाक झील) में एक डाक बंगला बनाने का प्रस्ताव है ।

बीकानेर से आने वाली कर्मचारी गाड़ी

१५२७. श्री प० ला० बारूपाल : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीकानेर रेलवे वर्कशाप में कर्मचारियों को ले जाने और लाने वाली गाड़ी से प्रतिदिन कितने दिन सफर करते हैं;

(ख) उक्त कर्मचारी गाड़ी का प्रतिदिन का खर्चा कितना पड़ता है ;

(ग) क्या यह सच है कि प्रातः काल के समय बीकानेर स्टेशन पर जोधपुर, रतनगढ़ तथा भटिण्डा की ओर से गाड़ियों के आने के कारण कर्मचारियों को वर्कशाप ले जाने वाली कर्मचारी गाड़ी लाइन साफ़ न होने के कारण कई बार देर से आती है ; और

(घ) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) दोनों दिशाओं में हर ओर से लगभग ७५० ।

(ख) १९५७–५८ में एक सवारी गाड़ी को एक मील चलाने में जो लागत आयी थी उसके आधार पर बीकानेर और लालगढ़ के बीच कर्मचारियों की दोनों गाड़ियों (एक अप और एक डाउन) के परिचालन की लागत ६१ रुपये ८ आने आती है ।

(ग) १९५९ में अप्रैल और जुलाई के बीच यह गाड़ी बीकानेर से सब दिन ठीक समय पर चली । केवल १५ और १९ जून को गाड़ी क्रमशः ५ और १० मिनट देर से छूटी, जिस के कारण इस प्रकार हैं :—

(१) सड़क पर यातायात जारी था इसलिए १५–६–५९ को फाटक का चौकीदार फाटक को समय पर बन्द न कर सका ।

(२) १९–६–५९ को बीकानेर से २ बी० बी० आर० सवारी गाड़ी ले जाने के लिए एक खाली इंजन से मेल होने वाला था । यह इंजन बीकानेर से बाहरी सिगनल पर रोक दिया गया था क्योंकि फाटक-सिगनल का डिटैक्टर बिगड़ गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) इस गाड़ी को बीकानेर से ठीक समय पर चलाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है और आगे भी की जाती रहेगी।

सर्वदलीय संसदीय खाद्य समिति

†१५२८. **श्री मोहम्मद इलियास:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) सर्वदलीय संसदीय खाद्य समिति के बनने के बाद से इसकी कितनी बैठकें बुलायी गयी हैं ;

(ख) पिछली बैठक कब हुई थी ;

(ग) उस बैठक में किन बातों पर विचार किया गया ; और

(घ) क्या निर्णय किया गया ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) प्रधान मंत्री की अनौपचारिक सर्वदलीय खाद्य समिति की, इसके बनने के बाद से, ८ बैठकें की गयी हैं।

(ख) पिछली बैठक ८ जुलाई, १९५९ को हुई थी।

(ग) और (घ). यह मंत्रणा स्वरूप की अनौपचारिक समिति है जिस में समय-समय पर खाद्य स्थिति सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जाता है परन्तु, स्पष्ट कारणों से, कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया जाता।

खतरे की जंजीर

†१५२९. **श्री पहाड़िया :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेल के कुछ डिवीजनों में महिला डिब्बों को छोड़ कर यात्री गाड़ियों में खतरे की जंजीर खत्म कर दी गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां):** (क) जी, हां ; परन्तु केवल कुछ गाड़ियों में ही ऐसा किया गया है।

(ख) उन गाड़ियों में खतरे की जंजीरों के अत्याधिक अनधिकृत प्रयोग के फलस्वरूप गाड़ियों के चलने में ढील ढाल और यात्रियों की असुविधा को दूर करने के लिये ऐसा किया गया है।

त्रिपुरा में ग्राम विद्युतीकरण योजना

†१५३०. **श्री बांगशी ठाकुर :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में ग्राम विद्युतीकरण योजना के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) अब तक कौन-कौन से ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली लगाई जा चुकी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में, धर्म नगर, कैलाशहर, उदयपुर और तेलियामूरा का विद्युतीकरण किया जाना है। धर्म नगर और कैलाशहर में जनरेटिंग सेट लगाये जा चुके हैं और उदयपुर में एक जनरेटिंग सैट लगाया जा रहा है। तेलियामूरा के परियोजना प्रतिवेदन की केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग जांच कर रहा है। ट्रांसमिशन लाइनों पर भी कार्य अभी किया जाना है।

(ख) किसी में भी नहीं।

मद्रास और बम्बई एक्सप्रेस गाड़ियां

†१५३१. **श्री रामी रेड्डी** : क्या रेलवे मंत्री १ मई, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३८७६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मद्रास और बम्बई एक्सप्रेस गाड़ियों को मुदानूरु और कमालपुरम् स्टेशनों पर न ठहराने के लिये अपनाया गया वित्तीय आय का मापदण्ड देश की सभी रेलवेज में स्वीकार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त मापदण्ड के अपनाये जाने पर सब रेलवेज में (रेलवे-वार) कुल कितने स्टेशनों पर गाड़ियों का ठहराना बंद किया गया?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, नहीं। दक्षिण रेलवे द्वारा अपनाये गये इस मापदण्ड को अन्य रेलों द्वारा नहीं अपनाया गया है कि मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों को उन स्टेशनों पर नहीं ठहराया जाये जहां से १५० मील से अधिक दूर जाने वाले यात्रियों की संख्या प्रति दिन छ से कम हो। हां, ऐसे सब मामलों पर प्रत्येक मामले के गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाता है। विचार करते समय नीचे लिखी बातों को ध्यान में रखा जाता है ताकि प्राक्कलन समिति की सिफारिश के अनुसार लम्बी दूरी वाली गाड़ियों के अपने गंतव्य स्थानों पर पहुंचने के समय में यथासम्भव कमी की जा सके:

(१) क्या किसी स्टेशन पर १५० मील से अधिक की लम्बी यात्रा के लिये यातायात बहुत कम है।

(२) वाणिज्यिक दृष्टिकोण से सेक्शन के अन्य स्टेशनों से इसका तुलनात्मक महत्व।

(३) क्या किसी ऐसे स्टेशन पर जहां कि मेल और एक्सप्रेस गाड़ियां रुकती हैं, यातायात की आवश्यकता सेक्शन पर चलने वाली अन्य सामान्य यात्री गाड़ियों द्वारा पूरी की जा सकती है।

सामान्यतया ऐसे स्टेशनों पर गाड़ी का ठहराना रेलवे की जोनल टाइम टेबिल समिति की अनुमति लेने के बाद किया जाता है।

(ख) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें उन स्टेशनों का व्यौरा दिया गया है जिस पर १-४-५९ के बाद गाड़ियों का ठहरना बंद किया गया। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३२]**

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में पर्यटकों के लिये विश्रामालय

†१५३२. **श्री हेम राज** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९५६ से वर्षवार पंजाब सरकार को पर्यटकों के लिये विश्रामालय और निम्न आय–वर्ग मकान बनाने के लिये कितना धन दिया गया है; और

(ख) पंजाब सरकार द्वारा अब तक कितने धन का उपयोग नहीं किया गया है?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) पंजाब सरकार को १९५७–५८ में कुल्लु में निम्न आय–वर्ग विश्रामालय बनाने के लिये एक लाख रुपये की राज-सहायता और १९५८–५९ में नांगल में एक निम्न–आय–वर्ग विश्रामालय बनाने के लिये ३५,००० रुपये की धनराशि की मंजूरी दी गयी थी।

(ख) पंजाब सरकार ने कुल्लू में निम्न आय–वर्ग विश्रामालय पर १४०८ रुपये खर्च किये हैं। बाकी धन का राज्य सरकार द्वारा उपयोग किया जाता है।

बम्बई राज्य में चीनी का भंडार

†१५३३. **श्री आसर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई राज्य में सहकारी चीनी कारखानों के पास ९०,००० बोरी चीनी पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो इस चीनी को बाजार में न बेचने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को पता है कि बड़ी मात्रा में चीनी को दबाये रखने से बाजार में चीनी उपलब्ध नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो उस चीनी को बाजार में बिक्री के लिये छोड़ने के लिये क्या कार्यवाही की जायेगी?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी, नहीं। छोड़ी गई मात्रा के विरुद्ध ३१ जुलाई, १९५९ को बम्बई राज्य में १४ सहकारी चीनी कारखानों के पास ४६,८२२ बोरे चीनी थी।

(ख) कारखानों को छोड़ी गयी चीनी की बिक्री और डिस्पैच का हिसाब रिलीज आर्डर के जारी किये जाने की तिथि से एक विशिष्ट अवधि में पूरा करना पड़ता है। पिछला जो रिलीज आर्डर जारी किया गया था, वह २५ अगस्त, १९५९ तक वैध है।

(ख) और (ग). उपरोक्त भाग (ख) में बताई गयी स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

विदेशों में परिशिक्षण

†१५३४. { **श्री अ० मु० तारिक** :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९५७–५८ और १९५८–५९ में मंत्रालय और एयर इंडिया इन्टरनेशनल तथा इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने कितने व्यक्ति अध्ययन तथा प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजे;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उनका अध्ययन व प्रशिक्षण किस प्रकार का है; और

(ग) इस काल में कितने प्रशिक्षणार्थियों ने गैर-सरकारी क्षेत्र में काम स्वीकार कर लिया है या इस देश से और कहीं चले गये हैं ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) जानकारी निम्न हैं :—

	१९५७–५८	१९५८–५९
संचार तथा असैनिक उड्डयन विभाग	२०	१३
एयर इंडिया इन्टरनेशनल कारपोरेशन	११	१४
इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन	१०९	७

(ख) १९५७–५८ और १९५८–५९ में विदेश भेजे गये पदाधिकारियों का अध्ययन व प्रशिक्षण निम्न प्रकार का है:—

विभाग का नाम	अध्ययन तथा प्रशिक्षण का प्रकार
१. संचार तथा असैनिक उड्डयन विभाग और उनके संबद्ध और अधीनस्थं कार्यालय।	हवाई अड्डों पर ध्वंश अग्नि तथा बचाव सेवायें। विस्काउन्ट पर विमान यातायात सेवा परिचय पाठ्यक्रम/विमान दुर्घटना जांच पड़ताल/लिंक ट्रेनर शिक्षा[1]/वैमानिक संचार इंजिनियरी/विमान सुरक्षा निरी–क्षण–तूफान का पता लगाने वाला रेडार/अयनमंडलीय तथा औद्भोमिक किरण कार्य[2]/संक्षिप्त ऋतु विज्ञान/भौकम्पकी/रेडियो संचार/हाई फ्रीक्वेन्सी टेक्निक/केन्द्रीय यातायात कार्यालय संबंधी प्रविधि/यातायात संचालन के ढंगों तथा प्रथाओं का आधुनिकीकरण/मानीटरिंग स्टेशनों के स्थापन आदि का परिचयकरण।
२. एयर इंडिया इन्टरनेशनल कारपोरेशन।	औद्योगिक स–रश्मि–विद्या/वैमानिक पुस्तकालय/जेट इंजिनों के सिद्धान्त/बोइंग ७०७ विमान/१०४९ किस्म के प्रशिक्षण–विमान/ग्राउन्ड एफ०/ई० कनवे कोर्स[3] एयर रिसर्च एयरकंडीशन प्रेसरा-इजेशन[4]। सन्डस्ट्रेंड निरन्तर गति चालन/विद्युत् व्यवस्था अवयव/'हिट्रोल' एन्टी–स्किड ब्रेक यवस्था/स्तर शक्ति जल–चालित नल[5]/स्टोर प्रक्रिया/राल्स रायस

†मूल अंग्रेजी में

[1]Link Trainer Instruction.
[2]Ionospheric and Cosmic Ray Work.
[3]Ground F/F Conway Course.
[4]Air Research Components Air-Condition Pressurisation.
[5]Strato Power Hydraulic Pump.

विभा का नाम	अध्ययन तथा प्रशिक्षण का प्रकार
	कन्वे इंजिनों की शिक्षा/चालक प्रणाली/ परिच्चयकरण कार्य तथा पालन शिक्षा, आदि।
३. इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन	वाइकाउन्ट टाइप आफ इक्विपमेंट/वाइ–काउन्ट संबंधी उड्डयन आयोजन/ सी०–९०० रेडीफान प्रोसीजर ट्रेनर/पीवी आई ओ आटो पाइलटों सहित। उपकरणों का नवीनीकरण तथा देखरेख/वाइकर तथा रोल्स रायस स्कूल में स्वीकृति प्रतिबन्ध तथा लघु परिच्चयकरण शिक्षायें।

(ग) एक ।

मंत्रालय के परिवहन विभाग संबंधी जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा यथासमय सभा पटल पर रखी जायेगी।

नंगल बांध पर रेल कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

†१५३५. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री १९ दिसम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या २००५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नंगल बांध पर रेल कर्मचारियों के लिये रिहायश के क्वार्टर बनाने में क्या प्रगति हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : तीसरी श्रेणी के लिये दो और चतुर्थ श्रेणी के लिये चार यूनिट क्वार्टरों के निर्माण के प्रस्ताव के बारे में अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है क्योंकि पंजाब सरकार ने इस पर सहमति प्रकट नहीं की है।

पंजाब सरकार से अपने निर्णय पर पुनःविचार करने के लिये कहा जा रहा है।

सहकारी ऋण समितियां

†१५३६. **श्री पहाड़िया** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में सहकारी ऋण संस्थाओं की अंश पूंजी में अंशदान के लिये राज्य सरकारों को कितनी राशि दी गई ;

(ख) क्या यह राशि केवल कृषि सहकारी संस्थाओं के लिये थी या कि सभी प्रकार की संस्थाओं के लिये; और

(ग) क्या १९५८–५९ में १९५७–५८ की अपेक्षा कम राशि मंजूर की गई थी; ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्त्ति)** : (क) १९५८–५९ (१–५–५८ से ३१–३–५९) में रिजर्व बैंक ने राज्य सरकारों को सहकारी ऋण संस्थाओं की अंश मंजूरी के लिये ६०४.५८ लाख रुपये की राशि मंजूर की थी।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यह राशि इसलिये दी गई थी कि राज्य सरकारें कृषि के लिये ऋण देन वाली सहकारी ऋण समितियों में अंश खरीद सकें।

(ग) १९५७–५८ (१–४–५७ से ३१–३–५८ तक) की अपेक्षा १९५८–५९ में २·४१ लाख रुपये कम दिये गये थे।

तीसरे दर्जे के 'स्लीपिंग कोच' के स्थान रक्षित करना

†१५३७. **श्री शंकरय्या :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में लाई गई है कि बीच के स्टेशनों पर तीसरे दर्जे के स्लीपिंग कोच के स्थान रक्षित न करने से यात्रियों को बड़ी असुविधा होती है; और

(ख) क्या सरकार को यह भी पता चला है कि पूर्ण यात्रा के टिकट वाले यात्रियों को कई रेलों में तीसरे दर्जे के स्लीपिंग कोच में स्थान रक्षण प्राप्त नहीं होता है?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां):** (क) और (ख). जी नहीं। यात्रियों को स्थान रक्षित कराने में असुविधा की कोई शिकायत नहीं मिली है।

मद्रास उपनगरीय रेलगाड़ियां

†१५३८. { **श्री एन्थनी पिल्ले :**
श्री ले० अचौ सिंह : }

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास नगर के उत्तरी और पश्चिमी औद्योगिक उपनगरों में काम करने वाले श्रमिकों के लिये भूतपूर्व मद्रास सैंट्रल स्टेशन से साढ़े छः से आठ बजे प्रातः और पांच और सात बजे सायं जो लोकल गाड़ियां चलती हैं उन में से प्रत्येक में दूसरे और तीसरे दर्जे के कितने यात्री बैठ सकते हैं;

(ख) क्या गाड़ियों की संख्या और उन में से प्रत्येक में यात्रियों के बैठने का स्थान बढ़ाने का कोई विचार है; और

(ग) क्या दोहरी लाइन बिछाने का भी प्रस्ताव है?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) लोकल गाड़ियों में दूसरा दर्जा नहीं होता। भूतपूर्व मद्रास सैंट्रल से चलने वाली तीसरे दर्जे की प्रत्येक गाड़ी में ६८० से ७८९ सीटें होती हैं जिनकी औसत ७३६ सीटें हैं।

(ख) कई कठिनाइयों के कारण गाड़ियों की संख्या अथवा उन में सीटें बढ़ाने का अभी कोई विचार नहीं है।

(ग) द्वितीय योजना में दोहरी लाइन बिछाने की कोई योजना नहीं है। तृतीय योजना में तिरुवोत्यूर से गुम्मिडीपूंडी तक दोहरी लाइन बिछाने के बारे में विचार किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

गंगा बेसिन के बारे में भारत-पाक वार्ता

†१५३९. **श्री हेम बरुआ :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गंगा बेसिन में चालू अथवा चालू की जाने वाली परियोजनाओं के बारे में जानकारी के आदान प्रदान की प्रक्रिया निर्धारित करने के लिये कर्मचारियों की एक बैठक करने के बारे में भारत और पाकिस्तान सहमत हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस पर कार्यवाही आरम्भ हो गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) जल सम्बन्धी तथा अन्य आंकड़े, जो इस समय अपर्याप्त हैं, एकत्र करने तक भारत सरकार इस बात से सहमत हो गई है कि भारत और पाकिस्तान के विशेषज्ञ जानकारी के आदान प्रदान की प्रक्रिया सम्बन्धी ब्यौरे पर विचार करें।

(ख) अभी नहीं ।

रत्नगिरी में हवाई अड्डा

†१५४०. **श्री आसर :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रत्नगिरी में हवाई अड्डे का निर्माण कब आरम्भ होगा; और

(ख) हवाई अड्डे पर कितनी लागत का अनुमान है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** (क) और (ख). रत्नगिरी म हवाई अड्डे के निर्माण के लिये पहले पहल केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने १५·६४ लाख रुपये का प्राक्कलन तैयार किया था परन्तु प्राक्कलन का पुनरीक्षण करना जरूरी हो गया है । पुनरीक्षित प्राक्कलन सरकार द्वारा स्वीकृत होने के बाद निर्माण कार्य आरम्भ होगा ।

दिल्ली में सड़क दुर्घटनायें

†१५४१. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ६ मई, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या २२४३ के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से चौराहों पर लगे सिनेमा के विशाल विज्ञापनों के हटाने के कार्य में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** १९५८–५९ में नगर पालिका ने ऐसे २३१ विज्ञापन लगाने की मंजूरी दी थी । १–४–५९ से यह संख्या घटा कर १५६ कर दी गयी है ।

तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती

†१५४२. **श्री क० उ० परमार :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की विशेष भर्ती करने की घोषणा एक वर्ष पहले की गई थी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह सच है कि चुने गये उम्मीदवारों को सितम्बर, १९५८ से प्रतीक्षा सूची में रखा हुआ है;

(ग) १९५८ में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कितने व्यक्ति भर्ती किये गये और कितने प्रतीक्षा सूची में हैं; और

(घ) उन की नियुक्ति कब होगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग)

चुने गये		सूची में रखे गये	
अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम जातियां	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम जातियां
४९१	२३९	२३५	१९७

(घ) स्थान खाली होते ही उन की नियुक्तियां कर दी जायेंगी ।

रेल कर्मचारियों द्वारा दण्ड के खिलाफ मुकदमे दायर किया जाना

†**१५४३. श्री सुबिमन घोष** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७, १९५८ और १९५९ में दण्ड प्राप्त कर्मचायियों द्वारा पूर्व रेलवे पर चलाये गये कितने मुकदमों का निर्णय कलकत्ता उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायालयों ने परामर्श के रूप में तथा अन्य प्रकार से किया;

(ख) उसी अवधि में पूर्व रेलवे ने कितने मुकदमे जीते और कितने हारे;

(ग) कितने मुकदमों में कर्मचारियों और रेलवे की सुलह हो गई;

(घ) इन मुकदमों पर रेलवे का कितना खर्च हुआ;

(ङ) इन मुकदमों में रेलवे ने कर्मचारियों को प्रतिकर, मुकदमों की लागत और बकाया वेतन के रूप में, कुल कितनी राशि दी; और

(च) इन में से कितने मुकदमे प्रथम और द्वितीय दर्जे के पदाधिकारियों द्वारा दायर किये गये ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क)

१९५७ : परमादेश द्वारा निर्णय	
कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा	३४
पटना उच्च-न्यायालय द्वारा	३
अन्य प्रकार से निर्णय	
जिला न्यायालयों द्वारा	१३
१९५८ : परमादेश द्वारा निर्णय	
कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा	६०
पटना उच्च न्यायालय द्वारा	३

†मूल अंग्रेजी में

अन्य प्रकार से निर्णय	
जिला न्यायालयों द्वारा	२५
१६५६ : परमादेश द्वारा निर्णय (जुलाई तक)	
कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा	३१
पटना उच्च न्यायालय द्वारा	कोई नहीं
अन्य प्रकार से निर्णय	
जिला न्यायालयों द्वारा	२१

(ख) **१६५७** : रेलवे प्रशासन ने ३६ जीते ।

कर्मचारियों ने १४ जीते ।

१६५८ : रेलवे प्रशासन ने ६१ जीते ।

कर्मचारियों ने २६ जीते ।

१६५६ (जुलाई तक) : रेलवे प्रशासन ने ३३ जीते ।

कर्मचारियों ने १६ ।

(ग) १६५६ में एक मुकदमा ।

	रुपये
(घ) १६५७	६२०६
१६५८	१४०३१
१६५६ (जुलाई तक)	८५६५

	रुपये
(ङ) १६५७	३७५२
१६५८	२१५७
१६५६ (जुलाई तक)	२५१६८

(च) एक प्रथम श्रेणी के पदाधिकारी द्वारा ।

इर्विन अस्पताल

†**१५४४. श्री सैं० अ० मेंहदी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली नगर निगम द्वारा पारित यह संकल्प मिला है कि इर्विन अस्पताल का प्रबन्ध उन्हें सौंप दिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) ऐसा कोई संकल्प नहीं मिला है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सेवा निवृत्त रेलवे कर्मचारियों की पुनःनियुक्तियां

†१५४५. **श्री सै० अ० मेंहदी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, १९५८ से ३१ जुलाई, १९५९ तक रेलवे मंत्रालय के कितने कर्मचारी सेवा-निवृत्त हुए;

(ख) उन में से कितने कर्मचारी सेवा निवृत्ति के दिन अन्य सरकारी विभागों अथवा सरकारी समवायों में नियुक्त हो गये; और

(ग) उन पदाधिकारियों के नाम क्या हैं और नये पदों पर उन्हें कितना कितना वेतन मिला ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) चार ।

(ख) और (ग). एक ।

श्री एन० सी० देव को किसी अन्य मंत्रालय में सेवा निवृत्ति के पूर्व के अवकाश के दौरान में ३५०० रुपये मासिक पर नियुक्त कर लिया गया परन्तु सेवा निवृत्ति की तिथि के पश्चात् ३५०० रुपये में से पेंशन की राशि घटा दी जायेगी ।

पंजाब में वन विकास

†१५४६. **श्री दलजीत सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५९–६० में अब तक पंजाब राज्य को वन विकास के लिये कितनी आर्थिक सहायता दी गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : १९५९–६० में वन विकास के लिये केन्द्रीय सहायता के तौर पत्र १·८० लाख रुपये ऋण और ०·२३ लाख रुपये अनुदान दिया गया । असल मंजूरी वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर राज्य सरकार की आवश्यकता को देखते हुए दी जायेगी ।

पंजाब में केन्द्रीय गोदाम

†१५४७. **श्री दलजीत सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में केन्द्रीय सरकार के गोदामों में कितना अनाज रखा जा सकता है; और

(ख) इस समय उन में कितना अनाज पड़ा है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) और (ख). पंजाब में केन्द्रीय सरकार के कोई गोदाम नहीं हैं । केन्द्रीय सरकार द्वारा वसूल किया गया चावल जब तक किन्हीं अन्य स्थानों को नहीं भेजा जाता तब तक पंजाब सरकार उसे अस्थायी तौर पर अपने गोदामों में रखती है । इस प्रकार स्टोर में रखे गये अनाज की मात्रा १३.८.१९५९ को ४०२ टन थी ।

पंजाब में डेरी फार्म

†१५४८. **श्री दलजीत सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८-५९ और १९५९–६० में अब तक पंजाब राज्य को डेरी फार्म खोलने के लिये कितनी आर्थिक सहायता दी गई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : पंजाब की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत चार नगरीय दुग्ध संभरण योजनायें, दो ग्राम्य 'क्रीमीटीज', दो दुग्ध उत्पाद कारखाने, हिसार में सरकारी ढोर फार्म में ढोर के लिये नौडी का निर्माण और टैक्नीकल कर्मचारियों के प्रशिक्षण की योजनायें भी शामिल हैं जिस पर ८४ · ८७ लाख रुपये की लागत आयेगी। इन में डेरी फार्म की कोई योजना शामिल नहीं है । १९५८–५९ में २५ लाख रुपये केन्द्रीय सहायता दी गई थी परन्तु उस में से राज्य सरकार ने कितनी राशि प्राप्त की यह ठीक मालूम नहीं । १९५९–६० में १८ · ०३ लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई थी ।

डाक्टर

†**१५४९. श्री दलजीत सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एफ० एस० सी० पास एल० एम० ए० डाक्टरों को अर्हता की दृष्टि से एफ० एस० सी० अथवा बी० एस० सी० पास एल० एस० एम० एफ० डाक्टरों के बराबर माना जाता है;

(ख) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार सेवाओं के लिये एफ० एस० सी० पास एल० एम० एस० डाक्टरों को चिकित्सा स्नातकों के बराबर मानने का निश्चय कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार बी० एस० सी० पास एल० एस० एम० एफ० डाक्टरों को भी चिकित्सा स्नातकों के बराबर रखने के बारे में विचार करेगी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) नहीं ।

(ख) जी हां। भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, १९५६ की प्रथम और द्वितीय अनुसूची में शामिल लाइसैंस वाली चिकित्सा अर्हताओं को केन्द्रीय सरकार के अधीन नौकरियों में भर्ती के लिये इस शर्त पर समान माना जाता है कि इन अर्हताओं वाले डाक्टरों ने मैडिकल लाइसैंस प्राप्त करने की परीक्षा में बैठने से पूर्व एफ० एस० सी० अथवा इंटरमिडियेट (विज्ञान) परीक्षा पास की हो ।

(ग) एल० एस० एम० एफ० (पंजाब) की चिकित्सा अर्हता भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, १९५६ की तृतीय अनुसूची के प्रथम भाग में शामिल है जिस में केवल लाइसेंस प्राप्त करने की अर्हतायें दर्ज हैं। इस अर्हता वाले व्यक्ति असिस्टेंट सर्जन, ग्रेड २ (नान गजेटिड) नियुक्त किये जा सकते हैं और उन्हें एफ० एस० सी० पास एल० एम० एस० डाक्टरों के समान नहीं माना जा सकता ।

कुलु घाटी में पर्यटक

†**१५५०. श्री दलजीत सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९ में ३१ जुलाई तक कितने विदेशी और भारतीय पर्यटक कुलु घाटी की यात्रा के लिये गये; और

(ख) उन्हें क्या क्या सुविधायें दी गईं ?

---

† मूल अंग्रेज़ी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) १९५९ में ३१ जुलाई तक ३८०९ भारतीय और १७५ विदेशी पर्यटक कुलु घाटी की यात्रा के लिये गये थे ।

(ख) कुलु और मनाली में पर्यटकों के रहने के लिये ऐल्युमिनियम की छतों वाले तथा अन्य मकानों में व्यवस्था की जाती है। जहां कहीं सम्भव हो सिविल और वन विभाग में विश्रामालयों में भी स्थान दिया जाता है और यदि पर्यटकों की भीड़ अधिक हो तो तम्बू और छोलदारियां लगाई जाती हैं। पर्यटकों को दिल्ली, पठानकोट, कुलु और मनाली के पर्यटक कार्यालयों से जानकारी मिल सकती है ।

राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड और सामुदायिक विकास खंडों में मुर्गी पालन

†१५५१. **श्री वें० प० नायर** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों में जहां कहीं उपयुक्त समझा बतकों, कलहंसों, गिनी फाऊल्ज़ और 'टर्कीज' का पालन आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं का ब्योरा क्या है; और

(ग) इन में यदि कोई सफलता मिली है तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री सु० कु० डे)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

मुर्गी पालन सम्बन्धी गवेषणा

†१५५२. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में अब तक मुर्गी पालन और इनकी नस्ल सुधार के किन-किन पहलुओं की गवेषणा की गई; और

(ख) क्या इस गवेषणा से प्राप्त हुये परिणामों का ब्यौरा दिखाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३३]**

मुर्गी पालन

†१५५३. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के किस राज्य में मुर्गी पालन का सबसे अच्छा विकास हुआ है ;

(ख) अन्य राज्यों में मुर्गी पालन की क्या अवस्था है ; और

(ग) मुर्गी पालन का प्रति वर्ष उत्पादन राज्यवार कितना है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) यदि मुर्गी तथा बत्तख के अण्डों को मिला कर लिया जाये तो सबसे अधिक उत्पादन पश्चिमी बंगाल में है उसके बाद आन्ध्र प्रदेश का नम्बर, है। केवल मुर्गी के अण्डों के मामले में आन्ध्र प्रदेश का नम्बर पहला है। उसके बाद बम्बई का नम्बर है ।

(ख) १९५६ में विभिन्न राज्यों में अण्डों का जो उत्पादन था, उसे बताने वाला एक विवरण संलग्न किया जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३४]**

(ग) १९५६ के बाद के राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

बलिया स्टेशन

†**१५५४. श्री राधा मोहन सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर पूर्व रेलवे के बलिया स्टेशन पर गाड़ियों के काफी देर तक शंटिंग होने के कारण वहां की जनता को बड़ी कठिनाई होती है क्योंकि न्यायालय, स्टेट बैंक, कालेज, स्कूल तथा डाक घर आदि रेलवे लाइन के दूसरी ओर हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे फाटक पर कोई ऊपरी पुल बनवाने का विचार है या इसके बजाय यह आदेश देने का विचार है कि गाड़ियों की शंटिंग स्टेशन के पूर्व की ओर की जाये ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री से० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां, रेलवे फाटक पर रुकने के कारण जनता को कुछ कठिनाई होती है। बलिया शहर रेलवे लाइन के दक्षिण की ओर है जब कि न्यायालय, बैंक, खजाना आदि सभी कार्यालय रेलवे लाइन के उत्तर की ओर हैं । स्टेशन के पश्चिमी सिरे पर एक फाटक से हो कर एक सड़क शहर के दोनों भागों को मिलाती है । फाटक पर जब शंटिंग होती है, तो यातायात बन्द हो जाता है पर फाटक जितनी जल्दी-जल्दी हो सकता है, खोल दिया जाता है और कभी भी १५ मिनट से अधिक समय तक एक साथ नहीं बन्द रहता। जनता की कठिनाई को कम करने के उद्देश्य से स्टेशन पर बने पैदल पार करने वाला ऊपरी पुल को आगे तक बढ़ा दिय गया है और जब रेलवे फाटक बन्द रहता है तो अधिकांश पैदल यात्री इसी पुल से उस पर जाते हैं ।

(ख) इस मंत्रालय ने सभी राज्य सराकारों को लिख दिया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के शेष २ वर्षों में तथा तीसरी योजना में वे रेलवे फाटक बनवाने के बजाय पुल के ऊपर से सड़क बनवाने की योजनायें तैयार करें। अतः यह काम राज्य सरकारों का है कि वे जहां भी कहीं रेलवे फाटकों के बजाय पुल के ऊपर से सड़क बनवाना चाहें, उसकी योजना प्रस्तुत करें व रेलवे प्राधिकारियों को परामर्श दें —अपने खर्च की व्यवस्था करने के बाद। राज्य सरकार को प्रस्थापना मिलने के बाद रेलवे प्रशासन अग्रतर कार्यवाही करेगा ।

रेलवे शंटिंग रेलवे स्टेशन के केवल पूर्वी ओर ही हुआ करे, ऐसा प्रबन्ध करना व्यवहार्य नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भोजन व्यवस्था के ठेकेदार

१५५५. श्री जांगड़े : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न रेलवे महाखंडों में एक ही वर्ग के रेलवे स्टेशनों पर गैर-सरकारी ठेकेदारों से जो अनुज्ञप्ति शुल्क लिया जाता है, उसमें बड़ा अन्तर होता है ; और

(ख) क्या शुल्क में इस अन्तर का ठेकेदारों द्वारा दी जाने वाली खाने की चीजों की किस्म, मात्रा और उनके मूल्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) सरकार के पास इस तरह की कोई सूचना नहीं है ।

रेलों को हिदायत है कि अनुमानित बिक्री और लाभ, स्टेशनों के आकार और महत्व आदि के आधार पर लाइसेंस फीस निर्धारित की जाये । यह फीस अलग-अलग स्टेशनों पर अलग-अलग होती है, लेकिन एक-जैसे स्टेशनों पर इसमें इतना अधिक अन्तर नहीं होता ।

(ख) लाइसेंस फीस में अन्तर के कारण खाने की चीजों के मूल्य और मात्रा पर असर नहीं पड़ता, क्योंकि रेल-प्रशासन इन्हें लाइसेंस फीस के आधार पर नहीं बल्कि स्थानीय मूल्य और बिक्री आदि के आधार पर निर्धारित करते हैं ।

उपयुक्त देख-भाल के द्वारा भी चीजों की मात्रा के बारे में इत्मीनान कर लिया जाता है ।

टालीगंज पुल

†**१५५६. श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कलकत्ता निगम या कलकत्ते के टालीगंज क्षेत्र के निवासियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ जिसमें मांग की गयी है कि पूर्वी रेलवे के सियालदह डिवीजन के दक्षिणी विभाग के टालीगंज पुल को, जो कलकत्ते में टालीगंज व कालीघाट स्टेशनों के बीच रूसा रोड साउथ के ऊपर से गुजरता है, फिर से बनवा दिया जाये ;

(ख) क्या कलकत्ता निगम तथा पूर्वी रेलवे के सक्षम प्राधिकारियों के बीच इस सम्बन्ध में कोई बातचीत हुई है कि उक्त रेलवे पुल के नीचे रूसा रोड साउथ में जो पानी जमा हो जाता है उसके रोकने का सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है ; और

(ग) क्या इस मामले में सरकार ने कुछ निर्णय किया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी):** (क) रेलवे प्राधिकार को पश्चिमी बंगाल सरकार तथा कलकत्ता सुधार प्रन्यास की ओर से इस सम्बन्ध में प्रस्थापनायें प्राप्त हुई हैं कि कलकत्ते में रूसा रोड साउथ के ऊपर जो रेलवे पुल है, उसे ऊंचा करवा दिया जाये ।

(ख) जी हां, दिसम्बर १९५८ में कलकत्ता सुधार प्रन्यास के साथ एक बैठक हुई थी जिसमें प्रन्यास ने अन्य बातों के साथ यह सुझाव दिया कि पुल को सड़क के वर्तमान धरातल से १९ फुट ६ इंच ऊंचा कर दिया जाये ताकि सड़क का धरातल ३ फुट ऊंचा किया जा सके और पुल के नीचे पानी जमा होने से रुक जाये । यह बातचीत अनिर्णीत रही ।

(ग) जी नहीं, अभी तक नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्टेशनों पर बिजली लगाना

†१५५७. **श्री दलजीत सिंह :** क्या रेलवे मंत्री १५ अप्रैल, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३१०५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर रेलवे में रोपड़ से नंगल बांध के बीच के रेलवे स्टेशनों पर बिजली लगाने के सम्बन्ध में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** कीरतपुर साहेब स्टेशन पर २८–४–५९ को बिजली आ गई है ।

सहायक स्टेशन मास्टर, ललितपुर

१५५८. **श्री वाजपेयी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ललितपुर रेलवे स्टेशन के सहायक स्टेशन मास्टर, श्री के० डब्ल्यू० दास २८ जुलाई, १९५९ को रेलवे लाइन पर मरे हुये पाये गये ;

(ख) क्या इस बात का पता लगाने के प्रयत्न किये गये कि उनकी मृत्यु किसी रेलगाड़ी के नीचे आ जाने के कारण हुई अथवा उन्होंने आत्महत्या की; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) श्री जे० डब्ल्यू० दास, सहायक स्टेशन मास्टर, ललितपुर एक मालगाड़ी के शंटिंग डिब्बों के नीचे आ गये और मर गये । लेकिन यह घटना २६–७–५९ को हुई, न २८–७–५९ को ।

(ख) और (ग). जांच के बाद रेलवे पुलिस ने इसे आत्म-हत्या का मामला ठहराया है ।

पर्यटकों के लिये दुकानें

†१५५९. **श्री सै० अ० मेहदी :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में तथा अन्य स्थानों पर कितनी दुकानों को पर्यटन प्रयोजनों के लिये मान्यता दे दी गयी है; और

(ख) इन दुकानदारों द्वारा कितनी प्रतिभूति राशि जमा की जा रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) और (ख). अप्रैल १९५९ में अखबार में विज्ञप्ति निकाल कर सारे भारतवर्ष से, दुकानों का मान्यता देने के लिये, आवेदन पत्र मांगे गये थे । अभी आवेदन पत्रों पर विचार हो रहा है अतः मान्यता प्राप्त दुकानों की कोई सूची अभी तक नहीं बन पाई है । अतः कोई प्रतिभूति राशि नहीं जमा हुई है ।

जालन्धर-मुकेरियां लाइन पर रेलवे यातायात

१५६०. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५९ की वर्षा ऋतु में जालंधर-मुकरियां लाइन (उत्तर रेलवे) पर रेलवे यातायात कितनी बार निलम्बित किया गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री से० वें० रामस्वामी) :** जहां तक इस वर्षा ऋतु में जालंधर-मुकरिया लाइन पर रेल सेवा के निलम्बित होने का प्रश्न है, कुल ११ बार रेल सेवा निलम्बित हुई। दो बार जालंधर-मुकरिया सेक्शन में लाइन टूट जाने के कारण और ९ बार मुकरियां पठानकोट सेक्शन पर लाइन टूट जाने के कारण।

गाड़ियों पर कर

†**१५६१. श्री प्र० चं० बरुग्रा :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन परिवहन गाड़ियों के करों की सूची का पुनरीक्षण करने जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो योजना का विवरण क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार और खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) :** (क) ऐसा कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

रेलवे स्टेशनों पर खाने पीने की चीजों का बेचा जाना

†**१५६२. श्रीमती मंजुला देवी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे स्टेशनों और प्लेटफार्मों पर लाइसेंसधारी बेचने वाले जो खाने पीने की चीजें बेचते हैं, क्या उनका नियमित परीक्षण डाक्टरों द्वारा कराया जाता है यह जानने के लिये कि वे शुद्ध हैं और उनमें अपमिश्रण नहीं हैं;

(ख) जो पदाधिकारी इनका परीक्षण करते हैं, उनका पदनाम क्या है और जो पदाधिकारी बेचने वालों को लाइसेंस देते हैं, उनका पदनाम क्या है; और

(ग) चालू वर्ष में उत्तर पूर्व सीमान्त, पश्चिमी तथा उत्तर पूर्व रेलवे पर अपमिश्रण के क्या कुछ मामले पकड़े गये और क्या उन पर कार्यवाही की गयी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी हां।

(ख) जो पदाधिकारी परीक्षण करते हैं उनके पदनाम हैं—डिस्ट्रिक्ट और असिस्टेंट मेडिकल अफसर, असिस्टेण्ट सर्जन और सेनीटरी, इन्सपेक्टर। बेचने वालों को लाइसेंस चीफ कमर्शियल सुपरिन्टेन्डेण्ट या डिवीजनल डिस्ट्रिक्ट ट्रेफिक सुपरिण्टेन्डेण्ट देते हैं।

(ग) उत्तर पूर्व सीमान्त और पश्चिमी रेलवे . . . एक भी नहीं
उत्तर पूर्व रेलवे ३

रेलवे क्वार्टरों में बिजली लगाना

१५६३. श्री सरजू पांडे : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने सम्पूर्ण देश में रेलवे क्वार्टरों में बिजली लगाने के लिये कोई परिपत्र जारी किया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). एक विवरण साथ नत्थी है ।

विवरण

रेल प्रशासनों को हिदायत दी गयी है कि यदि रकम और सामान उपलब्ध हों, तो जहां उचित दर पर पर्याप्त बिजली मिले, वहां सभी क्वार्टरों में बिजली लगायी जाय । जहां तक नये क्वार्टरों का सम्बन्ध है, वे इस तरह बनाये जाते हैं कि अगर उस स्टेशन पर पर्याप्त बिजली मिले, तो उनमें शुरु से ही बिजली लगा दी जाय । पुराने क्वार्टरों में भी क्रमशः बिजली लगायी जा रही है ।

मार्च, १९५९ तक ६२,६५४ क्वार्टरों में बिजली लगायी जा चुकी है और १९५९-६० में ६३४५ क्वार्टरों में बिजली लगाने का कार्यक्रम है ।

इंजनों में खराबी

१५६४. श्री भोगजी भाई : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे पर चलती गाड़ियों के इंजनों में खराबी होने के कारण प्रायः हमेशा ही गाड़ियां देर से आती जाती हैं ;

(ख) कितने दिनों के बाद इंजनों की सफाई और मरम्मत की जानी चाहिये ; और

(ग) वास्तव में कितने समय के बाद वह की जाती है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). रेलवे इंजनों के अनुरक्षण के मौजूदा तरीके के अनुसार हर यात्रा के बाद इंजनों की जांच और आवश्यक मरम्मत की जाती है ।

इनके अलावा बोयलरों की माहवारी, तिमाही और छमाही धुलाई के समय भी अनुरक्षण के कुछ काम नियत हैं ।

चीनी प्रोद्योगिकीय संस्था

†**१५६५. श्री आसर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई राज्य के महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में बढ़ते हुय चीनी उद्योग को परामर्श देने के लिये, एक चीनी प्रोद्योगिकीय संस्था स्थापित करने की मांग की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी कोई संस्था स्थापित करने के लिये सरकार के सामने कोई प्रस्थापना है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख). दक्षिण भारत चीनी प्रोद्योगी संघ के १२वें और १३वें वार्षिक अधिवेशन में संघ के सभापतियों ने महाराष्ट्र क्षेत्र में एक चीनी प्रोद्योगिकीय संस्था स्थापित करने की जरूरत का उल्लेख किया था । सरकार के सामने ऐसी कोई प्रस्थापना विचाराधीन नहीं है ।

---

†मूल अंग्रजी में

कैश कन्ट्रैक्टरों के भूतपूर्व कर्मचारी

†१५६७. **श्रीमती सुचेता कृपालानी** : क्या **रेलवे** मंत्री ६ मार्च, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६३३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कैश कन्ट्रैक्टरों के ऐसे भूतपूर्व कर्मचारियों की संख्या कितनी है, जिन्हें उत्तर रेलवे ने रख लिया था उपदान और जो अब सेवा निवृत्त हो गये हैं और सरकार से उपदान की मांग कर रहे हैं;

(ख) कितने लोगों को उपदान देने के पात्र ठहराया गया है और कितनों को उपदान दिया जा चुका है;

(ग) इस समय कितने मामले विचाराधीन हैं; और

(घ) उन का अन्तिम निर्णय करने में कितना समय लग जायेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) ३६ ।

(ख) ३३ व्यक्तियों को पात्र ठहराया जा चुका है, ३ व्यक्तियों के मामलों पर विचार हो रहा है । एक मामले में भुगतान कर दिया गया है ।

(ग) ३२ ।

(घ) लगभग १ सप्ताह में १८ मामलों को निबटा दिया जायेगा । ५ अन्य मामलों में कुछ अधिक समय लगेगा । ९ मामलों में अग्रेतर जांच की जा रही है और यह बताना कठिन है कि कब तक ये सब मामले निबट जायगे ।

अतारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : मैं २०-४-५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३३०१ के उत्तर को शुद्ध करने वाला विवरण सभा पटल पर रखता हूं ।

विवरण

प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में बताया गया था कि हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित स्थानों पर चार क्षय रोग के क्लीनिक हैं :—

१. मंडी

२. मशोबरा (शिमला)

३. नाहन

४. स्नोडान (शिमला)

सही स्थिति यह है कि मशोबरा में कोई क्षय रोग क्लीनिक नहीं है बल्कि चम्बा में एक है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

अड़तालीसवां प्रतिवेदन

†**सरदार हुक्म सिंह** (भटिंडा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का अड़तालीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

याचिकाओं का उपस्थापन

रेलवे क्रासिंग पर दुर्घटनायें

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी** (राजमपेट) : मैं रेलवे लेवल क्रासिंगों पर दुर्घटनाओं के बारे में एक याचिकाकार द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं ।

भारतीय शस्त्र नियम में संशोधन

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी** : मैं भारतीय शस्त्र नियम, १९५१ के संशोधन के बारे में एक याचिकाकार द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं ।

तारांकित प्रश्न संख्या ४९६ के उत्तर में शुद्धि

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : १७ अगस्त को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४९६ से उत्पन्न श्री राधा रमण द्वारा पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मैं ने सभा को यह बताया था कि भाखड़ा के दाहिने ओर के बिजली घर का परियोजना प्रतिवेदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है ।

वस्तुतः परियोजना प्रतिवेदन जून १९५९ के अन्तिम हफ्ते में प्राप्त हो गया था और इस समय केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग इस की जांच कर रहा है । इस जांच के बाद इस योजना पर योजना आयोग विचार करेगा तत्पश्चात् सिंचाई तथा विद्युत् परियोजना की सलाहकार समिति इस की जांच करेगी । भाखड़ा के दाहिने ओर के बिजली घर में बिजली उत्पादन के चार कारखाने हैं, जिन में प्रत्येक की शक्ति ९००००/५३००० किलोवाट है । प्रत्येक कारखाने को एक पृथक योजना माना जाता है क्योंकि योजना आयोग ने यह निश्चय किया कि इन योजनाओं को भाखड़ा की वर्तमान स्वीकृत योजना के साथ जोड़ देना उचित नहीं है । भाखड़ा के दाहिने हाथ स्थित बिजली घर पंजाब तथा राजस्थान सरकारों का संयुक्त उपक्रम है, अतः पंजाब सरकार से परियोजना का एक प्रतिवेदन राजस्थान सरकार के पास जांच के निमित्त भेजने के लिये कहा गया है । उनसे यह भी कहा गया है कि उक्त दोनों सरकारों को इस योजना की क्रियान्विति के संबंध में सहमति से निश्चय कर लेना चाहिये । मुख्य भाखड़ा नंगल परियोजना की तरह भाखड़ा के दाहिने बिजली घर से उत्पन्न बिजली भी राजस्थान और पंजाब के बीच १५.२२:८४.७८ के अनुपात से विभाजित की जायेगी । इस प्रकार राजस्थान के उचित हितों की पूरी तरह रक्षा की जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विनियोग (संख्या ४) विधेयक

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) :** मैं श्री मोरार जी देसाई की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में एक सेवा पर व्यय की गई राशि को पूरा करने के लिये उक्त सेवा के लिये तथा उक्त वर्ष के लिये अनुदत्त राशि से अधिक राशि के भारत की संचित निधि में से विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में एक सेवा पर व्यय की गई राशियों को पूरा करने के लिये उक्त सेवा के लिये तथा उक्त वर्ष के लिये अनुदान राशि से अधिक राशि के भारत की संचित निधि में से विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी :** मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

विनियोग (संख्या ५) विधेयक

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) :** मैं श्री मोरार जी देसाई की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि :

"३१ मार्च, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में कुछ सेवाओं पर व्यय की गई राशियों को पूरा करने के लिये उक्त सेवाओं के लिये तथा उक्त वर्ष के लिये अनुदत्त राशियों से अधिक राशियों के भारत की संचित निधि में से विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि ३१ मार्च, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में कुछ सेवाओं पर व्यय की गई राशियों को पूरा करने के लिये उक्त सेवाओं के लिये तथा उक्त वर्ष के लिये अनुदत्त राशियों से अधिक राशियों के भारत की संचित निधि में से विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

डा० बे० गोपाल रेड्डी : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

विनियोग (संख्या ६) विधेयक

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) :** मैं श्री मोरारजी देसाई की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ अग्रेतर राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ अग्रेतर राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी :** मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक (संशोधन) विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय :** सभा अब २४ अगस्त, १९५९ को डा० बे० गोपाल रेड्डी द्वारा प्रस्तुत, निम्न-लिखित प्रस्ताव पर पुनः चर्चा आरम्भ करेगी :—

> "कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

माननीय मंत्री अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी):** इस विधेयक पर तीन सदस्यों ने अपना मत प्रकट किया। उन्होंने बर्मा शैल द्वारा की गई रियायत पर जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है पूरी सहमति प्रगट की। विधेयक का समर्थन करते हुए उन्होंने कुछ बातें उठाईं जो संगत होते हुए भी विधेयक के उपबन्धों से संबंध नहीं रखती हैं । डा० अणे ने यह प्रश्न उठाया था कि कम्पनियों को ये रियायतें क्यों दी गईं और अब वे रियायतें क्यों वापस कर रहे हैं। इस संबंध में खान तथा तेल मंत्री ने यह बात कही थी कि अब हमें कुछ शिक्षा मिल गई है और वस्तुतः इन कम्पनियों को ये रियायतें नहीं दी जानी चाहिये थीं तथा अब इस संबंध में पश्चाताप करने का कोई कारण नहीं है । हम चाहते थे कि हमारे देश में कुछ शोधनशालायें खुलें और वे बहुत समय से इन रियायतों के लिये प्रयत्न कर रहे थे । तथापि अनुभव से हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये रियायतें नहीं दी जानी चाहिय थीं ।

बर्मा शैल ने निश्चित अवधि के पांच वर्ष पूर्व ही रियायतें छोड़ दी हैं । इस बात से प्रसन्नता है । शायद इस का कारण यह हो कि उन्हें विश्वास हो कि इस रियायत को छोड़ देने के उपरान्त भी उन्हें काफी मुनाफा होगा और वे अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सफल हो सकेंगे । इसी कारण उन्होंने पांच वर्ष पूर्व ही इन रियायतों को छोड़ देने का फैसला किया है ।

अन्य दोनों मंत्रालयों से भी संबंधित मंत्रालय बातचीत कर रहा है । मुझे उन कम्पनियों की कठिनाइ का कोई पता नहीं है । माननीय मंत्री को उन की समस्याओं का भली भांति पता है । उक्त मंत्रालय ही इस संबंध में तेल कम्पनियों से बात चीत करेगा कि वे इन रियायतों को कितना और कब छोड़ सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री नौशीर भरूचा ने पहिले की भांति ही यह प्रश्न उठाया है कि आप इस से प्राप्त समस्त लाभ को क्यों हजम कर ले रहे हैं और उस का लाभ उपभोक्ताओं को क्यों नहीं दे रहे हैं। जब कभी उत्पादन शुल्क को बढ़ाये जाने का प्रश्न उठाया जाता है तो श्री नौशीर भरूचा यही कहते हैं कि हमें यह लाभ उपभोक्ताओं को प्रदान करना चाहिये जिससे देश में तेल की खपत बढ़े और इस के फलस्वरूप उत्पादन शुल्क में अधिक आय होगी। इस रियायत का लाभ उपभोक्ताओं को देने में कुछ प्रशासन सम्बन्धी कठिनाइयां हैं क्योंकि अन्य दो कम्पनियों ने अपनी रियायतें नहीं छोड़ी हैं।

मेरे विचार से यह समय अपने राजस्व की आय को घटाने का नहीं है। हम इस समय अपनी विशाल तृतीय पंचवर्षीय योजना को क्रियान्वित करने के लिये भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। इस समय केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग पर अधिक से अधिक संसाधन उपलब्ध करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ऐसे समय यह उचित नहीं है कि विभाग इन रियायतों से होने वाला लाभ उपभोक्ताओं को प्रदान करे। मेरे विचार से ये बातें बजट पर चर्चा के समय उठाई जानी चाहियें। इस अवसर पर ऐसी चर्चा करना ठीक नहीं है।

श्री नारायणन् कुट्टि मेनन ने इन तेल कम्पनियों के बारे में काफी प्रभावशाली भाषण दिया है। कल अपने भाषण के दौरान उन्हों ने यह कहा कि हमें तेल कम्पनियों को और अधिक रियायतें देने को मजबूर करना चाहिये। ये बातें बहुत नाजुक हैं अतः उन पर बहुत नाजुक तरीके से चलना चाहिये। इसलिये जब कि हम उन के साथ बातचीत कर रहे हैं तो ऐसे समय उन के सम्बन्ध में अनुचित बातें कहना उचित नहीं है। वस्तुतः बातचीत एक ऐसे स्तर तक पहुंच चुकी है कि ऐसे समय हमें उन के सहयोग की आवश्यकता है न कि उन्हें नाराज करने की। मैं आशा करता हूं कि जब प्रशासनिक मंत्रालय उन के साथ बातचीत कर रहा है तो वे कोई अनुचित रवैया अख्तयार नहीं करेंगी। सभा जब इस का समर्थन कर रही है तो यह स्पष्ट है कि इस के पीछे जनता की मांग है और वे इस आग्रह का अधिक दिनों तक प्रतिरोध नहीं कर सकते हैं। मेरे विचार से ये तेल कम्पनियां जबकि इन्हें अभी भारत में कई वर्षों तक काम करना है तथा अन्य देशों में भी, अपने अनुभव के आधार पर, निश्चित समय के अन्दर ही उचित रियायतें देने के लिये तैयार हो जायेंगी जिस से कि उन के तथा सरकार के बीच अच्छा रसूख बना रहे।

उन्हों ने बन्दरगाहों में दी जाने वाली बंकरिंग (जहाजों को निःशुल्क तेल देने की) सुविधाओं का उल्लेख किया है। मेरे विचार से उन्हें सभी अन्तर्राष्ट्रीय बन्दरगाहों में मिलने वाली सुविधाओं का पता नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय परम्परा यह है कि विदेश जाने वाले जहाज चाहे वे अमेरिकन हों, या भारतीय या ब्रिटिश, उन्हें विभिन्न बन्दरगाहों में निःशुल्क तेल दिया जाता है। वस्तुतः प्रत्येक बन्दरगाह में यही होता है। यदि हम उन से शुल्क लेने लगेंगे तो इस का यह परिणाम होगा कि वे यहां के बजाय कोलम्बो, कराची और अदन से तेल लेने लगेंगे।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** (मुकन्दपुरम) : लेकिन कोलम्बो और सिंगापुर और अदन में उन को निशुल्क तेल नहीं मिल रहा है।

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी :** कुछ भी हो इस बात पर प्रशासन से सम्बन्धित मंत्रालय विचार कर रहा है। तथापि मेरे विचार से यह एक सर्वमान्य अन्तर्राष्ट्रीय परम्परा है कि जहाज अपने उपभोग के लिये जो सिगरेट इत्यादि खरीदते हैं उन पर दिया गया शुल्क उन्हें वापस मिल जाता है। उस समझौते के पूर्व ही उन्हें ये रियायतें मिल रही हैं और इसी प्रकार भारतीय जहाजों को भी

†मूल अंग्रेजी में

[डा० बे० गोपाल रेड्डी]

अन्तर्राष्ट्रीय बन्दरगाहों में ये सुविधायें उपलब्ध हैं। विदेश जाने वाले भारतीय जहाज को भी किसी भी बन्दरगाह में निशुल्क तेल मिलता है। अतः हमें यह रियायत अन्य विदेशी जहाजों को भी देनी चाहिये। अतः इस प्रकार बाहर जाने वाले तेल पर निर्यात शुल्क नहीं लगाया जा सकता है। यदि हम इस रियायत को हटा लेंगे तो इस से भारतीय जहाजों को भी असुविधा का सामना करना पड़ेगा।

उन्हों ने तेल कम्पनियों से होने वाली बातचीत का भी जिक्र किया। इस में सन्देह नहीं कि पिछली बार हम ने एक अध्यादेश जारी किया था जिसे फिर अधिनियम का रूप दे दिया गया। लागत लेखापालों ने कई विघ्न बाधाओं के बावजूद भी इस प्रश्न की जांच की और एक बहुमूल्य प्रतिवेदन प्रकाशित किया जोकि इस समय भी संसद् के पुस्तकालय में है। मंत्रालय तेल कम्पनियों से बातचीत कर रहा है और मुझे आशा है कि एक माह के अन्दर ही हम इस सम्बन्ध में कुछ घोषणा करने में समर्थ होंगे। आज प्रातः भी मेरी लागत लेखा समिति के अध्यक्ष से बातचीत हुई थी। वे अभी तक कम्पनियों से बातचीत कर रहे हैं और उन्हें आशा है कि बातचीत का परिणाम एक माह के अन्दर निकल आयेगा। इसलिये यह कहना गलत है कि अनावश्यक विलम्ब किया जा रहा है।

†**श्री नारयणन् कुट्टि मेनन :** माननीय मंत्री महोदय ने यह बताया था कि बातचीत ऐसी स्थिति में पहुंच चुकी है कि जहां उस की सफलता की कोई आशा नहीं है। कम्पनियों का रुख रियायतें देने का नहीं है इसीलिये मैं ने उन्हें यह चेतावनी दी थी उन्हें अपना रवैया बदलना चाहिये।

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी :** शायद चेतावनी के बाद से उन को कुछ अक्ल आ गई है। तथापि हमें बातचीत में असफलता की आशा नहीं है। बातचीत चलती रहेगी। हमें किसी बात के कारण निराश नहीं हो जाना चाहिये। वस्तुतः सरकार इतनी निस्सहाय नहीं है कि बातचीत असफल होने के बाद हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाये। इस सम्बन्ध में श्री मेनन को चिन्ता नहीं करनी चाहिये। कैल्टैक्स कम्पनी भी मोटर स्पिरिट पर शुल्क संरक्षण, जोकि दो आने प्रति गैलन के बराबर है छोड़ने में सहमत हो गई है।

मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि श्री नारायणन् कुट्टि मेनन तथा अन्य सभी सदस्य इस विधेयक से सहमत हैं। श्री मेनन ने केवल यह आग्रह किया है कि हमें तेल कम्पनियों से बातचीत करने में शीघ्रता करनी चाहिये और इस में असफलता प्राप्त करनी चाहिये। अतः मैं सभा से इस विधेयक के समर्थन का आग्रह करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**अध्यक्ष महोदय :** इस विधेयक में कोई संशोधन नहीं है अतः सभी खंडों पर एक साथ मत लिया जायेगा। प्रश्न यह है :

"कि खंड १ और २, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड १ और २, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा बे० गोपाल रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि विधेयक को पारित किया जाय"।

†अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†श्री नारयणन् कुट्टि मेनन : मैं एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं । बर्मा शैल ने जो रियायतें दी हैं उन का लाभ भारत की संचित निधि में मिला देना उचित है । तथापि जो बातचीत अन्य कम्पनियों के साथ की जा रही है उस के सम्बन्ध में यह मैं कहना चाहता हूं कि तेल उपभोक्ताओं का एक ऐसा वर्ग है जिसे इन शुल्क की ऊंची दरों के कारण काफी हानि हो रही है । ये लोग मोटर बसों के मालिक हैं जिन्हों ने अपनी गाड़ियों को हाई स्पीड डीजल आयल से चला देने वाला बना दिया था, क्योंकि उस समय डीजल आयल में शुल्क की दर इतनी ऊंची नहीं थी । लेकिन पिछले दो तीन वर्षों में सरकार ने डीजल तेल पर शुल्क की दरें काफी ऊंची कर दी हैं जिन के फलस्वरूप उन्हें घाटा उठाना पड़ रहा है । अतः मैं यह निवेदन करता हूं कि यदि कैल्टैक्स और स्टेनवाक कम्पनियां कुछ रियायतों की घोषणा करें तो उस का सारा का सारा लाभ सरकार न ले लेवे अपितु कुछ लाभ उपभोक्ताओं को भी दिया जाना चाहिये । मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि देश के तेल संसाधनों की प्रगति के लिये हमें इस समय बहुत रुपये की आवश्यकता है तथापि रियायतों द्वारा मिलने वाले सारे के सारे लाभ को सरकार द्वारा हड़प लेना ठीक नहीं है ।

इस्पात, तेल और ईंधन मंत्री ने तेल कम्पनियों से होने वाली बातचीत को संकेत दिया था वह बहुत निराशाजनक था और इसीलिये उन्हों ने यह चेतावनी दी थी । मेरे कथन का तात्पर्य यह है कि जब सरकार के एक उत्तरदायी मंत्री ने यह चेतावनी दी हैं तो उसे क्रियान्वित करना चाहिये, अन्यथा तेल कम्पनियां यह कहेंगी कि मंत्री बार बार ऐसी चेतावनी देते हैं । और उन का कोई असर नहीं होता है । अतः सरकार को चाहिये कि जब चेतावनी दे दी गई है तो उस पर कठोरता से अमल किया जाय ।

†श्री विश्वनाथ रेड्डी : (राजमपेट) : मैं उत्पादन शुल्क से होने वाली आय के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । पिछली बार भी इस आय के उपयोग के संबंध में दो प्रकार के मत व्यक्त किये गये थे । पहिला मत तो यह था कि यदि इस आय का लाभ उपभोक्ताओं को मिलना चाहिये । यदि किसी कारण यह लाभ उपभोक्ताओं को नहीं किया जा सकता है तो सरकार को चाहिये कि वह इस से होने वाली आय की एक पृथक निधि बना दें जिस का उपयोग देश में तेल की खोज के लिये किया जा सके ।

यह अनुमान लगाया गया है कि १९६७ तक देश में तेल की खपत १२० लाख टन प्रतिवर्ष हो जायेगी । इतनी मात्रा में तेल प्राप्त करने के लिये हमें ३५० करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी । यदि हम इस आय की एक पृथक निधि बना लेंगे तो पर्याप्त राशि की व्यवस्था हो जायेगी ।

†डा० बे० गोपाल रेड्डी : मेरे विचार से इन कम्पनियों द्वारा दी गई रियायतों से होने वाली केन्द्रीय आय में से एक निधि बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है । सरकार या इन कम्पनियों द्वारा जो भी तेल की खोज का कार्य किया जायेगा उस के लिये पूंजी की आवश्यकता होगी । सरकार को आवश्यक पूंजी की व्यवस्था करनी होगी । वस्तुतः हम अधिक राजस्व प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं । और यह आवश्यक नहीं है कि इन तेल कम्पनियों से होने वाली आय की एक पृथक निधि बनाई जाय । तेल कम्पनियां अपनी आवश्यकता के अनुरूप देश के अन्दर या बाहर से धन जुटाने में समर्थ होंगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० बे० गोपाल रेड्डी]

श्री मेनन ने कहा है कि जनता के एक विशिष्ट वर्ग को कुछ रियायतें दी जानी चाहियें। वस्तुतः उस वर्ग को कुछ रियायतें दी जानी चाहियें कि नहीं इस प्रश्न पर विस्तार से विचार करना पड़ेगा। वस्तुतः सभी गाड़ियों के मालिक छोटे व्यक्ति ही नहीं होते हैं; उन में से कुछ तो बहुत बड़े आदमी होते हैं अतः में इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दे सकता हूं। इस पर बजट के समय विचार किया जायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

केरल स्थानीय प्राधिकार विधियां (संशोधन) विधेयक

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि त्रिवेन्द्रम के निगम के महापौर तथा अन्य सदस्यों और स्थायी समितियों के सभापतियों और नगरपालिकाओं के सदस्यों के कार्यकाल को और बढ़ाने तथा कुछ मामलों में पंचायतों को देय उपस्करों, शुल्कों, करों, फीसों और अन्य राशियों की बकाया की वसूली का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

संविधान के अनुच्छेद ३५६ के अन्तर्गत, राष्ट्रपति द्वारा ३१ जुलाई, १९५९ को जारी की गई उद्घोषणा के अनुसार, केरल राज्य के विधान मंडल की शक्तियों का निर्वहन संसद् द्वारा या संसद् के प्राधिकार के अन्तर्गत किया जायेगा। इस मामले में संसद् में यह विधान रखने की अविलम्बनीयता इस बात से पैदा हुई है कि केरल राज्य में त्रिवेन्द्रम के निगम के सदस्यों और अन्य सदस्यों, नगरपालिकाओं के सदस्यों की पदावधि १ सितम्बर, १९५९ को समाप्त हो रही है। इससे पहले राज्य में इन लोगों का चुनाव इस वर्ष जुलाई या अगस्त में कराने की तैयारियां चल रही थीं। लेकिन राज्य की असाधारण परिस्थितियों और वहां की राजनीतिक बेदारी को देखते हुए और नगरपालिकाओं के सभापतियों की स्थायी समितियों के सभापतियों की सिफारिशों के अनुसार, यही ठीक समझा गया कि चुनाव स्थगित कर दिये जायें।

अब यह जरूरी हो गया है कि उसकी समय-सीमा बढ़ा दी जाये। यह विधान उस समय-सीमा को अनिश्चित रखने की बजाय उसके लिये एक बाहरी समय-सीमा निर्धारित करता है। वह समय-सीमा १ सितम्बर, १९६० रखी जा रही है जिससे कि सामान्य परिस्थितियों में उस समय तक चुनाव कराये जा सकें।

यहां मैं बता देना चाहती हूं कि इस विधान के उपबन्ध मुख्यतः केरल राज्य के भूतपूर्व मंत्रालय द्वारा इस सम्बन्ध में किये गये निर्णयों को देख कर ही, उनके अनुसार ही तैयार किये गये हैं। इसके अलावा, वर्तमान विधान में एक संशोधन भी किया जा रहा है। वह संशोधन त्रावनकोर-कोचीन पंचायत अधिनियम, १९५० में किया जा रहा है। उस अधिनियम को कार्यान्वित करने में कुछ कठिनाई सामने आई थी। कठिनाई यह थी कि जब किसी क्षेत्र की पंचायत का क्षेत्राधिकार खत्म

---

†मूल अंग्रेजी में

हो गया तो करों की शेष राशियां, फीसें और अन्य शेष राशियों की वसूली भी बन्द हो गई । उस वसूली की इस विधेयक में व्यवस्था की गई है ।

इस विधान का विषय राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या ५ में दिया गया है, अर्थात् "स्थानीय सरकारें" मद में । इसलिये मैं नहीं समझती कि इस सम्बन्ध में कुछ और भी कहने की आवश्यकता है, सिवाय इसके कि सामान्य ढंग से चुनाव हो सकने तक निगम और नगरपालिकाओं का वर्तमान अस्तित्व बनाये रखने के लिये एक बाहरी समय-सीमा निर्धारित की जा रही है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** (मुकन्दपुरम्) : हम इस विधेयक के मुख्य-मुख्य उपबन्धों का समर्थन करते हैं । इसलिये कि इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है । चुनाव कराने के लिये अब इतना समय ही नहीं रह गया है ।

लेकिन पंचायतों और नगरपालिकाओं को अधिक व्यापक शक्तियां प्रदान करने के जिन नये विधानों पर विचार किया जा रहा है, उनके सम्बन्ध में कुछ नये प्रश्न खड़े हो रहे हैं ।

आज प्रश्न-काल में माननीय सहकार मंत्री ने बताया है कि अधिकांश राज्य राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार ही नये विधान बना रहे हैं, और बहुत जल्द ही उनके आधार पर ही अधिकांश राज्यों में पंचायतों के चुनाव कराये जायेंगे । योजना आयोग की सिफारिशों के आधार पर और भारत सरकार की सहमति से, केरल विधान सभा में भी एक ऐसा विधेयक पुरःस्थापित किया गया था, जिसमें इस नई नीति के अनुसार ही पंचायतों को अधिक शक्तियां प्रदान की गई थीं ।

अब केरल विधान-मंडल भंग होने के साथ ही, वह विधेयक भी समाप्त हो गया है । अब यदि पंचायतों और नगरपालिकाओं का कार्य-काल बढ़ाया जाता है और केरल में नये विधान-मंडल के चुनाव तक रुका जाता है, तो इस निर्धारित समय से पहले उस विधेयक को फिर से पुरःस्थापित करना और उसे पारित कराना असम्भव होगा ।

केरल विधान मंडल में जो विधेयक विचाराधीन था, उसे केन्द्रीय सरकार की अनुमति लगभग मिल ही चुकी थी । इसलिये केन्द्रीय सरकार उसे उसी विधेयक को संसद् में पुरःस्थापित और पारित करा सकती है । फिर उस विधेयक को नये केरल विधान-मंडल को पारित नहीं करना पड़ेगा । उस विधेयक का केरल के लगभग सभी दलों ने स्वागत किया था ।

इसलिये मेरा सुझाव है कि उस विधेयक को संसद् में ही पुरःस्थापित और पारित किया जाना चाहिये । तभी इस विधेयक में उल्लिखित अवधि में नई पंचायतें बन सकेंगी ।

इस विचाराधीन विधेयक में, केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्य, लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का सिद्धान्त ही रखा गया था । उस में पंचायतों को अधिक शक्तियां प्रदान की जा रही थीं जिससे कि पंचायतों के मामलों में कार्यपालिका का कोई अधिक हस्तक्षेप न हो सके । पंचायतों को कर वसूलने और वसूली की राशि व्यय करने की शक्तियां दी जा रही थीं । योजना आयोग ने योजना पूरी करने में पंचायतों का जो योग चाहा है, वह उसी विधेयक के जरिये पूरा किया जा सकेगा । उस विधेयक को पारित करने में विलम्ब करना, योजना की कार्यान्विति में विलम्ब करना होगा ।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नारायणन् कुट्टि मेनन]

पंचायतों को सामुदायिक विकास परियोजनाओं के सिलसिले में बड़ा महत्वपूर्ण योग देना है। हमारा अपना अनुभव है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम विभिन्न राज्यों की अपनी-अपनी परिस्थितियों को देख कर, उनके आधार पर नहीं बनाये जाते, इसलिये उनको कार्यान्वित करने में भी बड़ी कठिनाइयां पड़ती हैं और पंचायतें पूरी-पूरी आवंटित राशियां भी व्यय नहीं कर पातीं। इसलिये पंचायतों को अधिक व्यापक शक्तियां दिये बिना, उनसे उनका पूरा दायित्व निभाने की आशा नहीं की जा सकती।

इसलिये उस विचाराधीन विधेयक के पारण में विलम्ब होने से, निर्माण की पूरी प्रक्रिया और साथ ही लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की कार्यान्विति में भी विलम्ब हो जायेगा। नया विधान बनाने में कठिनाई तो होगी, लेकिन वह जरूरी है। नहीं तो केरल विधान मंडल को फिर से उस अवधि को बढ़ाना पड़ेगा। केरल में पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव पहले १९५३ में हुए थे। और अब उनका जनमत से कोई ज्यादा सम्बन्ध नहीं रह गया है। इसलिये अब वहां नई पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव जल्द ही होने चाहियें और भारत सरकार को उसके लिये या तो उसके लिये एक नया विधेयक तैयार करना चाहिये या फिर उसी विधेयक को अपना लेना चाहिये।

दूसरी चीज़ यह है कि आप इन नगरपालिकाओं का कार्य-काल बढ़ा रहे हैं। सारे देश की नगरपालिकाओं का हमारा अनुभव यह है कि पिछले कुछ साल में उनके सदस्यों ने वह काम पूरा नहीं किया जिसके लिये वे चुने गये थे। उदाहरण के लिये, एरणाकुलम की नगरपालिकाओं ने एक संकल्प पारित किया था कि यदि केरल सरकार त्यागपत्र नहीं देगी, तो वह सरकार की विधियों के विरुद्ध खुला संघर्ष छेड़ देगी। उसी संकल्प के अनुसरण में, उस नगरपालिका के सदस्यों ने कलक्टोरेट पर धरना दिया था और जेल चले गये थे। इस तरह कुछ दिनों के लिये पूरा नागरिक प्रशासन ही ठप्प हो गया था। नगरपालिकाओं को इस तरह राजनीतिक और सरकारी मामलों में हस्तक्षेप तो नहीं करना चाहिये। इसे रोकने के लिये, केन्द्रीय सरकार को कुछ उपाय करने चाहियें, विशेषकर इस परिस्थिति में जबकि नगरपालिकाओं का कार्य-काल बढ़ाया जा रहा है। एरणाकुलम नगरपालिका ने जिला नगरपालिका अधिनियम की व्यवस्थाओं का भी उल्लंघन किया था, लेकिन उसके विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। केरल सरकार ३१ जुलाई को भंग कर दी गई थी और अब भारत सरकार उसके विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं करना चाहती। लगता है कि भारत सरकार उस अवैधानिक संघर्ष के समय के सारे अपराधों को क्षमा करना चाहती है।

कार्य-काल बढ़ाते समय, सरकार को नगरपालिकाओं और पंचायतों द्वारा पिछले छः महीनों में पारित किये गये सभी संकल्पों, इत्यादि का सत्यापन तो करना चाहिये।

पुराने अधिनियम की धारा ३ के मुताबिक इन पंचायतों इत्यादि का कार्य-काल बढ़ाने पर केन्द्रीय सरकार ही उनके कार्यों के पुनरीक्षण की उत्तरदायी है। सरकार को वह संविहित कृत्य पूरा करना चाहिये। सरकार को अधिनियम के उल्लंघनों पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

मैं इस विधेयक का समर्थन तो करता हूं, लेकिन मेरा सुझाव है कि संसद् के समक्ष एक नया विधेयक प्रस्तुत किया जाना चाहिये जिस से कि इन ७-८ वर्ष पुरानी नगरपालिकाओं और पंचायतों का कार्य-काल फिर से बढ़ाने की नौबत न आ सके।

†**श्री आचार** (मंगलौर) : मैं इस विधेयक का समर्थन तो करता हूं, लेकिन इसके सम्बन्ध में मुझे कुछ बातें कहनी हैं।

मेरा स्थान भी केरल के पास ही है। श्री नारायणन् कुट्टि मेनन का कहना है कि संसद् को जल्द ही केरल विधानमंडल में विचाराधीन विधेयक को ही पारित कर देना चाहिये। यदि वह आवश्यक हो, तो अवश्य पारित किया जाये। मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता कि इन स्थानीय स्वायत्तशासी निकायों के चुनाव १९५३ में हुए थे और उनका कार्यकाल बहुधा तीन वर्ष का होता है, फिर केरल सरकार ने उस में इतना विलम्ब क्यों किया। केरल में १९५७ से निर्वाचित सरकार कार्य कर रही है, फिर भी उस ने अपने कार्य-काल के पहले दो साल चार महीनों में ऐसा कोई विधेयक पारित क्यों नहीं किया? जब केरल सरकार ने इस में कोई शीघ्रता नहीं की, तो मैं समझता हूं कि इस में अब शीघ्रता करने का कोई कारण नहीं है। हम में से अधिकांश को वहां की वस्तु स्थिति का पता ही नहीं है, इसलिये विधेयक पुरःस्थापित्त करने और उसे पारित करने में इतनी जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिये। हमें वस्तु-स्थिति का अध्ययन करने के लिये यथष्ट समय दिया जाना चाहिये।

जब कम्यूनिस्टों की ओर से श्री मेनन कहते हैं कि उस विधेयक को पारित करने में जल्दबाजी करनी चाहिये, तो हमें कुछ आशंका होने लगती है। हमें बड़ी सावधानी से उस विधेयक पर विचार कर लेना चाहिये। इसलिये संसद् सदस्यों को उसके अध्ययन के लिये पर्याप्त समय दिया जाना चाहिये।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** (पश्चिम दीनाजपुर) : श्री मेनन ने कहा है कि नगरपालिकाओं और स्थानीय निकायों को अपनी सीमाओं, अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण नहीं करना चाहिये। कलकत्ता उच्च-न्यायालय ने अभी हाल में इस सम्बन्ध में एक निर्णय किया है। कलकत्ता निगम में एक प्रस्ताव की सूचना दी गई थी कि केरल की परिस्थिति में राष्ट्रपति की उद्घोषणा एक सही कदम है। अन्य सदस्यों ने उसके विपरीत एक प्रस्ताव की सूचना दी थी। यह मामला जब कलकत्ता उच्च न्यायालय में पहुंचा, तो वहां निर्णय दिया गया कि निगम को अपने संविहित कार्यों तक ही अपने को सीमित रखना चाहिये। इसी तरह, यदि किन्हीं और स्थानों पर भी नगर पालिकायें अपने क्षेत्राधिकारों का अतिक्रमण करती हैं, तो वहां भी उच्च न्यायालयों की शरण ली जा सकती है। और इस तरह इस निकायों के सम्बन्ध में कुछ सामान्य सिद्धान्त निश्चित किये जा सकते हैं।

†**श्री कुट्टिकृष्णन् नायर** (कोज़ीकोड) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मेरा विश्वास निवास स्थान केरल में ही है। केरल की नगर पालिकाओं और पंचायतों में कोई भी खराबी नहीं है। वे अपने कर्तव्य भली भांति निभाती रही हैं।

केरल की कम्युनिस्ट सरकार ने केरल विधान सभा में जो नया विधेयक पुरःस्थापित किया था, उसे नयी चुनी जाने वाली केरल विधान सभा के विचार के लिये ही छोड़ दिया जाना चाहिये। इसलिये कि उसके द्वारा कम्युनिस्ट दल अपने विचारों को थोपना चाहता था। कम्युनिस्ट सरकार के सभी विधानों में यही कोशिश की गई थी। हमें प्रसन्नता है कि अब वह सरकार भंग हो चुकी है।

जहां तक नगरपालिकाओं और स्थानीय निकायों द्वारा पारित किये गये संकल्पों का सम्बन्ध है, वह तो यह है कि ९० प्रतिशत पंचायतों और ९९.९ प्रतिशत नगरपालिकाओं ने ऐसे ही संकल्प पारित किये थे।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : बिल्कुल ग़लत । ८६७ में से कुल ३१० ने किये थे ।

†**श्री कुट्टिकृष्णन् नायर** : यह आंकड़े पुस्तिकाओं में प्रकाशित हो चुके थे और केरल सरकार ने उनका खंडन नहीं किया था । केरल के इस मसले के सम्बन्ध में लगभग ३०–४० पैम्फलेट छप चुके हैं । वे संकल्प इसीलिये पारित हुए थे कि जनता उस सरकार के विरुद्ध खड़ी थी । इसलिये स्थानीय निकायों ने उन संकल्पों को पारित करना लोकतन्त्र के हित में ही समझा । नये चुनाव होने जा रहे हैं । और इसलिये अब उन सब को भुलाना ही ठीक है ।

कम्युनिस्ट दल से मेरा अनुरोध है कि वह पहले की सभी बातों को भुला दें । इन प्रश्नों पर केरल विधान सभा में ही चर्चा होनी चाहिये । मेरा अनुभव तो यही है कि केरल में पंचायतों ने अपना कर्तव्य बड़ी अच्छी तरह निभाया है । इसलिये उनका कार्य-काल बढ़ाना उचित ही है । सभी विकास-कार्यों के बारे में उनसे परामर्श किया गया था और उनमें स्थानीय निकायों ने पूरा-पूरा योग भी दिया है । इसलिये इस विधेयक को इसी रूप में पारित किया जाना चाहिये ।

†**श्री बा० चं० कामले** (कोपरगांव) : इस विधेयक में इसका स्पष्टीकरण किया जाना चाहिये कि इसमें "सरकार" शब्द से तात्पर्य संघ सरकार से है या केरल सरकार से । पहले तो यह स्पष्ट किया जाना चाहिये कि इस विधेयक के अधिनियम बन जाने पर इसका प्रशासन संघ सरकार करेगी या केरल सरकार, अर्थात् केरल के राज्यपाल । इस विधेयक में "सरकार" शब्द का प्रयोग उचित नहीं है । इसलिये कि सरकार की समूची शक्तियां राष्ट्रपति ने अपने हाथ में ले ली हैं ।

खण्ड ५ में इस नयी "सरकार" को सर्वोपरि शक्तियां प्रदान की गई हैं । वह सभी कठिनाइयों को दूर कर सकती है ।

इस विधेयक के खण्ड ७ के अनुसार, केरल सरकार के कुछ अधिनियमों—नगरपालिका विधि (संशोधन) अधिनियम, १६५८ और मद्रास ज़िला नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, १६५८ को निरसित कर दिया गया है । लेकिन हमें यह तो मालूम ही नहीं कि उन अधिनियमों में है क्या । इसका स्पष्टीकरण किया जाना चाहिये ।

मेयर, या विभिन्न स्थायी समितियों के सभापतियों या विभिन्न नगर पालिकाओं के सदस्यों की पदावधि तो राष्ट्रपति अपने प्राधिकार से ही बढ़ा सकते थे । उसके लिये इस विधेयक की कोई आवश्यकता ही नहीं थी ।

लेकिन मेरा ख्याल है कि इस विधेयक के खण्ड ४ के द्वारा इससे कुछ और ज्यादा करने की कोशिश की गई है । उसमें कहा गया है कि "सरकार" चुनाव करायेगी । प्रस्तावित चुनाव केरल में प्रवृत्त विधियों के अनुसार होंगे, या उसके लिये यहां कोई दूसरा विधेयक रखा जायेगा ? विधेयक में यह स्पष्ट नहीं है ।

इससे जाहिर है कि सरकार इस विधेयक के द्वारा कुछ पदावधियों को बढ़ाना ही नहीं, उससे कुछ और अधिक करना चाहती है । वह और अधिक क्या है, यह सभा को नहीं बताया जा रहा है । मैं माननीय उपमन्त्री से जानना चाहता हूं कि केरल में विधान मण्डलों के चुनाव इन स्थानीय निकायों के चुनावों से पहले होने की सम्भावना है या नहीं ? यदि विधान मण्डलों के चुनाव पहले होंगे, तब फिर इस विधेयक की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती । केरल की नयी विधान सभा स्वयं चुनाव करा सकती है और उसके लिये विधेयक पारित कर सकती है । मैं इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती आल्वा :** मैं सबसे बाद के वक्ता की बात ही सबसे पहले लेती हूं । उनको यह नहीं मालूम कि किन विधेयकों को निरसित किया जा रहा है । लोक-सभा के बुलेटिन भाग २ में सूचना दी गई है कि निरसित किये जाने वाले विधेयकों में से प्रत्येक की पांच पांच प्रतियां पुस्तकालय में रखी हैं ।

†**श्री बा० चं० कामले :** वे सुलभ नहीं हैं ।

†**श्रीमती आल्वा :** हो सकता है कि सुलभ न हों । पर माननीय सदस्य ने यह भी कहा था कि उन विधेयकों की सूची भी नहीं मिली । सूची तो बुलेटिन में मौजूद है ।

उन्होंने "सरकार" शब्द का स्पष्टीकरण चाहा है । "सरकार" से तात्पर्य है राज्य सरकार । यदि इस अवस्था पर मैं चर्चा करने लगूं तो वह इस विधेयक के क्षेत्राधिकार से बाहर जाना होगा । श्री नारायणन् कुट्टि मेनन ने विधेयक के क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण किया भी है । इस विधेयक का प्रयोजन इतना भर है कि वर्तमान निगम और नगर पालिकाओं की कार्यावधि समाप्त न होने दी जाये । इसलिये हम उसे १ सितम्बर, १९६० तक बढ़ा रहे हैं । इसमें यह निश्चित नहीं किया गया है कि चुनाव ठीक-ठीक कब किये जायें—छै, आठ या दस, या बारह महीने बाद । जब भी वहां की परिस्थिति सामान्य हो जाये, इन निकायों के चुनाव किये जा सकते हैं ।

केरल विधान सभा में एक विधान विचाराधीन था । वह प्रवर समिति को सौंपा जा चुका था । लेकिन तब तक मन्त्रिमण्डल को पद छोड़ना पड़ा । अब तो नयी विधान सभा के निर्वाचन के बाद, नयी विधान सभा ही उस विचार पर विचार कर सकती है ।

श्री नारायणन् कुट्टि मेनन ने जनमत और स्थानीय स्वायत्तशासी निकायों द्वारा किये जाने वाले कुछ कार्यों का उल्लेख किया था । मैं उसकी बहस में नहीं पड़ना चाहती । मैं तो यही सोचती हूं कि कम से कम अब तो वहाँ शान्ति होनी चाहिये, व्यवस्था होनी चाहिये; और तब उसके बाद हमें निगम और अन्य नगरपालिकाओं को उनके अपने कृत्य पूरे करने का अवसर देना चाहिये । हम सभी जानते हैं कि स्थानीय स्वायत्तशासी निकायों के लिये ये सभी काम कितने महत्वपूर्ण हैं । हम जानते हैं कि अन्य नगरों में भी, ऐसी किसी उद्घोषणा के बिना भी, इन कृत्यों का कितना महत्व है । बम्बई नगर पालिका में भी, कठिनाई के दिनों में भी, उन्होंने दो-तीन पदावधियों तक कार्य चलाया है । इसलिये इस विधान के द्वारा भी हम केवल इतना चाहते हैं कि स्थानीय स्वायत्तशासी निकायों का कार्य-काल बढ़ा दिया जाये, जिससे कि वे नये चुनावों तक अपने कृत्य उचित ढंग से कर सकें ।

मैं समझती हूं कि श्री कुट्टिकृष्णन् नायर ने श्री नारायणन् कुट्टि मेनन की बातों का पूरी तरह से उत्तर दे दिया है । इसलिये अब इस पर बहस करने से कोई फायदा नहीं कि नगर पालिकाओं और पंचायतों ने वहां की सरकार के विरुद्ध वैसे संकल्प कैसे और क्यों पारित किये थे । आज इन पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं ।

मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना । हमारा मंशा सिर्फ इतना है कि नगर पालिकाओं और पंचायतों की कार्यावधि बढ़ाई जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि त्रिवेन्द्रम के निगम के महापौर तथा अन्य सदस्यों और स्थायी समितियों के सभापतियों और नगर पालिकाओं के सदस्यों के कार्य-काल को और बढ़ाने तथा कुछ

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[अध्यक्ष महोदय]

मामलों में पंचायतों को देय उपकरों, शुल्कों, करों, फीसों और अन्य राशियों की बकाया की वसूली का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस पर कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ से ७, खण्ड १, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना और विधेयक का नाम विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २ से ७, खण्ड १, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**श्रीमती आल्वा** : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पशु निर्दयता निवारण विधेयक

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य-सभा की १३ अगस्त, १९५९ को हुई बैठक में स्वीकृत तथा इस सभा को १७ अगस्त, १९५९ को सूचित प्रस्ताव में की गई इस सिफारिश से सहमत है कि यह सभा पशुओं को अनावश्यक पीड़ा और कष्ट देने को रोकने के लिये और इस प्रयोजन के लिये पशु निर्दयता निवारण सम्बन्धी विधि को संशोधित करने वाले विधेयक के बारे में दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में काम करने के लिये लोक-सभा के निम्न-लिखित सदस्य नाम निर्देशित किये जायें : पंडित ठाकुर दास भार्गव, श्री म० ला० द्विवेदी, श्री मसुरिया दीन, श्री हर प्रसाद सिंह, श्री वोडियार, श्रीमती मफीदा अहमद, श्रीमती सुभद्रा जोशी, श्री चपल कान्त भट्टाचार्य, कुमारी मोत्ते वेद कुमारी, श्री नरसिंहन्, श्री जीनचन्द्रन्, श्री कन्हैयालाल खादीवाला, श्री मोहन लाल बाकलीवाल, श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा, श्री लक्ष्मण राव श्रवण जी भट्टकर, श्री अकबरभाई चावदा, श्री अनिरुद्ध सिंह, श्री चन्द्रमणि लाल चौधरी, श्री क० स० रामस्वामी, श्रीमती उमा नेहरू, श्री नारायणन् कुट्टि मेनन, श्री वैष्णव चरण मलिक, श्री जगदीश अवस्थी, श्री अमजद अली, श्री कमल सिंह, श्री बाला साहेब सालुंके, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री प्रकाश वीर शास्त्री, डा० सुशीला नायर और श्री स० का० पाटिल।"

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोज़ाबाद) : क्या आप ने इन सब माननीय सदस्यों की सहमति ले ली है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : जी हां। माननीय सदस्यों की सहमति ले कर ही मैं ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

माननीय सदस्य जानते हैं कि यह विधेयक बहुत दिनों से चली आ रही चर्चा के कारण प्रस्तुत हुआ है। ५ मार्च १९५४ को श्रीमती रुक्मणी अरुन्डेल ने राज्य सभा में "पशु निर्दयता निवारण विधेयक १९५३" नामक एक विधेयक प्रस्तुत किया था। इस विधेयक पर चर्चा के दौरान में प्रधान मंत्री ने समस्या के मूल सिद्धान्तों का समर्थन किया था। परन्तु विधेयक के कई खण्डों से वह सहमत नहीं थे। इस के पश्चात् सरकार के आश्वासन पर कि इस मामले पर विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त की जायेगी यह विधेयक वापस ले लिया गया था।

भारत सरकार ने पशु निर्दयता निवारण के बारे में पूरी तरह जांच की आवश्यकता को स्वीकार किया और १६ अगस्त १९५४ को एक सरकारी संकल्प के द्वारा इस सम्बन्ध में एक समिति नियुक्त की। निदेश पदों के अनुसार समिति को पशु निर्दयता निवारण के पूरे प्रश्न पर विचार करना था; देश में प्रचलित विधानों तथा सभ्य विदेशों के विधानों की जांच करनी थी; विधान के प्रयोजन के लिये 'पशु' सब्द की परिभाषा करनी थी तथा वैज्ञानिक और चिकित्सा सम्बन्धी गवेषणा की आवश्यकताओं को, लोगों को भोजन सम्बन्धी जरूरतों को, पशुओं के इलाज की सुविधाओं को और पशुओं की हत्या के आधुनिक तरीकों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सिफारिशें करनी थीं। उस समय समिति में १३ सरकारी और गैर सरकारी सदस्य थे और श्री कृष्ण मेनन सभापति थे। बाद में समिति में कुछ परिवर्तन किये गये और श्री बी० बी० गांधी और श्रीमती रुक्मणी अरुन्डेल को क्रमशः सभापति और उप-सभापति बनाया गया।

विभिन्न राज्यों में स्थानीय रूप से समस्या पर विचार कर के तथा राज्य सरकारों, स्थानीय संस्थाओं, चिकित्सक अधिकारियों, गवेषणा संस्थाओं तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों की गवाही ले कर समिति ने २३ मार्च १९५७ को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया। समिति ने अपने प्रतिवेदन में पशु निर्दयता निवारण अधिनियम १८९० की कई कमियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराया। जैसाकि उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में बताया गया है वर्तमान अधिनियम का क्षेत्र सीमित है। यह अधिनियम बड़े बड़े नगरों की नगरपालिका सीमा तक ही लागू है। इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा बनाये गये अधिनियम भी समान नहीं हैं। अधिनियम में पशु की परिभाषा 'घरेलू अथवा पकड़े गये पशु' दी गई है और अन्य पशुओं को इस के अन्तर्गत नहीं रखा गया है। वर्तमान अधिनियम में कुछ प्रकार की निर्दयता के लिये दण्ड की व्यवस्था की भी नहीं है। इस के अतिरिक्त कुछ अपराधों के लिये दण्ड की जो व्यवस्था है वह भी अपर्याप्त है।

पशु निर्दयता निवारण समिति की सिफारिशों में इन सब कमियों को दूर करने के जो उपाय बताये गये हैं उन पर संसद में कई बार चर्चा हो चुकी है। समय समय पर मैं समिति के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रश्नों का उत्तर देता रहा हूं और बताता रहा हूं कि उस की सिफारिशों के बारे में हम क्या कार्यवाही कर रहे हैं। राज्य सभा में इस विधेयक को मैं ने १३ मार्च १९५९ को पुरस्थापित किया था और राज्य सभा में इस महीने के १२ तथा १३ तारीख को इस पर विचार किया गया तथा इस विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव पारित किया गया।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री मो० वें० कृष्णप्पा]

इस विधेयक द्वारा समिति की कुछ ऐसी सिफारिशों को लागू किया जा रहा है जिन के लिये केन्द्रीय विधान की अपेक्षा है । इस विधेयक से १८९० का अधिनियम निरसित किया जा रहा है तथा उस की कमियों को भी इस के द्वारा दूर किया गया है । उदाहरणत: विधेयक पारित हो जाने के पश्चात् जम्मू तथा काश्मीर राज्य को छोड़ कर शेष समस्त भारत में यह लागू हो जायेगा । इस में पशु की परिभाषा में सभी प्रकार के पशु तथा 'सभी प्रकार के पक्षी' शामिल किये गये हैं । इसमें ऐसे अपराधों के लिये सज़ा की भी व्यवस्था है जो वर्तमान अधिनियम में शामिल नहीं थे । इस के अतिरिक्त पशुओं के कल्याण के कुछ बिल्कुल नये उपायों का भी इस विधेयक में उपबन्ध किया गया है, जो निम्नलिखित हैं :—

(१) पशु कल्याण के लिये सम्वर्द्धक उपायों की व्यवस्था करने के उद्देश्य से केन्द्र में एक पशु कल्याण बोर्ड के गठन का उपबन्ध है ;

(२) यह विधेयक सरकार को अधिकार देता है कि वह उन अवस्थाओं का सुधार व नियमन करने के लिये, जिन में पशुओं पर परीक्षण किये जाते हैं, एक समिति नियुक्त करे ताकि आवश्यक पीड़ा व दु:ख का परिहार हो सके ;

(३) यह विधेयक उपबन्ध करता है कि मनोरंजन के ऐसे प्रयोजनों के लिये, जिन में टिकट बिक्री के माध्यम से लोगों को प्रवश दिया जाता है, पशुओं के प्रशिक्षण तथा खेल-तमाशे दिखाने का विनियमन किया जाये व लाइसेंस प्रणाली लागू की जाये ।

इस अवसर पर मैं समिति द्वारा किये गये कार्य की सराहना करता हूं । हम ने समिति द्वारा बनाये गये विधेयक के विभिन्न खण्डों की सावधानी से जांच की और जहां ठीक समझा वहां पर थोड़ा थोड़ा उन में रूपभेद किया । ऐसा करने में हमारा यह उद्देश्य था कि ऐसे विवादास्पद विषयों को, जिन के कारण विधि की क्रियान्विति में कठिनाई होती, इस में से हटा दिया जाये । अब मैं संक्षेप में विचाराधीन विधेयक तथा समिति द्वारा बनाये गये विधेयक के मुख्य अन्तरों को बताता हूं ।

सब से महत्वपूर्ण प्रारूप विधेयक का अध्याय ५ था जो पशुओं के वध के बारे में था । इस खण्ड में समिति ने यह उपबन्ध किया था कि पशुओं को वध करने से पूर्व, यांत्रिक विद्युत रसायनिक ऐसे तरीके से, जिन को केन्द्र सरकार अधिसूचना के द्वारा स्पष्ट कर दे, बेहोश किया जाना चाहिये । यह खण्ड ऐसे राज्यों अथवा क्षेत्रों पर लागू किया जाता था जिन को केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के परामर्श से अधिसूचित कर दे । परन्तु इस प्रकार के तरीकों को देश में तभी लागू किया जा सकता है जब जनता का समर्थन प्राप्त हो क्योंकि मुसलमानों में हलाल, सिखों में झटका आदि का उल्लंघन करना उन की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है । साथ ही सरकार को इस बारे में कुछ गवेषणा भी करनी है जिस से यह निश्चित किया जा सके कि भारतीय स्थिति के अनुरूप कैसा तरीका होगा । खण्ड ९ के उपखंड (ङ) के अन्तर्गत बनाया जाने वाला बोर्ड इस पर भी विचार करेगा । इन सभी पहलुओं पर विचार कर के सरकार ने यह ठीक समझा कि इस विधेयक में इस खण्ड को न रखा जाये ।

समिति द्वारा बनाये गये प्रारूप विधेयक के खण्ड १४ तथा १५ में व्यवस्था की गई है कि केन्द्र सरकार पशुओं पर किये गये प्रयोगों पर नियंत्रण के लिये एक समिति का गठन करे । पशु निर्दयता निवारण समिति स्वयं इस नतीजे पर पहुंची थी कि जिस ढंग से देश में पशुओं पर प्रयोग किये जाते हैं वह ढंग असन्तोषजनक नहीं है । सरकार को जो कुछ पता है उस के अनुसार सामान्यत:

भारतीय लोग पशुओं के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और इसीलिये इस समय समिति नियुक्त करना आवश्यक नहीं समझा गया है। परन्तु इस में एक उपबन्ध रख दिया गया है जिस से पशु कल्याण बोर्ड की सिफारिशों पर, आवश्यकता होने पर ऐसी समिति नियुक्त की जा सके।

खण्ड २१ में भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है। पशु निर्दयता निवारण समिति ने तमाशा करने वाले पशु को ऐसा पशु माना है जिस का प्रदर्शन मनोरंजन के लिये सार्वजनिक स्थान पर टिकट के द्वारा अथवा अन्यथा किया जा रहा हो। मेरा विचार है कि वर्तमान परिस्थितियों में यह उचित नहीं होगा कि प्रस्तावित विधान में सड़क पर खड़े हो कर प्रदर्शन करने वालों को इस के अन्तर्गत लिया जाये क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का पंजीयन करने में बड़ी कठिनाई होगी। इसलिये यह उपबन्ध ऐसे मनोरंजनों तक सीमित रखा गया है जिन में जनता टिकट द्वारा प्रवेश पाती हो।

समिति द्वारा बनाये गये प्रारूप विधेयक के खण्ड ९(घ) में पशु कल्याण बोर्ड के कार्यों में किराये पर पशुओं को देने अथवा बीमारी आदि के कारण पशु के असमर्थ होने पर पशुओं का संभरण करने के सम्बन्ध में व्यवस्था है। माननीय सदस्य समझते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में, सरकार अथवा प्रस्तावित पशु कल्याण बोर्ड, बीमार अथवा अपंग पशुओं के स्थान पर स्वस्थ पशु देने की जिम्मेदारी नहीं ले सकता है।

प्रारूप विधेयक के खण्ड ११(ग) में बताया गया है कि पशुओं के तीखी नोकदार वस्तु चुभाना एक अपराध है और ऐसा करने वाले व्यक्ति पर ५० रुपये जुर्माना अथवा एक मास का कारावास अथवा दोनों की सजा हो सकती है। हम ने इस खण्ड को विधेयक से निकाल दिया है। माननीय सदस्य जानते हैं कि तीखे नोकदार लोहे के कांटे से खेती में बैलों को तथा घुड़सवारी में घोड़े को चलाया जाता है। और यह बड़ा कठिन है कि इस अपराध का सही रूप में पता लगाया जा सके। इस लिये इस को लागू करना कठिन समझा गया।

समिति के विधेयक के खण्ड ११ (ङ) को नये विधेयक के खण्ड ११ (१) में रख दिया गया है। इस खण्ड में से "अनावश्यक रूप से वध करता है अथवा वध कराता है" शब्दों को निकाल दिया गया है। इस को इसलिये निकाल दिया गया है कि शिकार करने पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता।

समिति के विधेयक के खण्ड ११(ढ) तथा ११(ण) भी निकाल दिये गये हैं। कुछ और छोटे छोटे परिवर्तन भी किये गये हैं।

पशु निर्दयता निवारण विधेयक १९५९ के वित्तीय ज्ञापन में कहा गया है कि पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना के बाद इसके लिये निधि की व्यवस्था की जानी होगी। विचार है कि बोर्ड की स्थापना के पहले दो वर्षों के लिये २५,००० रुपये का वार्षिक तदर्थ अनुदान दिया जाये। इस समय यह नहीं कहा जा सकता कि बोर्ड का क्या रूप होगा तथा दान आदि से जनता कितना धन इस को दे देगी। यह देखते हुए कि दूसरी योजना के ३।। वर्ष समाप्त हो चुके हैं हम ने पशु निर्दयता निवारण समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए तीसरी योजना में ३७.५ लाख रुपये सम्मिलित करने का सुझाव दिया है।

राज्य सभा ने इस पर विचार किया है और कुछ लाभदायक सुझाव दिये हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि यह विधेयक विस्तृत नहीं है क्योंकि कुछ अपराधों के लिये इस में पर्याप्त सजा की व्यवस्था नहीं की गई है। हम जानते हैं कि भारत में खेती में पशु कितना महत्वपूर्ण साधन है। पीढ़ियों से किसान के दिन प्रतिदिन के जीवन में पशु एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पशु से उनको

[श्री मो० वे० कृष्णप्पा]

दूध, मांस, खाद और ऊन मिलती है। मरने के बाद भी पशु की हड्डियां तथा खाल बड़ी लाभदायक होती हैं। परन्तु यदि हम मानव की ओर देखें तो पता लगता है कि मानव समाज भारत में पशुओं के प्रति बड़ा निर्दयी रहा है। भारत के पशुओं में गाय का बड़ा महत्व है। परन्तु उसकी ही यहां पर बड़ी उपेक्षा की जाती है। देश के बहुत से भागों में गायों को जंगली पशुओं के रूप में छोड़ दिया जाता है। यह कहा जाता है कि अन्य देशों में गाय को मनुष्य खाते हैं परन्तु भारत में गाय ने मानव को खाना आरम्भ कर दिया है क्योंकि हम ने गाय की उपेक्षा करनी आरम्भ कर दी।

गाय ने मानव को सभ्यता का पाठ पढ़ाया और उसका पालन-पोषण किया। इस सम्बन्ध में मैं अपने गांव का एक उदाहरण देता हूं। मेरे गांव में एक बुद्धिमान और सम्पन्न व्यक्ति था उसकी पत्नी झगड़ालू स्वभाव की थी। उस व्यक्ति ने जवाहरात खरीदने के बजाये ८०० रुपये की एक उत्तम गाय खरीद ली जो दस सेर दूध देती थी। उसकी पत्नी ने जिस दिन से गाय घर में आई उस दिन से झगड़ना छोड़ दिया और गाय की सेवा में अर्थात् गाय के लिए चारा तैयार करने, दूध निकालने, दूध को बेचने और धन इकट्ठा करने में लगी रही। इस प्रकार घर में हर्ष की लहर दौड़ने लगी।

इस प्रतिवेदन में तो क्या किसी देश में भी निर्दयता की कोई परिभाषा नहीं है। केवल यही कहा जाता है कि उपेक्षा ही निर्दयता है। मेरा विचार है कि भारत में पशुधन की उपेक्षा के कारण ही आज भुखमरी है। न तो मानव को और न पशु को ही पर्याप्त भोजन मिल पाता है। अहिंसा के पुजारी महावीर, बुद्ध, महात्मा गांधी तथा अशोक के इस देश में ही हिंसा का रूप वीभत्स हो रहा है। हम आज पशुओं से नफरत करते हैं। जो पशु विशेषतया गाय कभी हमारे लिए लाभदायक थे आज भार बन गये हैं। हम अपनी खेती का पुनर्गठन करना चाहते हैं तो गाय के महत्व का उस में ध्यान देना आवश्यक है। हमारी सहकारी खेती गाय द्वारा संचालित खेती ही होगी।

मैं आशा करता हूं कि संयुक्त समिति दूसरी सभा में हुए वाद-विवाद का भी ध्यान रखेगी और आवश्यक सुझाव देगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : इस विधेयक के खण्ड ४ में पशुओं पर वैज्ञानिक प्रयोगों को करने के सम्बन्ध में रोक तो लगा दी गई है परन्तु साथ ही यह भी व्यवस्था रख दी गई है कि पशुओं पर किये गये प्रयोगों का नियंत्रण केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति करेगी अर्थात् यह देखेगी कि इन प्रयोगों को करते समय पशुओं को अनावश्यक पीड़ा न दी जाये।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मैं मानता हूं कि पशुओं को अनावश्यक रूप में सताया नहीं जाना चाहिए परन्तु इसका यह तो मतलब नहीं है कि आज वैज्ञानिक विकास के युग में हम अपना विकास न करें। हम ने इस समिति को बहुत अधिकार दे दिये हैं। समिति जहां कहीं भी पशुओं पर प्रयोग होते होंगे वहां जाकर उन प्रयोगों में हस्तक्षेप कर सकेगी। मैं चाहता हूं कि सभा इस पर विचार करे। मैं एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिये कहीं पर रीढ़ की हड्डी का प्रयोग हो रहा है। और पशु की रीढ़ की हड्डी तोड़ी जा रही है, यह देखने के लिए उस पर इस हड्डी के टूटने का क्या असर पड़ता है। यह एक बड़ा निर्दयतापूर्ण काम है परन्तु इसको ज्ञान के लिए करना भी आवश्यक है। यदि ऐसे स्थान पर जाकर

†मूल अंग्रेज़ी में

यह समिति इस प्रयोग को रोकेगी तो मानव की ज्ञान वृद्धि में यह रोड़े अटकायेगी । मेरे विचार से समस्त खण्ड ४ को इस विधेयक से निकाल देना चाहिए । केवल एक उपबन्ध इस में रख देना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति जिसको ऐसे प्रयोगों को करने का अभ्यास नहीं है पशु पर कोई प्रयोग करता है तो उसको पदाधिकारी गिरफ्तार करके सज़ा दिलाये ।

समिति मैडिकल कालिजों में जाकर भी विद्यार्थियों के काम में बाधा डालेगी । यदि इस प्रकार का उपबन्ध इस में रख दिया गया तो मैडिकल कालिजों के विद्यार्थी इस विषय में ठीक प्रकार से अनुसन्धान नहीं कर सकेंगे और प्रवीणता प्राप्त नहीं कर पायेंगे । इसके अतिरिक्त मैं तो इतना तक कहने को तैयार हूं कि मैडिकल कालिजों के विद्यार्थियों को, ऐसे अपराधी व्यक्तियों पर जिनको मौत की सज़ा मिली हो, उनकी सम्मति से प्रयोग किये जाने की अनुमति मिलनी चाहिए । और यदि कोई अपराधी इस प्रयोग के पश्चात् जीवित रह जाता है तो उसको रिहा कर देना चाहिए ।

श्री रामजी वर्मा (देवरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, भारतवर्ष जो कि ऋषि, मुनियों और संतों का मुल्क रहा है और यह वह देश है जहां कि अहिंसा की महिमा गायी गयी है और जिस भारत भूमि पर कि गौतम बुद्ध, महावीर जैसे महर्षि हो चुके हैं । हमारे देश में केवल मनुष्यों के प्रति ही दया और अहिंसा का भाव नहीं होना चाहिए बल्कि इस मुल्क में जानवरों के प्रति और पशु पक्षियों के प्रति भी अहिंसा का भाव रहा है और शायद इससे किसी को विरोध न हो कि भारतवर्ष की जो संस्कृति है उसकी महत्ता इसी में है कि मानव समाज के प्रति ही नहीं बल्कि जीव मात्र के प्रति भी करुणा और दया की व्यवस्था इस भारतीय संस्कृति में रही है ।

आज भी खाद्य की दृष्टि से और हर दृष्टि से भारतवर्ष बहुत कुछ असमर्थ हो गया है क्योंकि हजारों वर्षों की गुलामी में यह देश रहता आया है। आज भले ही इस मुल्क में लोगों को भरपेट भोजन खाने को न मिलता हो लेकिन यहां पर आज के दिन भी पशुओं और चिड़ियों आदि के लिए अपने राशन में से कुछ अंश उनके लिए निकाल देने की व्यवस्था है । गरीब से गरीब लोग भी देहातों में पशुओं और चींटियों को खिला कर तब भोजन करते हैं । यह इस मुल्क की विशेषता रही है । लेकिन आज कुछ ऐसी हालत और माहौल बन गया है कि आज अगर कहा जाय कि पशुओं का वध नहीं होना चाहिए और पशुओं के साथ अहिंसा का बर्ताव किया जाय तो शायद सरकार की एकोनामी ढीली हो जाय । आज भारतवर्ष में खाद्यान्न नहीं होता और गेहूं, चावल आदि लोगों को भरपूर नहीं मिलते । ऐसी हालत में यदि यह कह दिया जाय कि यह मुल्क एकदम अहिंसक हो जाय, मछली न खाये औरं वन्य जानवरों का शिकार न करे तो शायद यह चलने वाला नहीं है और यह यहां के खाद्यान्न का एक बहुत बड़ा अंग भी है । ऐसी हालत में इस शताब्दी में हमारे लिए यह कहना और सोचना मुश्किल हो गया है कि क्या तरीका और कौन सा ढंग इस मुल्क में अपनाया जाय क्योंकि यह आप क्यों भूल जाते हैं कि हमारा देश ऋषियों और मुनियों का देश रहा है । यह देश अहिंसा को बहुत मान्यता देता रहा है, लेकिन अहिंसक होने के बावजूद इस मुल्क में बहुत से लोग हरिणों और मछलियों का शिकार करके अपने भोजन की व्यवस्था करते हैं । ऐसी हालत में हम क्या करें यह आज सरकार के सामने, समाज के सामने और जो लोग एक नई संस्कृति और परम्परा कायम करना चाहते हैं उनके सामने एक भारी अड़चन है ।

मैं आप से कहूं कि इस देश में जहां के लिए यह कहा जाता था कि यहां पर घी, दूध की नदियां बहती थीं वहां पर आज कैसी शोचनीय अवस्था है । हमारे देश में पशुधन का निरन्तर ह्रास हो रहा है । इस देश में पशुओं का पालन सिर्फ इसीलिए नहीं होता था कि हमारी कृषि बहुत कुछ पशुओं पर निर्भर करती थी और करती है बल्कि उन पशुओं के बाईप्रोडेक्ट्स दूध दही आदि भी मिल जाते थे । मैं तो इस मत का हूं कि आज भी यदि हम अपने पशुधन की रक्षा कर सकें और उनकी उन्नति

[श्री रामजी वर्मा]

कर सकें तो जहां हमारा देश कृषि के मामले में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकेगा वहां इस देश में आज जो घी और दूध की कमी पाई जाती है वह कमी भी दूर हो सकेगी। ऐसा करके हम दुनिया के सामने एक नमूना पेश करेंगे किन्तु यह कब तक हो सकेगा यह कुछ कहा नहीं जा सकता।

मुझे यह देख कर खुशी हुई कि सरकार यह बिल इस उद्देश्य से लाई है ताकि पशुओं पर बेरहमी न की जाय और उनके साथ अमानवीय व्यवहार न किया जाय। मैं जहां इस बिल का स्वागत करता हूं वहां यह जरूर कहूंगा कि इसका स्कोप बढ़ना चाहिए। हमारे श्री भरूचा ने जो एक्सपेरीमेंट्स के लिए जानवरों का प्रयोग करने की बात कही है वह किसी हद तक ठीक हो सकती है और उन तरीकों के जरिए आज कल मेडिकल साइंस में जो उन्नति हुई है उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं तो कहूंगा कि मानव उद्धार के लिए, मानव रक्षा के लिए यदि आप इस तरीके के प्रयोग करते हैं तो क्या साइंस इस रास्ते पर नहीं जा सकती कि हम पशुओं की भी रक्षा करते हुए और पशुओं के साथ भी दया भाव रखते हुए उनको टौर्चर न करें और उनको सतायें नहीं? मैं समझता हूं कि बहुत सी चिकित्सा पद्धतियां ऐसी भी हैं जिनमें कि पशुओं के साथ बेरहमी नहीं की जाती और और उनको टौर्चर नहीं किया जाता। आयुर्वैदिक, यूनानी, होमियोपैथी आदि ऐसी ही पद्धतियां हैं और उनके लिए यह कोई नहीं कह सकता कि वह पद्धतियां बेकार हैं। मैं यह भी नहीं मान सकता कि बगैर पशुओं को सताये हुए और अन्य ढंग से यह मेडिकल एक्सपेरीमेंट्स किये ही नहीं जा सकते। हमारा देश एक खेतिहर मुल्क है और पशुधन की रक्षा किये बिना और उसको बढ़ाये बिना हम अपने देश की कृषि की उन्नति नहीं कर सकते। अब हमारे यहां खेती का विस्तार तो बढ़ रहा है और पिछले दस वर्ष के आंकड़ों से यह सिद्ध हो जाता है कि पहले जितनी भूमि पर खेती होती थी अब उससे अधिक भूमि पर खेती की जा रही है फिर भी हालत यह है कि उतना खाद्यान्न अब प्राप्त नहीं कर पाते हैं जितना कि १० साल पहले प्राप्त होता था। आखिर इसका कारण क्या है? अब खेती के लिए पहला आवश्यक अंग पशु है और जाहिर है कि अगर आपका पशुधन नहीं बढ़ेगा तो आप की खेती भी नहीं बढ़ सकती। हमारे देश में पशुधन का निरन्तर ह्रास हो रहा है और हमारे किसान भी इस चीज को समझते हैं कि बिना पशुओं के हम अपने खाद्यान्न की पैदावार नहीं बढ़ा सकते। लेकिन यह खेद का विषय है कि यह सब जानते हुए भी आज हम देख रहे हैं कि वे एक एक इंच जमीन तो जोत लेते हैं लेकिन पशुओं के चरागाहों के वास्ते कुछ भी जगह नहीं छोड़ते। पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था न करना और उनके लिए चरागाह न छोड़ना भी पशुओं के साथ बेरहमी करना है। यदि आप चाहते हैं कि इस मुल्क की कृषि की पैदावार बढ़े तो उसके लिए पशुधन का भी बढ़ाया जाना आवश्यक है। पशुधन का बढ़ाया जाना न केवल दूध और दही की दृष्टि से बल्कि खेती की दृष्टि से भी जरूरी है। और बिना चरागाहों की व्यवस्था किये हुए आप अपना पशुधन का विकास नहीं कर सकते और उसकी रक्षा नहीं कर सकते। आप खेती के विस्तार में कमी करें और पशुओं की संख्या बढ़ाएं और उनके लिए चरागाहों का प्रबन्ध करें और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसा करने से आपका खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ेगा। इसलिए चरागाहों के वास्ते भूमि छोड़ने की व्यवस्था अवश्य होनी चाहये।

इस के अतिरिक्त हम देखते हैं कि आज उन पशुओं के लिये जिन को कि हम खेती के काम में लाते हैं जिन को कि हम बोझा ढोने के काम में लाते हैं या जो पालतू जानवर होते हैं उन के लिये दवादारू का कोई माकूल प्रबन्ध नहीं है। गांवों में तो कोई प्रबन्ध है ही नहीं कस्बों में भले ही मनुष्यों के लिये अस्पताल हों और साथ ही पशुओं की चिकित्सा के वास्ते भी कहीं छोटे मोटे अस्पताल हों लेकिन गांवों में तो उन की चिकित्सा का कोई प्रबन्ध नहीं है। आप इक्के और तांगे में जोते जाने वाले घोड़ों को देखिये मैं यहीं दिल्ली की बात कह सकता हूं छोटे छोटे कस्बों की तो बात ही क्या आम तौर पर आप को ऐसे

घोड़े जुते हुए मिलेंगे जिन को कि शरीर पर व्रण है और उन को और अन्य रोग लगे होते हैं लेकिन उन की चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं की जाती। जो लोग इन को तांगों और इक्कों में जोतते हैं वे उन के साथ निहायत बेरहमी से पेश आते हैं और बस उन से पैसा ही पैदा करना जानते हैं। एक तरह से हम अपने स्वार्थ को भूल गये हैं जिन के जरिये हमारा स्वार्थ चलता है कम से कम उन को तो हम जीवित रक्खें और आरोग्य रक्खें। मैं तो चाहता हूं कि इस की व्यवस्था आप कानून के जरिये करें कि रोगी पशु से कोई देहात में काम न लिया जाय और सवारी में न जोता जाय। मैं चाहता हूं कि अन्य पशु पक्षियों के लिये भी इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिये। आप ने बहुत से कानून बनाये हैं जंगलों के लिये जहां जंगली जानवर रहते हैं। लेकिन आंकड़ों से मालूम होता है कि बहुत से स्पीसीज खत्म हो गये हैं। आप यह तै न कर लीजिये कि यह सारी सृष्टि केवल मनुष्यों के लिये ही है। मानव समाज के लिये पशु पक्षी और जंगल के जानवर भी आवश्यक हैं। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत से जंगली जानवरों के स्पीसीज खत्म हो रहे हैं जैसे जंगली सुअर है या जंगली डक है। उन की सुरक्षा का प्रबन्ध होना चाहिये। आप ने शिकार के लिये नियम बनाया है कि १५ जून और १५ अक्तूबर के बीच शिकार न किया जाय लेकिन लोग शिकार इस समय भी करते हैं पोचिंग करते हैं और बहुत से जानवरों को ऐसे ही मार देते हैं। इस को रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है। इन जंगली जानवरों का गलत तरीके से शिकार होता है और ये वहीं सड़ते रहते हैं। इस को रोकना चाहिये। इस बारे में आप को सख्ती करने की जरूरत है। आप को जंगल के बारे में इस कानून को सख्त करना होगा।

मैं आप से कहूं कि यह राम और कृष्ण का देश है और यहां बहुत से जानवरों की पूजा होती है। हिन्दू गऊ की पूजा करते हैं और बन्दर को भी आदर की दृष्टि से देखा जाता है। तो जो कानून हो वह जनता की भावनाओं का ध्यान रखते हुए बनाना चाहिये। लेकिन आज हम देखते हैं कि सरकार विदेशी मुद्रा का अर्जन करने के लिये बन्दरों को बाहर भेजती है। और इस प्रकार केवल २७ लाख की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। इतने से लाभ के लिये सरकार बड़ी संख्या में बन्दरों को जिन के प्रति भारतवर्ष में एक बड़े वर्ग की पूज्य भावनायें हैं बाहर भेजती हैं। मैं समझता हूं कि विदेशी मुद्रा अर्जित करने के और भी बहुत से तरीके हो सकते हैं। हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जो रोगी पशुओं से काम ले कर पैसा कमाते हैं। इसी तरह जो हमारी सरकार २७ लाख के लिये बन्दरों का निर्यात करती है यह आप के लिये और सरकार के लिये शर्म की बात है।

एक माननीय सदस्य : यह तो सब के लिये शर्म की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन के लिये नहीं है क्योंकि वह तो उस के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : लेकिन वह तो आप के लिये भी कह रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं तो हुआ। लेकिन वह तो उस के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं।

चौ० रणवीर सिंह : लेकिन जिस का यह खेत खाते हैं वह क्या करे ?

श्री रामजी वर्मा : पैदावार इस लिये नहीं घट रही है कि बन्दर खेत खा जाते हैं लेकिन इसलिये पैदावार कम हो रही है कि आप के पास खाद वगैरह नहीं है। यदि पशु अधिक मात्रा में हों तब तो पैदावार और ज्यादा होगी। खेतों में तो आज से दस वर्ष पहले ज्यादा पैदावार होती थी। आज कम क्यों होती है उस का कारण यही है कि हमारे पास साधन कम हैं। बन्दरों के कारण कम नहीं हुई है। अधिक मात्रा में पशु होने से तो मानव समाज का लाभ ही होगा।

[श्री रामजी वर्मा]

बरेली में एक दवाओं का इंस्टीटयूट है। वहां पर दवा के लिये भैंसों का इतना खून निकाल लिया जाता है कि वे बेकार हो जाती हैं। अगर मैं कहूं कि दवा का कोई और प्रकार होना चाहिये तो उसका कोई असर नहीं होगा क्योंकि आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं उस को बदलेंगे नहीं। इसलिये मैं इतना कहना चाहता कि उन का इतनी मात्रा में खून निकाला जाये ताकि वे उस के बाद भी अच्छी तरह से जीवित रह सकें।

मुझे इतना ही कहना था। चूंकि यह बिल ज्वाइंट कमेटी के सामने जायेगा इसलिये मैं समझता हूं कि वहां माननीय सदस्य इस के हर पहलू पर विचार करेंगे और एक ऐसा कानून पेश करेंगे जिस में प्रकट हो कि हमारे यहां न सिर्फ मानव के लिये ही बल्कि पशुओं और पक्षियों के लिये भी क्या भावना है।

चौ० रणवीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल का समर्थन करते हुए मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि हमारे देश में पशुओं और पक्षियों के प्रति दया करने की और उन का पालन करने की भावना शुरू से ही रही है। लेकिन अगर आज अगर हम अपने पशुओं का दूसरे देशों के साथ मुकाबला करें जहां वह भावना नहीं है जो कि हमारे देश में है तो हम अपने पशुओं में और उन के पशुओं में बड़ा फर्क पाते हैं। इस कानून में यह रखा गया है कि एक बोर्ड बनाया जायेगा जो कि पशुओं के प्रति हमदर्दी पैदा करने के लिये आरगेनाइजेशन बनायेगा। लेकिन ऐसी संस्थाओं की इस देश में कोई आवश्यकता नहीं है। पहले ही लोग इस देश में जहां तक जबानी हमदर्दी का ताल्लुक है पशुओं के साथ जबानी हमदर्दी रखते हैं। लेकिन वह हमदर्दी जबान से आगे नहीं जाती। जो भाई हमदर्दी रखते हैं बन्दर के साथ, जो भाई हमदर्दी रखते हैं गऊ के साथ जब ये जानवर उन की दुकान के सामने जानते हैं तो वे उन के पीछे लाठी ले कर भागते हैं। लेकिन जब वह जानवर किसी दूसरे का खेत चरते हैं और उस का नुकसान करते हैं तो उन की हमदर्दी उन जानवरों के साथ रहती है, चूंकि उन का अपना कोई नुकसान नहीं है। शायद वह लोग यह समझते हैं कि बन्दरों के फसल को खाने से ज्यादा पैदावार होता है : लेकिन जिस ने मेहनत से खेत कमाया है और गन्ना या अनाज पैदा किया है उस की फसल को जब बन्दर चखते हैं तो वह अनुभव करता है कि यह पशु पक्षियों की हमदर्दी किस हद तक जानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन इस सारी भावना के बावजूद, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, जब हम अपने देश के पशुओं का मुकाबला दूसरे देशों के पशुओं से करते हैं तो हमारा सिर दर्द शर्म से झुक जाता है। मैं किसी देश के नाम का हवाला नहीं दूंगा लेकिन मैं केवल इतना ही कहूंगा कि दूसरे देशों के अन्दर जो गायें हैं वे हाथी जैसी हैं। हम लोग गाय के नाम की बड़ी दुहाई तो देते हैं लेकिन हमारे यहां बहुत सी ऐसी गायें हैं जो केवल एक सेर ही दूध देती हैं। दूसरे देशों में आप देखें कि गायें ३५ सेर और ४० सेर ही दूध देती हैं। और गायें हाथी जैसी शक्ल की हैं। इस को देख कर हम को अन्दाजा होता है कि हम न केवल कारखानों में ही दूसरे देशों से पिछड़ गये हैं बल्कि जो डंगर पालने का तरीका है उस में हम उन से पीछे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर गाय की शक्ल हाथी जैसी हो जाये तब तो हम उस को नहीं पूजेंगे।

चौ० रणवीर सिंह : मैं समझता कि अगर उस से फायदा होगा तो चाहे हम पूजा का नाम न लें लेकिन उस की रक्षा जरूर करेंगे।

आप को पता ही है कि पंजाब से बहुत अच्छी अच्छी भैंसें और गायें कलकत्ता के अन्दर, मद्रास के अन्दर और बम्बई के अन्दर जाती हैं जहां बहुत सारे करोड़पति लोग रहते हैं जो गऊ के नाम पर बहुत आंसू बहाते हैं और गाय की दुहाई देते हैं। लेकिन इन शहरो में गायों और भैंसों का यह हाल है कि जहां उस ने दूध देना कम किया या बन्द किया कि उन को कसाई के यहां भेज दिया जाता है और इस तरह देश की बहुत बढ़िया नस्ल के पशु, गो कि वह दूसरे देशों के मुकाबले में ज्यादा अच्छे नहीं हों, नष्ट कर दिये जाते हैं। एक बार मैं और डा० पंजाब राव देशमुख कलकत्ता गये थे। हम दोनों बूचड़खाने में बाबू ठाकुरदास भार्गव के साथ पहुचे और हमने वहां गायों को खड़े देखा। मैंने मजाक में डा० पंजाबराव देशमुख से कहा कि जहां तक आप के प्रदेश का वास्ता है, मैं समझता हूं कि वहां की अच्छी से अच्छी गायें भी यहां जो बुरी से बुरी गायें काटी जा रही हैं, उनका मुकाबला नहीं कर सकतीं। हमारे देश के पशुओं की यह हालत है। आज मध्य प्रदेश और दूसरी जगहों में गऊ पर बहुत ज्यादा श्रद्धा रखी जाती है, लेकिन वहां अगर गाय और बैल की हालत को देखा जाये, तो पता चलेगा कि दो बैल की जोड़ी दस मन से ज्यादा बोझ उठा कर नहीं चल सकती और गाय एक सेर से ज्यादा दूध नहीं दे सकती। गाय और बैल के नाम पर चाहे कोई कुछ कहे, लेकिन दरअस्ल हमारे यहां पशुओं के साथ एक बड़ा भारी जुल्म हो रहा है। पंजाब में गाय और बन्दरों की दुहाई नहीं दी जाती, लेकिन अगर हिन्दुस्तान के किसी दूसरे हिस्से का आदमी वहां के गाय, बैल या भैंस को देखता है, तो उसका दिल खुश हो जाता है, अगर उसके दिल में पशुओं के लिये श्रद्धा है। जब वह वहां पर दूध की मिकदार को देखता है, तो उसका दिल खुश हो जाता है। आज अगर पंजाब का किसान हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों के किसान से ज्यादा खुशहाल है, तो उस के दो तीन कारण हैं। एक कारण तो पंजाब की नहरें हैं, लेकिन दूसरा बड़ा कारण है पंजाब का पशुधन। मैं अपने ज़िले के बारे में जानता हूं। अकेले हमारे ज़िले को गाय और भैंस बाहर भेजने से, जो कि उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल तक जाते हैं, करोड़ों रुपए की आमदनी होती है। हमारे ज़िले में किसानों की खुशहाली की यह हालत है कि जिस किसान के पास तीन चार एकड़ ज़मीन है, उसके पास भी पक्का मकान है, उसकी औरत के कपड़े अच्छे हैं, उस के रहने-सहने का तरीका और उसका खान-पान अच्छा है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह कपड़े औरत के ही अच्छा रखता है या अपने भी ?

चौ० रणबीर सिंह : उन्होंने कहा, साबुन का कारखाना यू०पी० में है। अभी वह पंजाब में लगा नहीं है। जब लग जायगा, तो उस के कपड़े भी अच्छे हो जायेंगे। मैं आप से अर्ज़ कर रहा था कि वहां के किसान की हालत अच्छी है, उस की एक वजह यह है कि वहां का पशु अच्छा है। वहां पशु के लिए ज़बानी हमदर्दी नहीं है। मुझे याद है कि जेल में एक कैदी थे। जब उन्होंने मुझ से पूछा कि मैं कौन से ज़िले का हूं, तो उन्होंने मुझ से मजाक किया कि आप के ज़िले में आदमी गाय और भैंस को अपनी औरत और बच्चों से ज्यादा प्यार करता है और उन के पालन-पोषण और उनके नहलाने-धुलाने का काम इतने प्यार से करता है, उनका इतना ख्याल रखता है, जितना कि वह अपने बच्चों और औरत का नहीं रखता है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर हमने पशु का पालन करना है, उसकी नस्ल सुधारनी है और उस को जुल्म से बचाना है, तो यह कुदरती बात है कि उससे बहुत ज्यादा प्यार करना होगा, उस को अच्छी खुराक देनी होगी और अच्छी तरह नहलाना-धुलाना होगा और हर तरह से उसकी सेवा में तत्पर रहना होगा। उस में सिर्फ़ ज़बानी जमा-खर्च से काम नहीं चलेगा।

हमारे देश की हालत यह है कि लोग कहते तो यह हैं कि हमें पशुओं से प्यार है लेकिन वे उनको मारना चाहते हैं——एक दम किसी हथियार से नहीं, बल्कि वे उन को भूखा मारते हैं, उनको खुराक नहीं देते हैं। मुझे खुशी है कि इस बिल में उसका भी ज़िक्र किया गया है और कहा गया है कि

[चौ० रणवीर सिंह]

जो डंगर की अच्छी तरह से सेवा शुश्रुषा नहीं करेगा और उसको अच्छी खुराक नहीं देगा और उसको कमज़ोर रखेगा, तो उस को भी एक महीने की सज़ा दी जा सकती है। मैं समझता हूं कि यह बहुत ज़रूरी है। इससे हिन्दुस्तान के दूसरे प्रदेशों का इम्तहान होगा कि वे अपने पशुओं को किस तरह से रखते हैं। अभी मेरे साथी बोले और उन्होंने पशुओं के लिये हमदर्दी ज़ाहिर की, लेकिन जब इन के पशु जाकर देखें, तो हमारे सूबे के लोगों को दुख होता है।

एक वक्त था कि जब बाबू ठाकुर दास भार्गव ने बड़े ज़ोर से कहा था कि इस देश में किसी डंगर को नहीं मारना चाहिये। हमारे कृषि मंत्री, डा० पंजाबराव देशमुख ने कहा कि यह कैसे हो सकता है। जब मैं बीच में बोलने लगा तो मैंने कहा कि जब बाबू ठाकुरदास भार्गव के सामने डंगर को मारने का सवाल आता है, तो उन की आंखों के सामने हिसार के बैल और सांड, गाय और भैंस आते हैं और जब डाक्टर साहब के सामने यह सवाल आता है कि खराब और नाकारा डंगर को मारा जाय या नहीं, तो उनकी आंखों के सामने मध्य प्रदेश की पतली पतली गायें और नाकारा सी भैंसें और बैल होते हैं और उन्हें मालूम है कि वे न खेती के काम के हैं और न वे काश्तकार की आमदनी को बढ़ा सकते हैं। उन से तो नुकसान ही होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि मिसल मशहूर है कि खोटा पैसा खरे पैसे को बाजार से निकाल देता है। जो अच्छे डंगर हैं उनको इसलिये पनपाया नहीं जा सकता है कि इतने ज्यादा खराब और दुबले-पतले डंगर हैं, जिनकी परवरिश वह करना चाहते हैं और वह उनकी शक्ति के बाहर होता है। दूसरे प्रदेशों के लोग इस बारे में बड़ी भावना रखते हैं कि डंगरों के ऊपर जुल्म न हो, लेकिन जब उनके पशुओं को देखा जाता है, तो उन की भावना का तोल हो जाता है कि वे दरअस्ल किस हद तक सच्ची हैं।

श्री खादीवाला (इन्दौर) : मध्य प्रदेश की गाय और बैल हथिनी के बच्चे की तरह होते हैं। शायद माननीय सदस्य समझ रहे हैं कि मध्य प्रदेश के गाय-बैल बहुत कमज़ोर होते हैं। हमारे यहां मालवा के गाय-बैल बहुत अच्छे होते हैं।

चौ० रणवीर सिंह : मध्य प्रदेश तो अब एक बहुत लम्बा चौड़ा इलाका है। उसमें मध्य भारत का भी हिस्सा है, पुराने मध्य प्रदेश का भी हिस्सा है और विन्ध्य प्रदेश का भी उसमें हिस्सा है। मालवा के गाय-बैल अच्छे होते हैं, यह बात ठीक है।

मुझे खुशी है कि इसमें यह जो प्राविज़न रखा गया है कि जो अपने पशुओं को अच्छी खुराक नहीं देगा, उस को सज़ा होगी। इसमें यह भी लिखा है कि जो बोर्ड बनेगा, वह ऐसी आरगनाइज़ेशन्ज़ को बढ़ावा देगा, जो पशुओं की रक्षा और उन की नस्ल-सुधार के बारे में काम करती हैं। मुझे इसमें कोई ऐतराज़ नहीं ह, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे आरगनाइज़ेशन्ज़ इस देश में अब भी बहुत हैं, लेकिन वे जिस तरह से काम करती हैं, मैं समझता हूं कि वे देश के हित के लिये नहीं हैं और न ही वे पशु-पालन के हित के लिये हैं। ऐसी आरगनाइज़ेशन्ज़ के लिये उस बोर्ड को पैसा नहीं देना चाहिये। मैं चाहूंगा कि बेशक इस क्लाज़ को निकाल दिया जाये, या उसको ठीक ढंग से ड्राफ्ट किया जाये। मैं चाहता हूं कि बोर्ड का जितना रुपया खर्च हो, वह इस तरह की अच्छी संस्थायें बनाने पर ज्यादा खर्च हो, पशु और पक्षियों की नस्ल सुधारने और उनको जुल्म से बचाने के लिये खर्च हो। यह भावना देश में काफ़ी है और यहां तक कि मेरी राय में वह पशु और पक्षियों की नस्ल-सुधार के खिलाफ़ जाती है। हमारे जैसे लोग, जिन के पास बड़े अच्छे पशु हैं और जो पशु की बड़ी अच्छी रक्षा करते हैं लेकिन जब यहां पर हम उनकी बात को सुनते हैं तो हम मजबूर होते हैं, उनकी बातों के खिलाफ कहने को। बन्दरों की यहां जब बात की जाती है तो हमें ताज्जुब होता है यह देख कर कि उनकी जो

कथा है, उसको वे लोग भूल जाते हैं। दुकानदार लोग जब उनकी दुकानों के नज़दीक बन्दर आते हैं, तो उनको पास फटकने नहीं देते लेकिन उनके दिल मे हमदर्दी जाग्रत हो जाती है जब वे यह कहते हैं कि इनको क्यों मारा जाता है। हिन्दुस्तान के जो ७० फीसदी किसान हैं वे बन्दरों को देख करके इतना घबराते हैं और उनको मारने के लिये इतने उतावले हो जाते हैं कि कई बार उनको जब वे मारने के लिये गोली चला देते हैं तो इन्सान भी जख्मी हो जाते हैं। जहां उनकी भावनाओं की हमारे दिलों के अन्दर कद्र है और जहां हम उन्हें इस बात पर ऐतराज़ करते हुए सुनते हैं कि यहां से बन्दर क्यों अमरीका इत्यादि देशों को भेजे जाते हैं, उसके साथ ही साथ मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि वे ज़रा इस बात पर ऐतराज़ करें कि हमारे अच्छे बैल, अच्छी गायें, अच्छी भैंसें, जो कि मद्रास, कलकत्ता और बम्बई जाती हैं, उनको वहां क्यों कत्ल कर दिया जाता है। मुझे खुशी होती अगर वे इस बात पर ऐतराज़ करते और इसके बारे में कोई सुझाव देते। उन्हें चाहिये था कि वे बताते कि किस तरह से हिन्दुस्तान की अच्छी नस्लों को बचाया जा सकता है।

मैं इस बात से भी कभी सहमत नहीं हो सकता कि अच्छी नस्ल का जो फायदा है, दूध का जो फायदा है, वह कलकत्ता, बम्बई इयादि वालों को न दिया जाए और पशुओं के यहां से वहां ले जाने पर पाबन्दी लगा दी जाए। जिस तरह से, अनाज के ऊपर कंन्ट्रोल लगाना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है, उसी तरह से, जो लोग यह समझते हैं कि अच्छी नस्ल के पशुओं को यहां से मद्रास, कलकत्ता इत्यादि न जाने दिया जाए ताकि उनकी रक्षा हो सके, ठीक नहीं है और मैं उनके साथ सहमत नहीं हो सकता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बिल के पास होने के बाद जो बोर्ड बने, वह इस बात पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे कि जो अच्छी नस्ल हिन्दुस्तान की आज कलकत्ता, बम्बई, मद्रास इत्यादि में जाकर खत्म हो जाती है, वह खत्म न होने पाये, उसकी रक्षा हो सके और उस ओर अधिक ध्यान दिया जाए।

जहां तक संस्थायें बनाने की बात है और उसके बारे में जो आपकी सब-क्लाज़ है, उसको मैं चाहता हूं कि इस ढंग से बदला जाये जिससे कि प्रचार वाली बात तो निकल जाए और किस तरह से सही तौर पर अच्छी नस्ल वाले जानवरों की रक्षा हो सकती है, किस किस्म की आर्गेनाइज़ेशन्स और संस्थाएं इस काम को अच्छी तरह से कर सकती हैं, उस किस्म की संस्थाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिये और बोर्ड द्वारा उनको ग्राण्ट्स दिये जाने का प्रबन्ध होना चाहिये।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरुदासपुर) : मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं। इस विधेयक के बारे में हमें कुछ अनुभव करने हैं। यह विधेयक तो इस विषय का प्रारम्भ है। समय के साथ साथ हम इस में सुधार करेंगे। इस विधेयक के निर्माताओं को मैं बधाई देता हूं क्योंकि उन्हों ने वह कार्य किया है जिस की स्वतन्त्र भारत को बहुत आवश्यकता थी। पशुओं के प्रति निर्दयता निवारण अधिनियम का जो १८६० में पारित हुआ था क्षेत्र बहुत ही सीमित था। हालांकि मानवीय और आध्यात्मिक परम्पराओं में हम बहुत आगे थे किन्तु फिर भी इस अधिनियम में संशोधन करने की चिंता किसी ने नहीं की। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् श्रीमती रुक्मणी अरुन्डेल ने इस विषय के बारे में एक वक्तव्य दिया और हमारे प्रधान मंत्री ने आश्वासन दिया कि इस मामले की उचित रूप से जांच की जायेगी। इस की जांच की गई और परिणामस्वरूप यह विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत है।

इस विधेयक के बहुत से पहलू हैं जिन पर विचार करने की आवश्यकता है। सब से पहली बात तो यह है कि हमारे यहां नाना प्रकार की निर्दयता इन पशुओं के साथ की जाती है। अतः निर्दयता निवारण पर कोई विस्तृत विधि बनाना असंभव है। हालांकि इस विधेयक में कुछ निर्दयताओं के नाम गिनाये गये हैं। लेकिन फिर भी अगर आप उन निर्दयताओं के निवारण का उपाय खोजेंगे तो मानव समाज अन्य प्रकार की निर्दयता करने लगेंगे। अतः यह विधेयक सीमित होने पर अच्छा है।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दी० चं० शर्मा]

मूल बात तो मनुष्य से निर्दयता की भावना को निकालना है। सभी धर्मों के प्रवर्तकों तथा प्रचारकों ने मानव के मन से इस निर्दयता की भावना को निकालने का प्रयत्न किया है। किन्तु अभी तक यह भावना विद्यमान है। अतः हमें लोगों को पशुओं से सम्बन्ध बढ़ाने और उन से सम्बन्ध स्थापित करने की शिक्षा का प्रचार करना चाहिये। मेरे विचार से यह समस्या दंड देने की अपेक्षा शैक्षिक अधिक है ।

मेरा निवेदन है कि इस विधेयक के दंड देने वाले उपबन्ध अपर्याप्त हैं और काफी नहीं हैं। इस विधेयक को पढ़ने के पश्चात् हमें इस बात का ज्ञान हो जाता है कि हम पशुओं तथा पक्षियों के साथ किस प्रकार का अत्याचार और निर्दयता का बर्ताव कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इस विधेयक के प्रवर्तकों ने इस पर पूरी तरह से विचार नहीं किया है। जहां उन्होंने निर्दयताओं के नाम गिनाये, किस प्रकार निर्दयता की जाती है इन बातों का उल्लेख किया है वहां वे यह भूल गये हैं कि उन को किस प्रकार का कठोर दंड दिया जाना चाहिये। क्या आप समझते हैं कि ५० रु० का जुर्माना कर के पशुओं के प्रति की जाने वाली निर्दयता को रोक सकते हैं ? कदापि नहीं। क्या आप समझते हैं कि २५ हजार की निधि से एक पशु कल्याण बोर्ड बना कर आप निर्दयता को रोक सकते हैं? कभी नहीं। यह तो एक अच्छा मजाक है ।

मेरा निवेदन है कि इस विधेयक की दंड की व्यवस्था करने वाले खंडों को कुछ और कड़ा करना है। पशु कल्याण बोर्ड के लिये अधिक निधि होनी चाहिये। मेरे विचार से सभी गायें और पशु एक समान हैं चाहे वह हृष्ट पुष्ट हैं अथवा नहीं। अतः यह कहना कि कमजोर गायों का वध किया जायें ठीक नहीं है ।

अगर पशुओं की गिनती की जाये तो विश्व में हमारे देश में उन की संख्या सब से अधिक मिलेगी। मैं ने देखा है कि एक परिवार में चाहे पत्नी अथवा बच्चे न हों लेकिन गाय, अथवा बकरी अथवा कोई अन्य पशु अवश्य होगा। अतः २५ हजार की निधि से पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना संसद्, देश के पशु अथवा देशवासियों के साथ मजाक करना है ।

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : तीसरी योजना के लिये हम ने ३७ लाख रुपये की व्यवस्था की है।

श्री दी० चं० शर्मा : पशु कल्याण बोर्ड के कार्य इस अवसर के अन्य संगठनों की अपेक्षा बहुत अधिक हैं। इसे बहुत काम करने हैं। सुना है कि इस बोर्ड के सदस्य सरकारी पदाधिकारी होंगे मेरा निवेदन है कि इस में नामनिदशित व्यक्तियों की अपेक्षा निर्वाचित व्यक्ति अधिक होने चाहियें। अगर आप इस बोर्ड की स्थापना करना चाहते हैं तो सही अर्थों में कीजिये। अगर आप चाहते हैं कि यह बोर्ड कुछ कार्य करे तो आप को चाहिये कि उन को पूरा करने के लिये इस बोर्ड को अधिकार भी दिये जायें। आप इसे कार्य करने के लिये तो कह रहे हैं लेकिन अधिकार नहीं दे रहे हैं जहां तक कि विधेयक की बात है वह तो अच्छा है लेकिन इस की रचना ठीक नहीं है। इस के कार्य तो बहुत से हैं लेकिन उन की पूर्ति के साधन अपर्याप्त हैं।

मेरा निवेदन है कि निर्दयता तो निर्दयता ही है चाहे वह मनुष्य के साथ की जाये अथवा पशु के साथ। मेरे विचार से पशुओं के साथ की जाने वाली निर्दयता के लिये अधिक दण्ड दिया जाना चाहिये। क्योंकि मनुष्य उस निर्दयता का विरोध कर सकता है लेकिन पशु नहीं। इसलिये मैं संयुक्त समिति से निवेदन करूंगा कि वह दण्ड को और भी कड़ा बनाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

हमारा अनुभव यह है कि सामाजिक विधियां सही ढंग से अथवा पूर्ण रूप से लागू नहीं की जाती। यही बात इस विधेयक के साथ होगी। इसलिये दंड की व्यवस्था और भी कड़ी की जानी चाहिये। मैं तो यहां तक कहूंगा कि १००० मामलों में आप एक अपराधी ही पकड़ पायेंगे। और ऐसी स्थिति में आप उस व्यक्ति को केवल ५०) जुर्माना कर के ही छोड़ दें तो भला यह कहां तक ठीक है। यह तो पशु संसार के साथ अनाचार है।

इस विधेयक के कार्य करने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में मुझे कुछ निवेदन करना है। मेरा विचार है कि पुलिस के सब इंस्पैक्टर को बहुत अधिकार दिये गये हैं। जिस समय समिति इस समस्या पर विचार कर रही थी तब कहा गया था कि इस कार्य में पुलिस के अतिरिक्त उन व्यक्तियों को भी अवसर देना चाहिये जो इस में रुचि रखते हैं। अगर संसद् सदस्यों, विधायकों, नागरिक परिषदों को यह कार्य मिलता है और उन्हें इस प्रकार के व्यक्तियों को जो पशुओं के साथ निर्दयता का बर्ताव करते हैं, दंड देने के अधिकार दिये जाते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। हमारे देश में कितने सब-इंस्पैक्टर हैं मैं नहीं जानता लेकिन मैं पूछता हूं कि कितने इंस्पैक्टर ऐसे हैं जो इस कार्य को करेंगे। अतः आप इस को सही रूप में क्रियान्वित करना चाहते हैं तो आप को चाहिये जनता के अधिक से अधिक व्यक्तियों का जो इस में रुचि रखते हैं उपयोग करें। आप उन्हें कुछ अधिकार दें ताकि वे देश में कल्याण करने के लिये सक्रिय हो सकें।

जहां तक कि जानवरों पर प्रयोग करने की बात है उस के सम्बन्ध में यहां अच्छे पग उठाये गये हैं। मुझे इस से प्रसन्नता ही हुई है। साथ ही कहा है कि एक समिति बना दी गई है जो संस्थाओं में जा कर इस बात की जांच करेगी। मैं समझता हूं कि यदि पशुओं पर उस हद तक प्रयोग किये जायें जहां तक कि वे निर्दयता की श्रेणी में नहीं आते वहां तक ये ठीक हैं।

अधिकांशतः व्यक्ति जो पशुओं के प्रदर्शन द्वारा अपनी जीविका कमाते हैं अशिक्षित हैं, और इस प्रकार के व्यक्ति समस्त संसार में मिलते हैं। और उन की जीविका के साधन ये पशु ही हैं। इसलिये उन व्यक्तियों का पंजीयन आसानी से कि ा जा सकता है। लेकिन पंजीयन के लिये उन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिये।

इस विधेयक में शिकार करने और पशुओं के मारने के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया है। मैं समझता हूं कि इस के बारे में दूसरी विधि हो। मेरा विचार है कि इस विधेयक को व्यापक बनाने के लिये इस सम्बन्ध में भी यहां कुछ कहना चाहिये था।

इन पशुओं के यातायात का भार इन के मालिकों के अतिरिक्त रेलों तथा अन्य अभिकरणों पर भी होना चाहिये। और इस सम्बन्ध में भी कुछ करना चाहिये।

फूका व्यापार के सम्बन्ध में भी मेरा विचार है कि अच्छे उपबन्ध बनाये गये हैं। मेरा विचार है कि यह विधेयक जनता को शिक्षित करने में काफी सहायता पहुंचायेगा। लेकिन स्कूलों, कालिजों तथा अन्य सामान्य जनता को इस विधेयक के उपबन्धों से परिचित कराने से ही उपयुक्त शिक्षा मिलेगी। मेरा निवेदन है कि पशु कल्याण बोर्ड की निधि में से काफी निधि इस विधेयक के उपबन्धों का प्रचार करने में व्यय करनी चाहिये। हमें पशुओं तथा पक्षियों के साथ उपयोगिता की दृष्टि अपनानी चाहिये और यही हमारी वास्तविक शिक्षा है। हमें इन को अपना मित्र समझना चाहिये। ये पशु-पक्षी हमारी यातनायें समझते हैं तो फिर क्यों न मानव जाति उन की भावनाओं को समझें।

अन्त में मेरा निवेदन है कि यह विधेयक जनता को शिक्षित करने में सहायता देगा तथा अपने प्रकार का पहला विधेयक है। आशा है कि दो तीन वर्ष बाद हम एक और संशोधन करने वाला विधेयक

[श्री दी० चं० शर्मा]

प्रस्तुत करेंगे जो बहुत व्यापक होगा और जिस में पशुओं के प्रति निर्दयता करने वालों के प्रति कठोर दंड की व्यवस्था होगी ।

†श्री वारियर (त्रिचूर): यह विधेयक स्वागत करने योग्य है । हम नहीं चाहते कि किसी के प्रति निर्दयता की जाये । पशु पक्षियों की ही क्या बात है हम नहीं चाहते कि पौदों के साथ भी निर्दयता की जाये । इस विधेयक के उद्देश्य बहुत अच्छे हैं । माननीय उपमंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि यह विधेयक शहरों पर ही लागू नहीं होगा बल्कि गांवों में भी लागू होगा । यही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है । पशुओं के प्रति निर्दयता निवारण के लिये इस विधेयक के दो पहलू हैं । विदेशों में भी इस प्रकार की विधियां हैं लेकिन उन का दृटिकोण हमारे दृष्टिकोण की अपेक्षा विभिन्न है । उदाहरण के लिये जब विदेशी हमारे यहां से वापस गये तो उन्होंने अपने कुत्तों को मार दिया क्योंकि वे समझते थे कि उन के बाद ये कुत्ते आवारा हो जायेंगे । अतः उन की दृष्टि में इन कुत्तों को मारना मानवता के क्षेत्र में आया । जब कि हमारी दृष्टि से ऐसा करना ठीक नहीं है । दूसरे उन्होंने इन कुत्तों को अपने साथ ले जाना इसलिये लिये भी ठीक नहीं समझा कि उन को इन का बहुत अधिक किराया देना पड़ता इस लिये विदेशों में निर्दयता का दृटिकोण हमारे दृष्टिकोण की अपेक्षा दूसरा ही है । हमारे यहां अपनी परम्परायें हैं । हिन्दू परम्परा, मुस्लिम परम्परा, भारतीय परम्परा और बोद्ध परम्परायें हैं ।

सभी पशु हत्याएं निर्दयता नहीं मानी जातीं । नम्बूदरी ब्राह्मण यज्ञ करने के लिये बकरियों की हत्या करते हैं । उनके यहां यह निर्दयता नहीं मानी जाती । यह विधेयक समस्त देश में पशुओं के प्रति की जाने वाली निर्दयता से सम्बन्ध रखता है । मेरा सुझाव है कि अर्द्ध पशुओं के साथ निर्दयता निवारण का प्रश्न भी लागू किया जाना चाहिये । हिन्दू विधि के अनुसार सभी अशिक्षित पशु हैं । अतः इन पशुओं को भी निर्दयता से बचाना चाहिये । हमारे यहां ७० से ८० प्रतिशत लोग किसान हैं और ये लोग गाय, कुत्ता और अन्य पशु रखते हैं । श्री कृष्णप्पा ने कहा है कि गायों को उचित खाना और रहने की जगह होनी चाहिये । प्रश्न यह उठता है कि जब इन बेचारे किसानों के पास ही रहने और खाने की उचित व्यवस्था नहीं है तो फिर ये इन पशुओं के लिये कहां से व्ययवस्था करेंगे । अगर आप ऐसी स्थिति में उन्हें दण्ड देंगे तो यह तो उनके साथ अन्याय होगा । पशुओं के लिये पीने के पानी तथा उनके चारे की समस्या है। हमारे देश में काफी मात्रा में चारा भी नहीं मिलता। फिर ऐसी स्थिति में किसानों से कैसे कहा जा सकता है कि वे इन पशुओं को उपयुक्त मात्रा में चारा दे सकेंगे । हमारे इस विधेयक में दण्ड की व्यवस्था की गई है । पुलिस के आदमी जायेंगे और किसी भी किसान को पकड़ लेंगे । यह ठीक है कि वह आसानी से छूट जायेगा और उस पर दण्ड दिये जाने पर ५०) तक ही जुर्माना होगा । इसलिये पहले इन सब बातों पर जैसे पशुओं के लिये खाना, पानी, रहने के स्थान आदि की चर्चा के बारे में विचार करना आवश्यक है उसके बाद ही यह विधेयक सही ढंग में लागू हो सकेगा ।

पुराना अधिनियम तो अंग्रेजों ने अपने दृष्टिकोण से बनाया था । उनका अपना दृष्टिकोण था । उन्होंने अपने हित तथा आनन्द के लिये ही यह अधिनियम बनाया था ।

इस विधेयक के उद्देश्य के विरोध में मैं नहीं हूं । लेकिन मेरा निवेदन है कि पहले आप इन किसानों की स्थिति अच्छी तरह ठीक कीजिये जो इन जानवरों को रखते हैं । विधेयक में कहा गया है कि जानवरों को चेन अथवा रस्सी से नहीं बांधना चाहिये । जब हमारे देश में मनुष्यों को रस्सी में बांध कर एक जेल से दूसरे जेल तक ले जाया जाता है तो फिर भला पशुओं की कौन बात है । पशुओं की अपेक्षा मनुष्यों के साथ अधिक निर्दयता दिखाई जाती है । मैं नहीं चाहता कि पशुओं के प्रति किसी भी प्रकार

की निर्दयता का व्यवहार किया जाये लेकिन साथ ही मैं यह भी नहीं चाहता कि इस विधेयक के उपबन्धों के अधीन मनुष्यों को भी दण्ड दिया जाये ।

अध्याय ३ के अधीन खण्ड ११ में 'निर्दयता' शब्द की जो परिभाषा दी गई वह बहुत कठिन है। एक किसान जिसे भरपेट खाना नहीं मिलता यह स्वाभाविक है कि उसके जानवर भी भरपेट खाना नहीं पायेंगे । जब उन्हें भरपेट खाना नहीं मिलेगा तो काम न करने पर यह स्वाभाविक है किसान बैलों को पीटें । उसके पीटने पर वह दोषी हो जाता है । इस विधेयक के उपबन्धों के अधीन 'निर्दयता' की रक्षा करने वाले पुलिस के सब इन्सपेक्टर उसे अपराधी बना देंगे । इसलिये मेरा निवेदन है कि यह बहुत ही अवास्तविक है । पशुओं की भूख और प्यास के लिये भी दण्ड की व्यवस्था की गई है । जब मनुष्य ही यहां भूखे प्यासे रहते हैं तो समझ में नहीं आया कि हम विधेयक के प्रवर्त्तकों ने यह क्यों नहीं सोचा । अपने २०–२५ साल के अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि अगर आप किसी को कुछ अधिकार दे दें तो वह उनका दुरुपयोग करने लगता है । एक साधारण सा पुलिस का सिपाही किसी भी किसान के घर में घुस कर उसे पकड़ लेगा । और उस किसान से रिश्वत के रूप में कुछ न कुछ लेगा ; चाहे आप इसे अवैधानिक कहें लेकिन यह भ्रष्टाचार है । स्थिति दरअस्ल यह है ।

खण्ड ३३ के अधीन पशुओं के पकड़ने तथा उनकी जांच आदि करने के अधिकार हैं । ये सब अधिकार पशुओं के बारे में हैं अर्द्धपशुओं के बारे में नहीं हैं । रिकशा खींचने वाला भी तो अर्द्धपशु है । मैंने रिकशा में बैठे लोग उसे तेज़ चलने के लिये लात लगाते हुए देखा है । मैं इसके बारे में संयुक्त समिति के सामने प्रमाण दूंगा । उनके बारे में अधिनियम क्यों नहीं है ? उनके निवारण के लिये विधि क्यों नहीं है ? आशा है कि संयुक्त समिति इन सब पर विचार करेगी और तत्सम्बन्धी आवश्यक संशोधन करेगी ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** इस विषय पर चर्चा स्थगित होती है । हम अब अगला विषय लेंगे ।

संस्कृत आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब श्री सूपकार द्वारा ५ मई, १९५९ को प्रस्तुत किये गये निम्न प्रस्ताव र आगे विचार किया जायेगा :

"कि यह सभा संस्कृत आयोग, १९५६–५७ के प्रतिवेदन पर, जो २८ नवम्बर, १९५८ को सभा-पटल पर रखा गया था, विचार करती है ।"

साथ ही श्री वाजपेयी द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित संशोधन पर भी आगे विचार किया जायेगा अर्थात्—

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय अर्थात्

"और सिफारिश करती है कि सेकण्डरी स्तर पर संस्कृत के अध्ययन को अनिवार्य बनाने के लिये कार्यवाही की जाये।"

पंडित ठाकुर दास भार्गव अपना भाषण जारी रखें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंडित ठाकुर दास भार्गव (हिसार) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, संस्कृत कमीशन पर, जिसकी रिपोर्ट इतनी लम्बी चौड़ी, इतनी वाजेह, इतनी काम्प्लिकेटेड और काम्प्रिहेन्सिव है, किसी एक शख्स के लिये बोलना ताकि उस के साथ जस्टिस कर सके और इस की सब बातों पर ध्यान दे सके, या उसे क्रिटिसाइज कर सके, उसे कंफर्म कर सके, यह निहायत मुश्किल है । मैं आज अपनी जगह से इस संस्कृत कमीशन की रिपोर्ट के फ्रेमर्स को या जो उसके मेम्बर्स थे, उन को अपना अम्बल ट्रिब्यून पे करना चाहता हूं जिन्होंने इतनी तकलीफ उठा कर ऐसी बढ़िया और काम्प्रिहेन्सिव रिपोर्ट लिखी, जिसे पढ़ कर तबियत बेहद खुश होती है । मैं गवर्नमेंट को भी मुबारकबाद देता हूं कि उसने एक निहायत जरूरी मामले पर कमीशन बिठा कर इस देश के ऊपर बड़ा अहसान किया ।

सवाल यह है कि संस्कृत कमीशन तो बैठा और उसने अपनी रिपोर्ट दी लेकिन उसकी जो रिकमेन्डेशन हैं उनको गवर्नमेंट कैसे अमल में लायेगी ? एक चीज संस्कृत बोर्ड बनाने गवर्नमेंट ने की है जिसके लिये वह धन्यवाद की मुस्तहिक है, लेकिन इसकी जो सिफारिशें हैं वह इतनी जामा हैं कि गवर्नमेंट उनको अमल में लाने की कोशिश करे तो शायद गवर्नमेंट के जितने काम हैं उन सब के खत्म होने पर भी संस्कृत पीछे पड़ जायेगी । मैं पिछली दफा जब बोल रहा था तो मैंने हाउस की तवज्जह इस के टर्म्स आफ रेफ्रेंस की तरफ दिलाई थी । वह टर्म्स आफ रिफरेंस सफा २८३ पर दर्ज हैं । उसके टर्म्स आफ रिफरेंस यह थे :

(१) विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं में संस्कृत की शिक्षा की सुविधाओं का सर्वेक्षण और उनमें सुधार के सुझाव ; और

(२) संस्कृत शिक्षा की पुरानी प्रणाली की इस दृष्टि से जांच करना कि उसकी कौन कौन सी बातों को आधुनिक प्रणाली में लिया जा सकता है ।

लेकिन इन दो छोटे से टर्म्स आफ रिफरेंस के बारे में कमेटी ने पहले ही फिकरे का, जो उसके अप्वाइंटमेंट के अन्दर मौजूद था, फायदा उठाया । वह यह था कि संस्कृत शिक्षा की वर्तमान अवस्था के प्रश्न के समस्त पहलुओं पर विचार करने के लिए संस्कृत आयोग नियुक्त करने का संकल्प किया जाता है। इन दो टर्म्स आफ रेफ्रेंस को छोड़ कर इस बात का फायदा उठा कर उस कमेटी ने सारे ही ऐसपेक्ट्स पर और उससे भी आगे जितने ऐसपेक्ट्स मुमकिन थे, उन पर गौर करना शुरू कर दिया यहां तक कि अभी जो दूसरा कमीशन था हमारा यह लैंग्वेज कमीशन जिसके कि प्रेसीडेंट आनरेबुल मरहूम खेर साहब थे और लैंग्वेज कमिशन की रिपोर्ट में इस संस्कृत कमिशन के प्रेसीडेंट साहब श्री सुनीति कुमार चटर्जी ने नोट आफ डिसेंट लिखा और मैं समझता कि जो डिसेंटिंग नोट उन्होंने उसमें लिखा था उसको ही एक तरीके से इस संस्कृत कमिशन की रिपोर्ट में इनकारपोरेट करने की कोशिश की । इसके टर्म्स आफ रेफ्रेंस बहुत मामूली हैं और उनमें जो सवालात थे उनका जो जवाब कमीशन ने दिया है वह भी गवर्नमेंट के उस प्वाइंट आफ व्यू से उतने सैटिसफैक्टरी नहीं हो सकते थे जितना कि गवर्नमेंट चाहती थी । लेकिन जो बात मुनासिब नहीं थी और जो खिलाफ फायदा है वह यह कि इस कमीशन के टर्म्स आफ रेफ्रेंस कुछ हैं और उसकी जो सिफारिशें हैं उनका टर्म्स आफ रेफ्रेंस से कोई वास्ता नहीं । लेकिन यह कोई नई बात नहीं है । मैंने कई एक कमीशन में देखा है कि टर्म्स आफ रेफ्रेंस कुछ हैं और जब मेम्बर साहबान उस पर सोचने लगते हैं और उनका जो नतीजा होता है वह टर्म्स आफ रेफ्रेंस कहीं आगे बढ़ कर होता है । मुझे एक ऐसे ही कमिशन की याद आती है । सन् १९५४ में हरियाना के जानवरों के वास्ते एक कमिशन मुकर्रर किया गया था कि उनको कैसे बचाया जाय लेकिन उस कमीशन के प्रेसीडेंट और मेम्बरों ने सारे स्लाटर के सवाल का जिक्र कर दिया और गवर्नमेंट और प्लानिंग कमीशन ने उसको वगैर हाउस में पेश किये हुए एडाप्ट कर लिया ।

अभी थोड़ा अर्सा हुआ जनाब के रूबरू रोड्स के बाबत मसानी साहब की चेअरमेंनशिप में एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी के टर्म्स आफ रेफ्रेंस कुछ थे लेकिन उन्होंने सारे रोड और रेल कम्पिटीशन को लाकर सामने रख दिया। जो चीजें आती हैं मैं नहीं जानता कि उन चीज़ों के साथ हाउस क्या करे। संस्कृत कमीशन की एक सिफारिश यह भी है कि हिन्दी के साथ संस्कृत को भी एक ऐडीश्नल आफिशिएल लैंग्वेज बना दिया जाये और अंग्रेजी को भी बना दिया जाये। एक यह भी उसके अन्दर सिफारिश मौजूद है। मैं नहीं जानता कि मैं उसके ऊपर कितना वक्त लगाऊं और इसको क्या देखूं। मैं अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो कोशिश हुई है कि किसी तरीके से संस्कृत को या अंग्रेजी को आफिशिएल लैंगेज़ की तौर पर मान लिया जाये और उसको वह जगह दिलाने की कोशिश करना बिलकुल नामुनासिब और अनजस्टीफाइड है। देश के अन्दर इस तरह का कनफयुजन पैदा करना है। एक लैंग्वेज जिसको कि कांस्टीट्यूशन ने अपनी बिजडम में तकरीबन युनैनीमसली सारे देश के वास्ते आफिशल लैंग्वेज करार दे दिया, नेशनल लैंग्वेज तो नहीं अलबत्ता आफिशिएल लैंग्वेज करार दे दिया, आफिशिएल लैंग्वेज ही उसको कहना चाहिए नेशनल लैंग्वेज का वहां जिक्र नहीं है, एक सरकारी जबान धोषित कर दी। अब उसके ऊपर हाउस के मेम्बरान को अधिकार है कि जब वह कमीशन में बैठें तो उसके बारे में वह अपनी कुछ ही राय जाहिर करें लेकिन एक ऐसा कमीशन जिसके कि टर्म्स आफ रेफ्रेंस कुछ थे उसमें यह सिफारिश कर देना कि हिन्दी के साथ साथ संस्कृत को भी एक ऐडीश्नल आफिशिएल लैंग्वेज बना दिया जाय, यह जायज और वाजिब नहीं था। मैं यह अर्ज नहीं करना चाहता कि जो उन्होंने इसके लिए दलायल दिये हैं याजो उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है वह कुछ नाजायज है, वह हरगिज नाजायज नहीं है लेकिन ताहम वह देश के अन्दर कनफयुजन पैदा करती हैं। यह कौन साहब हैं जिन्होंने ऐसा किया? यह संस्कृत के एक बड़े विद्वान थे। उन्होंने लैंग्वेज कमिशन की रिपोर्ट के सफे २७८ पर अपना नोट आफ डिसेंट लिखा। अब जहां तक उनकी काबलियत का ताल्लुक है वह बहुत लर्नेड आदमी हैं और मैं उनकी बेहद इज्जत करता हूं। उन्हों ने संस्कृत कमीशन की रिपोर्ट जिस ढंग से लिखी है उससे उनकी काबलियत का सिक्का बैठ गया लेकिन बावजूद इस कदर काबिल होते हुए और इस कदर नेशनल प्वांए आफ व्यू से देखते हुए भी मुझे यह कहने के लिए माफ किया जाये कि उन्होंने उस तरह का नोट आफ डिसेंट लिख कर कंट्री के अन्दर फिसीपेरस टेंडेंसी पैदा करने की कोशिश की जिसको कि संस्कृत कमिशन की रिपोर्ट लिखते वक्त उन्होंने रोकने की कोशिश की और उसको कंडैम किया। उन्होंने संस्कृत कमिशन की रिपोर्ट में लिखा कि संस्कृत के अपनाये जाने से देश में से यह फिसीपेरस टेंडेंसी हट जाने में मदद मिलेगी लेकिन वह फिसीपेरस टेंडेंसी वह लैंग्वेज कमिशन की रिपोर्ट में अपना नोट आफ डिसेंट लिख कर खुद एनकरेज करते हैं। इसी तरह हमारे एन्थानी साहब जो हाउस के अन्दर बड़े जोर शोर से ऐलान करते हैं कि मैंने हिन्दी के लिये इतना काम किया और हिन्दी मेरी गुजार की टंग है यानी हिन्दी से मैं अपनी रोजी कमाता हूं। हिन्दी को मैंने सारे ऐंग्लो इण्डियन स्कूलों में रायज किया है और पिछले बीस वर्ष में मैंने हिन्दी में कई किताबें लिख कर पेश की हैं जब मैं उनको अंग्रेज़ी की वकालत और हिन्दी की बगावत करते देखता हूं तो मुझे सख्त ताज्जुब होता है कि आखिर यह है क्या चीज? इसी तरह मेरे बुजुर्ग श्री राजगोपालाचार्य जिन्होंने कि अपने अहदे हुकूमत में हिन्दी एजिटेशन के सिलसिले में कितने ही आदमियों को कैद किया आज बदकिस्मती से छोटी चीजों के वास्ते और छोटे इंटरेस्ट्स को लेकर वह तबदील हो गये हैं और वह ऐसी कोशिश करने लग गये हैं जोकि देश के इंटरेस्ट्स के बरखिलाफ हैं।

मैं श्री सुनीति कुमार चटर्जी की बड़ी इज्जत करता हूं। यह भी ठीक है कि उन्होंने जो लैंग्वेज कमिशन की रिपोर्ट पर अपना नोट आफ डिसेंट लिखा है उसमें उन्होंने वजूहात बयान की हैं कि मैं क्यों मुखालिफ हो गया। इसी तरह श्री एन्थनी ने भी अपने नोट में लिखा कि वह क्यों मुखालिफ हो

[पंडित ठाकुरदास भार्गव]

गये। उन्हों ने यह वजह दी है कि दक्षिण भारत में हिन्दी इम्पीरियलिज्म का अन्देशा पैदा हो गया है और वहां यह खयाल हो चला है कि हिन्दी हम पर थोपी जा रही है, इम्पोज की जा रही है। दक्षिण भारत के लोग इसके कारण आशंकित हैं और उनका खयाल है कि नार्थ के हिन्दी वाले हम पर हकूमत करना चाहते हैं। मैं इस हाउस की उस कमेटी का मेम्बर था जोकि लैंग्वेज कमिशन की कमेटी थी और मैंने जहां तक हिन्दी का सवाल है, हिन्दी की मैंने अपनी जिन्दगी में काफी खिदमत की है। जिस जमाने में ब्रिटिश गवर्नमेंट यहां पर थी मैं ५० हिन्दी के स्कूल जिनके कि अन्दर हिन्दी का विषय लाजिमी था, ऐसे पचास हिन्दी के स्कूलों को चलाने का मैं खुद जिम्मेदार था। लेकिन यह सब होते हुए भी मैं इस तरह से जैसा कि उनकी तरफ से कहा जाता है हिन्दी के इम्पोजीशन के सख्त खिलाफ हूं। लेकिन साथ ही मुझे यह कहने में जरा भी ताम्मुल नहीं कि जब देश ने और इस देश के संविधान न इसको मान लिया हो कि इस देश की आफिशिएल लैंग्वेज हिन्दी रहेगी तो अब उनकी तरफ से हिन्दी इम्पीरियलिज्म और हिन्दी इम्पोजीशन की आवाज लगाना वाजिब नहीं है। यहां मैं यह भी कह दूं कि मैं जो वाकई में अगर कोई हिन्दी इम्पीरियलिज्म हो उनको कंडेम करने के वास्ते तैयार हूं जोकि हिन्दी को जबर्दस्ती लोगों पर थोपना चाहते हैं। मैं हमेशा उन लोगों के खिलाफ रहा हूं जो कि किसी की फीलिंग्स को ठेस पहुंचाते हैं। यही पालिसी कांग्रेस की भी भाषा के सम्बन्ध में रही है। संविधान में भी अंग्रेजी को हटा कर १५ वर्ष में हिन्दी को लाने की बात लिखी हुई है लेकिन गोहाटी सैशन में कांग्रेस ने और लैंग्वेज कमिशन ने भी तकरीबन युनैनीमसली इसको मान लिया कि हम हिन्दी के लिये जो संविधान में सन् ६५ की डेडलाइन रखी है उस पर हर हालत में स्टिक करेंगे और उस तारीख को आगे बढ़ाया जा सकेगा। हम यह नहीं चाहते कि नान हिन्दी पीपुल को किसी भी तरह से यह अहसास हो कि उन पर हिन्दी जबर्दस्ती लादी जा रही है और यह भी ठीक है कि दक्षिण के अहिन्दी भाषी लोग चूंकि घरों में हिन्दी नहीं पढ़ते और उनको एकदम से हिन्दी एडाप्ट कर लेना मुश्किल हो सकता है और उनको दिक्कत हो सकती है। हमें तो उन नान हिन्दी गोइंग पीपुल की दाद देनी चाहिये जिन्होंने कि इतनी दिक्कत उठा कर हिन्दी पढ़ी और अपने वहां पर हिन्दी पढ़ा रहे हैं। उन्होंने कंट्री के लार्जर इंटरेस्ट्स में अपनी जाती तकलीफों और दिक्कतों की परवाह न करते हुये हिन्दी का ज्ञान प्राप्त किया। आज जब कि मद्रास में हिन्दी की बाबत फीगर्स देखता हूं तो मुझे यह देख कर बड़ी खुशी होती है कि वहां पर हिन्दी की पढ़ाई बड़े जोर शोर के साथ चल रही है। आज वहां हजारों और लाखों लड़के हिन्दी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। मुझे कोई शक नहीं है कि अगर इसी तरह से हिन्दी का काम साउथ में चलता रहा तो थोड़े ही दिनों में हिन्दी बिल्कुल आम फहम हो जायेगी लेकिन ताहम मुझे यह कहने में जरा भी ताम्मुल नहीं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो साउथ वालों को इस हाउस के अन्दर एक ब्लैंक वीटो या चार्टर दे दिया वह कतई गलत था और ऐसा नहीं करना चाहिये था। गवर्नमेंट और पालियामेंट को अख्तियार है कि वह हिन्दी के बारे में यह पालिसी ले डाउन करे कि किस स्पीड से चला जाये लेकिन यह कहना कि जब तक साउथ वाले नहीं कह देंगे तब तक हम हिन्दी को आगे नहीं चलायेंगे यह उचित नहीं था और ऐसा कह कर के पालियामेंट और दूसरे लोगों की पावर्स पर रोक लगाना है। इस तरह का ब्लैंक चार्टर हिन्दी के बारे में साउथ वालों को देकर मुझे यह कहने दिया जाये कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ठीक नहीं किया और यह वाजिब नहीं था। मैं इसमें तो मुत्तफिक हूं कि हिन्दी या संस्कृत के सम्बन्ध में इम्पोजीशन वाली बात नहीं होनी चाहिये और जो हिन्दी के लिये जो रीजनेबल टाइम समझा जाये वह जरूर दिया जाये लेकिन इसके साथ ही साथ हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिये कि लोग हम पर हाथ उठा कर बैठ जायें। हमने कांस्टीटयूशन बनाया था। उसको बहुत अर्सा हो गया। उसमें हमने

१५ साल रखे थे। लेकिन मुझे शिकायत है अपनी गवर्नमेंट से और एजूकेशन मिनिस्ट्री से कि वह हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे और कोई परवाह न की। जिसका नतीजा यह निकला कि हिन्दी के खिलाफ ही ऐजीटेशन शुरू हो गया। अब वक्त आ गया है कि हम इसको गो बाई कह कर सो न जायें बल्कि खुद जागें और यह न सोचें कि हमको साउथ जगावेगा तब हम जागेंगे या नार्थ जगा गा तब हम जागेंगे। इस तरह सोचना दुरुस्त नहीं है। जो कुछ लैंग्वेज कमिशन ने कहा है वह सब इज्जत के काबिल है। गवर्नमेंट की ऐसी पालिसी हो कि वह सबकी मर्जी के मुताबिक हो और देशहित के लिय हो यह नहीं कि किसी खास सेक्शन की मर्जी के मुताबिक हो या किसी को अपील करने के लिये हो।

मैंने यहां पर हिन्दी का इसलिये थोड़ा सा जिक्र कर दिया क्योंकि संस्कृत कमिशन ने उसका बहुत ज्यादा जिक्र किया है। वह हिन्दी को एक बाधा समझते हैं। देश के लोग संस्कृत को आज मुश्किल समझते हैं। मैं चाहता हूं कि इस बारे में हाउस मुल्क को लीड दे कि किस तरह से संस्कृत को कम्पलसरी किया जाये। । आज एक आवाज यह है कि अगर तुम संस्कृत को लाजिमी कर दोगे तो देश पीछे चला जायेगा, देश में फिर से ब्राह्मणों का जमाना आ जायेगा और हरिजन बेचारे फिर पीछे पड़ जायेंगे। आज यह आवाज उठाई जा रही है और यह सिर्फ हरिजनों की तरफ से ही नहीं उठायी जाती बल्कि एंथनी साहब ने भी अपने नोट में यही लिखा है। मुझे एक साहब ने बतलाया, एक शिड्यूल्ड कास्ट वाले ने, कि जो लोग हिन्दी का प्रचार करते हैं वह अव्वल दरजे के रिएक्शनरी हैं। क्योंकि हिन्दी के आने के मानी हैं कि फिर वही पुरानी सिविलाइजेशन आ जाये और अछूत को अछूत रखा जाये। तो यह कोई नई बात नहीं है। ऐसे खयालात बहुत लोग जाहिर करते हैं। इसलिये हमको उनके इस डर को हटाना चाहिये अगर हम तरक्की करना चाहते हैं।

मेरी निहायत अदब से गुजारिश है कि इस रिपोर्ट के पढ़ने के बाद कोई शुबहा बाकी नहीं रहता कि गवर्नमेंट ने जो स्टेप उठाया है वह निहायत वाजिबी है और इसकी मेन रिकमेंडेशन्स बिल्कुल कंसिस्टेंट हैं। इस देश के अन्दर जितनी भी लैंग्वेजेज हैं, हिन्दी खास तौर पर, वे संस्कृत के साथ वावस्ता हैं, यहां तक कि ड्रेविडियन लैंग्वेजेज भी, जो कि संस्कृत से नहीं निकली हैं, उनमें भी संस्कृत के बहुत से अल्फाज पाये जाते हैं। आप आज पंजाबी, मराठी, गुजराती वगैरह किसी लैंग्वेज को ले लें आप उसके अंदर संस्कृत के अल्फाज को पायेंगे। हिन्दुस्तान की जितनी भी रीजनल लैंग्वेजेज हैं उन सब में संस्कृत के अल्फाज आपको मिलेंगे। मैं आज सब से ज्यादा अहमियत हिन्दी और रीजनल लैंग्वेजेज को देता हूं। मैं इस बात का हामी नहीं हूं कि आज देश में सब लोगों को हिन्दी और रीजनल लैंग्वेजेज की जगह संस्कृत पढ़ाई जाये और लोग अपनी प्रेअर संस्कृत में करें और अपनी मादरी जबान में न करें जिसको कि वह अच्छी तरह समझते हैं। मैं नहीं चाहता कि परमात्मा से प्रार्थना किसी इम्पोज्ड लैंग्वेज में की जाये जिसको कि हम आधा समझते हैं। मैं तो कहता हूं कि भला हो महात्मा तुलसीदास का कि जिन्होंने हिन्दी में रामायण लिख कर देश पर बहुत बड़ा अहसान किया। भला हो हमारे गुरुओं का और दूसरे रिफार्मर्स का जिन्होंने लोगों की जबान में अपनी शिक्षा दी और जो पुरानी थ ल्डम चली आ रही थी उसको काट दिया। और हमको सही रास्ते पर ला दिया। आज अगर कोई यह कहे कि यहां पर सबको हिन्दी की जगह संस्कृत पढ़ाओ और सब काम संस्कृत में हो तो मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। लेकिन इस चीज को मैं मानता हूं कि जैसा कि इसमें रिकमेंड किया गया कि संस्कृत की पढ़ाई लाजिमी हो जाये। इससे यह फायदा होगा कि ५० साल के अर्से में हर एक आदमी में नई जिन्दगी की लहर दौड़ जायेगी। आज हम क्यों इतने गिरे हुये हैं? स्वराज्य मिल गया। लेकिन अंग्रेजी ने हमको जो नुकसान पहुंचाया

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

और वह अभी भी जारी है। मैं मानता हूं कि अंग्रेजी ने हमको यूनिटी दी और भी बहुत से फायदे दिये। मैं उनको रिअलाइज करता हूं। मैं खुद थोड़ी सी अंग्रेजी पढ़ा हूं और उससे जो मुझे फायदा पहुंचा है उससे मैं इन्कार नहीं करना चाहता। लेकिन इससे देश को बड़ा नुकसान भी हुआ है। जब कोई विदेशी भाषा किसी बच्चे को कुछ बरस तक अपनी भाषा की जगह पढ़ाई जाती है तो वह उसके इनीशिएटिव को, उसके नेचुरल एंडाउमेंट्स को ब्लंट कर देती है। जो उसको कुदरत से इंटलेक्ट मिला है उसको कुन्द कर देती है। आज मुझे अंग्रेजी से वाकफियत हुये ५० साल से ज्यादा हो गये लेकिन मैं फिर भी जब अंग्रेजी बोलता हूं तो डिप्टी स्पीकर साहब की तरफ देखता रहता हूं क्योंकि मैं टूटी फूटी अंग्रेजी बोल पाता हूं। यहां बहुत से आदमी हैं जो वाके अंग्रेजी के बड़े माहिर हैं। लेकिन ऐसे आदमी कुछ गिने चुने ही हैं। यों तो महात्मा गांधी के बारे में कहा जाता है कि वह बाइबिल की अंग्रेजी लिखते थे। लेकिन मैं कह सकता हूं कि ऐसी चन्द हस्तियां ही इस देश के अन्दर हैं। क्या आज तक हमने एक भी ऐसा आदमी पैदा नहीं किया, एक भी ऐसा साइंटिस्ट पैदा नहीं किया कि जिनके बनाये हुये राकेट आसमान पर गूंजते हों। इस विदेशी भाषा ने ही हमको नीचे रखा है। जहां तक इंटलेक्ट का सवाल है मैं कह सकता हूं कि अभी भी हमारे देश के लोगों का इंटलेक्ट दूसरे मुल्क वालों से कम नहीं है। परमात्मा का शुक्र है कि हम इंटलेक्ट में किसी से कम नहीं हैं। लेकिन दूसरे मुल्क जितनी तरक्की कर गये उतनी हम नहीं कर पाये। इसकी वजह यह अंग्रेजी है। मैकाले ने लिखा था कि हमें ऐसे लोग तैयार करने हैं जो खून में और शक्ल में हिन्दुस्तानी हों लेकिन जो दिल से हिन्दुस्तानी न हों। और आज भी वही चीज चल रही है जिसको हम छोड़ना चाहते थे। अगर हम चाहते हैं कि हम फिर नये रास्ते से आरगेनिक तरीके से बदलें तो हमको अपना रास्ता बदलना होगा। मैं तो कहता हूं कि भला हो गवर्नमेंट का जिसने संस्कृत को रिवाइव करने के लिये इस कमीशन को बिठाया और उस कमीशन ने हमारे सामने यह तजवीज रखी कि किस तरह से इस देश के अन्दर संस्कृत को कम्पलसरी करें। हमारी तरक्की जो एक जमाने में रुक गई थी उसको हमें फिर आगे बढ़ाना है।

संस्कृत मुश्किल जबान है। मैंने भी थोड़ी सी संस्कृत पढ़ी है। लेकिन मैंने संस्कृत को उसी तरह से पढ़ा था जिस तरह से कि अंग्रेजी को और जिस तरह से मैंने इन ५० सालों में अंग्रेजी का माहिर नहीं बन सका उसी तरह से संस्कृत का भी माहिर नहीं बन सका। मैंने संस्कृत में बी० ए० पास किया और कालिज में आपस में और सभाओं में थोड़ा बहुत संस्कृत बोल भी लेता था। लेकिन वह नाकाफी थी। इसकी वजह यह है कि मैंने संस्कृत भी अंग्रेजी की तरह पढ़ी थी। आज जो ज्यादा तर आदमी देश में संस्कृत पढ़े हैं वे इसी तरह पढ़े हैं। आज भी हिन्दुस्तान में ऐसे लोग हैं जोकि ओरिजिनली संस्कृत में पढ़े हुए हैं और जिन पर अंग्रेजी का असर नहीं है। लेकिन वह थोड़े हैं। और जो हैं उनकी कद्र नहीं है। आपने उनको बहुत नीचा डाल दिया है। वे पंडित अगर दूसरे मुल्कों में होते तो उनकी बड़ी भारी कद्र होती। वे लोग आज यहां सिफर के बराबर गिने जाते हैं और उसी तरह से रह रहे हैं जिस तरह से कि अंग्रेजों के जमाने में रहते थे।

जब कोई मुल्क दूसरे मुल्क पर हमला करता है, तो उसके बड़े से बड़े आदमी नीचे आ जाते हैं, उनकी इन्टलेक्ट्स सिफ़र के बराबर हो जाती है और सब नालेज, ज्ञान और सोर्सिज आफ नालेज सब के सब खत्म हो जाते हैं। अंग्रेजों ने हम पर बड़ा अहसान किया कि उन्होंने संस्कृत को रीससी-टेट किया, रिवाइव किया। लेकिन किस तरीके से? उन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाये जाने के तरीके से ऐसा किया। आज जो अंग्रेजी पढ़े हैं, उनको वह फायदा नहीं हो सकता, जो कि उनको होना चाहिये था। आज हिन्दुस्तान में सब जगह एजूकेशन का बुरा हाल है। आप कहीं चले

जायें, किसी यूनिवर्सिटी के किसी आदमी को देखें । क्या किसी में आरिजिनैलिटी बाकी है ? जो एग्रीकल्चर में पास करते हैं, वे भी नौकरी करते फिरते हैं । क्या किसी ने एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया ? क्या किसी ने इस सिलसिले में कोई ईजाद की ? जो ईजाद की शक्ति, इन्टेन्सिव एजूकेशन से आती है, वह आज मफ़कूद है । मैं इसलिये अर्ज़ करना चाहता हूं कि जब तक नये सिरे से सारा एटमास्फियर संस्कृत का नहीं कर देंगे और संस्कृत एजूकेशन को, जोकि छोड़ी जा चुकी है, हर शोबे में, हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक लरनिंग के पैराये में नए सिरे से रिवाइव नहीं करेंगे, तो न कोई नया एटमास्फियर पैदा होगा और वे हालात पैदा होंगे, जिनमें ये शक्तियां पनपती हैं ।

उन्होंने जो रीज़न्ज़ दी हैं, उनमें मैं नहीं जाना चाहता हूं । मेरे दोस्तों ने उनको पढ़ा होगा । वक्त की कमी की वजह से मैं उनका ज़िक्र नहीं करना चाहता । लेकिन मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि जो सात आठ रीज़न्ज़ दी गई हैं, वे एक से एक अजीब हैं । उन्होंने कनक्लूसिव तरीके से साबित कर दिया है कि हमारा भला इसी में है कि हम संस्कृत को रिवाइव करें । संस्कृत लिटरेचर के बारे में हमारे प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि हिन्दुस्तान का ग्रेटेस्ट कल्चरल हैरिटेज संस्कृत में है । हमारा रिलीजन, हमारी फ़िलासफ़ी, हमारे आर्ट्स, हमारी सब साइंसें, हमारे हर एक विषय संस्कृत जबान में हैं । अगर हम उस ज्ञान को हासिल करना चाहते हैं और अगर हम यह जानना चाहते हैं कि हमारे बुज़ुर्ग किस तरह से रहते थे, उन्होंने क्या किया, तो संस्कृत के ज्ञान के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते हैं । जो बात मैं कहना चाहता हूं, वह दकियानूसी मालूम हो सकती है, लेकिन पुरानी संस्कृति का जिक्र करना और साइंस का जिक्र न करना. टैक्नोलाजी का ज़िक्र न करना, जिसने कि दुनिया की शक्ल ही तब्दील कर दी है, वाजिब नहीं है । संस्कृति साइंस और टैक्नोलाजी की दुश्मन नहीं हैं । इस में कोई शक नहीं कि माडर्न साइंस और टैक्नोलाजी संस्कृत जबान में मौजूद नहीं है, क्योंकि हमारे देश में एक स्टेगनेशन का वक्त आ गया, जिसमें ये चीजें पनप नहीं सकती थीं । यूनीवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन और दूसरे कमीशनों ने, डा० कुंजरू ने और दूसरे कई साहबान ने यह सलाह दी है कि हम अंग्रेजी को न छोड़ें । आज कौन शख्स है कि जो पंडित नेहरू की इस आर्ग्युमेंट से मुत्तासिर नहीं है कि जहां तक नालेज के विन्डो का सवाल है, उस हद तक हमको अंग्रेजी को अपनाना चाहिये । अगर आज कोई शख्स ऐसे बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ाता है, जिन्होंने आठ जमायत के बाद आगे नहीं पढ़ना है, तो मैं कहने के लिये तैयार हूं कि वह देश का दोस्त नहीं है और वह उन बच्चों के चन्द साल जाया करता है । उन्होंने कालेज में नहीं जाना है । वे यहीं रह कर अपना कामकाज करेंगे । आठ जमायत पढ़ कर ही उन्होंने अपना गुज़ारा इस दुनिया में करना है । उनको अंग्रेजी पढ़ाना उनका वक्त ज़ाया करना है और एक सख्त नशनल वैस्ट है । आज वक्त आ गया है कि हम इन बातों पर ध्यान देकर फ़ैसला करें । मेरी गुज़ारिश यह है कि अंग्रेजी सिर्फ उन्हीं लड़कों को पढ़ाई जानी चाहिये, जिन्होंने साइंस और टैक्नालोजी पढ़नी हो । अगर कोई कहे कि मैं शैक्सपीयर और मिल्टन को पढ़ना चाहता हूं, तो बेशक उसको और हर एक आदमी को—यह अख्तियार है कि वह अंग्रेजी पढ़े और उससे फ़ायदा उठाये । यह वाजिब है, लेकिन वह उतना ही वाजिब है, जितना यह कि कोई रशन, इटालियन या फ्रैंच के लिटरेचर से फ़ायदा उठाना चाहता है । अंग्रेजी को इससे आगे जगह देना देश के साथ ग़द्दारी करना है । मैं अपने लफ्ज़ सोच विचार कर कहना चाहता हूं । जो लोग अंग्रेजी के पीछे पड़े हुये हैं, उनकी फ़ीलिंग्ज़ उसी तरह की हैं, जोकि गांवों के आदमियों की होती है, जो कि यह कहते हैं कि अगर अंग्रेजी की पढ़ाई नहीं है, तो वह पढ़ाई ही नहीं है । जहां भी सरकारी स्कूल खुलता है, लोग कहते हैं कि हमारे यहां अंग्रेज़ी जरूर कर दो । उनका यह ख्याल है कि अंग्रेजी पढ़ने से ही नौकरी और रोटी मिलेगी । उन्होंने किसी कालेज में पढ़ना नहीं है । मेरी गुज़ारिश यह है कि संस्कृत

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

को लाजिमी करार दे दिया जाये, इसके साथ मैं एग्री करता हूं। लेकिन सवाल यह उठेगा कि थ्री लेंग्वेज़ फ़ारमूला का क्या करें। इसका जवाब मैं देना चाहता हूं, इस वजह से कि कोई यह न कहे कि संस्कृत जैसी मुश्किल जबान लड़के पर लादने से उसके दिमाग पर बरडन बढ़ जायेगा। जहां तक रिजनल लैंग्वेज़ और हिन्दी का सवाल है, संस्कृत के लाजिमी तौर पर पढ़ने से इन दोनों लैंग्वेजिज़ का बोझ बच्चे पर बहुत कम हो जायेगा। संस्कृत के लाजिमी करार देने से वह बोझ बहुत कम हो जायेगा। सारी उम्र अंग्रेजी पढ़ाई जाये, इसकी ज़रूरत नहीं है। यह सब मिला कर, उन पर जितना अब बोझ है, वह फ़िलवाकया नहीं रहता।

कमीशन ने जो तजवीजें रखी हैं, उन सबसे मैं इत्तिफ़ाक नहीं करता। जब हिन्दी का ज़िक्र आया, तो इट वाज़ ए रेड रैग टु दि बुल। हिन्दी को देखते ही उनके मिजाज़ का तवाज़न नहीं रहता। अपने नोट में उन्होंने लिख दिया है कि सारी उम्र हिन्दी का काम करते हुए भी अब हिन्दी के खिलाफ़ हो गया हूं। हिन्दी के मामले को छोड़ कर कमीशन ने जो तजवीज़ की है, वे बड़ी माकूल हैं। मैं समझता हूं कि अब वह वक्त आ गया है कि सब लोग—ड्राविडियन भी—संस्कृत को लाज़िमी करार दें। सिर्फ़ उन लोगों को छोड़ दिया जाये, जिनको इस बारे में कानशेनशस आब्जेक्शन है और जो पर्शियन, एरेबिक या लैटिन, ग्रीक खास तौर पर पढ़ना चाहते हैं। मैं उसका मुख़ालिफ़ नहीं हूं। उन लोगों को संस्कृत पढ़ने के लिये मजबूर न किया जाये। हिन्दुस्तान के बाकी सब लोगों को संस्कृत पढ़नी चाहिये, इस का मेन प्राविज़न यही है।

आप की इजाज़त से मैं एक दूसरे प्राविज़न पर आता हूं, जो कि उतना ही ज़रूरी है। संस्कृत कमीशन इसलिये बनाया गया था कि गवर्नमेंट के सामने सवाल यह था कि संस्कृत की ट्रैडीशनल पाठशालाओं का फ़ायदा कैसे उठाया जाये। हमारे देश में एक तो ट्रैडीशनल संस्कृत पाठशालायें हैं और दूसरे संस्कृत की यूनिवर्सिटी और स्कूलों और कालेजों की एजूकेशन है। गवर्नमेंट यह चाहती थी कि पाठशालाओं में लरनिंग की जितनी डैप्थ और इन्टेन्सिटी है, उसको किसी तरह से स्कूलों और कालेजों में दाखिल किया जाये और नये तरीका-ए-तालीम में ये दो बातें आ जायें और फिर गवर्नमेंट को यह शिकायत न सुननी पड़े, जैसी कि मैंने की है कि मैं संस्कृत पढ़ा, लेकिन अंग्रेजी तरीके से, लेकिन फिर भी मुझे संस्कृत नहीं आती। गवर्नमेंट यह चाहती थी कि स्कूलों और कालेजों में इस तरीके से संस्कृत की तालीम दी जाये कि पढ़ने वाले लड़के उसको इन्टेन्सली और डीपली स्टडी कर सकें और इसीलिये यह कमीशन बिठाया गया था। मेन रीज़न यह थी। इसका जवाब जो कमीशन ने दिया, वह मैं आपकी खिदमत में मुख्तसरन अर्ज़ करना चाहता हूं। कमीशन की राय में यह ग़ैर-मुमकिन है कि यह काम हो सके—यह नहीं हो सकता कि संस्कृत पाठशालाओं को बन्द कर के एक तरीका निकाल लिया जाये और इस तरह की लरनिंग बना दी जाये, जिसमें दोनों सिस्टम्ज़ के गुड प्वायंट्स आ जायें। उन्होंने इस बात की बड़ी कोशिश की कि दोनों के गुड प्वाइंट्स ले लें और उनमें एक इन्टेगरेशन करें, लेकिन उन्होंने साफ़ तौर पर कह दिया है कि यह इन्टेगरेशन नहीं हो सकता है। इसलिये उनकी राय में पाठशालायें भी चलनी और दूसरा सिस्टम भी चलना चाहिये। दरअस्ल यह सवाल बड़ा मुश्किल था और मैं समझता हूं कि इस तरह इन्टेगरेशन होना और ऐसा फ़ारमूला बनाना, जिसमें यह इन्टेगरेशन हो जाता, ग़ैर-मुमकिन है और इसलिये मैं उनकी राय से मुत्तिफ़िक हूं कि गवर्नमेंट को इन दोनों सिस्टम्ज़ को कुछ अर्सा के लिये अलाहिदा रखना पड़ेगा। यह सही है कि हायर लेवल्ज़ पर इन्टेगरेशन हो सकता है और उसकी कोशिश करनी चाहिये, लेकिन एट आल लैवल्ज़ यह इन्टेगरेशन आज के दिन नामुमकिन है।

एक तजवीज़ उन्होंने बड़े ज़ोर-शोर से की, जो कि सफ़ा ११५ पर दर्ज है और उस की तरफ़ में आप की खास तवज्जह दिलाना चाहता हूं। अंग्रेज़ ज़माने में संस्कृत के दिलदादा नहीं थे। इस लिये जितना प्रिंसली आर्डर था, जितने ज़मीदार थे और जनरल पब्लिक थी, उन्होंने करोड़ों रुपये के एनडाउमेंट्स संस्कृत की एजूकेशन के लिये किये। किसी ज़िले में, किसी शहर में जाइये, आप को लोकल संस्कृत पाठशाला मिलेगी। उन का हाल बुरा है, इस में शक नहीं है, लेकिन संस्कृत पढ़ाने का इन्तज़ाम मौजूद है, क्योंकि लोगों को संस्कृत से बेहद मुहब्बत है और होनी चाहिये भी—यह लाज़िमी है—, इसलिये कि हमारे देश की मज़हबी किताबें संस्कृत में हैं और हमारा सारा पुराना लिटरेचर संस्कृत में है। इस बात का ठिकाना नहीं है कि इन एनडाउमेंट्स और टैम्पल्ज़ का कितना रुपया इस काम के लिये रखा हुआ है। लेकिन पुरानी गवर्नमेंट और उस के बाद हमारी गवर्नमेंट ने उस रुपये को और कामों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया—और तरह की एजूकेशन में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने यह कहा है कि जहां तक एनडाउमेंट्स, ट्रस्ट्स और टैम्पल्ज़ की प्रापर्टीज़ का सवाल है, उन को उसी ग़र्ज़ के लिये इस्तेमाल किया जाये, जिस के लिये वे दिये गये। मैं यह कहना चाहता हूं कि जस्टिस बिफ़ोर जेनेरासिटी यह एक मुसल्लमा उसूल है। गवर्नमेंट का उस रुपये का डाइवर्ट करना—उस के ठीक परपज़ से दूसरी तरफ़ ले जाना जस्टिस नहीं है। इस लिये मैं ज़ोर से कहना चाहता हूं कि इन पाठशालाओं का क्लेम उस रुपये पर सब से पहले है, जो कि इस देश के लोगों ने इस ग़र्ज़ के लिये रखा हुआ है। लेकिन इस के बाद भी गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं हो जाती। किसी भी देश की एजूकेशन गवर्नमेंट का सबसे पहला फ़र्ज़ है। और गवर्नमेंट को लोगों को ऐसी एजुकेशन देनी चाहिये, जो इस देश के रहने वाले लोगों के लिये मुफ़ीद हों, चाहे वह टैक्नीकल एजुकेशन हो या दूसरी एजुकेशन हो। जब हम इस रिपोर्ट को देखते हैं तो पाते हैं कि इस कमिशन के जो मैम्बर थे वे सब के सब ही संस्कृत के बड़े विद्वान थे, सब के सब संस्कृत जानने वाले थे, बहुत मशहूर लोग थे और अपनी रिपोर्ट में इस कमिशन ने गवर्नमेंट के ऊपर बहुत से फरायज़ डाले हैं, जितनी पाठशालायें हैं उनका किसी हद तक माडर्नाइज़ करने का काम गवर्नमेंट के ज़िम्मे डाला है। आज यह देख कर हर एक व्यक्ति को दुख: होता है कि जितने भी संस्कृत के तथा दूसरी भाषाओं के विद्वान हैं, उनको अंग्रेज़ी जानने वाले विद्वानों के मुकाबले में इतना नीचा समझा जाता है, इतनी उनकी बेकद्री होती है कि कुछ कहना ही नहीं। अंग्रेज़ों के ज़माने में यह कुदरती चीज़ हो सकती थी लेकिन आज जब कि अंग्रेज़ यहां से चले गये हैं.......

श्री ब्रजराज सिंह : (फ़रोज़ाबाद) : अंग्रेज़ों के उत्तराधिकारी हैं आज के लोग।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं समझता हूं कि यह सारी हकूमत और यह पार्लियामेंट्री तर्ज़ की हकूमत लोगों के कहने पर चलती है। ब्रज राज सिंह जी का कहना है कि अंग्रेज़ों के ये उत्तराधिकारी हैं, ठीक नहीं है। जहां तक उनकी यह शिकायत है वहां तक तो मैं उनके साथ सहमत हूं कि गवर्नमेंट को बदल जाना चाहिये, अपने तरीके बदल लेने चाहियें, और उत्तराधिकारी होने का जहां तक ताल्लुक है वह तो हम को बनना चाहिये जो कि पार्लियामेंट के मैम्बर हैं और जिन को यह सरकार जवाबदेह है। हम जो कि इसके मेम्बर हैं, उनको यह चीज़ शोभा नहीं देती है कि हम किसी को ताने के तौर पर कोई बात कहें। अगर हम कोई काम सरकार से करवा नहीं सकते हैं, तो यह हमारा कसूर है। आज की हुकूमत को एमेनेबल है और अगर हममें ताकत है, तो हम गवर्नमेंट को मजबूर कर दें कि वह वे काम करे जो कि हम चाहते हैं कि होने चाहियें। अगर हम अपना फ़र्ज अच्छी तरह से नहीं निभाते तो हम डेफिशेंट हैं....

श्री ब्रज राज सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक्सप्लेनेशन के तौर पर एक बात कहना चाहता हूं। मैंने संसदीय पद्धति के बारे में कुछ नहीं कहा है। मैंने तो केवल इतना कहा है कि

[श्री राज राज सिंह]

आज की गवर्नमेंट जो है, उसके जो सब के सब तौर तरीके हैं, वे ब्रिटिश हकूमत के से हैं, वह कोई परिवर्तन करना नहीं चाहती है, अंग्रेजी को हटाना नहीं चाहती है, उसी तरह से काम चलाना चाहती है जिस तरह से पहले चला करता था और कोई परिवर्तन लाना नहीं चाहती है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैंने इसको कंट्रोवर्ट नहीं किया है । मैंने यह कहा है कि गवर्नमेंट .हमेशा पार्लियामेंट की तथा लोगों को रिप्रिज़ेंटेटिव होती है और लोग जो चाहें गवर्नमेंट से करवा सकते हैं । अगर लोग हकूमत से कुछ करवा नहीं सकते हैं या लोगों के जो नुमाइंदे हैं, वे गवर्नमेंट से कुछ करवा नहीं सकते हैं, तो यह लोगों का और उनके रिप्रि-जेंटेटिव्स का कसूर है । जहां तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है, दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट इस तरह से नहीं चलती है और इतनी तेज़ी से नहीं चलती है कि पुरानी तरीकों को एक दम ब्रेक अवे कर दे, सब कुछ एक दम तोड़ कर अलग हो जाये, सारे सिस्टम को खत्म कर दे और नये के लिये तैयार न हो । पुरानी चीज़ को आते तो वक्त लगेगा और नई चीज़ को हम खत्म कर देंगे और इसका नतीजा यह होगा कि कुछ भी नहीं रह पायेगा । इस वास्ते सब चीज़ आहिस्ता आहिस्ता होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ के होने का यह मतलब नहीं है कि कुछ किया ही न जाये और जिस हद तक कुछ किया नहीं जाता है, उस हद तक आपकी शिकायत वाजिब है ।

तो जनाव डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट को आये हुये एक साल हो गया है और इस एक साल के अन्दर जो सिफारिशें कमिशन ने की हैं, उनको अमल में लाने के लिये गवर्नमेंट कहां तक तैयार हुई है, यह मैं गवर्नमेंट से जानना चाहूंगा । उन्होंने जो यह कहा है कि जितनी पाठशालायें हैं, उनको आप एक हद तक माडर्नाइज़ करके उनके अन्दर क्रिटिकल और एनेलेटिकल एजुकेशन का सिलसिला जारी करें, उसके बारे में आपने क्या किया है । कहां तक इस पर आपने अमल किया है, यह मैं जानना चाहता हूं । कमिशन ने यह भी कहा है कि साउथ में संस्कृत यूनिवर्स्टी जरूर होनी चाहिये । हमारे यहां भी कुरुक्षेत्र में एक यूनिवर्स्टी बनी है लेकिन यूनिवसर्टी कमीशन की तरफ से उसको कोई ग्रांट अभी तक नहीं दी गई है । वाराणसी में भी एक यूनिवर्स्टी बनी हुई है । ये सब जो यूनिवर्स्टीयां हैं, उनको कहां तक इमदाद दी गई है और इस दिशा में कहां तक काम हुआ है, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं ।

यह दुरुस्त है कि आपने एक संस्कृत बोर्ड की स्थापना कर दी है और यह बहुत अच्छा किया है । इसके परसनेल के बारे में मैंने नोटिफिकेशन को देखा है और मैं समझता हूं कि यह आपने ठीक किया है । लेकिन जो दूसरी तजवीज़ है और जो बहुत ज्यादा हैं, उनके बारे में आप क्या कर रहे हैं । इस कमिशन में बहुत लर्निड लोग थे, बहुत मशहूर लोग थे और बहुत बारीकी में जा कर उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की है और बहुत ध्यानपूर्वक हमें उनकी सिफारिशों पर गौर करना है । जैसे मैं कह चुका हूं, मैं सब रिकोमेंडेशन में नहीं जा सकूंगा, लेकिन दो तीन बातें मैं जरूर अर्ज़ कर देना चाहता हूं ।

हमारे जो वेद हैं वे बहुत पुराने हैं और उनकी जो किताबें हैं, वे बहुत पुरानी किताबें हैं और लोग उनको बहुत रिवीयर्ड मानते हैं । ओल्डेस्ट किताबें ये हैं । ये नस्ल के बाद नस्ल से चले आते हैं, दादों पड़दादों के वक्त से चले आते हैं और बाप के बाद बेटे को मिलते चले आते हैं । सैकड़ों हज़ारों बरसों के बाद आज भी वेद लोगों को कण्ठथ हैं, किसी को एक, किसी को दो, और किसी को तीन । उनका प्रो ंसिएशन, उनकी सारी चीज़ जो परम्परा से चली आती है, वह हमारे देश का एक ऐसा खज़ाना है, जिस के मुकाब ले में दुनिया की कोई चीज़ नहीं है । कमिशन ने यह तजवीज़ की है कि इस चीज़ को कायम रखना चाहिये । इसकी युटिलिटी बहुत कम

लोग देख पाते हैं और कह सकते हैं कि क्या फायदा है उनका । लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आज वह चीज़ दुनिया से चली गई होती अगर यह सिलसिला जारी न रहता, अगर इसको लोगों ने इनहैरिट न कर लिया होता और बाई-इनहैरिटेंस यह चीज़ चलती न आती । इस वास्ते हमारा यह फर्ज़ है कि हम इस चीज़ को खत्म न होने दें । और हमारी गवर्नमेंट का फर्ज़ है कि इस ट्रेडिशन को खत्म न होने दे, इसको प्रिज़र्व करके रखे । आज उन लोगों ने, उस जेनरेशन ने जिसने महात्मा गांधी को नहीं देखा है, वे समझते हैं कि हम बड़े बदकिस्मत हैं कि हम उनके ज़माने में पैदा नहीं हुये । लेकिन महात्मा गांधी की रिकार्ड से आवाज़ सुन लेते हैं । एक आदमी ने मुझ से कहा कि मैं एक ऐसी चीज़ ईजाद कर रहा हूं जिससे कि राम कृष्ण महाराज की आवाज़ रिप्रोड्यूस हो सके । किस तरह से वह रिप्रोड्यूस करेगा और कब वह चीज़ होगी, यह मैं नहीं जानता हूं । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो आवाज़ लोगों के अन्दर है इन वेदों के बारे में अगर उसको हम प्रिज़र्व न करें तो यह ठीक नहीं होगा । जो वेदों को जानते हैं, जो वेदों के ज्ञाता हैं, उनकी आवाज़ों को टेप रिकार्डिंग करके प्रिज़र्व किया जाना चाहिये ताकि जितनी चीज़ मौजूद है, वह तो रहे, वह तो खत्म न हो ।

एक और रिकोमेंडेशन इसमें की गई है, जो अजीव रिकोमेंडेशन है । इसमें कोई शक नहीं है कि जहां तक संस्कृत का सवाल है, वह दुनिया की एक ऐसी ज़बान है, जिस के अन्दर आप कहें या न कहें, कितने ही मुल्क हैं, जहां पर संस्कृत की स्टडी जरूरी है । लेकिन हमारे देश के अन्दर वह इतनी इंटेंसिटी के साथ नहीं हो रही है, जितनी वहां हो रही है । जर्मनी वाले थोड़े दिन हुये खोज कर रहे थे कि वह क्या चीज़ थी, कौन सी अजीव चीज़ थी, कौन सी एनर्जी थी जिसकी वजह से लक्ष्मण जी ने सीता को कहा था कि इस घेरे के अन्दर आ जाओ और दुनिया की कोई ताकत हार्म नहीं पहुंचा सकेगी । इनके अन्दर एयरप्लेंस का ज़िक्र आता है और उसकी खोज आज भी दुनिया के अन्दर जारी है । संस्कृत के ऊपर सारी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं । दूसरे मुल्क जितने ज़ोरों से इसके पीछे लगे हुये हैं, उतने ज़ोरों से हम नहीं लगे हुये हैं । इस वास्ते संस्कृत को कोई डर नहीं है । यह दुनिया की लैंगुएज है और इसका दर्जा बहुत ऊंचा है और ऊंचा रहेगा । जितनी साइंस के अन्दर एकमप्लिशमेंटस हुई है, जितनी ज्यादा तरक्की वहां हुई है, उसको अगर देखा जाये तो आने वाले हज़ारों बरस तक संस्कृत का जो इल्म हिन्दुस्तान में पहले था, उसका बोलबाला दुनिया के अन्दर रहेगा और कोई नहीं कह सकेगा कि इंडियंस का कांट्री-ब्यूशन किसी दुनिया की कौम से कम है । इसमें कोई शक की बात नहीं है । लेकिन मुझे शुबा यह है कि कितने दिन तक मैं शाहनशाह पिदरमबूद के अन्दर यह कहता रहूंगा कि मेरे बुज़ुर्गों ने क्या किया है, क्या वे थे । हमें देखना है कि आज की क्या हालत है । आज की बहुत खराब हालत है । फिल्हाल और फिलवाका सिर उठाने की जगह नहीं है और कोई नहीं कह सकता है कि हमारी कांट्रीब्यूशन इस तरह का है जिस तरह का कि होना चाहिये । इस वास्ते यह जरूरी है कि जितने गवर्नमेंट के रिसोर्सिस हैं, वे सारे इसकी तालीम के पीछे खर्च होने चाहिये और तालीम को इस तरह से चलायें कि जो देश के वास्ते बैस्ट हो ।

कमिशन ने बेहद रिकोमेंडेशंस की हैं । लेकिन मैं एक दो को ही लेता हूं । एक रिकोमें-डेशन यह है कि जितने हमारे एम्बेसेडर जाते हैं, जितनी हमारी एम्बेसीस हैं, उनके अन्दर एक कल्चरल अटैची हो, जिस की डिसपोज़ल पर संस्कृत की तथा दूसरी चीज़ों की लाइब्रेरी हो और इस तरह से वहां वह काम करे । यह चीज़ ऐसी है जिस पर कि गवर्नमेंट खुद गौर करेगी । मैं तो समझता हूं कि इस देश के अन्दर जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, संस्कृत का प्रचार हो और

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

बजाय इसके कि यह चीज़ दूसरे मुल्कों में जाये, यहां भी इसको बढ़ावा मिलना चाहिये। बाहर वाली चीज़ ग़ैर जरूरी सेंस में है। आज घर के अन्दर कुछ नहीं है, दिल्ली दिल वाली, मुंह चिकना और पेट खाली वाली बात नहीं होनी चाहिये। सब से पहले इस देश के अन्दर ही आप डिसिशन लें और इस देश के अन्दर संस्कृत को लाजिमी कर दें। इसका नतीजा यह होगा कि सारे देश के अन्दर एटमासफीयर ही चेंज हो जायेगा, हमारे कारेक्टर में फर्क आ जायेगा, कारेक्टर फार्मेशन के लिये इससे अच्छी चीज़ और कोई नहीं है। रिपोर्ट में और बहुत सी सिफारिशें की गई हैं, और उस में यह भी कहा है कि देश और कौम की सालिडेरिटी के लिए यह जरूरी है, फिसिपेरस टेंडेंसी को दबाने के लिये यह चीज़ जरूरी है, हिन्दुस्तान को एक बनाये रखने के लिये यह चीज लाजिमी है और इससे बढ़ कर कोई दूसरी चीज़ नहीं हो सकती है। उन्होंने कितनी ही दलीलें इसके बारे में दी हैं और मैं उन सब में जाना नहीं चाहता हूं।

मैंने आपका बहुत वक्त ले लिया है और मैं ज्यादा बोल भी नहीं सकता हूं। इस वास्ते मैं अन्त में इतना ही अर्ज़ करता हूं कि जिन्होंने यह रिपोर्ट लिखी है, उनका मैं शुक्रगुज़ार हूं। यह रिपोर्ट सही है और मैं गवर्नमेंट से बड़े ज़ोर से कहना चाहता हूं कि इसकी रिकोमेंडेशन पर जल्दी से जल्दी वह फैसला दे और उनको अमल में लाये। अगर ऐसा नहीं किया गया तो यह ठीक नहीं होगा। किताब देखने में तो बहुत खूबसूरत है और अगर इसमें दी गई रिकोमेंडेशन को अमल में नहीं लाया गया तो वैसे ही होगा जिस तरह से और किताबों में दी गई रिकोमेंडेशंस के साथ हुआ है। इस वास्ते जहां तक हो सके, जल्दी से जल्दी इस पर अमल होना चाहिये।

पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी (सागर) : उपाध्यक्ष महोदय, संस्कृत कमिशन की रिपोर्ट पर विचार करते समय संस्कृत के सम्बन्ध में जो चर्चा हुई उस चर्चा को सुन कर और उस में भाग लेने में ऐसा मालूम होता है जैसे हम अपनी नानी या दादी की प्रशंसा कर रहे हैं। संस्कृत इस देश के बहुसंख्यक समाज की मातृ भाषा की मां है, समस्त उत्तर भारत में जिन भाषाओं को हम बोलते हैं उन सब भाषाओं की जननी संस्कृत है, और दक्षिण भारत की भाषाओं से अगर उस का मां का ताल्लुक नहीं है तो मां की बहन का ताल्लुक जरूर है। सारे भारतवर्ष में संस्कृत को प्राचीन काल में बड़ा गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त रहा है और इस लिये इस भाषा ने इस देश को प्राचीन काल में एकता के सूत्र में गूंथ कर रक्खा। आज राम और कृष्ण के मन्दिर हमें उत्तर से ले कर दक्षिण तक यदि दिखाई देते हैं और उस का कारण अगर हम तलाश करते हैं तो हमें यह मिलता है कि इस देश में एक ऐसी भाषा उत्तर से ले कर दक्षिण तक और पूर्व से ले कर पश्चिम तक बहुत काल तक बहुत से समाज में प्रचलित रही, जिस भाषा ने इस देश के मनुष्यों को एकता के सूत्र में गूंथ कर रक्खा। स्वराज्य प्राप्ति के पश्चात् हमारा शासन कायम होने के बाद, यह खुशी की बात है कि इस भाषा के सम्बन्ध में इस देश में सोचा गया और इस तरह के कमिशन की नियुक्ति की गई, जो कमिशन इस बात पर विचार करे कि ऐसी भाषा जिस में इस देश का सांस्कृतिक लिटरेचर उपलब्ध है, इस देश की जो राष्ट्रीय विचारधारा है, जो कि संसार में अपना अद्वितीय स्थान रखती है, उस विचारधारा को इस भाषा के द्वारा आगे पहुंचाया जा सकता है, उस भाषा को इस देश में उचित स्थान मिल सके इस पर फिर से विचार किया जाय।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुये]

जिस कमिशन का निर्माण हुआ उसने बड़ी जांच पड़ताल करने के बाद एक अच्छा साहित्य हमारे सामने रक्खा, वह एक आवश्यक और उपयोगी सामग्री है, इस में कोई शक नहीं है और शासन

ने कमिशन नियुक्त कर के, यह रिपोर्ट आये ऐसी व्यवस्था कर के बड़ा उपयोगी काम किया है ।

जहां श्रद्धा का प्रश्न आता है, हम को अपने सब बुजुर्गों के प्रति श्रद्धा होती है और होनी चाहिये । जो आदमी अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धालु नहीं है उस आदमी की आदमियत में कुछ कमी है, मैं ऐसा मानता हूं । लेकिन हमारी आजी, हमारी नानी हमारे लिये अत्यन्त प्रिय हैं और हमारी उन के प्रति श्रद्धा भी है, इस के यह माने नहीं हैं कि हम उन के ऊपर आज के जमाने की सारी जिम्मेदारी डाल दें । एक समय होता है, उस समय की अपनी मांगें होती हैं । हमें किसी भी मसले पर विचार करते समय इस चीज पर गम्भीरतापूर्वक ध्यान देना होगा कि समय के तकाजे को वह चीज़ पूरी करती है या नहीं । संस्कृत में हमारा सांस्कृतिक साहित्य सुरक्षित है, यह सच है । हजारों वर्षों के भारतवर्ष के हृदय को अगर पढ़ना है, सैकड़ों, हजारों वर्ष पहले इस देश के मनीषियों ने जो चिन्तन किया था, जिस चिन्तन ने इस देश को अपनी उन्नति के शिखर पर पहुंचाया था, उस चिन्तन के साथ अगर हमें अपनी आत्मा का सामंजस्य स्थापित करना है, तो जरूरी है कि संस्कृत का अध्ययन किया जाय । लेकिन साथ ही यह भी निश्चित बात है कि कोई आदमी केवल अतीत में तो नहीं रह सकता है । मुझे भी पढ़ने का शौक है, यहां पर एक बड़ी अच्छी सी लाइब्रेरी हो जिस में हजारों वर्ष पुरानी पुस्तकें रक्खी हों, उन में अच्छी अच्छी बातें भरी हों , यह बात सच हो, लेकिन उन पुस्तकों के अन्दर बैठ कर अपनी सारी जिन्दगी को नहीं खपाया जा सकता । कोई भी जीवित प्राणी, कोई भी समाज में जीवित रहने वाला प्राणी, जिस को आगे भी समाज में जीवित रहना है और जिस को जिन्दगी की दौड़ को पूरा करना है, वह कितनी ही अध्ययनशील रुचि का आदमी क्यों न हो, लेकिन एक अच्छी से अच्छी लाइब्रेरी के अन्दर अपने को खत्म कर देना कभी पसन्द नहीं करेगा । एक जीवित समाज के लिये जरूरी होना है कि उस के लिये हमेशा जिस तरह की विचारधारा चाहिये, उस तरह की विचारधारा अवश्य ही उसके सामने प्रस्तुत हो सके, ऐसी व्यवस्था हो । यदि हम संस्कृत को आवश्यकता से अधिक महत्व देते हैं तो मुझे यह लगता है कि हम समाज को आज की विचारधाराओं से वंचित रखते हैं । अगर हम संस्कृत को हर बच्चे के मस्तिष्क के ऊपर लादना चाहते हैं, अगर हम उसे इस देश में कम्पल्सरी करते हैं, तो मैं कहता हूं, बाल मनोविज्ञान का एक छोटा सा विद्यार्थी होने के नाते मैं इस चीज को देखता हूं, कि अगर हम उन सुकुमार मस्तिष्कों पर जरूरत से ज़्यादा बोझ लादते हैं तो हम उनकी बुद्धि को कुंठित करते हैं । हम उन के स्वतन्त्र विकास के मार्ग में बाधक होते हैं । बहुत सी भाषाओं से किसी बच्चे के मस्तिष्क को बोझिल बनाया जाय यह उस के स्वतंत्र चिन्तन के मार्ग में सब से बड़ी बाधा उपस्थित करना है । मैं तो कहता हूं कि भाषा के सम्बन्ध में बहुत बार लोग कहा करते हैं, हमारे बुजुर्ग लोग भी कहते हैं, कि अधिक से अधिक भाषायें सीखनी चाहियें । लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, मेरी यह मान्यता है कि यदि हम एक भाषा भी अच्छी तरह से जान लेते हैं तो जीवन के लिये वह पर्याप्त है । एक भाषा के द्वारा, एक जीवित भाषा के द्वारा भी हम अपने बहुत से साहित्य का अध्ययन कर सकते हैं जो कि हमारे जीवन के निर्माण में बड़ी दूर तक सहायक हो सकता है । ठीक है, अगर हमारे पास अवकाश हो, हजारों वर्षों की जिन्दगी हो, तो हम बीसों भाषाओं को सीखें और उन के अन्दर मनीषियों ने जो अपने विचार अंकित कर के रक्खे हैं उन का अध्ययन करें, यह हमारे जीवन के निर्माण में और उल्झनें जहां पैदा होती हैं वहां पर अपना जो सही मार्ग है उस को निर्धारित करने में सहायक हो सकता है । लेकिन जीवन हजारों वर्ष का तो नहीं । मनुष्य जीवन जैसा है उस की सीमाओं के भीतर ही हमें सोचना होगा कि हम बच्चों के मस्तिष्कों पर कितना बोझ लादें । तो मैं कमिशन ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है उस को पर्याप्त महत्व देते हुये भी, जहां उन्होंने यह बात कही है कि संस्कृत को हाई स्कूल

[पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी]

तक कम्पलसरी लैंग्वेज किया जाय, यह कहूंगा कि मनोवैज्ञानिक और अध्यापकीय दृष्टिकोण से विचार करते समय यह चीज़ ठीक नहीं है। यह ठीक है कि इस देश में ऐसे पंडित हैं, इस देश में ऐसे विद्वान हैं जो कि पुराने लोगों ने जो चिन्तन किया है, और जिस अपने साहित्य को सुरक्षित कर के रक्खा है, उस का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करते हैं। मैं यह महसूस करता हूं कि जब मैं यह देखता हूं कि पिछले हजारो वर्षों में इस देश का अध:पतन क्यों हुआ, तो मैं इस निश्चय पर पहुंचा हूं कि इस देश के हमारे ग्रंथों में जो अद्वितीय विचार रत्न भरे पड़े थे उन विचार रत्नों से हम ने इस देश के बहुसंख्यक समाज को कट आफ कर के रक्खा। संस्कृत भाषा और जन भाषाओं में हजार, डेढ़ हजार वर्षों के अन्दर गहरा अन्तर पड़ गया। विद्वानों और विद्यापीठों में रहने वाले मनीषियों की भाषा संस्कृत रही लेकिन न तो उन मनीषियों का जन समाज से कोई सम्पर्क रहा और न जन समाज का उन मनीषियों से कोई ताल्लुक था। हिन्दुस्तान के विचारक पंडित लोग किस भाषा में सोचते हैं समाज को यह मालूम नहीं था और समाज के हृदय का स्पन्दन क्या है, उसकी अन्तर्वेदना क्या है, जीवन में कौन से कष्ट और दु:ख हैं, इस का ज्ञान उन चिन्तकों को नहीं था जो विद्यापीठ में बैठ कर संस्कृत के ज्ञान का अर्जन करते थे। और इसलिये मैं देखता हूं कि पिछले संस्कृत साहित्य में एक ऐसा पुरानापन आया जिस में जीवन का स्पन्दन नहीं है, वह जीवन की हमारी जो समस्यायें थीं उन को हल करने में सहायक नहीं है और जन समाज और विद्व-समाज के अन्दर अधिकाधिक खाई बढ़ती गई। मैं संस्कृत का ज्ञान बढ़ाया जाय, संस्कृत के अध्ययन, अध्यापन की अच्छी से अच्छी व्यवस्था की जाय इस का निश्चय रूप से हामी हूं, लेकिन हर आदमी पर, हर बच्चे पर हाई स्कूल स्तर पर वह बोझ लाद दिया जाय इस को औचित्यहीन समझता हूं।

हमें निश्चित रूप से कुछ ऐसे आदमियों की आवश्यकता है जो कि बारीकी से अध्ययन करें कि हमारा सांस्कृतिक साहित्य जो हमारी दृष्टि से ओझल हो चुका है वह क्या था, उन रत्नों को आज की भाषा में, आज के शब्दों में, आज के समाज के सामने रक्खें और जिस सीमा तक वह आज की समस्याओं को हल करने में सहायक हो सकता है उस सीमा तक हम उस से सहायता लें। कोई भी समाज अपने भूतकाल के द्वारा सहारा लेता है। यह निश्चित है कि जो समाज भूत काल से सहारा नहीं लेता है उस समाज के अपने व्यक्तित्व में अन्तर पड़ जाता है, उस का अस्तित्व कमजोर पड़ जाता है। यह सही बात है और इसलिये एक सीमा तक हमारे देश का जो चिन्तन रहा है, जो हमारे देश के मनीषियों के विचार करने की धारा रही है, उस से हमारा सम्बन्ध स्थापित करें, ऐसे एक विद्वान समाज का निर्माण जरूरी है। विद्वान तैयार किये जायें। जो विद्यालय हैं उन में जो पंडित काम कर रहे हैं रिसर्चेज का काम कर रहे हैं, अध्ययन का काम कर रहे हैं, उन्हें अधिक से अधिक सुविधा दी जाय ताकि वह प्राचीन साहित्य के रत्नों को हमारे सामने प्रस्तुत कर सकें और हम उन से जो प्रेरणा ले सकते हैं वह ले सकें।

लेकिन जन साधारण के लिये अगर हम संस्कृत कम्पलसरी करते हैं तो वह गलत चीज है। भाषा विज्ञान के एक छोटे से विद्यार्थी के नाते मैं तो यह अनुभव करता हूं कि भाषा एक प्रवाह-वान वस्तु है। वैदिक संस्कृति का एक प्रवाह चला। उसके पश्चात् अपभ्रंश काल आया। भाषा में परिवर्तन हुए। विद्वानों ने यह देखा कि हम यदि भाषा को बांध कर नहीं रखते हैं तो इतने ज्यादा परिवर्तन हो जायेंगे कि प्राचीन काल की भाषा में और हजार दो हजार साल बाद आने वाली भाषा में इतना अन्तर पड़ जायेगा कि एक युग का व्यक्ति दूसरे युग की भाषा को नहीं समझ सकेगा। इसलिये उन्होंने कछ विद्वानों ने संस्कृत को नियमों में बांध कर रखा। एक पठित वर्ग का जो समाज

था उस समाज की व्याकरण के नियमों से बंधी हुई भाषा बनी। उस भाषा में बहुत अच्छे से अच्छा साहित्य उन्होंने प्रस्तुत किया और वह साहित्य वहां रहा और उस व्याकरण के नियमों से बंधी हुई भाषा को संस्कृत भाषा कहा गया। लेकिन जन समाज भाषा की जटिलता की वजह से उस भाषा को ग्रहण नहीं कर सका। भाषा विज्ञान यही कहता है कि जो भाषा बंधनों में ज्यादा बांध दी जाती हैं वह भाषा धीरे-धीरे विद्वानों की भाषा रह जाती है और जन समाज उस भाषा को हृदयंगम नहीं कर सकता है। जन समाज से उस भाषा का संबंध टूट जाता है। संस्कृत के जीवन में संस्कृत भाषा के जीवन में यही घटना घटी है। कुछ विद्वानों ने चूंकि उसे कठिन नियमों में बांधे रक्खा इसलिए वह विद्वानों की भाषा बन कर रह गयी। कुछ बाहरी शक्तियां इस देश पर आक्रमण करके आईं, उन्होंने भी जो संस्कृत के अध्ययन और अध्यापन की सुविधायें मिलनी चाहिए थीं, उन सुविधाओं को नहीं दिया। जनसाधारण के इधर उधर अनुराग के कारण जो भी थोड़ी बहुत सुविधायें उसे मिल सकीं और उन सुविधाओं के बीच में जितना कुछ संस्कृत विकास पा सकी, वह पाती रही लेकिन निश्चित रूप से वह एक सीमित दायरे की भाषा रही। अब आज उस भाषा को जिस भाषा का कि जन समाज से हजारों वर्षों से बिलकुल सम्बन्ध टूट चुका है उस भाषा को फिर से हम समग्र देश की भाषा बना दें, अत्यन्त आदर और श्रद्धा संस्कृत के लिए होते हुए भी, मैं समझता हूं कि यह सम्भव नहीं है। इस तरह की चर्चा आज के इस युग में करना मुझे ऐसा लगता है कि गंगा बहुत पवित्र है लेकिन उसे गंगोत सागर से उठा कर फिर हरिद्वार ले जाने की बात जैसे कठिन है, उसी तरीके से संस्कृत जो कि थोड़े से विद्वानों की भाषा रह गई है, उसे जन भाषा बनाने की चेष्टा का विचार इसी तरह का एक असम्भव विचार है।

आज हम हिन्दी या जो स्थानीय भाषाएं हैं, रीजनल लैंग्वेजेज हैं, उनके बढ़ाने की व्यवस्था करना चाहते हैं तो उसके मार्ग में बाधाएं हैं, अब उसके लिए किसे दोष दें। जब हम उस पर दृष्टि डालते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे पास उतना धन नहीं है कि जिस से हम प्राइमरी एजुकेशन कम्पलसरी कर सकें। अगर हम संस्कृत को कम्पलसरी करना चाहते हैं हाईस्कूल स्तर पर ही सही, तो क्या आपने हिसाब लगा कर देखा है कि हमको कितना व्यय करना होगा और किस चीज के लिये करना होगा? क्या हम इस जमाने की किसी समस्या को संस्कृत को कम्पलसरी कर के हल कर सकते हैं? क्या जो वैज्ञानिक प्रगति इस दुनिया की हो रही है उस वैज्ञानिक प्रगति में हम अपने बच्चों को इसके द्वारा आगे बढ़ाने में सहायता दे सकते हैं? मैं समझता हूं कि यह प्रश्न हैं। इन प्रश्नों पर हमें गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। कमिशन में हमेशा ऐसे आदमी रक्खे जाते हैं और रक्खे भी जाने चाहिएं जो कि उस विषय से अत्यन्त अभिरूचि रखते हैं और हमने देखा है कि हमारी अभिरुचियां हमारी मनोभावनाएं, हमारे लिए हमारी भावनाओं का एक घेरा बना रखती हैं। सर्वतो दृष्टि से आज हम में विचार करने की एक क्षमता होनी चाहिए। वह क्षमता हम उस दायरे की वजह से खो बैठते हैं। कमिशन के लोग संस्कृत के विद्वान हैं, संस्कृत के अध्ययन और अध्यापन में, उस में रिसर्चेज करने में उन्होंने अपनी जिन्दगी अर्पित कर दी है। संस्कृत के प्रति उन को असीम और अगाध श्रद्धा थी और उस श्रद्धा ने संस्कृत का ही हित उनके सामने मुख्य रूप से रक्खा। यह दृष्टि वह काश रख सके होते कि जन समाज की आज की जरूरतें क्या हैं। शासकीय स्तर पर अगर संस्कृत को एक उच्च से उच्च स्थल पर पहुंचाने के लिये अनुष्ठान किया जाता है तो उन अनुष्ठानों के मार्ग में आर्थिक और दूसरे किस्म की कितनी दिक्कतें हैं, इन सब चीजों पर हमें दुख है कि वह विचार नहीं कर सकें और इसीलिए जैसा कि पंडित ठाकुरदास भार्गव ने अभी कहा कि उनकी जो सिफारिशें हैं वह एक अजीब सी सिफारिशें हो गई हैं।

सभापति महोदय, यह जो संस्कृत कमिशन की रिपोर्ट प्रस्तुत है यह बड़े विचार के पश्चात् हमारे सामने विचारार्थ पेश की गई है। उस रिपोर्ट को मैं एक महत्वपूर्ण डाक्युमेंट इस दृष्टि से

[पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी]

मानता हूं कि उस रिपोर्ट ने इस देश के निवासियों के हृदय में अपनी मातृभाषा की जननी के प्रति जो सद्भाव, आदर और प्रेम का भाव है, उसको इस देश में विस्तृत बनाने की ओर जो उत्कट और तीव्र आकांक्षा है, उस आकांक्षा को व्यक्त किया है। उसके प्रत्येक क्लाज को इस देश में आज की परिस्थिति में कार्यान्वित कर सकेंगे, ऐसा मैं नहीं समझता हूं। एमबैसीज में संस्कृत के विद्वान भेजे जांय वहां जाकर संस्कृत की पुस्तकें पढ़ें। काश हमारी शक्ति होती कि हम ऐसा कर सकते लेकिन हम अपने घर में तो छोटे-छोटे दिये न जला सकें और हम बाहर मशाल जलाना चाहें तो यह कैसे हो सकता है। हमें इसके लिये तैयारी करनी होगी। आज जरूरत इस बात की है कि हम देश में जगह-जगह पर जो हमने छोटे-छोटे मंदिर और मठ संस्कृत के कायम कर रक्खे हैं, मैं तो कहूंगा कि यह जरूरी है कि हम इन छोटे-छोटे मंदिरों और मठों को देखने के बजाय विशाल मठ और मंदिर संस्कृत का स्थापित करें। छोटी-छोटी पाठशालाएं जिन में एक मिटी हुई और पिटी हुई स्थिति में काम करने वाले संस्कृत के अध्यापक काम कर रहे हैं, कहा जाता है कि इन सब संस्थाओं को हम जीवित रक्खें। काश हम में शक्ति होती कि हम उनको जीवित रख सकते। मैं महसूस करता हूं कि देश का जो पैसा है वह ऐसा फालतू नहीं है कि हम उसको हर जगह खर्च करें। देश की एक एक पाई को खर्च करते समय यह जरूर देखना चाहिए कि देश के लिए सब से महत्वपूर्ण चीज कौन सी है? बिगड़ी हुई और टूटी फूटी संस्कृत शालाओं को हम जीवित रक्खें या हम आज के जीवन में प्रेरणा देने वाली जो संस्थाएं बना सकते हैं, उन संस्थाओं को सहारा दें? संस्कृत के प्रति हमको अनुराग है यह सच है लेकिन उस अनुराग को व्यक्त करने का यह तरीका नहीं होगा कि हम घिसी पिटी छोटी-छोटी संस्थाओं को जिन में कि ये लूले लंगड़े तरीके से अध्ययन का कार्य चल रहा है उसको जारी रक्खें। उचित यह होगा कि हम हर जिले में और जिले में नहीं हो सकता है तो प्रान्तीय स्तर पर अच्छे से अच्छे संस्कृत के विद्यापीठ या संस्कृत की बड़ी शाला स्थापित करें जहां हम अच्छे से अच्छे गवेषणा में रुचि रखने वाले विद्वान लोगों को रक्खें जो सचमुच में अपने जीवन को सरस्वती की अभ्यर्थना में विसर्जित करना चाहें। उन के चारों तरफ वास्तविक संस्कृत का वातावरण बने। उनकी छाया में जिस तरह वैशाली और नालन्दा में विद्यार्थी ज्ञान का अर्जन करते थे। ऐसे वातावरण की छाया निर्मित हो और सही बच्चे जो कि अपने जीवन को संस्कृत की सेवा में ही अर्पित करना चाहते हैं, वे बच्चे जो कि सही व्रत लेना चाहते हैं कि वे प्राचीन साहित्य की गवेषणा करेंगे, संस्कृत साहित्य की और उस गवेषणा के परिणामों को आज के समाज के सामने आज की भाषा में प्रस्तुत करेंगे संस्कृत और संस्कृत के संदशों को विदशों में ले जायेंगे, ऐसे तरुणों को उन में नियुक्त किया जाय। थोड़ा-थोड़ा हजारों जगहों पर बिखरी हुई हजारों संस्थाओं में हम पैसा फैंक दें और वह संस्थाएं जिस तरीके से चलती आई हैं चलती रहें और उन में उस से किंचित सुधार ही सम्भव हो और धुंवा देने वाले दिये बहुत से इधर से उधर कायम हो जाय और उस धुंएं की घुटन में जो हमारे बच्चों का सही विकास होना चाहिए वह विकास न हो सके, ऐसी व्यवस्था को सहारा देना मैं नहीं समझता कि ठीक है।

जो पुरानी शालाओं को जीवित रखने की ओर उन म पुरानी परम्परा को जारी रखने की बात कही गयी है, मैं उस सीमा तक उसका समर्थन करता हूं। जिस तरह की पहले चोटी बांध कर पुराने विद्यार्थी अध्ययन करते थे इस तरह की परम्परा कुछ संस्थाओं में स्थापित हो जाए। उस परम्परा जो नवीन शिक्षा शास्त्र ने जो नवीन बात हमारे सामने रखी हैं, उनका समन्वाय किया जाए। यह एक दुःखद बात है कि पुरानी शालाओं में पढ़े शास्त्री और आचार्य—उन म मेरे निकटस्थ मित्र भी हैं—जो आगे आये हैं वे आज समाज के हृदय में भावों का जो स्पंदन हो रहा है उस से दूर हैं। और इसका नतीजा यह है कि उनके मन में ज्ञान का अगाध भंडार होते हुए भी वे आज के समाज के

हृदय को छू नहीं पाते हैं। उनके और आज के समाज के बीच में एक लकीर पड़ी हुई है। तो जो पुरानी संस्थाएं हैं उनको हमें प्राण देना है। हर पुरानी चीज को हम कायम रक्खें यह गलत बात है। मेरा यह मतलब नहीं है कि सारे के सारे वे विद्वान जिन्होंने संस्कृत के द्वारा अध्ययन किया है वे आधुनिक ज्ञान से सम्पन्न नहीं हैं। मैं जो चीज सदन के सामने कह रहा हूं वह बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। मैं ऐसे पचासों व्यक्तियों को जानता हूं जिन्होंने संस्कृत का गहरा अध्ययन किया लेकिन वह प्राचीन दुनिया में रहे, नवीन दुनिया किस तरफ जा रही है इसका उनको ज्ञान नहीं है। इन में कुछ अपवाद हो सकते हैं और वे हमारी श्रद्धा के पात्र हैं। लेकिन इस में कोई शक नहीं है कि जिन परम्पराओं को हमारी पाठशालाओं ने कायम रखा है—मेरा अनुभव अपने इलाके की अपने आस पास की पाठशालाओं का है—उन परम्पराओं ने अपने को नवीन समाज से दूर रखा है। तो मैं चाहता हूं कि नवीन और प्राचीन का समन्वय हो। इस काम के लिये कुछ संस्थाएं चुनी जायं उनको अधिक से अधिक प्राणवान बनाया जाए, जो विद्यार्थी संस्कृत का गहरा अध्ययन करना चाहते हैं उनको अधिक से अधिक सुविधाएं दी जाएं। प्राचीन साहित्य को संस्कृत के साथ ही साथ आधुनिक भाषाओं में अधिक से अधिक प्रकाशन देने की व्यवस्था की जाए। आज का जो समाज है वह पाश्चात्य भाषाओं की चकाचौंध से अपने पथ को भूला हुआ है। अंग्रेजी का अध्ययन अच्छी चीज है यह मैं मानता हूं। अंग्रेजी संसार की एक सबल और सम्पन्न भाषा है इस में कोई शक नहीं है। उसका अध्ययन होना चाहिए।

पर अभी यहां पर्याप्त से चर्चा हो रही थी अंग्रेजी को कम्पलसरी करने के सम्बन्ध में। अंग्रेजी, संस्कृत और हिन्दी तीनों का कम्पलसरी अध्ययन कराया जाए शालाओं में, यह बात रिपोर्ट में भी कही गयी है। मैं इस चीज को देश के लिये अन्याय समझता हूं। जहां हमको संसार से संबंध स्थापित करना है तहा हम को यह भी याद रखना है कि इस देश के निवासियों से भी हमारा सम्बन्ध है। आज यदि हम अंग्रेजी की व्यवस्था करते हैं तो उसका क्या परिणाम होता है और हुआ है। सौ वर्ष के अंग्रेजी शासन के पश्चात् कितने आदमी अंग्रेजी सीख सके हैं और उसका क्या परिणाम हुआ है? इसका यही परिणाम हुआ है कि कोई ५० लाख आदमियों की एक जाति तैयार हो गयी है जो न जन साधारण की भाषा जानती है और न जन साधारण के सम्पर्क में आती है। तो अंग्रेजी के अध्ययन में यह कमी है। अंग्रेजी के अध्ययन का यही उपयोग हो सकता है कि जो विचार प्रवाह बाहर चल रहा है उस से हम अपने को अवगत कर सकें और अपना विचार बाहर दे सकें। लेकिन अंग्रेजी को कम्पलसरी करना मैं समझता हूं कि इस देश की रीजनल लैंग्वेजेज के साथ अन्याय होगा।

श्री मूल चन्द दुबे (फर्रुखाबाद) : श्रीमान् सभापति जी, मेरे माननीय मित्र ने जो अन्त में आपत्ति की कि संस्कृत को सैकिंडरी स्टेज पर भी अनिवार्य करने से विद्यार्थियों पर इतना बोझ पड़ जायेगा कि वह उसको बरदाश्त नहीं कर सकेंगे, उससे मैं कतई सहमत नहीं हूं। मेरा विचार है कि सैकिंडरी स्टेज पर संस्कृत को जरूर ही अनिवार्य करना चाहिये। इससे विद्यार्थियों पर ज्यादा बोझ पड़ेगा यह मैं सही नहीं मानता। मैंने इस बात को देखा है हालेंड में, जर्मनी में, स्विटजरलैंड में पोलैण्ड में, जैकोस्लावेकिया में कि बच्चों को तीन तीन और चार चार जबानें पढ़नी पड़ती हैं और किसी के ऊपर ऐसा बोझ नहीं पड़ता कि वह तरक्की न कर सकें। तो यह आपत्ति तो सही नहीं है।

मेरा ख्याल है कि संस्कृत तो ऐसी भाषा थी जो हमारे देश में पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक सम्पर्क कायम रखने में बराबर काम आती रही और इसी भाषा की बदौलत देश में एकता रही और भारतवर्ष और हिन्दुस्तान एक रहा संस्कृत के कायम रहने की वजह से ही। देश की और जितनी भाषायें हैं उन सब की जननी, जैसा मेरे मित्र ने कहा, संस्कृत ही है। और इन सब भाषाओं

[श्री मूल चन्द दुबे]

की तरक्की के लिये संस्कृत का उपयोग और प्रचार बहुत जरूरी मालूम होता है। अंग्रेजों के यहां आने के बहुत समय बाद तक संस्कृत काम में आती रही। जहां तक मुझे याद पड़ता है सन् १८३५ में मैकाले ने एक मिनट तैयार किया जिसमें उन्होंने लिखा कि हमें हिन्दुस्तानियों का एक ऐसा क्लास पैदा करना है कि जो रंग में हिन्दुस्तानी हो मगर जिसके ख्यालात, जिसका चरित्र और जिसकी बुद्धि अंग्रेजी हो जाये। वह इस किस्म के आदमी पैदा करना चाहते थे और इसमें उनको इतनी कामयाबी हुई कि वह क्लास सवा सौ या डेढ़ सौ बरस के बाद भी उसी तरह पर कायम है। आज जो अंग्रेजी पढ़े लिखों का क्लास है उसका देश के दूसरे क्लासों से कोई ताल्लुक नहीं है। वह अपने को सबसे अलग रखते हैं। उनको अंग्रेजी आयी हो या न आयी हो, वे अपने को औरों से अलग रखते हैं। वैसे तो इसका कोई ज्यादा असर न होता। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा किया कि जो अंग्रेजी पढ़े लिखे होंगे उनको नौकरी मिलेगी। उन्हीं का मान होगा, उन्हीं की प्रतिष्ठा होगी उन्हीं की इज्जत होगी। यानी सब चीजें जो कि आदमी को गिराने के लिये जरूरी होती हैं वे सब अंग्रेजों ने उन लोगों के लिये मुहय्या कर दीं जो थोड़ी बहुत भी अंग्रेजी जानते थे। नतीजा यह हुआ कि लोग उसमें फंस गये और एक ऐसा क्लास बन गया कि जिसकी वजह से दस वर्ष उसे स्वतंत्र होते हुये भी देश का पतन हो रहा है। इन लोगों की विचाराधारा ऐसी बनती है कि जिसकी वजह से चरित्र का बनना तो दर किनार रहा, चरित्र का बिगड़ना शुरू हो रहा है। जहां भी रुपये की बात होती है है हरएक आदमी गिरता हुआ दिखायी देता है। संभलता हुआ दिखायी नहीं देता। इकानमी के उसूल भी नये ही हो गये हैं। पहले हिन्दुस्तान में यह बात थी कि जरूरतें कम रखो ताकि सन्तोष से रह सको। लेकिन अंग्रेजों ने सिखाया कि जरूरतें बढ़ाओ और जरूरतें बढ़ाने का नतीजा यह है कि चरित्र गिरता चला जा रहा है। जरूरतें बढ़ती चली जा रही हैं। ऐसी मुश्किल पैदा हो गयी है।

जहां हम लोगों का यह विचार है कि एक क्लासलैस सोसाइटी पैदा हो, उसके बजाय अब एक और क्लास पैदा हो गया है। यहां तो पहले ही बहुत सी क्लासेज थीं। लेकिन पिछले दस वर्ष में कांग्रेस की कोशिश से, गवर्नमेंट की कोशिश से और दूसरे लोगों की कोशिश से वह तो धीरे धीरे कम हो रही है लेकिन अंग्रेजी पढ़े लिखों की क्लास बढ़ती जा रही है, दिल्ली में तो मैं देखता हूं कि चार पांच छ: बरस के बच्चे अंग्रेजी में बोलना शुरू कर देते हैं। जिस को देखो, वह अंग्रेजी बोल रहा है। तो गोया जो क्लास उन्होंने इतने अरसे में कायम की है, वह क्लास उसी तरह कायम है। उसको मिटाने की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, बल्कि उसको बढ़ाने की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। कमीशन ने जो यह कहा है कि अंग्रेजी जरूर कायम रखी जाये और संस्कृत चाहे रखी जाये या न रखी जाये, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। चेयरमैन साहब, आपने अपने भाषण में हमारे देश के साइंटिस्ट्स के बारे में फरमाया। हिन्दुस्तान में ऐसे साइंटिस्ट्स नहीं हैं, जो कि न्युक्लीयर एनर्जी को या एटामिक एनर्जी को अच्छी तरह से काम में ला सकें। और आपने फरमाया है कि हम को शर्म मालूम होती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हमें से जो पढ़ने बैठे, उनकी जिन्दगी तो अंग्रेजी सीखने में निकल गई। जितना उनका दिमाग था, वह अंग्रेजी सीखने में ही खर्च हो गया। भाषा सीखने में ही हमारा दिमाग खर्च हो गया, भाषा को इस्तेमाल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर): भाषा आई, विद्या नहीं आई।

श्री मूलचन्द दुबे: दिमाग जो काम में आ सकता था, वह दिमाग उस काम में आया नहीं। अंग्रेजी तो आई नहीं, विद्या भी नहीं आई--ज्ञान भी नहीं हुआ। गर्जकि इतने नुकसानात

इस वजह से हुये हैं कि जिन का अन्दाजा नहीं किया जा सकता है । जो क्लास अंग्रेजों ने बनाई, वह इंडिपेंडेंस के दस बरस के बाद भी ऐसे ही चल रही है ।

श्री ब्रज राज सिंह : बढ़ रही है ।

श्री मूल चन्द दुबे : ऐसा नहीं किया जा रहा है कि इस तरीके को बदल कर लौटा जाये, क्योंकि जब तक नहीं लौटते हैं, तब तक न तो देश का चरित्र बनेगा और न भ्रष्टाचार मिटेगा, जिस की रोज शिकायत की जाती है । हर पार्टी के लोग भ्रष्टाचार की शिकायत करते रहते हैं । मैं समझता हूं कि यह अंग्रेजी तालीम की वजह से है—अंग्रेजी क्लास की वजह से है । अगर अंग्रेजी क्लास न हो, तो भ्रष्टाचार न हो । हम लोग जिस रास्ते पर चल रहे हैं, उससे अपने कदम को पीछे हटाने का तरीका यह है कि संस्कृत को कम्पलसरी कर दिया जाय कम से कम सैकंडरी स्टेज के लिये । दूसरा तरीका मेरी समझ में नहीं आता है ।

श्री ब्रजराज सिंह : सभापति महोदय, मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है—सिर्फ एक बात का निवेदन करना है । संस्कृत आयोग की रिपोर्ट पर बहुत काफी बहस हुई है । इसमें शक नहीं है कि हमारे सदस्यगण इस विषय में कितनी दिलचस्पी रखते हैं और देश में भी इसके प्रति कितनी दिलचस्पी है । लेकिन मैं आपका और सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं इस बहुत ही प्रतिष्ठित आयोग की एक सिफारिश की तरफ, जो कि उन्होंने बावजूद इस बात के की जो टर्म्ज आफ रेफरेंस उनको दी गई थीं, उनमें उसका कोई जिक्र नहीं था और वह सिफारिश उन्होंने अपनी इस रिपोर्ट के सफा २५० पर की है, जहां उन्होंने लैंग्वेज फारमूला की बात कही है । मेरा निवेदन यह है कि लैंग्वेज फारमूला में और बातें जो कुछ भी हों, वे सब से ज्यादा महत्व अंग्रेजी को देना चाहते हैं । मेरा निवेदन है कि अगर संस्कृत आयोग इस विषय पर अपने विचार प्रकट करता कि संस्कृत की पढ़ाई-लिखाई के लिये क्या सुविधायें दी जायें, किस तरह से परम्परागत पाठशालाओं में पढ़ाई हो, किस तरह यूनिवर्सिटी और कालेजों में पढ़ाई हो, तो इसमें एतराज की कोई बात न होती । उन्होंने इस बारे में अपने विचार प्रकट किये हैं, उसके लिये और उनकी सेवाओं के लिये हम उनको बहुत धन्यवाद देते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं । लेकिन मुल्क में एक षडयंत्र चल रहा है और वह षड्यंत्र यह है कि चाहे कोई बात हो, उसमें यह बात जरूर आ जानी चाहिये कि अंग्रेजी की पढ़ाई-लिखाई हमेशा के लिये जारी रहनी चाहिये ।

मैं आपका ध्यान इस बात की तरफ भी आकृष्ट करना चाहता हूं कि एक दूसरे दिन हमारे मित्र श्री फ्रैंक एन्थनी के रेजोल्यूशन पर बहस के दौरान हमारे प्रधान मंत्री ने इस सदन में एक ऐसी बात कह दी, जो कि आफिशियल लैंग्वेज कमीशन की रिपोर्ट पर बहस के समय कही जानी चाहिये थी । उन्होंने कह दिया कि वे चाहेंगे कि भारतवर्ष में अंग्रेजी एक एसोशिएट सरकारी भाषा के तौर पर बनी रहे और वह तब तक बनी रहे, जब तक कि गैर-हिन्दी-भाषी इस बारे में तय नहीं कर दें । मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है कि गैर-हिन्दी-भाषी ही इसको तय करें कि अंग्रेजी कब तक रहे, लेकिन मेरा एतराज यह है कि उस अवसर पर, जबकि इस विषय पर बहस हो रही थी कि क्या अंग्रेजी भाषा को संविधान में दर्ज चौदह भाषाओं में शामिल किया जाये, या नहीं, प्रधान मंत्री की तरफ से यह कहे जाने के मायने सिर्फ वही होते हैं, जो कि हमारे इस आयोग के प्रतिष्ठित चेयरमैन, डा० सुनीति कुमार चटर्जी, और दूसरे बहुत ही प्रतिष्ठित सदस्यों ने कहा है कि अंग्रेजी की पढ़ाई जारी रहनी चाहिये । प्रश्न यह है कि आखिर अंग्रेजी की पढ़ाई के पीछे भावना कौन सी है । जहां तक संस्कृत की पढ़ाई का सवाल है, उसके लिये जो भी अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो सके, वह की जानी चाहिये, क्योंकि हमारे संविधान ने कहा है कि हमारी जो राष्ट्र-भाषा बनेगी,

[श्री ब्रज राज सिंह]

उसका मूल स्रोत होगी संस्कृत। लेकिन अंग्रेजी आखिर कौन सा रोग है? इसको कमीशन क्यों लागू करना चाहता है और लागू करना चाहता है ऐसी सूरत में कि टर्म्ज आफ रेफरेंस में इस बात की व्यवस्था नहीं थी कि वह अंग्रेजी के बारे में अपने विचार प्रकट करे। इस के बाद भी यह राय प्रकट की जाती है कि तीन भाषायें पढ़ाई जायें और तीन न हो सकें, तो चार भाषायें पढ़ाई जायें, लेकिन अंग्रेजी की हमेशा के लिये व्यवस्था होनी चाहिये। सौ साल नहीं, सौ साल से ऊपर होने को आये, लेकिन मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि इतना जबर्दस्त साधन होते हुये भी आज एक फीसदी से ज्यादा लोग नहीं हैं, जो टूटी-फूटी अंग्रेजी भी जानते हों और अच्छी अंग्रेजी जानने वालों और लिखने वालों में रवीन्द्र नाथ टैगोर और महात्मा गांधी के अलावा कितने लोग हैं? फिर इस भाषा को हमेशा हमेशा के लिये लादने के लिये इस तरह की कोशिश करना मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान की जनता के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय करना है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि कमीशन की तरफ से जो सिफारिश की गई है, यह सदन उस पर अपना रोष और विरोध प्रकट करे। कम से कम मैं इन विनम्र शब्दों में अपना रोष और विरोध प्रकट करना चाहता हूं और चाहता हूं कि सरकार इस बात को नोट करे कि भविष्य में जब भी कोई कमीशन बनाया जाये, तो कम से कम जो उसके टर्म्ज आफ रेफरेंस में नहीं है, उसके बारे में वह जिक्र न करे, अब जिक्र कर दिया गया है, तो उसके नतीजे क्या होंगे? नतीजे इसके ये होंगे कि भविष्य में इस बात को क्वोट किया जा सकेगा, बार बार उद्धरण दिये जायेंगे कि संस्कृत आयोग ने अंग्रेजी के संबंध में अपनी रिपोर्ट में यह कहा था और हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री ने अपने भाषण में लोक सभा में यह कहा था। आज हम देखते हैं कि कुछ लोग खुश हो गये हैं कि इस तरह का आश्वासन सदन को मिल गया है। मेरा निवेदन है कि संस्कृत की पढ़ाई लिखाई के लिये ज्यादा से ज्यादा सुविधा दी जानी चाहिये। परम्परागत पाठशालाओं को विकसित किया जाये। यूनिवर्सिटी और कालेज के स्तर पर संस्कृत का जितना विकास हो सके, वह विकास किया जाये। लेकिन हमें यह भी देखना पड़ेगा कि क्या आज की परिस्थिति में संस्कृत को आवश्यक भाषा के रूप में पढ़ाया जा सकता है या नहीं। मैं समझता हूं कि आवश्यक भाषा के रूप में आज संस्कृत की पढ़ाई हम नहीं कर सकते हैं। इसके कतई ये मायने नहीं हैं कि संस्कृत के प्रति मेरी कम निष्ठा है, या कम आदर है। उसके प्रति मेरा बहुत ही आदर और निष्ठा है। मैं मानता हूं कि हिन्दुस्तान की भविष्य की राष्ट्र-भाषा ऐसी होगी, जिसका मूल स्रोत संस्कृत होगा, लेकिन आज संस्कृत को हम जन-भाषा नहीं बना सकते हैं, यह एक कटु सत्य है, जिस तरह कि हम अंग्रेजी को जन-भाषा नहीं बना सकते। सौ साल की जबर्दस्ती की पढ़ाई लिखाई के बाद हम देखते हैं कि एक फीसदी से ज्यादा लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ लिख सके। उसी तरह से हम सोचते हैं कि संस्कृत भी जन-भाषा नहीं बन सकती, सरकारी काम काज की भाषा नहीं बन सकती।

श्री च० का० भट्टाचार्य (पश्चिम दीनाजपुर): माननीय सदस्य से मेरा निवेदन है कि संस्कृत श्री जन-भाषा बनाने का कोई प्रस्ताव कमीशन की रिपोर्ट में नहीं है।

श्री ब्रज राज सिंह: आवश्यक पढ़ाई की बात आती है—कम्पलसरी टीचिंग आफ लैंग्वेज की बात आती है।

श्री च० का० भट्टाचार्य: कम्पलसरी टीचिंग है, परन्तु जन-भाषा बनाने की प्रस्ताव नहीं है

श्री ब्रजराज सिंह : माननीय मित्र श्री भट्टाचार्य समझते हैं कि कम्पलसरी टीचिंग या आवश्यक रूप से पढ़ाई के अर्थ यह नहीं होंगे कि वह जन-भाषा बना दी जाये। खैर, राय में मत-भेद हो सकता है, लेकिन जहां भी कोई भाषा आवश्यक रूप से पढ़ाई जाती है, वहां पर विद्यार्थियों पर एक अनावश्यक बोझ पढ़ जाता है। हम साफ शब्दों में कहना चाहते हैं कि भले ही आवश्यक पढ़ाई न हो, लेकिन जिस तरह हम सोचते हैं कि अंग्रेजी का महत्व नहीं होना चाहिये, संस्कृत की वह स्थिति नहीं है—उसका महत्व हो सकता है, क्योंकि संस्कृत आखिर इस मुल्क का, राष्ट्र का मूल स्रोत है, जहां से हमारी संस्कृति निकलती है, हमारा कल्चर निकलता है, जिस से सब भाषायें निकलती हैं। संस्कृत भले ही आवश्यक रूप से न पढ़ाई जाये, लेकिन हम मानते हैं कि उसको हर तरह से उसके विकास और उसकी लिखाई पढ़ाई के लिये साधन मिलने चाहिये। लेकिन जहां तक अंग्रेजी का सवाल है, वह उन्हीं लोगों को पढ़ाई जाये, जो कि उसको ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, या जो अन्तर्राष्ट्रीय ज्ञान के लिये उसको आवश्यक समझते हैं, या जिन का यह विश्वास है कि विज्ञान का ज्ञान सिर्फ अंग्रेजी के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे लोगों के लिये ही अंग्रेजी की पढ़ाई की सुविधा रहे। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह आवश्यक नहीं है कि विज्ञान का ज्ञान केवल अंग्रेजी के द्वारा ही हासिल हो या उसके द्वारा ही प्राप्त किया जाये। उसको दूसरी भाषाओं के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। जर्मनी में जो आविष्कार हुये हैं, वे अंग्रेजी के द्वारा नहीं हुये हैं। रूस में जो आविष्कार हुये हैं और हो रहे हैं, स्पूतनिक का जो आविष्कार उसने किया है, वह अंग्रेजी के द्वारा नहीं किया, रूसी भाषा के द्वारा हुआ है। इसी तरह से यह कहना कि अंग्रेजी भाषा के द्वारा ही दुनिया का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, अन्तर्राष्ट्रीय जगत में जीवित रहा जा सकता है, यह एक ऐसी पहेली है जिससे कि हिन्दुस्तान भले ही आजाद हो गया हो, दासता की मनोवृत्ति को कायम रखने में सहायक सिद्ध होती है, कायम रखने में मदद देती है।

पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी : यह कोई भी नहीं कहता है और न कोई चाहता है। हम तो यही चाहते हैं कि सभी भाषाओं से जीवित सम्पर्क हो। अंग्रेजी का यह सवाल नहीं है।

श्री ब्रजराज सिंह : जहां तक अंग्रेजी की पढ़ाई लिखाई का ताल्लुक है, उसमें और भी विदेशी भाषायें हो सकती हैं, रूसी, जर्मनी, फ्रेंच इत्यादि हो सकती हैं, चीनी हो सकती है और हो सकता है तिब्बती का जो महत्व बढ़ रहा है हमारे देश में, उसके मुताबिक तिब्बती भाषा भी हो। तो जहां तक अन्य भाषाओं का संबंध है, उनकी पढ़ाई लिखाई का ताल्लुक है, किसी भाषा को आवश्यक भाषा के रूप में नहीं थोपा जा सकता है और अनिवार्य रूप से थोपनें का मतलब होगा कि हम विषय ज्ञान को महत्व देना नहीं चाहते हैं। भाषा का ज्ञान प्राप्त करते करते आठ दस साल लग जाते हैं और इसका फल यह निकलता है कि विषय ज्ञान की तरफ विद्यार्थी झुक नहीं पाता है और नये आविष्कार नहीं हो सकते हैं। स्पैलिंग इत्यादि जानने के लिये ही विद्यार्थी अपना समय लगाते ह। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं......

श्री च० का० भट्टाचार्य : मैं माननीय मित्र को बताना चाहता हूं कि हमारे नेशनल प्रोफेसर, श्री सत्येन्द्र नाथ बोस की राय है कि साइन्स प्रादेशिक भाषा में पढ़ाई जा सकती है और पढ़ाई जानी चाहिये।

श्री ब्रज राज सिंह : जिस विचार का मैं प्रतिपादन करना चाहता हूं उसी विचार का प्रतिपादन मेरे माननीय मित्र ने किया है। वह मान ते हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में प्रादेशिक भाषाओं के द्वारा आविष्कार हो सकते हैं। ऐसी सूरत में जब सरकारी तौर पर यह कहा जाता है कि कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे टेक्नीकल शब्द हैं, तकनीकी शब्द हैं जो कि अंग्रेजी में ही मिल सकेंगे तथा दूसरी

[श्री ब्रज राज सिंह]

अपनी भाषाओं में नहीं मिल सकेंगे, ऐसी चीज है कि जिस पर मैं इस वक्त अधिक नहीं कहना चाहता और इतना ही कहना चाहता हूं कि यह ठीक नहीं है ।

मैं इतना और कह देना चाहता हूं कि इस कमिशन की सिफारिशों का जहां तक संबंध है, उनका मैं स्वागत करता हूं लेकिन जहां तक कमिशन ने अपने कार्यक्षेत्र से बाहर जाकर यह बात कही है कि अंग्रेजी भाषा का ज्ञान आवश्यक रूप से किसी न किसी स्टेज पर रखा जाना चाहिये और हिन्दी के प्रति किसी न किसी रूप में घृणा व्यक्त की है, वह ऐसी प्रवृत्ति है जिस का लोक सभा अनुमोदन नहीं कर सकती है, लोक सभा को जिसे बहुत ही गम्भीरतापूर्वक देखना चाहिये और यह कहना चाहिये कि कमिशन के कितने ही प्रतिष्ठित लोग हों, कितने ही आदर के पात्र हों लेकिन जो उनका कार्यक्षेत्र था, जो टर्म्ज आफ रेफ्रेंस थीं, उनके अन्दर रहते हुये बात कहनी चाहिये थी और उसके बाहर जाकर कोई बात नहीं कहनी चाहिये थी और ऐसी बात कह कर आगे के लिये ऐसी कोई भावना नहीं बनानी चाहिये थी कि लोग उन्हें कहें कि क्योंकि संस्कृत कमिशन बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्तियों की, विद्वान लोगों की कमिशन थी, इसलिये क्योंकि इसने कह दिया है कि अंग्रेजी की पढ़ाई लिखाई अवश्य रहे और हिन्दी आवश्यक रूप में है न पढ़ाई जाये, यह ऐसी बात है जिसको माना नहीं जा सकता है, जो उसके कार्य क्षेत्र के बाहर की बात थी। इस वास्ते इस पर मैं अपना रोष प्रकट करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि इस तरह की बात कहना उसके लिये उचित नहीं था ।

एक चीज की ओर और मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि उसको जल्दी ही कर दिया जाये। कमिशन ने सिफारिश की है कि इसकी संस्कृत में भी छपाई होनी चाहिये। अगर सारी रिपोर्ट को आप संस्कृत में नहीं छाप सकते हैं तो कम से कम इसका संक्षिप्त सार तो छाप ही सकते हैं। कमिशन को जो स्मरणपत्र मिले थे उनमें से ४० प्रतिशत संस्कृत में मिले थे और वे विद्वान जो अंग्रेजी नहीं समझते हैं, इसको जान सकेंगे और ऐसा करके उन विद्वानों का जिन्होंने संस्कृत में स्मरणपत्र दिये हैं, आप भला करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं ।

श्रीमती सहोदरा बाई राय (सागर—रक्षित अनुसूचित जातियां) : सभापति महोदय, यह जो रिपोर्ट आई है, यह बहुत ही सुन्दर रिपोर्ट है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक चारों ओर संस्कृत बोली जाती है। आप बम्बई प्रांत में जायें, मद्रास में जायें, घर घर में लोग संस्कृत अभी भी बोलते हैं। काशी में संस्कृत बोली जाती है। जैनियों की जितनी सभायें होती हैं उनमें अभी भी संस्कृत चलती है। ऐसा नहीं है कि संस्कृत का खात्मा हो गया है। इस वास्ते यह जो चीज रखी गई है यह बिल्कुल ठीक है। अंग्रेजी के साथ साथ संस्कृत भी होनी चाहिये। हमारी परम्परा जो देश की है, जो ज्ञान है वह संस्कृत के बिना चल नहीं सकता है ---

श्री वाजपेयी : अंग्रेजी की क्या जरूरत है ?

श्रीमती सहोदरा बाई राय : अंग्रेजी विदेशों में जाने वाले लोगों के लिये बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं कि जब हम विदेशों में जाते हैं, तो वहां हमारी कोई बात समझता नहीं है और न हम उनकी बात समझते हैं। इस वास्ते अंग्रेजी विदेशों में जाने वालों के लिये जरूरी है। हिन्दुस्तान के लिये इसकी कोई जरूरत नहीं है। हिन्दुस्तान के लिये राष्ट्रभाषा हिन्दी होनी चाहिये लेकिन संस्कृत भी उसके साथ साथ होनी चाहिये। आप प्रश्न करते हैं और समझते हैं कि बाई कम जानती है और प्रश्न का उत्तर दे नहीं सकती है। मैं आपको बतला दूं कि मैं कम नहीं हूं और मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दे सकती हूं ।

संस्कृत भाषा ऐसी है कि इसकी महिलायें भी बड़ी विद्वान हो गुजरी हैं । एक समय था जब विद्योत्मा ने काशी में हिन्दुस्तान के सारे पंडितों को हराया था । संस्कृत वह विद्या है जोकि मद्रास के अन्दर, जैनियों के अन्दर, काशी के अन्दर आज भी बोली जाती है । मैं समझती हूं कि यह अनिवार्य भी होनी चाहिये । मेरी प्रार्थना है कि इसके बिना हिन्दुस्तान सूना हो रहा है । जितने बड़े ऋषि मुनि हुये हैं, महात्मा हुये हैं, वे बड़े बड़े जप किया करते थे और वे सब संस्कृत के पंडित हुआ करते थे । राम के जप किया करते थे । अंग्रेजी में क्या है "येस, नो", राम का नाम भी नहीं है । संसार का विनाश हो रहा है । इस वास्ते संस्कृत जरूर होनी चाहिये । रामो रामः ऐसे शब्द हैं जोकि आने ही चाहियें और दूसरी जो अच्छी बातें हैं, वे संस्कृत के ज्ञान के बिना नहीं आ सकती हैं इस वास्ते इसको अनिवार्य रखना अच्छा होगा ।

लेकिन आज क्या हो रहा है । आज नौकरियों में बड़ी गड़बड़ी होती है । संस्कृत पढ़े लिखे लोगों को नौकरी नहीं मिलती है और "येस, नो", पढ़े लोगों को जल्दी नौकरी मिल जाती है । मां के जब बच्चा पैदा होता है, तो वह उसे कहती है कि संस्कृत और हिन्दी तो कम पढ़ना लेकिन अंग्रेजी ज्यादा पढ़ना जिस से जल्दी नौकरी मिल सके । यह हमारे देश का आज हाल है । हिन्दी पढ़े लिखे और अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों का दर्जा बराबर होना चाहिये दोनों को नौकरी मिलनी चाहिये । आज हिन्दी और संस्कृत पढ़े लिखे तो ठोकरें खाते फिरते हैं, दूसरों को मिल जाती है ।

जहां तक संस्कृत की पढ़ाई का संबंध है, इसके बारे में कोई बहुत बड़ा वक्तव्य देने की बात नहीं है, न इसकी बहुत अधिक वकालत करने की बात है । इस वास्ते मैं आपका अधिक समय लेना नहीं चाहती हूं । चूंकि मिनिस्टर साहब बोलना चाहते हैं, इस वास्ते मैं और कुछ कहना भी नहीं चाहती । लेकिन जब मैं बोलती हूं तो माननीय सदस्य उल्टा प्रश्न पूछते हैं और समझते हैं कि बाई उत्तर नहीं दे सकेगी । बाई उत्तर देने के काबिल है । वह बीस बरस से सेवा कार्य करती आ रही है ।

मेरी इतनी ही प्रार्थना है कि जो रिपोर्ट आई है यह बहुत ही सुन्दर है और इसको पास कर दिया जाना चाहिये ।

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** संस्कृत आयोग के प्रतिवेदन के संबंध में जो विचार व्यक्त किये गये हैं, मैंने उन्हें बड़े ध्यान से सुना है । उन विचारों से पता लगता है कि हमारे देश में संस्कृत की शिक्षा का कितना महत्व है । मैं माननीय सदस्यों की इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि हमारी महानता, गौरव व गरिमा का आधार संस्कृत ही है ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मेरा विश्वास है कि जब तक भारत रहेगा, तब तक संस्कृत भी रहेगी । हम संस्कृत के बिना तो भारतीय संस्कृति की कल्पना भी नहीं कर सकते । आज के समय में जबकि समाज में महान परिवर्तन हो रहे हैं, यह बहुत आवश्यक है कि हम अपनी परम्परागत संस्कृति व सांस्कृतिक मान्यताओं को सुरक्षित रखें और परम्परागत संस्कृति तथा सांस्कृतिक मान्यताओं की सुरक्षा बहुत कुछ हद तक संस्कृत की सुरक्षा पर निर्भर है । अतः मैं माननीय सदस्यों से पूर्णतः सहमत हूँ कि हमें देश में संस्कृति की सुरक्षा, प्रचार तथा विकास के लिए प्रत्येक संभव प्रयत्न करना चाहिए ।

परिवर्तन का काल कठिनाई व संकट का काल होता है । ऐसे परिवर्तन कालों में यदि हमारी संस्कृति को कोई स्थायित्व प्रदान कर सकता है, तो वह हमारी सांस्कृतिक परम्परा । अतः यदि हमें अपनी संस्कृति को स्थायी बनाना हो, तो यह आवश्यक है कि हम अपनी

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० का० ला० श्री माली]

हजारों वर्ष पुरानी मान्यताओं को समुचित महत्व दे और इस दृष्टिकोण से संस्कृत एक ऐसी मान्यता है, जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता।

इसके पश्चात में संस्कृत आयोग की कुछ सिफारिशों का उल्लेख करूंगा और वाद-विवाद में उठाई गयी कुछ बातों का भी उत्तर दूंगा। आयोग की एक सिफारिश यह भी है कि स्कूल स्तर पर संस्कृत को पाठ्यक्रम का अनिवार्य विषय बना दिया जाना चाहिए। इस सिफारिश पर देश की सामान्य स्थिति को ध्यान में रखते हुये विचार करना है। गत १० वर्षों में हम काफी वाद-विवाद कर चुके हैं कि हमारी शिक्षा संस्थाओं में कौन-कौन सी भाषायें पढ़ाई जायें। काफी चर्चा करने के बाद शिक्षा के केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड ने निश्चय किया कि सैकेन्डरी स्कूलों में ३ भाषायें पढ़ाई जानी चाहिए, अर्थात सैकण्ड्री स्कूल स निकलने के पूर्व बच्चे को तीन भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। यदि माननीय सदस्य भाषा-सूत्र को देखेंगे, तो उन्हें पता लगेगा कि संस्कृत के अध्ययन के लिए उसमें पर्याप्त व्यवस्था है। तीन भाषा-सूत्र इस प्रकार हैं:—

"(१) (क) मातृभाषा, या (ख) राष्ट्रीय भाषा, या (ग) मातृभाषा और एक प्रादेशिक भाषा का मिला जुला पाठ्यक्रम या (घ) मातृभाषा और एक शास्त्रीय भाषा का मिला जुला पाठयक्रम या (ङ) प्रादेशिक भाषा और शास्त्रीय भाषा का मिला जुला पाठ्यक्रम,

(२) अंग्रेजी या एक आधुनिक यूरोपीय भाषा, या

(३) हिन्दी (अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के लिए) या कोई अन्य आधुनिक भारतीय भाषा (हिन्दी भाषी क्षेत्रों क लिए)

आप देखेंगे कि ऊपर (१) में एक मिले जुले पाठ्यक्रम की व्यवस्था है। कोई भी राज्य या तो मातृभाषा या मातृभाषा और संस्कृत का मिला जुला पाठ्यक्रम या प्रादेशिक भाषा और संस्कृत का मिला जुला पाठ्यक्रम अपना सकता है। इस प्रकार आप देखेंगे कि सैकेण्ड्री स्कूलों में संस्कृत पढ़ाने की व्यवस्था है।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** इस सूत्र में संस्कृत अनिवार्य नहीं है।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** अनिवार्य तो नहीं है पर यदि राज्य कोई मिला जुला पाठ्यक्रम अपना करके संस्कृत को अनिवार्य बनाना चाहे तो उसके सामने कोई रुकावट नहीं है। इस सूत्र के अनुसार कोई भी राज्य हिन्दी और संस्कृत दोनों को अपना कर संस्कृत को अनिवार्य बना सकता है। देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए उचित होगा कि भाषा के मामले में कुछ छूट अवश्य रखी जाये।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य :** जिन राज्यों की प्रादशिक भाषा हिन्दी है, उनमें तीन-भाषा-सूत्र के अधीन संस्कृत को आसानी से अनिवार्य बनाया जा सकता है।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मुझे आशा है कि अधिकांश शिक्षा संस्थाओं में मिला जुला पाठ्यक्रम चालू किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** आज रोजगार या नौकरी के लिए शिक्षा प्राप्त की जाती है। यदि संस्कृत को अनिवार्य नहीं बनाया जायगा, तो हिन्दी भाषी राज्य में संस्कृत कोई नहीं पढ़ेगा। हिन्दी भाषी लोगों से कोई दक्षिणी भाषा की प्रादशिक भाषा पढ़ने की बात कहना कहां तक उचित है, मैं नहीं जानता।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड में हम लोगों ने इस बात पर विचार किया था। बोर्ड का विचार था कि इस समय तीन भाषा सूत्र में कोई परिवर्तन न किया जाये क्योंकि इसमें काफी छूट है और जो राज्य संस्कृत को अनिवार्य बनाना चाहे, वे बना सकते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या किसी राज्य ने संस्कृत को अनिवार्य बनाया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** जहां तक मुझे पता है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मिले जुले पाठ्यक्रम हैं। मुझे आशा है कि कुछ अन्य राज्य भी मिला जुला पाठ्यक्रम अपना लेंगे।

†**श्री वाजपेयी** (बलरामपुर): संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में क्या नीति है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** यह सिफारिश संघ राज्य क्षत्रों में भी भेजी जायगी। इस भाषा सूत्र में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते क्योंकि हम अंग्रेजी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। आज आप जनता की आवश्यकता व उसकी मांग की उपेक्षा नहीं कर सकते। हम शिक्षा प्रणाली में 'ऐसी कोई बात जबरस्ती नहीं घुसेड़ सकते जिस जनता न चाहती हो। गत १० वर्षों में हम देखते आ रहे हैं कि ऐसी शिक्षण संस्थाओं की काफी मांग है, जिनमें शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है। मैं इस बात के खिलाफ हूँ प्राइमरी स्तर पर सकण्ड्री स्तर पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो। पर कोई बात बाहर से तो नहीं लायी जा सकती। हम जनता के साथ-साथ चलना है। यदि आज जनता निश्चय कर ले कि अंग्रजी को बिल्कुल समाप्त कर देना है, तो अंग्रेजी समाप्त हो जायेगी।

चूंकि आज लोगों की धारणा है कि अंग्रेजी हमें शेष विश्व से सम्बन्धित करती है और हमारे लिए विज्ञान तथा टेक्नॉलाजी के द्वार खोलती है, अतः यह अवश्य रहे।

इस संबंध में बम्बई का उदाहरण लीजिए। वहां कुछ समय पूर्व आठवीं कक्षा से अंग्रजी शुरू की गयी थी। इससे लोगों में बड़ी अशान्ति फैल गयी। परिणामस्वरूप वहां फिर वही पुरानी स्थिति लानी पड़ी और अंग्रेजी को शिक्षा काफी निचले स्तर से फिर आरंभ कर दी गयी। अतः सुधार करते समय हमें जनता की रुचि का भी ध्यान रखना होगा।

†**डा० मा० श्री० अणे :** इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षायें अंग्रेजी में होती हैं। अतः जब तक ये परीक्षायें अंग्रेजी में होती रहेंगी, लोग मांग करेंगे कि अंग्रेजी को समाप्त न किया जाये।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** इसी कारण मैं ने कहा था कि इस प्रश्न पर विचार करते समय हमें देश की वर्तमान स्थिति को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए काफी सोच-विचार के बाद हम इसी निश्चय पर पहुंचे कि इस समय तीन-भाषा-सूत्र में कोई भी परिवर्तन करना उचित नहीं होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० का० ला० श्रीमाली]

जैसा आपने कहा था हिन्दी भाषी राज्यों को कोई अन्य भाषा जैसे गुजराती, तामिल या मलयालम् सीखने में बहुत कठिनाई होगी। परन्तु इसमें कुछ लाभ भी है। किसी भाषा के ज्ञान से हम इन लोगों तथा उनकी संस्कृति को समझने लगेंगे। यदि हम अपने हिंदी भाषी लोगों को दक्षिण भारतीय भाषायें सीखने के लिए प्रोत्साहित करें तो एकता की भावना बढ़ेगी। यदि हमारे विद्यार्थी अधिकाधिक भारतीय भाषायें सीखें तो हमारी जनता में एकता बढ़ेगी। इसलिए कठिनाई यह है कि हम हिन्दी को नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि वह संघीय भाषा है और अंग्रेजी को इसलिए नहीं छोड़ना चाहते कि उसके बिना विज्ञान और प्रौद्योगिकी का द्वार बन्द हो जाता है और वह न केवल एक देश की वरन् समस्त विश्व की एक प्रमुख भाषा है। अपनी मातृभाषा को भी हम नहीं छोड़ना चाहते। केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड ने सांस्कृतिक एवं भाषा संबंधी महत्व को स्वीकार किया है परन्तु उसने यह विचार व्यक्त किया कि इस मामले को राज्य सरकारों पर छोड़ देना अधिक अच्छा होगा और जो फारमूला रखा गया है उसमें मिले जुले पाठ्यक्रम (कम्पोजिट कोर्स) में संस्कृत को अनिवार्य विषय रखने का समुचित उपबन्ध है। यदि राज्य सरकारें उसे मिले जुले पाठ्यक्रम में चालू करती है तो मुझे बहुत खुशी होगी क्योंकि मैं सांस्कृतिक जीवन में संस्कृत के अध्ययन को बहुत महत्व देता हूं।

फिर यह कहा गया कि संस्कृत पाठशालाओं और गुरुकुलों की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए तथा उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। मुझे आपको यह सूचित करते हुए खुशी होती है कि हम संस्कृत की संस्थाओं को, जिनमें पाठशालायें और गुरुकुल भी सम्मिलित हैं, वित्तीय सहायता देने की एक योजना तैयार कर चुके हैं जिसके अन्तर्गत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता देना शुरू किया जा चुका है। जहां तक गुरुकुलों का संबंध है हम उनकी वित्तीय स्थिति की जांच करना चाहते हैं और इसके लिए एक छोटी सी समिति स्थापित कराना चाहते हैं। यह मामला हम केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड के समक्ष रखने का विचार कर रहे हैं। जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड स्थापित किया जा चुका है और उसकी पहली बैठक २ सितम्बर को होने जा रही है। गुरुकुल हमारे देश में हजारों वर्षों से चले आ रहे हैं। उनकी शिक्षा पद्धति भिन्न प्रकार की है जिसने न केवल भारतीय शिक्षा में कुछ योग दिया है वरन् समस्त विश्व की शिक्षा में योग दिया है। इसलिए हमें इन गुरुकुलों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रत्येक संभव कार्य करना चाहिए और मैं आशा करता हूँ कि यह समिति, जो केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड के अन्तर्गत स्थापित की जाएगी, सरकार को इस संबंध में सिफारिशें प्रस्तुत करेगी कि इन संस्थाओं का विकास किस प्रकार किया जा सकता है।

जहां तक संस्कृत विश्वविद्यालय का संबंध है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का सामान्य मत यह रहा है कि एक विषय का विश्वविद्यालय बनाना ठीक नहीं होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विभिन्न विश्वविद्यालयों में संस्कृत के प्राध्यापद–पदों का निर्माण करना चाहिए और समस्त विश्वविद्यालयों में संस्कृत के विकास के लिए अनुदान देने चाहिएं। परन्तु आयोग एक विषय का विश्वविद्यालय स्थापित करने के पक्ष में नहीं है। वास्तव में न केवल इस देश में वरन् अन्य देशों में भी सामान्य प्रवृत्ति विभिन्न विषय रखने की है ताकि विश्वविद्यालय वास्तव में सार्वभौमिक ज्ञान का स्थल बन सके और ऐसी संस्थायें भी, जिनमें अभी तक केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी की विशेष शिक्षा दी जाती है, अब मानव तथा

समाज विज्ञानों की शिक्षा की व्यवस्था कर रही हैं। विश्वविद्यालयों को संकीर्ण नहीं होना चाहिए। परन्तु इस मामले को भी हम केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड के समक्ष रखेंगे। इस बोर्ड में बड़े-बड़े विद्वान और एक संस्कृत विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी सम्मिलित हैं और मैं आशा करता हूं कि वे इस सभा में व्यक्त किए गए मतों पर भली प्रकार विचार करेंगे।

†**श्री प्रकाश वीर शास्त्री** (गुड़गांव) : संस्कृत बोर्ड के सदस्य कौन-कौन हैं?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : उसमें भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति श्री पातंजलि शास्त्री, भारतीय विद्या भवन, बम्बई के श्री जे० एच० दवे, कलकत्ता के श्री एस० के० डे, वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय के उपकुलपति श्री अमरनाथ झा, संसद्-सदस्य डा० पी० वी० काने, मद्रास विश्वविद्यालय के संस्कृत के अध्यापक डा० राघवन, साहित्य सम्मेलन के श्री केदार नाथ शर्मा सारस्वत और शिक्षा मंत्रालय के एक संयुक्त-सचिव हैं।

श्री भक्त दर्शन (गढ़वाल) : श्री ए० एन० झा वाराणसी संस्कृत युनिवरसिटी के वाइस चांसलर नहीं रहे। वह तो अब उत्तर प्रदेश में मसूरी में जो इंस्टीच्यूट आफ पबलिक ऐडमिनिस्ट्रेशन है उसके डाइरेक्टर नियुक्त हो गये हैं।

डा० का० ला० श्रीमाली : जी हां यह ठीक है लेकिन जिस वक्त उनकी संस्कृत बोर्ड में नियुक्ति हुई थी उस वक्त वह वाइस चांसलर थे और मेरे ख्याल से अब भी वह वाराणसी संस्कृत युनिवरसिटी के वाइस चांसलर हैं लेकिन अगर आपके पास हाल ही में उनकी तबदीली के बारे में कोई जानकारी प्राप्त हुई हो तो मुझे मालूम नहीं।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : बोर्ड में लोकसभा का भी कोई प्रतिनिधित्व रहेगा?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : हमने अनेक संस्थाओं के प्रतिनिधि लिए हैं। मैं जानता हूँ कि इस सभा में भी संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान हैं। परन्तु हम इस बोर्ड को छोटा रखना चाहते थे ताकि कार्य अच्छी तरह चल सके।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : राज्य-सभा के प्रतिनिधि हैं। लोक-सभा में भी संस्कृत के अच्छे विद्वान और रुचि रखने वाले व्यक्ति हैं। अच्छा हो यदि लोक-सभा के भी कुछ प्रतिनिधित्व बोर्ड में रहें।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : डा० काने को इसलिए नहीं लिया गया है कि वे संसद्-सदस्य हैं वरन् इसलिए कि उन्होंने संस्कृत की शिक्षा में बहुत योगदान किया है। वैसे जब कभी भी हम बोर्ड का पुनर्गठन करेंगे इस सुझाव का ध्यान रखा जाएगा।

जहां तक सिफारिशों का संबंध है, कुछ सिफारिशें राज्य सरकारों से संबंधित हैं और वे हमने उनके पास भेज दी हैं। उनके उत्तर भी हमें मिल गए हैं तथा उन पर विचार किया जा रहा है। जिन सिफारिशों का संबंध सीधे इस मंत्रालय से है उनके संबंध में हम कुछ कार्यवाही कर चुके हैं और अनेक दिशाओं में कार्य प्रारंभ किया है। जैसा कि मैंने अभी बताया था केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड स्थापित किया जा चुका है।

श्री भक्त दर्शन : जो संस्कृत बोर्ड है वह केवल परामर्शदात्री संस्था होगी जैसे कि युनिवरसिटी ग्रान्टस् कमिशन है या उसको रुपये के वितरण का भी अधिकार होगा?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : हमने मंत्रालय में अनेक परामर्शदाता बोर्ड स्थापित किए हैं। हम सामान्यतः परामर्शदाता बोर्ड की सिफारिशों को स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार के महत्वपूर्ण बोर्ड की जिसके चेयरमैन भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति हैं, सिफारिशों को सरकार बहुत कम ठुकराती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस संबंध में किसी को कोई भय नहीं होना चाहिए।

संस्कृत आयोग ने जो सिफारिशें की थीं उनमें से एक उन धर्मस्वों के संबंध में थी जो संस्कृत और वैदिक अध्ययनों के लिए उपलब्ध हों। हम राज्य सरकारों को लिख चुके हैं, और हमें दस राज्यों तथा संघ राज्य-क्षेत्रों से सूचना प्राप्त हो चुकी है। शेष राज्यों को फिर लिखा गया है। जैसे ही इन धर्मस्वों के संबंध में पूर्ण सूचना प्राप्त हो जाएगी हम इस संबंध में संस्कृत आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की जांच करेंगे। हमने राज्य-सरकारों को यह भी लिखा है कि वे हमें इसका ब्यौरा भेजें कि संस्कृत तथा वैदिक अध्ययन को देशी राज्यों में तथा जमीदारों से क्या सहायता मिला करती थी। इस जानकारी की प्राप्ति का प्रयोजन यह पता लगाना है कि जमीदारी प्रथा और देशी राज्यों की समाप्ति से किन्हीं संस्थाओं को नुकसान हो तो नहीं पहुंचा है। बोर्ड इस बात पर विचार करेगा कि इन संस्थाओं की सहायता किस प्रकार की जा सकती है ताकि वे वित्तीय कठिनाइयों के कारण बन्द न हो जायें।

आयोग ने एक सिफारिश यह भी की थी कि पाठ्यक्रमों की अवधि, परीक्षाओं और डिग्रियों तथा डिप्लोमाओं के नामकरण के संबंध में समस्त भारत में एकरूपता होनी चाहिए। हमने राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों को लिखा था और एक प्रेस अधिसूचना भी जारी की थी जिसमें संस्कृत परीक्षायें चलाने वाली गैर-सरकारी संस्थाओं से आवेदन-पत्र आमंत्रित किए गए थे। मुझे खुशी है कि हमें १८ राज्य सरकारों और २८ विश्वविद्यालयों के उत्तर मिल गए हैं और सोलह गैर-सरकारी संस्थाओं ने भी अपने आवेदनपत्र भेजे हैं। यह मामला केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड की आगामी बैठक में रखा जा रहा है क्योंकि देश में चल रही परीक्षाओं का प्रमापीकरण करना केन्द्रीय संस्कृत-बोर्ड के कृत्यों में सम्मिलित है।

संस्कृत आयोग की एक अन्य सिफारिश यह थी कि देश के समस्त माध्यमिक स्कूलों में संस्कृत के अध्यापन की व्यवस्था होनी चाहिए। यद्यपि केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड संस्कृत को अनिवार्य विषय नहीं बना सका था और यद्यपि उसके लिए केवल मिलेजुले पाठ्यक्रम में उपबन्ध किया जा सका है फिर भी हम संस्कृत के अध्यापकों के लिए उपबन्ध करने के लिए विभिन्न राज्यों की आवश्यकताओं का पता लगा रहे हैं। इस समस्या का अध्ययन कर लेने के पश्चात् हम यह देखेंगे कि केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारें समस्त माध्यमिक स्कूलों में संस्कृत के अध्यापकों की व्यवस्था करने में किस प्रकार सहायता कर सकती हैं।

एक महत्वपूर्ण सिफारिश यह थी कि केन्द्रीय सरकार को उन प्रमुख संस्थाओं की सहायता करनी चाहिए जो संस्कृत के प्रचार का कार्य कर रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं हम संस्कृत का कार्य करने वाले स्वयं सेवक संगठनों को वित्तीय सहायता देने की एक योजना बना चुके हैं। हमारे पास कोष सीमित है। परन्तु मुझे खुशी है कि हमने इस योजना के अन्तर्गत वर्ष १९५८-५९ में ७५,००० रुपये के अनुदान दिए हैं। चालू वित्तीय वर्ष में संस्कृत के स्वयं सेवक संगठनों और संस्थाओं को १२,५०० रुपए की राशि दी जा चुकी है।

श्री नेसवी (धारवाड़-दक्षिण) : संस्कृत पाठशालाओं को कितनी राशि दी गई है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मेरे पास इसका ब्यौरा नहीं है। परन्तु अभी तक कुल इतनी राशि दी गई है। मैं आशा करता हूं इस वर्ष के लिए जो १·२५ लाख रुपये का उपबन्ध किया गया है वह सब काम में आ जाएगा।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** १·२५ लाख रुपए का उपबन्ध बहुत कम है।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** हमारे पास कोष बहुत कम है। मैं अन्य दिशाओं में कमी करने का प्रयत्न कर रहा हूं ताकि संस्कृत के अध्ययन के लिए रखी गई राशि को बढ़ाया जा सके। परन्तु मैं अभी कोई वचन नहीं दे सकता।

दूसरी योजना के अन्तर्गत १० लाख रुपए का उपबन्ध था परन्तु उसे घटाकर ५ लाख रुपए कर दिया गया था। उसमें से ६८,५०० रुपए स्वयं संस्कृत आयोग पर व्यय हो गए। अब वर्ष १९५०-६० के लिए हमारे पास १·२५ लाख रुपए रह जाते हैं। मैं इसे बढ़ाने का प्रयत्न करूंगा। परन्तु दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमारे पास बहुत सीमित कोष है। यदि संसद् मुझे अतिरिक्त कोष प्रदान करे तो मुझे उसे संस्कृत के लिए काम में लाने में बहुत खुशी होगी। मैं माननीय सदस्यों की इस बात से सहमत हूं कि हमारे पास जितना सीमित कोष है उससे हम संस्कृत का प्रचार एवं विकास नहीं कर सकते। मैं इस योजना में तथा तीसरी पंचवर्षीय योजना में भी अधिक कोष प्राप्त करने का प्रयत्न करूंगा।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य :** मंत्री जी ने आयोग की इस सिफारिश के संबंध में कुछ नहीं कहा कि संस्कृत के अतिरिक्त राजभाषा के रूप में प्रयोग की अनुमति दी जानी चाहिए।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** संसद् को अभी राजभाषा आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करना है। इसलिए मैं उसके निर्णय के पहले कुछ नहीं कहना चाहता। इस संबंध में गृह-कार्य मंत्रालय, वैदेशिक-कार्य मंत्रालय और संसद्-कार्य विभाग से पारमर्श किया गया था। उन्होंने यह विचार व्यक्त किया था कि औपचारिक प्रयोजनों के लिए संस्कृत का प्रयोग व्यवहार्य नहीं है।

†**श्री वाजपेयी :** आयोग ने यह सिफारिश की थी कि हमारे विदेशी दूतावासों में सांस्कृतिक दूत नियुक्त किए जाने चाहिए। क्या मंत्री जी ने इसके संबंध में वैदेशिक-कार्य मंत्रालय से परामर्श किया है?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** यदि उन लोगों को संस्कृत का ज्ञान हो तो यह वांछनीय होगा। इससे उन्हें हमारी संस्कृति का प्रचार करने में सहायता मिलेगी। परन्तु मैं नहीं समझता कि इसे अनिवार्य योग्यता बनाना संभव होगा क्योंकि राजनयिक नियुक्तियों में बहुत सी बातों का विचार किया जाता है। ऐसे लोगों को न लेना सरकार के लिए कठिन होगा जो केवल संस्कृत न जानते हों।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** आयोग ने वैदिक ज्ञान के संरक्षण की भी सिफारिश की थी। उसके संबंध में सरकार की क्या राय है?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** उस मामले पर संस्कृत बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा।

†**अध्यक्ष महोदय :** अब मैं श्री वाजपेयी के संशोधन पर मतदान लूंगा।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मैं माननीय सदस्य से आपने संशोधन को वापस ले लेने का अनुरोध करता हूं। तीन भाषाओं के फार्मूले को बिगाड़ना उचित नहीं होगा। उससे देश में

†मूल अंग्रेजी में

अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। मैं चाहता हूं माननीय सदस्य अभी इस तीन भाषाओं के फार्मूले से सन्तोष करें जिसमें संस्कृत के एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाए जाने का उपबन्ध है।

†**श्री वाजपेयी** : यदि माननीय मंत्री यह आश्वासन दें कि संस्कृत को संघ राज्यक्षेत्रों में अनिवार्य कर दिया जाएगा तो मैं अपना संशोधन वापस ले लूंगा।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : माननीय सदस्य जानते हैं कि मैं संस्कृत का प्रचार करने के लिए बहुत उत्सुक हूं। इससे अधिक मैं कोई आश्वासन नहीं दे सकता।

†**श्री वाजपेयी** : मैं अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या सभा माननीय सदस्य को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति देने के पक्ष में है?

†**कुछ माननीय सदस्य** : जी, हां।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा संस्कृत आयोग, १९५६-५७ के प्रतिवेदन पर, जो २८ नवम्बर, १९५८ को सभा-पटल पर रखा गया था, विचार करती है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

आंध्र प्रदेश और मद्रास (सीमाओं में परिवर्तन) विधेयक के बारे में याचिका

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी** (राजमपेट) : मैं आन्ध्र प्रदेश और मद्रास (सीमाओं में परिवर्तन) विधेयक, १९५९ के संबंध में दो याचिकाकारों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, २७ अगस्त, १९५९/५ भाद्र, १८८१ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

मंगलवार, २५ अगस्त, १९५९

३ भाद्र, १८८१ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--		
तारांकित		
प्रश्न संख्या	. . . . . .	२१५७--८३
७७०	शाहदरा-किंग्सवे कैम्प सम्पर्क मार्ग .	२१५७-५८
७७१	रेलवे पटरियों के किनारे संचार लाइनें .	२१५८-५९
७७२	कलकत्ता पत्तन पर 'सिलो-कम एलिवेटर'	२१५९-६०
७७३	मुंटार (कुलू घाटी) में हवाई पट्टी .	२१६०-६१
७७४	पंचायत और सहकारी समितियां	२१६१--६३
७७५	बिना आवाज वाली रेलगाड़ियां	२१६३-६४
७७६	पारस्परिक सहायता चिट फंड . .	२१६४-६५
७७७	हीराकुड परियोजना में छंटनी किये गये कर्मचारी	२१६५-६६
७७८	आन्ध्र और मद्रास राज्यों में चावल अथवा धान की वसूली .	२१६६-६७
७९२	आन्ध्र में चावल की वसूली .	२१६७-६८
७७९	अकबरपुर-टांडा रेलवे लाइन . .	२१६८-६९
७८१	गन्ने की काश्त का यंत्र . .	२१६९-७०
७८२	रेल दुर्घटना से बचाव . . .	२१७०-७१
७८४	टिड्डी दल का आक्रमण . . .	२१७१-७२
७८५	गोखले समिति	२१७२--७४
७८७	त्रिपुरा में अन्न के सम्बन्ध में आत्म निर्भरता . .	२१७४-७५
७८९	हसन-मंगलौर रेल सम्पर्क . .	२१७५--७७
७९१.	फरक्का तथा तिलडांगा के बीच नयी रेलवे लाइन	२१७७-७८
७९३	शरबती जल-विद्युत परियोजना .	२१७८-७९
७९४	आन्ध्र प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण . .	२१७९-८०
७९५	राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड . .	२१८१-८२
७९६	गोलक गंज और सोनारहट के बीच सड़क .	२१८२
७९८	कलिंग एयर लाइन्स विमान दुर्घटना .	२१८२-८३

195 (Ai) LSD.—10.

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--		
तारांकित प्रश्न संख्या		२१८४-९१
७८०	लम्फल पत फार्म, मनीपुर	२१८४
७८३	भारत-रूस नौवहन सेवा	२१८४
७८६	राजस्थान में चीनी के कारखाने	२१८४-८५
७८८	दामोदर घाटी निगम का अय्यर बांध	२१८५
७९०	अमेरिका के लिये विमान सेवा	२१८५
७९७	सकरी-हसनपुर रेलवे लाइन	२१८५-८६
७९९	डाक व तार विभाग के कर्मचारियों की वर्दी	२१८६
८००	किसानों को ऋण	२१८६
८०१	उड़ीसा में अनाज की वसूली	२१८६-८७
८०२	रेलवे वेगनों का लूटा जाना	२१८७
८०३	चावल मिलों को लाइसेंस	२१८७-८८
८०४	काश्मीर में बिजली की सप्लाई	२१८८
८०५	ग्रामीण ऋण	२१८८
८०६	रेलवे अधिकारियों पर आक्रमण	२१८८-८९
८०७	सिमरियाघाट स्टेशन	२१८९
८०८	कलिंग एयरलाइन्स के विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना	२१९०
८०९	खाद्यान्नों का संग्रहण	२१९०
८१०	जिला-भरेली नदी पर पुल	२१९१
अतारांकित प्रश्न संख्या		२१९१--२२४३
१४५७	राष्ट्रीय राजपथ	२१९१
१४५८	उत्तर रेलवे द्वारा नियुक्त किये गये कर्मचारी	२१९१-९२
१४५९	पंजाब में गोदाम	२१९२
१४६०	दिल्लीनगर निगम को ऋण	२१९२
१४६१	उत्तर रेलवे में चोरियां और डाके	२१९२-९३
१४६२	रेलवे सम्पत्ति की चोरी	२१९३
१४६३	संघों की मान्यता	२१९३
१४६४	पंजाब में बी० सी० जी० आंदोलन	२१९३-९४
१४६५	पंजाब में गलगंड का रोग	२१९४

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१४६६	बर्दवान में ट्रंक टेलीफोन काल्स का शुल्क .	२१९४–९५
१४६७	त्रिपुरा की खोवाई नदी की बाढ़ से भूमि का कटाव . .	२१९५
१४६८	त्रिपुरा में पशुपालन के लिये ऋण	२१९५–९६
१४६९	दिल्ली में बिजली की चोरी . . .	११९६
१४७०	दक्षिण–पूर्व रेलवे में बाढ़ों के कारण क्षति .	२१९६
१४७१	रेनीगुंटा और हैदराबाद के बीच एक्सप्रेस गाड़ियां .	२१९७
१४७२	मासूलीपटनम का बंगरगाह . . .	२१९७
१४७३	आन्ध्र प्रदेश में सार्वजनिक टेलीफोन .	२१९७–९९
१४७४	आन्ध्र में मत्स्य पालन का विकास . . .	२१९९
१४७५	मनीपुर के लोक निर्माण विभाग के अधीन मिट्टी हटाने के यंत्र .	२१९९–२२००
१४७६	उड़ीसा में मत्स्य पालन का विकास . . .	२२००
१४७७	उड़ीसा में पशुपालन तथा दूध सम्भरण सम्बन्धी योजनायें	२२००–०१
१४७८	मद्रास के लिये उर्वरक .	२२०१–०२
१४७९	उत्तर प्रदेश में वन विकास .	२२०२
१४८०	रेल कर्मचारियों के बच्चों के लिये होस्टल .	२२०२–०३
१४८१	सहकारी समितियों की सक्रिय पूंजी . .	२२०३
१४८२	कटक रेलवे स्टेशन को नया रूप देना .	२२०३–०४
१४८३	सरकारी कर्मचारियों का एक्सरे . . .	२२०४
१४८४	राष्ट्रीय विस्तार सेवा और सामुदायिक विकास खंडों में औरतों के लिये काम	२२०४–०५
१४८५	दिल्ली के अस्पतालों में बाहर के मरीज	२२०५–०६
१४८६	सार्वजनिक टेलीफोन	२२०६
१४८७	दिल्ली के लिये बाल (धूम्रपान निषेध) .	२४०६
१४८८	भारतीय बच्चों को शारीरिक विकास .	२२०६–०७
१४८९	वन	२२०७
१४९०	दिल्ली में साइकिल के रास्ते	२२०७–०८
१४९१	हुगली के पश्चिम किनारे पर गहरे डुबाव वाले जहाजों के लिये पत्तन	२२०८–०९
१४९२	तुगलकाबाद-साहिबाबाद रेलवे लाइन . .	२२०९
१४९३	रेलवे स्टेशन पर पानी के नल	२२०९
१४९४	बड़े स्टेशनों पर लाकर . .	२२१०

विषय		पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या

१४६५	बीकानेर डिवीजन में टेलीफोन संबंधी सुविधायें . .	२२१०–११
१४६६	ईंधन उपभोग समिति.	२२११
१४६७	जनांकिकीय अध्ययनों के लिये मंत्रणा समिति . .	२२११–१३
१४६८	स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीनस्थ अस्पताल . . .	२२१३
१४६९	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य सुविधायें . . .	२२१३
१५००	बम्बई राज्य के तपेदिक के मरीजों की पृथक शैयायें . .	२२१४
१५०१	हिन्द महासागर में बवंडर . . .	२२१४
१५०२	इन्दौर में सड़क परिवहन संबंधी सम्मेलन . .	२२१४
१५०३	उड़ीसा में पर्यटन . . .	२२१४–१५
१५०४	उड़ीसा के गांवों में बिजली लगाना	२२१५
१५०५	कटक स्टेशन के निकट ऊपरी पुल . . .	२२१५
१५०६	टूंडला के इंटर-मीडियेट कालेज में प्रशिक्षित स्नातक .	२२१५–१६
१५०७	रेलवे स्कूलों में अध्यापकों की वेतन श्रेणियां . .	२२१६
१५०८	आस्ट्रेलिया में रेलवे पद्धति के अध्ययन के लिये भारतीय विशेषज्ञों का दौरा . .	२२१६–१७
१५०९	चीनी की उचित मूल्य वाली दुकानें . . .	२२१७
१५१०	पंजाब में पानी का इकट्ठा हो जाना	२२१८
१५११	पालेजा बोगी . .	२२१८
१५१२	कोचीन बन्दरगाह में हड़ताल . .	२२१८–१९
१५१३	कोजिकोडे में रेलवे डाक सेवा कार्यालय .	२२१९
१५१४	वन	२२१९
१५१५	दक्षिण-पूर्व रेलवे में कन्ट्रोल क्लर्क .	२२२०
१५१६	आयुर्वेद में अनुसन्धान . .	२२२०–२१
१५१७	डाकघरों में चैक प्रणाली . . .	२२२१
१५१८	खाद्यान्नों का क्रय . .	२२२१
१५१९	गाड़ियों का रोका जाना . . .	२२२२
१५२०	गेहूं की खरीद	२२२२
१५२१	भविष्य निधि के मामले . . .	२२२३
१५२२	आन्ध्र प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं के लिये इस्पात	२२२३
१५२३	माल-डिब्बों का अभाव	२२२४

विषय　पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१५२४	केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत् बोर्ड .	२२२४
१५२५	मनीपुर में मत्स्य पालन सहकारी समितियां .	२२२४
१५२६	मनीपुर में पर्यटन का विकास .	२२२५
१५२७	बीकानेर से आने वाली कर्मचारी गाड़ी	२२२५–२६
१५२८	सर्वदलीय संसदीय खाद्य समिति .	२२२६
१५२९	खतरे की जंजीर . .	२२२६
१५३०	त्रिपुरा में ग्राम विद्युतीकरण योजना .	२२२६–२७
१५३१	मद्रास और बम्बई एक्सप्रैस गाड़ियां .	२२२७
१५३२	पंजाब में पर्यटकों के लिये विश्रामालय .	१२२८
२५३३	बम्बई राज्य में चीनी का भंडार . .	२२२८
१५३४	विदेशों में प्रशिक्षण . . .	२२२८–३०
१५३५	नंगल बांध पर रेल कर्मचारियों के लिये क्वार्टर . .	२२३०
१५३६	सहकारी मंत्रणा समितियां	२२३०–३१
१५३७	तीसरे दर्जे के 'स्लीपिंग कोच' गें स्थान रक्षित करना . .	२२३१
१५३८	मद्रास उपनगरीय रेल गाड़ियां . .	२२३१
१५३९	गंगा बेसिन के बारे में भारत पाक वार्ता . .	२२३२
१५४०	रत्नगिरी में हवाई अड्डा	२२३२
१५४१	दिल्ली में सड़क दुर्घटनायें .	२२३२
१५४२	तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती . .	२२३२–३३
१५४३	रेलवे कर्मचारियों द्वारा दण्ड के खिलाफ मुकदमे दायर किया जाना	२२३३–३४
१५४४	इर्विन अस्पताल	२२३४
१५४५	सेवा निवृत्त रेलवे कर्मचारियों की पुनः नियुक्तियां	२२३५
१५४६	पंजाब में वन विकास	२२३५
१५४७	पंजाब में केन्द्रीय गोदाम	२२३५
१५४८	पंजाब में डेरी कार्य . . .	२२३५–३६
१५४९	डाक्टर	२२३६
१५५०	कुलु घाटी में पर्यटक	२२३६–३७
१५५१	राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड और सामुदायिक विकास खंडों मे मुर्गी पालन	२२३७
१५५२	मुर्गी पालन सम्बन्धी गवेषणा	२२३७
१५५३	मुर्गी पालन	२२३७–३८

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित		
प्रश्न संख्या		
१५५४	बलिया स्टेशन	२२३८
१५५५	भोजन व्यवस्था के ठेकेदार	२२३९
१५५६	टालीगंज पुल	२२३९
१५५७	स्टेशनों पर बिजली लगाना	२२४०
१५५८	सहायक स्टेशन मास्टर, ललितपुर	४२४०
१५५९	पर्यटकों के लिये दूकानें	२४४०
१५६०	जालन्धर मुकेरियां लाइन पर रेलवे यातायात	२२४०–४१
१५६१	गाड़ियों पर कर	२२४१
१५६२	रेलवे स्टेशनों पर खाने पीने की चीजों का बेचा जाना	२२४१
१५६३	रेलवे क्वार्टरों में बिजली लगाना	२२४१–४२
१५६४	इंजनों में खराबी	२२४२
१५६५	चीनी प्रोद्योगिकीय संस्था	२२४२
१५६७	कैश कैन्ट्रक्टरों के भूतपूर्व कर्मचारी	२२४३

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित २२४४

अड़तालीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया . . २२४४

याचिकाओं का उपस्थापन . . . . . २१४४—२३००

श्री विश्वनाथ रेड्डी ने निम्नलिखित याचिकायें उपस्थापित की :—

(एक) रेलवे-लेवल-क्रासिंगो पर दुर्घटनाओं के बारे में एक याचिकाकार द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका ।

(दो) भारतीय शस्त्र नियम, १९५१ में संशोधन के बारे में एक याचिकाकार द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका ।

(तीन) आन्ध्र प्रदेश और मद्रास (सीमाओं में परिवर्तन) विधेयक के बारे में दो याचिकाकारों द्वारा हस्त क्षरित एक याचिका

उपमंत्री द्वारा वक्तव्य २२४४

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) ने भाखड़ा में बिजली घरों के बारे में १७ अगस्त, १९५९ को तारांकित प्रश्न संख्या ४९६ पर श्री राधारमण द्वारा पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न को उत्तर को शुद्ध करने के लिये एक वक्तव्य दिया ।

विषय पृष्ठ

विधेयक पुरस्थापित २२४५–४६

(१) विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १९५९।

(२) विनियोग (संख्या ५) विधेयक, १९५९ ।

(३) विनियोग (संख्या ६) विधेयक, १९५९।

विधेयक पारित . . . . २२४६—५६

(१) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक (संशोधन), विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर चर्चा जारी रही, और प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंडवार विचार के बाद विधेयक पारित किया गया ।

(२) गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) ने प्रस्ताव किया कि केरल स्थानीय प्राधिकार विधियां (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाये। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंडवार विचार के बाद विधेयक पारित किया गया।

सहमति का प्रस्ताव विचाराधीन . . . . . . २२५६—७१

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) ने प्रस्ताव किया कि पशु निर्दयता निवारण विधेयक को एक संयुक्त समिति को सौंपने के बारे में राज्य सभा की सिफारिश से सहमति प्रकट की जाये। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

संस्कृत आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . . .

संस्कृत आयोग के प्रतिवेदन के बारे में श्री सूपकार द्वारा ५ मई, १९५९ को प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर तथा तत्संबंधी संशोधन पर चर्चा समाप्त हुई।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

गुरुवार, २७ अगस्त, १९५९/५ भाद्र, १८८१ (शक) के लिये कार्यावलि . २२७१—२३००

विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १९५९, विनियोग (संख्या ५) विधेयक, १९५९ विनियोग (संख्या ६) विधेयक, १९५९ पर विचार और उन का पारित किया जाना, पशु निर्दयता निवारण विधेयक की एक संयुक्त समिति को सौंपने के बारे में राज्य सभा की सिफारिश से सहमति प्रकट करने पर आगे चर्चा और केरल के संबंध में वर्ष १९५९–६० के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर विचार ।